29 April 1994

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

29 अप्रैल, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (ii)	8	शुक्लं	शुक्ल
78	20	पांडये	पाण्डेय
109	4	श्री राम निहारे	श्री राम निहोर
109	25	असमी	असीम
157	21	श्रमिको	श्रमिक
194	22	कलयाण	कल्याण
236	19	एल॰बी॰	एस॰बी॰

विषय-सूची

दशम माला, खंड 30, नौवां सत्र, 1994/1915-1916 (शक)

अंक 28, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 1994/9 वैशाख, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**1-38**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 482, 483, 486 और 487	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**38-251**
तारांकित प्रश्न संख्या : 481, 484, 485 और 488 से 500	38-39और 40-57
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5406 से 5618	58-245
परमाणु अप्रसार संधि संबंधी नीति के बारे में	**251-256**
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**257-265**
प्रावकलन समिति	**265**
चवालीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	265
लोक लेखा समिति	**265**
बहत्तरवां प्रतिवेदन और पचहत्तरवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	265
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	**265-266**
1. तैतीसवां, चौतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	265

*किर्ं के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा मे उस प्रश्न को उसी ही र छा था।

2. कार्यवाही–सारांश–प्रस्तुत 266

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति **266**

(1) उनतीसवां तथा सैंतीसवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत 266

(2) अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन–सभा पटल पर रखे गए 266

सभा का कार्य **267-269**

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95 **269-289**

(एक) जल संसाधन मंत्रालय 269

श्री विद्याचरण शुक्लं 269

गणपूर्ति के अभाव में 3.25 म.प. तक के लिए सभा के स्थगन के बारे में घोषणा **289**

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95 –जारी **289-292**

(दो) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 289

चिन्मयानन्द स्वामी 290

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति **292-293**

तीसवां प्रतिवेदन –स्वीकृत 292

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, इत्यादि में आरक्षण के बारे में संकल्प **293-328**

विचारार्थ प्रस्ताव

श्री राम टहल चौधरी 293

श्री नीतीश कुमार 295

श्री डी. के. नायकर 301

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 305

श्री रामेश्वर पाटीदार 306

श्री किरिप चलिहा

श्री सैयद शहाबुद्दीन	313
श्रीमती संतोष चौधरी	318
डा. परशुराम गंगवार	319
श्री मंजय लाल	321
श्री पी. पी. कालिया पेरुमल	323
श्री राजागोपाल नायडू रामासामी	328

लोक सभा

शुक्रवार, 29 अप्रैल, 1994/9 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग को आई.जी. से कोई सूचना मिली है, लोक सभा के ज्वाइंट डायरेक्टर श्री पी.के. मिश्र को कोई विशेष सूचना मिली है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाईए।

अब प्रश्न संख्या 481 पूछा जाए। श्री लोक नाथ चौधरी--अनुपस्थित अब प्रश्न संख्या 482 श्री नुरूल इस्लाम।

11.01 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंक

*482. **श्री नुरूला इस्लाम :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य-वार कितना ऋण दिया गया/निवेश किया गया;

(ख) क्या इन बैंकों द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में किया गया निवेश अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उस क्षेत्र में पर्याप्त ऋण/निवेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मार्च, 1990-91 और 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार कृषि और उद्योगों को बकाया ऋण और मार्च, 1990, 1991 और 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए निवेश के राज्य-वार आंकड़े अनुबंध I और II में दिए गए हैं।

बैंकों के निवश में, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, बाण्ड, डिबेंचर आदि शामिल होते हैं, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारें और उनके उपक्रम जारी करते हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे निवेशों में अपेक्षाकृत कमी नहीं आई है।

हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि और उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया बैंक ऋण कम है।

किसी राज्य विशेष में ऋण संवितरण का वास्तविक स्तर, आधारभूत सुविधाओं के विकास, उद्यमवृत्ति ऋणों की वसूली और समग्र सुरक्षा वातावरण से प्रभावित होता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि अपने विद्यमान तंत्र को मजबूत करें ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

अनुबंध-I

मार्च, 1990, मार्च, 1991 और मार्च, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और उद्योग को दिए गए बकाया ऋण की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य	मार्च, 1990		मार्च, 1991		मार्च, 1992	
	कृषि	उद्योग	कृषि	उद्योग	कृषि	उद्योग
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
अरुणाचल प्रदेश	403	4102	650	5235	637	4366
असम	22057	61244	20432	70069	23724	94752
मणिपुर	890	2286	1014	2674	937	2678
मेघालय	1156	2550	2407	2905	1961	2305
मिजोरम	583	759	732	837	571	843

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड	1066	2291	2435	3615	2256	3914
त्रिपुरा	1941	2928	1864	3770	2729	3753
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	66404	110636	77462	123648	74726	119365
हिमाचल प्रदेश	7933	17042	9257	20461	8122	21209
जम्मू व कश्मीर	2482	9394	2671	9425	2542	9831
पंजाब	98485	177407	118200	205200	125162	201023
राजस्थान	67137	93806	75471	110510	88187	125002
चंडीगढ़	12431	24749	9203	31772	8169	42224
दिल्ली	11921	319215	15041	386275	13076	400553
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	65429	113225	81002	113794	83597	113649
उड़ीसा	36599	64509	35075	64373	382005	73121
सिक्किम	556	764	319	913	343	1322
पश्चिम बंगाल	61717	425187	53042	480693	72279	511294
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	174	257	271	670	262	495
मध्य क्षेत्र						
मध्य प्रदेश	95789	179394	109073	204100	110274	212075
उत्तर प्रदेश	138146	293560	183686	349290	190023	362927
पश्चिमी क्षेत्र						
गोवा	3493	22986	4103	22430	3618	27665
गुजरात	79776	393360	88680	448204	119149	449452

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	130357	989458	144855	1093062	160145	1211438
दादर व नागर हवेली	118	2157	139	2327	166	2214
दमन व दीव	175	2281	191	2335	90	2629
दक्षिणी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	176008	290190	190286	336511	202356	392445
कर्नाटक	128813	268454	140941	293520	152586	325120
केरल	57013	130172	63223	144461	64735	151466
तमिलनाडु	166920	481470	654335	581563	203821	575196
लक्षद्वीप	46	10	32	15	34	17
पांडिचेरी	2939	8266	2920	8553	2866	10312
अखिल भारत	1438169	4490920	1620908	5128416	1755610	5462234

अनुबंध-II

मार्च, 1990-91 और मार्च, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभूतियों में राज्यवार निवेशों की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1990	1991	1992
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	135860(7.0)	160164(7.3)	194769(7.5)
2.	अरुणाचल प्रदेश	577(0.3)	1044(0.3)	1252(.05)
3.	असम	51072(2.6)	66159(2.5)	68312(2.6)
4.	बिहार	170861(8.8)	202045(9.1)	247475(9.5)

1	2	3	4	5
5.	गोवा	1478(0.8)	2217(0.1)	2739(0.1)
6.	गुजरात	126117(6.5)	143483(6.5)	160631(6.2)
7.	हरियाणा	46324(0.4)	52925(2.4)	61830(2.4)
8.	हिमाचल प्रदेश	16789(0.9)	18643(0.8)	21620(0.8)
9.	जम्मू एवं कश्मीर	18248(1.0)	21146(1.0)	22816(0.9)
10.	कर्नाटक	97538(5.0)	108365(4.9)	124601(4.8)
11.	केरल	88299(4.5)	101054(5.0)	118194(4.5)
12.	मध्य प्रदेश	136953(7.0)	159778(7.2)	181493(7.0)
13.	महाराष्ट्र	200361(10.3)	223889(10.0)	266243(10.2)
14.	मणिपुर	4273(0.2)	5314(0.2)	5440(0.2)
15.	मेघालय	7933(0.4)	8859(0.4)	10639(0.4)
16.	मिजोरम		–	–
17.	नागालैंड	6163(0.3)	6980(0.3)	7804(0.3)
18.	उड़ीसा	84483(4.3)	93747(4.2)	112905(4.3)
19.	पंजाब	55825(2.9)	39896(2.7)	69923(2.7)
20.	राजस्थान	112883(5.8)	125104(5.6)	145460(5.6)
21.	सिक्किम	757(.3)	1208(0.1)	1656(0.1)
22.	तमिलनाडु	140624(7.2)	158922(7.2)	183176(7.0)
23.	त्रिपुरा	4320(0.2)	5315(0.2)	6147(0.2)
24.	उत्तर प्रदेश	267980(13.8)	307493(13.9)	360597(13.9)
25.	पश्चिम बंगाल	155313(7.0)	176333(8.0)	207989(8.0)
26.	अंदमान एवं निकोबार	–	–	–

1	2	3	4	5
27.	चंडीगढ़	23(Neg)	23(Neg)	23(Neg)
28.	दिल्ली	13686(0.7)	16151(0.7)	16941(0.7)
29.	दमन और दीव			
30.	लक्षद्वीप			
31.	पांडिचेरी	8(Neg)	19(Neg)	23(Neg)
32.	दादर एवं नगर हवेली			
	जोड़	1944748	2216276	2600698

कोष्टक मे दिये गए आंकड़े योग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

न. : नगण्य

श्री नुरूल इस्लाम : महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों के लम्बे समय से चली आ रही और अत्यधिक आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवेश अनुपात कम होना है। अत:, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी ले सकता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों और देश के अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 1993 94 हेतु कितना ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तत्संबंधी उपलब्धियां क्या रहीं। इस क्षेत्र के त्वरित आर्थिक विकास हेतु क्या सरकार पर्यटन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल करके ऐसे क्षेत्रों के लिए ऋण लक्ष्यों को बढ़ाकर सम्पूर्ण लक्ष्यो की प्राप्ति सुनिश्चित करेगी।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, राज्यों विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण प्रदान करने में कतिपय अड़चनें आती हैं। वे इस प्रकार की है : (1) अपर्याप्त आधारभूत ढांचे का अभाव; (2) गैर-अर्थक्षम सहकारी संस्थाएं और अक्षम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ ऋण वसूली में कमी रहना जिससे बैंक ऋण के आवर्तन पर बुरा असर पड़ता है; और (3) वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात का कम रहना है। हमने इन क्षेत्रगत असंतुलन को दूर करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कतिपय कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को क्रमश: अपनी ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं का ऋण जमा अनुपात अखिल भारतीय आधार पर 60 प्रतिशत प्राप्त करने का परामर्श दिया है। और बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सभी उत्पादक और ज्ञात अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करें। सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों को यह भी कहा गया है कि वे लघु उद्यमों का पता लगाकर और उन्हें सहायता प्रदान करके विशिष्ट ऋण योजनाओं को कार्यान्वित करके तथा उन क्षेत्रों जहां पर बैंक नहीं है, बैंकों की शाखाएं खोलकर उन राज्यों में, जहां ऋण अनुपात कम है अधिक ऋण प्रदान करें। राज्य

सरकारों को अपने सांस्थानिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा अर्थक्षम बैंकिंग योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है।

वर्ष 1993-94 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के पश्चात् 'नाबार्ड' ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकाधिक ऋण प्रदान करने में तीव्रता लाने के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

महोदय, यदि आप चाहें तो मैं सभा पटल पर वह विवरण रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको माननीय सदस्य को सन्तुष्ट करना है, न कि मुझे। मैं यह बात आप पर छोड़ता हूं। यदि यह काफी लम्बा ब्यौरा है, तो आप इसे उन्हें लिखित में दे सकते हैं।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण आवंटन को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष योजना तैयार करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में फरवरी, 1994 में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है।

श्री नुरूल इस्लाम : महोदय, आपको जानकारी होगी कि पूर्वोत्तर राज्यों की कुल जनसंख्या का दो तिहाई भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे कमजोर वर्गों से संबंधित है। इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री जी से मालूम कर सकता हूं कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के इन कमजोर वर्गों के लिए 1992-93 के दौरान कितना ऋण लक्ष्य रखा गया है और उनकी उपलब्धियां कितनी रही हैं ? और देश के बदले हुए आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय क्षेत्र का त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऋण लक्ष्यों में वृद्धि करेंगे ?

वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित कुल ऋण लक्ष्य में से कम से कम 25 प्रतिशत कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए। हमने राज्यवार तो ये लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन ये सामान्य अनुदेश हैं।

श्री बीर सिंह महतो : पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम औद्योगिक और कृषि विकास का एक मुख्य कारण यातो सरकार द्वारा अथवा बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं की ओर से पर्याप्त धनराशि न प्रदान किया जाना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संस्वीकृत और संवितरित ऋण अखिल भारतीय ऋण औसत से एक प्रतिशत कम है। औद्योगिक एककों ने भी बताया है कि उद्योग निदेशालय अथवा जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों द्वारा मंजूरी के बाद भी बैंक शाखाओं द्वारा उनकी योजनाओं को मंजूर करने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है। सरकार ने बैंकों को सलाह दी है कि वे अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने को सुनिश्चित करें परंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अतः क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि बैंकों द्वारा इन योजनाओं को स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री मनमोहन सिंह : पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण देने में वृद्धि करने में सबसे बड़ी कठिनाई है कई राज्यों में इसकी असंतोषजनक अदायगी। उदाहरणार्थ 1991-92 में अरुणाचल प्रदेश में मांग अनुपात वसूली 33.6 प्रतिशत है। असम में यह अत्यंत कम 23 प्रतिशत है। मणिपुर में यह 17.7 प्रतिशत है। मेघालय में यह 16.7 प्रतिशत है। मिजोरम में यह 13.6 प्रतिशत है। नागालैंड में यह 18.8 प्रतिशत और त्रिपुरा में 25.5 प्रतिशत है। सभा इस बात को स्वीकार करेगी कि मांग के अनुपात में वसूली आज भी कम है, ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए कठोर सीमा निर्धारित की गई है जिसे बैंक लागू कर सकते हैं ?

श्री बिजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में बैंक ऋण की उपलब्धता ही औद्योगिक बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण भाग है। माननीय मंत्री के प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में वर्ष 1993-94 के बजट प्रावधान के अनुसार इस क्षेत्र में पांच वर्ष तक इस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया जाए। लेकिन बैंक ऋण की पर्याप्त धनराशि न मिलना एक ऐसा कारण है जिससे इन प्रोत्साहनों का लाभ लेने वाले कोई नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह अपने आश्वासनों को प्रभावी ढंग से परिस्थितियों की वास्तविकता के अनुरूप बदलने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : इसका उत्तर यह है कि इस क्षेत्र में ऋण सुविधा की क्षमता को बेहतर बनाना होगा। बैंको के पास धन की कमी नहीं है परंतु बैंक अनुदान देने वाली संस्था नहीं हो सकती है। ऋण उपलब्ध करना जरूरी है। जहां भी ऋण लौटाने की अच्छी संभावना होती है और जब तक वसूली का अनुपात कम रहता है बैंकों के कार्य कर सकने की कठोर सीमा होती है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : पांच वर्ष तक कर मुक्त करने के बारे में क्या होगा ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा क्या निवेश किया गया है, इसका उत्तर सरकार ने दिया है। उन आंकडों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा जो इनवैस्ट किया गया है, उसका मुश्किल से 3 से 4 प्रतिशत और उद्योगों के क्षेत्र में कुल जो राष्ट्रीय स्तर पर निवेश किया गया है, उसका 2 से 2.5 प्रतिशत तक का निवेश बिहार में हुआ है। दूसरी तरफ जो बिहारवासी बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो कैडिट डिपॉजिट रेशियो है, वह भी नीचे है, 20-25 है। इस स्थिति को देखते हुए और पिछड़े राज्यों की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार कुछ विशेष उपाय करेगी ताकि क्रैडिट डिपॉजिट रेशियो को बढ़ाया जा सके और कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा निवेश को बढ़ाया जा सके ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर विकास की दर को प्राप्त कर सकें ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, जैसा कि मेरे सहयोगी ने उल्लेख किया है सभी बैंकों को

रिजर्व बैंक से यह निर्देश है कि सभी ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण शाखाओं में ऋण जमा अनुपात साठ प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। यह सच है कि बिहार जैसे राज्यों में ऋण जमा अनुपात बहुत कम है। लेकिन बैंकों द्वारा ऋण में वृद्धि के लिए ऋण सुविधा के लाभ की क्षमता होनी चाहिए। यदि बिहार में विद्युत आपूर्ति बेहतर हो जाती है तो मैं यह कहता हूं कि बैंक ऋण देने में वृद्धि करने की अत्यधिक संभावनाएं हो जाएंगी। आज बैंक धन से भरे हैं। लेकिन व्यावहारिक परियोजनाएं होनी चाहिए ताकि बैंक ऋण दे सके। बैंक परियोजनाओं की व्यावहारिकता को नजरअंदाज करके अनुदान नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों का यह दायित्व है जैसा मैंने पहले कहा है कि वे ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि करें। ताकि आधारभूत ढांचा बेहतर बनाया जा सके और सेवाओं का संवर्धन हो। यदि यह सब पहले हो जाए तो आज बैंकों को धन की कमी नहीं होगी।

राष्ट्रीय कपडा निगम की मिलें

*483. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों को पुनः चालू करने संबंधी कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इनमें से जिन मिलों का आधुनिकीकरण करने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) इन्हें पुनः चालू करने संबंधी कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ रुग्ण मिलों को बन्द करने का है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके कारण राज्य वार कितने श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे; और

(च) इन मिलों के बंद होने के कारण कर्मचारियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनका समाधान किस प्रकार किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एन टी सी की मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा बनाई गई आधुनिकीकरण/सुव्यवस्थीकरण की योजनाओं की श्रम मंत्रालय तथा एन टी सी की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने संपुष्टि कर दी है। विशेष त्रिपक्षीय समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित सिफारिशें

की हैं :

(1) वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा दी गई रिपोर्टों से पता चलता है कि एन टी सी की मिलों के साथ-साथ अधिग्रहीत मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है।

(2) इसलिए आधुनिकीकरण/सुव्यवस्थीकरण मजदूर संघों के परामर्श से किया जाना चाहिए।

(3) किसी भी प्रकार की छंटनी नहीं की जानी चाहिए।

(4) निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

(5) अधिग्रहीत मिलों को राष्ट्रीयकृत किया जाएगा।

(6) फालतू भूमि को बेचा जाए तथा उससे प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग प्रबंधकों द्वारा आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी आदि के लिए किया जाना चाहिए।

(7) धारक-कंपनी तथा सहायक निगमों दोनों के स्तर पर व्यवसायिक प्रबंधन को मजबूत बनागा जाना चाहिए तथा एकक से लेकर धारक कंपनी के स्तर के सभी स्तरों तक प्रबंधन में कामगारों की कारगर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड स्तर तक मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(8) उपर्युक्त प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा मामलों को बंद करने के लिए बी आई एफ आर को प्रस्ताव भेजने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

2. पुनरुद्धार योजना के लिए सरकार द्वारा उसको कार्यान्वित करने से पहले स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत बीआईएफआर का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(ख) से (ङ) एनटीसी की 79 मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा बनाई गई योजनाओं के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण अनबंध के रूप में संलग्न है। इस आधुनिकीकरण पर 2005.67 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसमें 36 गैर अर्थक्षम एककों को 18 अर्थक्षम एककों में शामिल करके उनका पुनर्निर्माण करना तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत 63,610 कामगारों को सुव्यवस्थीकरण करना शामिल है।

(च) सरकार ने एनटीसी के ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें पुनः तैनात करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है जो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं ताकि वे विद्युतकरघा/रीलिंग एककों की स्थापना कर सकें। ऐसे करघों/रीलिंग एककों के 6 महीने तक सफलता पूर्वक चलने के पश्चात्, इस योजना की पूंजीगत लागत के 25% से 30 प्रतिशत तक का उत्पादन प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ताकि ऐसे उद्यम को अधिक लाभप्रद बनाया जा सके।

वस्त्र अनुसंधान संघों की रिपोर्ट के अनुसार मिल-वार फालतू कामगारों की संख्या तथा अधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित मिलों का ब्यौरा

	मिल का नाम	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)	सुव्यवस्थित किए जाने वाले कामगारों की संख्या
1	2	3	4
एन टी सी (डी पी आर) लि.			
1.	अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	40.50	839
2.	दयालबाग टैक्सटाइल मिल्स, अमृतसर	10.46	10
3.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स, मलौत	18.35	–149
4.	खरड़ टैक्सटाइल मिल्स, खरड़	16.69	87
5.	पानीपत वूलन मिल्स, खरड़	13.90	32
6.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	28.51	822
7.	एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	क्रम संख्या 6 में निर्दिष्ट मिल के साथ मिला दिया गया है।	
8.	श्री विजय काटन मिल्स, विजय नगर	18.63	–184
9.	उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	16.00	–53
	कुल	163.04	1404
एन टी सी (एम पी) लि.			
10	बंगाल नागपुर मिल्स, राजनन्दगांव	34.08	1339
11.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	31.84	498
12.	न्यू भोपाल मिल्स, भोपाल	23.85	946
13.	हीरा मिल्स, उज्जैन	23.70	1348
14.	स्वदेशी काटन मिल्स, इन्दौर	क्रम संख्या 15 में निर्दिष्ट मिल के साथ मिला दिया गया है।	813

1	2	3	4
15.	इंदौर माल्वा मिल्स, इंदौर	62.73	5020
16.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	25.98	769
	कुल	202.18	10733
एन टी सी (यू पी) लि.			
17.	मयूर मिल्स, कानपुर	60.45	186
18.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	22.44	1727
19.	बिजली काटन मिल्स, हाथरस	12.43	169
20.	लार्ड कृष्णा मिल्स, सहारनपुर	17.12	1568
21.	श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	54.43	43
22.	स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	34.69	798
23.	स्वदेशी काटन मिल्स, माउनाथ भंजन	20.76	--113
24.	रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	24.92	134
25.	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	14.99	2500
	कुल	262.23	6744
एन टी सी (एस एम) लि.			
26.	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद	22.34	10
27.	दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	49.46	706
28.	चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स, चालीसगांव	37.74	468
29.	जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	(क्रम संख्या 31 में निर्दिष्ट मिल के साथ मिला दिया गया है।)	697
30.	अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	32.67	788

1	2	3	4
31.	भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	34.03	1489
32.	न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	–	492 (क्रम संख्या 35 में निर्दिष्ट मिल के साथ मिला दिया गया है।)
33.	धुले टैक्सटाइल मिल्स, धुले		307
34.	नान्देद टैक्सटाइल मिल्स, नान्देद	28.41	963
35.	मुम्बई टैक्सटाइल मिल्स, मुम्बई	48.13	1528
	कुल	252.78	7448
एन टी सी (एम एन) लि.			
36.	माडल मिल्स, नागपुर	48.07	1269
37.	आर एस आर जी मिल्स, अकोला	36.91	740
38.	इन्दु नं. 1, बम्बई	48.96	1100
39.	इन्दु नं. 2, बम्बई	–	362 क्रम संख्या 40 व 41 में निर्दिष्ट मिल के साथ मिला दिया गया है।
40.	इन्दु नं. 3, बम्बई	55.14	1855
41.	इन्दु नं. 4, बम्बई		
42.	इन्दु नं. 5, बम्बई	20.48	324
43.	इन्दु नं. 6, बम्बई	20.21	60
44.	आर बी बी ए मिल्स, हिंगनघाट	30.68	478
45.	स्वत्रमं मिल्स, अकोला	–	231 क्रम संख्या 37 में निर्दिष्ट मिल के साथ मिला दिया गया है।

1	2	3	4
46.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर	31.21	515
	कुल	291.66	6814
एन टी सी (गुजरात) लि.			
47.	अहमदाबाद जुपीटर मिल्स, अहमदाबाद	– क्रम संख्या 49 व 53 में निर्दिष्ट मिल के साथ मिला दिया गया है।	2010
48.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	9.60	1533
49.	हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स, अहमंदाबाद	32.83	658
50.	जहांगीर टैक्सटाईल मिल्स, अहमदाबाद	42.20	875
51.	पेटलेड टैक्सटाइल मिल्स, पेटलेड	8.01	727
52.	महालक्ष्मी मिल्स, भावनगर	8.69	1380
53.	न्यू मानकचौक मिल्स, अहमदाबाद	23.61	10.20
54.	वीरमगांव टैक्सटाइल मिल्स, वीरमगांव	8.93	582
55.	राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट	8.67	617
56.	राजनगर मिल्स 1 व 2, अहमदाबाद	15.54	1958
	कुल	157.99	11360
एन टी सी (ए पी के के एम) लि.			
57.	आजम जही मिल्स, वारंगल	43.42	983
58.	नेथा स्पिनिंग मिल्स, सिकंदराबाद	16.63	
59.	आनन्तापुर काटन मिल्स, टाडपतरी	15.60	–
60.	अदोनी काटन मिल्स, अदोनी	14.09	–

1	2	3	4
61.	मैसूर स्पि. मिल्स तथा मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	47.22	1156 (मैसूर मिल को मिनर्वा मिल के साथ विलम्ब किया जाना है।)
62.	महबूब शाही गुलबर्गा मिल्स, गुलबर्गा	31.33	676
63.	कन्नानूर स्पि. एण्ड वी. मिल्स, कन्नानूर	18.15	38
64.	अलगप्पा टैक्स. मिल्स, अलगप्पानगर	14.05	
	कुल	200.49	2853
एन टी सी (टी एन पी) लि.			
65.	श्री भारती मिल्स, पाण्डिचेरी	28.96	–
66.	कोयम्बटूर मुरूगन, कोयम्बटूर	–	44
67.	सोमासुन्द्रम मिल्स, कोयम्बटूर.	–	22
68.	कालीश्वरर मिल्स 'ए' कोयम्बटूर	–	43
69.	स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी	–	44
	कुल	28.96	153
एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एण्ड ओ) लि.			
70.	बंगाल टैक्सटाइल मिल्स, मुर्शीदाबाद	8.73	295
71.	सेन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा	8.15	1121
72.	बंगाल फाइन नं. 1, काननगर	15.53	332
73.	बंगाल लक्ष्मी, सीरामपुर	क्रम संख्या 75 में विलय	412
74.	श्री महालक्ष्मी मिल्स, पाल्टा	16.78	526
75.	रामपुरिया काटन मिल्स, सीरामपुर	43.55	917

1	2	3	4
76.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल, रिशरा	21.96	89
77.	आरती काटन मिल्स, दासनगर	9.41	100
78.	बंगाश्री काटन मिल्स, सुकचर	7.54	69
79.	बंगाल फाइन नं. 2, काटागंज	14.81	256
80.	ज्योत वीविंग फैक्ट्री, कलकत्ता .	क्रम संख्या 75 में विलय	379
81.	सोदपुर काटन मिल्स, सोदपुर	8.18	208
82.	बिहार कोआपरेटिव मिल्स, मोकामेह	5.86	231
83.	एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज, चन्द्रपुर	8.18	39
84.	गया काटन मिल्स, गया	7.11	400
85.	उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर	11.98	93
	कुल	187.77	4539

अधिग्रहीत मिलें, बम्बई

86.	एलफिनस्टोन मिल्स, बम्बई	क्रम संख्या 88 में विलय	76
87.	फिन्ले मिल्स, बम्बई	39.91	578
88.	गोल्डमुहर मिल्स, बम्बई	22.24	1660
89.	जाम मिल्स, बम्बई	क्रम संख्या 94 में विलय	361
90.	मधुसूदन मिल्स, बम्बई	क्रम संख्या 91 में विलय	451
91.	न्यू सिटी मिल्स, बम्बई	36.05	1578
92.	पोद्दार मिल्स, बम्बई	30.63	1372
93.	पोद्दार प्रोडेक्ट्स, बम्बई	37.71	355
94.	टाटा मिल्स, बम्बई	49.17	1711
95.	सीताराम मिल्स, बम्बई,	क्रम संख्या 92 में विलय	142

1	2	3	4
96.	कोहिनूर मिल्स 1, 2 व 3, बम्बई	16.62	908
		(कोहिनूर 2 व 3 का 1 में विलय)	
	कुल	232.13	8482
अधिग्रहीत मिल्स, कानपुर			
97.	लक्ष्मी रतन मिल्स, कानपुर	26.44	1529
98.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	क्रम संख्या 97 में विलय	1551
	कुल	26.44	3080
	महायोग	2005.67	63610

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कपड़ा निर्यात में भारत संसार के 13वें स्थान पर है लेकिन एन टी सी की 1985 में 58 मिलें बन्द हुईं। 1986 में 90 मिलें बन्द हुईं, दिसम्बर, 1987 में फिर 133 बन्द हुईं और 1991 में 190 मिलें बन्द हुईं। इस संबंध में मैं पूर्व मंत्री जी को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि यूं तो कपड़ा राज्य मंत्री मानते हैं कि एन टी सी मिलों की दुर्दशा की असली वजह नकारा वित्तीय प्रबंध ही है। उनकी राय में ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण 124 मिलों के 1 लाख 65 हजार मजदूरों की रोजी छिन गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सारा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछना है।

श्री फूलचन्द वर्मा : पूर्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि एन टी सी की जो 190 मिलें बन्द हुई हैं और उसमें 1 लाख 65 हजार मजदूर बेकार हुए हैं, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने 1656 करोड़ रुपये दिए थे। उसके बाद भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। यहां तक कि केन्द्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपये भी माफ कर दिए। एन टी सी में लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि घाटा बढ़ने का कारण क्या अकुशल प्रबन्ध और बेहिसाब भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है ? अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी लम्बी फौज है कि वे एन टी सी में निरन्तर घाटा डाल रहे हैं। आज वहां जो 2300 करोड़ रुपये का घाटा है, क्या उसकी जांच कराने के लिए आप प्राइवेट ऑडिटर्स की सहायता लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : छोटा-सा सवाल है कि क्या प्राईवेट ऑडिटर्स से काम लेंगे।

श्री जी. वेंकटस्वामी : मेरे पास बहुत मैटिरियल है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जितना लम्बा प्रश्न है उतना लम्बा जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए।

श्री जी. वेंकटस्वामी : अध्यक्ष महोदय, देश में एन टी सी की 122 मिलों के बारे में भारत सरकार ने अगस्त, 1992 में यह डिसीजन लिया था कि इसमें से 42 मिलें सिक हैं। उनका आधुनिकीकरण किया जाए। इसके लिए 533 करोड़ रुपया मंजूर किया जिस में 80 करोड़ मार्जिन मनी लेकर और फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन्स से लेकर आधुनिकीकरण किया जाए। तकरीबन 79 हजार वर्कर्स सरप्लस डिक्लेयर हुए लेकिन उनका रिट्रेंचमेंट नहीं किया। उसको बी आई एफ आर के पास भेजना तय हुआ। 533 करोड़ रुपये से सारी मिलों का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया इसे बी आई एफ आर और टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन को सौंपा जाए जिससे इन्हें वायबल इंडस्ट्री बनाया जा सके। एस आई टी आर ए, बी टी आर ए, ए टी आई आर ए, एन आई टी आर ए ये चारों एसोसिएशन्स रिकॉग्नाज्ड है और यह इंडिया में हो नहीं है बल्कि फॉरेन में भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे इनका आधुनिकीकरण पॉसिबल है। उन्होंने 79 मिल्स का प्लान सबमिट किया। उनमें हमने देखा कि कितने वर्कर्स रिट्रेंच हो रहे हैं ? इसमें लेबर मिनिस्ट्री की मदद ली। लेबर मिनिस्ट्री ने ट्रिपैर्टाइट कमेटी बनायी। उसकी रिपोर्ट के बारे में मेरे रिप्लाई में उल्लेख है। अगर सारी एन टी सी मिलों को देखा जाए तो 122 –**(व्यवधान)**– मैंने अपने रिप्लाई में पूरी डिटेल्स दी है। अगर आनरेबल मैम्बर उसे देख लें तो अच्छा होगा। एक लाख 70 हजार वर्कर्स रिट्रेंच नहीं हुए हैं। ये एन टी सी की मिलों में काम कर रहे हैं। 79 हजार 982 वर्कर्स सरप्लस डिकलेयर हुए। ट्रिपैर्टाइट कमेटी ने यह स्वीकार किया है कि इन मिलों का आधुनिकीकरण क्रिया जाए और मजदूरों का रिट्रेंचमैंट नहीं किया जाए। हमने यह बात मान ली है कि फ्यूचर में रिट्रेंचमैंट किये बगैर इनका आधुनिकरण करेंगे। इसके लिए 2005.67 करोड़ रुपये ऐक्सपैंडिचर हुए। ट्रिपैर्टाइट कमेटी में आनरेबल मैम्बर्स भी शरीक हैं। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा प्लान नहीं बन सकता है। कैबिनेट डिसिजन होने के बाद ही आधुनिकीकरण का प्रोग्राम शुरू हो सकता है।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पैसिफिकली यह पूछा था कि पूर्व मंत्री जी ने कहा था, कि 2300 करोड़ रुपये का जो घाटा हुआ है, इसकी जांच प्राइवेट ऑडिटर से करायी जानी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : आनरेबल मैम्बर को उतनी ही बातें मालूम नहीं हैं जितनी कि मुझे मालूम हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : हाउस को पता चलना चाहिए कि एन टी सी में घाटा क्यों हो रहा है ? इतने बड़े घपले के पीछे किस का हाथ है।

श्री जी. वेंकटस्वामी : आपको यह इनफार्मेशन नहीं है कि 3300 करोड़ –**(व्यवधान)**– इसका हिसाब-किताब चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं।

श्री फूलचन्द वर्मा : प्राइवेट एजेंसी से आप इसकी जांच करायेंगे या नहीं ? पूर्व मंत्री

जी गहलोत जी ने कहा था कि इस घपले की जांच प्राइवेट ऑडिटर से करायी जानी चाहिए। जो लोग इसमें लिप्त हैं, जिन के कारण यह घपला हुआ, वे सारे इससे बेनकाब हो सकते हैं।

श्री जी. वेंकटस्वामी : आनरेबल मैम्बर को मालूम नहीं है कि हर साल जो रिपोर्ट सबमिट होती है, वह चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट आने के बाद ही यहां सबमिट होती है।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण कोष में 750 करोड़ रुपया था। पिछले पांच वर्षों में रिलायंस और बौम्बे-डाईंग को 300 करोड़ रुपये दिए लेकिन एन टी सी जो कि बीमार मिल हैं, उसको एक रुपया भी नहीं दिया गया। टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि 205 करोड़ रुपया --**(व्यवधान)**--

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री फूलचन्द वर्मा : आधुनिकीकरण कोष में 750 करोड़ रुपये थे, उनमें से 300 करोड़ रुपये आपने पिछले 5 वर्षों में रिलायंस और बौम्बे डाइंग को दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने दिए हैं कि नहीं ?

श्री फूलचन्द वर्मा : लेकिन एन टी सी की बीमार मिलों को एक रुपया भी नहीं दिया गया तो इसका क्या कारण है, क्यों नहीं दिया गया । मैं इतना ही स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि 750 करोड़ रुपये में से 300 करोड़ रुपया रिलायंस और बोम्बे डाइंग को दे दिया गया जबकि एन टी सी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है लेकिन इन मिलों को एक रुपया भी नहीं दिया गया तो इसके पीछे क्या कारण हैं ? नहीं दिया तो इसके सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी यह सही है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने सिक मिलों के लिए 750 करोड़ रुपये सेवंथ फाईव ईयर प्लान में दिये थे लेकिन एन टी सी को एक नया रुपया भी नहीं पहुंचा, यह जो कह रहे हैं, वह गलत है। 46 करोड़ रुपया हमने आई डी बी आई से दिया है और इन मिलों को माडर्नाइजेशन तमिलनाडु और कर्नाटक एरिया में हुआ है।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैंने रिलायंस और बोम्बे डाइंग के बारे में कहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है, उसके बारे में आप बताइये ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटैक्शन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप न प्रश्न समझ रहे हैं और हम बता रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं। ऐसी हालत में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने विवरण में कहा है कि वस्त्र अनुसंधान संघ ने आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थीकरण योजना तैयार की है। उसने विशेष त्रिपक्षीय समिति के आठ सूत्रों का भी समर्थन किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी आठ सूत्रों, इन सभी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यदि हां, तो उन सभी 79 रुग्ण मिलों के आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थीकरण का क्या होगा ?

मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थीकरण का कार्य शुरू करने हेतु सांविधिक प्रावधानों की स्वीकृति के लिए बी आई एफ.आर से सम्पर्क करने हेतु कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, ट्रीपार्टाइट कमेटी के बाद अभी हमें केबिनेट के सामने जाना है। उसमें जाने के बाद ही बी आई एफ आर के पास जायेगी। हमारा माडर्नाइजेशन का जो प्लान है, जो टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने दिया है और जिसको ट्रीपार्टाइट कमेटी ने एक्सैप्ट किया है, उसको हम कैबिनेट में ले जाएंगे, उसके बाद बी आई एफ आर के पास जायेंगे। यह प्लान हम माडर्नाइजेशन के लिए करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो एक प्रश्न पूछा गया था, वह प्रश्न का घ पार्ट था।

[अनुवाद]

'क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ रुग्ण मिलों को बंद करने का है।'

[हिन्दी]

इसका इसमें कहीं जवाब नहीं आया है तो एक तो मैं वह जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि क्या इस तरह का सरकार के पास में विचाराधीन मामला है कि जो कुछ बीमार मिलें हैं, उनको सरकार बन्द करने जा रही है या सदन को विश्वास में लेगी कि इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं है ? दूसरे आप देखेंगे तो एन टी सी का जब गठन किया गया था और त्रिपक्षीय विशेष कमेटी ने रिपोर्ट दी है, यह सारी चीजें कोई नई नहीं हैं। जब एन टी सी का टेकओवर किया था, प्राइवेट इण्डस्ट्रीज से लिया था तो यह सारा का सारा उस समय में कहा गया था कि आधुनिकीकरण का या सुव्यवस्थीकरण का या मजदूरों की राय ली जायेगी, छंटनी नहीं होगी, निजीकरण नहीं होगा, नेशनलाइजेशन होगा, व्यवस्था प्रबन्ध होगा, यह सारा कुछ कहा गया था लेकिन उसके बावजूद लेकर उसको अनाथालय में छोड़ दिया गया।

यह ठीक है कि मंत्री जी आये हैं, यह बहुत प्रयत्नशील हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन जो बेसिक प्रश्न था, मैं फिर उस पर आना चाहूंगा कि यह जितने घोटाले हुए हैं या भ्रष्टाचार होता है या क्यों सिक मिलें प्रोग्रैस नहीं कर पाती हैं तो इसके लिए सरकार कोई इण्डिपेण्डेण्ट एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगी, उसकी जांच करायेगी, जिससे कि इसका पता चल सके कि इसका क्या कारण है, जिसके कारण से प्रगति नहीं हो पा रही है ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, आनरेबल मैम्बर्स को मैंने कम्पलीट रिपोर्ट दी है। वह अगर उसको देख लें तो क्वश्चन के लिहाज से मैंने उत्तर दिया है। उनका जो स्पेसिफिक क्वश्चन था कि जो भी भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है, उसके लिए कोई जांच करेंगे क्या,

इसके लिए हमारे ट्रिपारटाइट कमेटी ने एक एक मिल को जाकर देखा है। हम 108 साल और 128 साल की मशीनरी को लेकर इस एज में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बाजार के

अन्दर और वर्ल्ड के अन्दर। इसलिए मॉड्रनाइजेशन करना जरूरी है। माननीय सदस्य ने जो भ्रष्टाचार के बारे में सवाल किया है, उसके मामले में पहले मैं मिनिस्ट्री की तरफ से एन्कावयरी कर रहा हूं। उसमें कई लोगों पर एक्शन लिया हूं। इसके अलावा यदि और भी कोई ऐसी बात आएगी, तो उसके ऊपर एक्शन लूंगा –**(व्यवधान)**–

[अनुवाद]

माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है। यह गबन के कारण नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : बल्कि पुराने उद्योगों के रुग्ण होने के कारण हैं।

[हिन्दी]

वे इन्डस्ट्रीज बहुत सिक थी, 108 इन्डस्ट्रीज थीं। इसलिए उन्होंने लिया है।

श्री राम विलास पासवान : सरकार बन्द करने जा रही है या नहीं ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : उसी रिपोर्ट में है कि हम कोई मिल बन्द नहीं कर रहे हैं, नो क्लोजर।

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : अधयक्ष महोदय, एन टी सी के बारे में माननीय मंत्री श्री वेंकटस्वामी जी, ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं भी ट्रिपारटाइट कमेटी का सदस्य हूं। उसके जरिए जो कुछ भी मैंने देखा है, उसमें उन्होंने योगदान दिया है। टी आर ए की सिफारिशों के जरिए ट्रिपारटाइट कमेटी ने जो निर्णय लिया है, वह निर्णय केबिन्ट के पास जाएगा और कैबिनेट के बाद बी आई एफ आर के सामने जाएगा। बी आई एफ आर जब उसके बारे में क्लीयरेंस देगी, उसके बाद माड्रनाइजेशन का काम होगा। यह सब करने के लिए बहुत ही समय लगेगा और एन टी सी के पास पैसा नहीं है। चालू बजट में प्राइम मिनिस्टर ने एक ही करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, यह जो माड्रनाइजेशन की स्कीम आप हाथ में लेने जा रहे हैं और उसमें जो कुछ भी पैसा लगेगा, उसका प्रबन्ध आप कैसे करेंगे ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सारी मिलें हैं। चन्द मिलों की सरप्लस लैंड, सरप्लस प्रापर्टी वगैरह है, जो सालों से पड़ी हुई हैं और उसकी जरूरत भी नहीं है। माड्रनाइजेशन करने के बाद जितना भी सरप्लस निकलेगा, उसको बेचने के लिए ट्रिपारटाइट कमेटी ने एग्री किया है। इस कमेटी में माननीय सदस्य भी शरीक हैं। उसको बेचने के बाद, यही नहीं हमने ग्लोबल टैंडर भी एनाउन्स किया है कि यह सारी मशीनरीज की हमें जरूरत है और इन-इन मशीनरीज को दस साल के लिए 5-6 परसेंट के इन्टरेस्ट पर कौन कौन लेने वाले हैं। इस लिहाज से हमारे पास 61 टैन्डर आए हैं। इसके लिए कमेटी बनाई गई है और जांच हो रही है। इस तरह से मशीनरी आएगी और जो भी पैसा रहेगा सरप्लस बेचने के बाद, उससे पूरा माड्रनाइजेशन किया जाएगा।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने 750 करोड़ रुपया एन टी सी की मिलों को माड्रनाइजेशन के लिए दिया है, इसमें से कितना पैसा आपने मुम्बई की मिलों पर खर्च किया है ? ट्रिपारटाइट कमेटी में मुझे भी बुलाया

गया था। मुम्बई शहर की मिल क्लोज करने के लिए और मरजर करने के लिए विरोध किया गया था। आज आप कितनी मिल्स बन्द करने जा रहे हैं और जो मिल्स बन्द क...

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब दे दिया है। एक भी मिल बन्द नहीं करने जा रहे हैं।

श्री मोहन रावले : मरजर का क्या मतलब है --**(व्यवधान)**-- मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ट्रिपारटाइट कमेटी में उन्होंने कहा था कि एन टी सी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं --**(व्यवधान)**--

अध्यक्ष महोदय : यहां पर नहीं होता है, कमेटी में है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, सिक होने का कारण रॉ मैटिरियल है यह आप क्यों नहीं देते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है --**(व्यवधान)**--

अध्यक्ष महोदय : बम्बई की सिक मिल्स को आपने कितना पैसा दिया है- यह वैलिड क्वैश्चन है, उसका आप रिप्लाई दे सकते हैं।

श्री जी. वेंकटस्वामी : महोदय, बम्बई के अन्दर साउथ महाराष्ट्र और नार्थ महाराष्ट्र में कुछ टैक्सटाइल मिलें हैं। माननीय सदस्य की कान्स्टीचुयेंसी साउथ महाराष्ट्र में है और वहां 13 टेकओवर मिलें हैं। वे इस प्रपोजल में भी हैं।

|हिन्दी|

अध्यक्ष महोदय : कितना पैसा दिया है, उसका आंकड़ा है ? यदि नहीं है तो भेज दीजिएगा।

श्री जी. वेंकटस्वामी : जी हां।

|अनुवाद|

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उत्तर में थोड़ा-सा विरोध है। माननीय मंत्री उसका समाधान कर सकते हैं। त्रिपक्षीय समझौता यह हुआ है कि कोई छंटनी नहीं होगी। परन्तु प्रस्तावना में कहा गया है कि यह वस्त्र अनुसंधान संघ के अध्ययन पर आधारित है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई जाएगी जिसका लाभ 63,610 श्रमिकों को मिलेगा। इसमें थोड़ा-सा विरोध है यदि आप इसे दूर कर सकें तो कृपया इसे दूर करें। यह छंटनी नहीं है बल्कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि पूर्वी भाग में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन मिलें हैं जिनके नाम ज्योति वीविंग फैक्ट्री, बंग श्री काटन मिल्स और सोदपुर काटन मिल्स। वस्त्र अनुसंधान संघ के निष्कर्ष के अनुसार इनमें फालतू श्रमिक हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य मिल है। उसका प्रबन्ध सरकार करती थी। उस मिल की अधिसूचना रद्द कर दी गई और उस मिल का राष्ट्रभक्ति के कार्यों का लम्बा इतिहास रहा है। उस मिल का नाम कोहिनी मिल है। क्या आप उस मिल को अपने अधिकार में ले रहे हैं क्योंकि वहां श्रमिक परेशान हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आवश्यक नहीं है। यह प्रश्न ही काफी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए यह 'क्योंकि' आवश्यक है। मैं आपसे उस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। क्या आज मोहिनी मिल को भी इस योजना के अन्तर्गत ला रहे हैं ? क्या आप ऐसा करेंगे ? कृपया यह विरोध भी दूर कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है।

[अनुवाद]

डा. मुमताज़ अंसारी : महोदय, आधुनिकीकरण सुव्यवस्थीकरण की योजना के अन्तर्गत कम-से-कम 63,610 श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेंगे। उसी योजना के अन्तर्गत, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी श्रमिकों को कोई प्रोत्साहन दिये जाएंगे और अपने करघे। रोलिंग एककों की स्थापना के लिए उन्हें सहायता दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रसंगानुकूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले ऐसे सभी करघा मालिकों को विपणन, धागे की सप्लाई, विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बन्द की गई राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों को मशीनों, औजारों, परिसरों और सम्पत्तियों के विक्रय से कोई एजेंसी गठित करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे लम्बा मत खींचिए।

डा. मुमताज अंसारी : क्या आप उस पर विचार करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, मैंने जो रिप्लाई में दिया है।

[अनुवाद]

> "सरकार ने एन टी सी के ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें पुनः तैनात करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत हुए हैं ताकि वे विद्युतकरघा रीलिंग। एककों की स्थापना कर सकें।"

बोइंग 400

*486. **श्री सुधीरा सावंत** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न एयरलाइनों द्वारा विभिन्न प्रकार के कौन-कौन से विमान चलाए रहे हैं और उनकी यात्री क्षमता तथा ईंधन खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ गैर-सरकारी एयरलाइनों ने नागर विमानन महानिदेशालय से उन्हें भारत में बोइंग-400 सीरीज के विमान लाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बोइंग-400 सीरीज के विमानों की पेशकश करने वाली विदेशी एयरलाइनों के नाम क्या हैं और इन पर कितनी राशि व्यय होगी;

(ङ) क्या पट्टे की शर्तें कठोर अथवा उदार हैं और उनकी तुलनात्मक कीमत कितनी है; और

(च) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (च) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, वायुदूत और एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा प्रचालित विमानों तथा उनकी यात्री क्षमता तथा विशिष्ट विमानन ईंधन खपत को अनुबंध I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एक विवरण अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा प्रचालित किए जा रहे विमान या तो उनकी मालिकी के हैं अथवा वे ड्राई लीज पर हैं। प्रचालकों द्वारा लागत के बारे में जानकारी नहीं बताई जाती है।

(च) दो प्रचालकों के आवेदन-प्रत्र स्वीकार कर लिए गए हैं, शेष मामले विचाराधीन हैं।

अनुबंध-I

	विमान का प्रकार	इंजन	विशिष्ट विमानन ईंधन खपत*	यात्री
1	2	3	4	5
इंडियन एयरलाइन्स	एयरबस ए–300	सीएफ 6–50 सी	0.390 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	248
	एयरबस ए–320	आईएई वी–2500	0.575 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	162
	बोइंग–737–200	जेटी 8 डी–17 ए	0.645 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	126
एयर इंडिया	एयरबस ए–300	सीएफ 6–50	0.390 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	238
	एयरबस ए–310	सीएफ 6–80 सी 2	0.344 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	206
	बोइंग 747–200	जेटी 9 डी–7 जे	व.631 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	392
	बोइंग 747–300	सीएफ 6–80 सी 2	0.324 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	273
	बोइंग 747–400	पी.डब्ल्यू 4056	0.58 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	417
वायुदूत	डोर्नियरडीओ–228	पीपीई–331	0.626 एलबी/एचआर/ईएचपी	19
	एव्रो 748	आरआर 7–531	0.578 एनबी/एचआर/पीएचपी	48

*विशिष्ट विमानन ईंधन खपत के लिए सूचना का स्रोत :–जेन्स आल द वर्ल्ड एयरक्राफ्ट बुक।

1	2	3	4	5
ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	जेटी 8 डी–9 ए	0.595 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	125
	फोकर एफ–27–500	डाल्ट 532	0.578 एलबी/एचआर/ईएचपी	47
एम.जी. एक्सप्रेस	बोइंग 737–200 ए	जेटी 8 डी–15	.630 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	107
जेट एयर	बोइंग 737–300	सीएफएम 56–3	0.621 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	125
	बोइंग 737–400	सीएफएम 56–3	0.621 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	134
अर्चना एयरवेज़	एलईटीसएल 410	वाल्टर 610	0.647 एलबी/एचआर/ईएचपी	17
दमानिया एयरवेज़	बोइंग 737–200	जेटी 8 डी–9 ए	0.595 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	125
जैक्शन एयरलाइन्स	डोर्नियर डीओ–228	टीपीई–331	0.626 एलबी/एचआर/एसएचपी	19
सहारा एयरलाइन्स	बोइंग 737–200	जेटी 8 9 डी–9 ए	0.595 एलबी/एचआर/एलबी एसटी.	124
राज एयर	फोकर एफ–27 एमके 50	पीडब्ल्यूसी 125 बी	0.468 एलबी/एचआर/ईएचपी	50
एनईपीसी एयरलाइन्स	फोकर एफ–27–50	डार्ट 532	0.578 एलबी/एचआर/ईएचपी	52
उड़ान रिसर्च एंड फ्लाइंग इंस्ट्टिूट	सेसना 127 पी	लाइको 0320	0.30 एलबी/एचआर/बीएचपी	4
	सेसना 152	लाइको 0235	0.36 एलबी/एचआर/बीएचपी	2

यू.बी.एयर प्रा.लि.	बेल 47 जी	लाइको बी. 435	0.40	एलबी/एचआर/एचपी	2
सराय एविएशन	बीच बेरन बी 58	कान्ट 520 सी	0.48	एलबी/एचआर/बीएचपी	5
दिल्ली गल्फ एयरवेज़	एक्रूबल एएस 350 बी	एरियल 1 बी	0.59	एलबी/एचआर/एसएचपी	4
इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज़	एचएस–125	वाइपर 522	1.00	एलबी/एचआर/एलबी	7
	बैलजेट रेंजर	अलिशन 250	0.709	एलबी/एचआर/एसएचपी	5
मेगापोड एयरलाइन्स	एचएस–125–700	टीएफई–731	0.506	एलबी/एचआर/एलबी	11
एरियल सर्विसेज	बीचजेट 400	जेटी–15–5	0.562	एलबी/एचआर/एलबी	8
ट्रांस भारत एविएशन	बीच 99	जेटी 6 ए–20	0.670	एलबी/एचआर/ईएचपी	15

टिप्पणी : विभिन्न विमानों के लिए विमानन ईंधन दक्षता विमान में लगे इंजन की किस्म पर निर्भर करती है। विभिन्न इंजनों की विमानन ईंधन दक्षता की तुलना के लिए "विशिष्ट विमानन ईंधन खपत" के रूप में ज्ञात (पैरामीटर) अपनाया जाता है। जेट इंजनों के लिए, इसे गतिहीन परिस्थितियों के अधीन श्रस्त (शक्ति) की प्रति यूनिट प्रतिघंटा ईंधन खपत की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत कम होने पर, इंजन अधिक ईंधन दक्षता वाला होता है।

उड़ान की विभिन्न परिस्थितियों के अधीन इंजनों में विभिन्न शक्तियों का विकास होता रहता है। इसलिए एक विमान की वास्तविक ईंधन खपत, वाहित भार उड़ान के चरण (उड़ान भरने, सामान्य चाल, अवतरण), तापमान, ऊंचाई इत्यादि जैसे विभिन्न पैरामीटरों पर निर्भर करेगा। अनुबंध में दी गई विशिष्ट ईंधन खपत के आंकड़े "जेन्स आल द वर्ल्ड एयरक्राफ्ट" पुस्तक में प्राकशित सूचना पर आधारित है।

अनुबंध-II

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	प्रस्तावित आयात किए जाने वाले विमान की संख्या और प्रकार		लीजिग कंपनी का नाम
1.	मैसर्स ईष्ट वेस्ट एयरलाइन्स	बी-737-400	6 नं.	मैसर्स मलेशियन एयरलाइन्स
2.	मैसर्स जेट एयरवेज़	बी-737-400	2 नं.	—वही—
3.	मैसर्स एम.जी. एक्सप्रेस लि.	बी-737-400	2 नं.	लुफथांन्सा
4.	मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स	बी-737-400	3 नं.	एयर यू.के.

श्री सुधीर सावंत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों और उत्तरों से यह एकदम स्पष्ट है कि जब से मुक्त आकाश नीति की घोषणा की गई है तब से विभिन्न इंजनों वाले विमानों की संख्या में वृद्धि हुई है। उनके किस्मों में यह वृद्धि सर्विसिंग, रख-रखाव और अन्य चीजों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के अभाव में हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सभी विमान छोटी-मोटी मरम्मत के लिए भी विदेशी फर्मों पर निर्भर रहते हैं जिस कारण भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी किस्म के विमान को अनुमति देने के लिए इन विमानों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करेगी और क्या सरकार की आधारभूत संरचना विकसित करने की कोई योजना है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय सदस्य ने एक सही और अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसलिए, सरकार ने अधिनियम के निर्सन के बाद कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं और शामिल किए गए इस नए दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम रख-रखाव सुविधा और अन्य आधारभूत संरचना का होना आवश्यक है। अनुसूचित उड़ानों के लिए अनुमति देने के पूर्व नागर विमानन महानिदेशालय इस बात पर ध्यान देगा। वस्तुतः इस समय जहां तक निजी विमान टैक्सी चालकों का संबंध है, उनके पास भी कुछ न्यूनतम रख-रखाव की सुविधा है। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें थोड़ी बहुत मरम्मत की सुविधा तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध करानी होगी।

श्री सुधीर सावंत : 1989-1994 तक इंडियन एयरलाइन्स को 600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जब भारत में उड़ान के लिए विमानों की संख्या और किस्म की अनुमति देने की घोषणा की गई थी तब यह भी घोषणा की गई थी कि ये विमान उन्हीं क्षेत्रों में उड़ान भरेंगे जहां इंडियन एयरलाइन्स के विमान उड़ान नहीं भर रहे होंगे या जहां इसकी सेवायें अपर्याप्त हों। इससे प्रतिस्पर्धा

बढ़ रही है और जिससे सरकारी क्षेत्र को काफी घाटा हो रहा है मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी विमान को भारत में आने की अनुमति देते समय अथवा टैक्सी चालकों को लाइसेंस देते समय इस पहलू पर विचार किया जाता है या किसी विशेष मार्ग से विमान उड़ाने पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरे विचार से मुझे माननीय सदस्य के विचार से सहमत होना चाहिए कि आरम्भ में अस्सी के दशक के आरम्भिक वर्षों और अस्सी के दशक के बीच के वर्षों के वर्षों में यही विचार था कि निजी विमान टैक्सी चालकों को देश में और विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में जहां इंडियन एयरलाइन्स की सेवायें न हों, विमान उड़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल के दौरान उदारीकरण की नीति अपनाई गई। अब वे इस प्रकार होंगी –**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस अधिनियम के बावजूद उन्हें अनुमति दी जायेगी। **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे बार-बार यह याद मत दिलाइये कि यह 1990 में शुरू हुआ। इसीलिए, मैंने शुरू में ही विभिन्न सरकारों के बारे में कहा है। आप हमारे प्रतिबंधों की बार-बार क्यों याद दिलाते हैं। ये सभी प्रतिबंध हटा लिये गए थे और इसके बाद उनको उदारीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप इस समय हमारे पास लगभग 40 विमान हैं और देश में 17 विमान कंपनियां कार्य कर रही हैं परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण बात जो माननीय सदस्य ने कही वह यह है कि क्या वे देश के अलग-अलग भागों में कार्य कर रही हैं इस समय मैं कह सकता हूं कि 'नहीं' वे देश के अलग-अलग भागों में कार्य नहीं कर रही हैं। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि अधिनियम का निरसन किया जाय और उन्हें अनुसूचित विमान कंपनियां बनाई जाय। नये दिशा निर्देशों के अनुसार एक बार जब वे अनुसूचित विमान कंपनियां बन जायें तो उन्हें देश के विभिन्न भागों में उड़ान भरनी पड़ेगी। इस समय वे केवल मुख्य-मार्गों पर ही उड़ानें भर रही हैं। एक बार उड़ान के लिए अनुसूचित लाइसेंस मिल जाने पर उन्हें देश के विभिन्न भागों में उड़ान भरनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आधी सदी के लगभग देश को आजाद हुए हो गए हैं, परन्तु आज भी वायुयानों के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार हमको विदेशों में भेजना पड़ रहा है। आजादी के 45-46 वर्षों के बाद आज जबकि हम औद्योगिक दृष्टि से उन्नतशील हो चुके हैं और चांद सितारों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं तो क्या देश में नागरिक उड्डयन के लिए विमान बनाने की कोई योजना तैयार की गई है ? क्या भारत में विमान बनने शुरु होंगे।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि इंडियन अयरलाइंस कार्पोरेशन बन जाने से वहां कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार तो नहीं होंगे ? क्या इन कर्मचारियों को कार्पोरेशन में नौकरी मिलेगी ?

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, इस बारे में एचसीएल द्वारा प्रयास किया गया था और जो डारनियर हमारे पास है, वो तैयार किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे विदेशी विमानों के मुकाबले में इतने फ्युअल एफीशिएंट और कास्ट एफेक्टिव नहीं रहे।

तो मैं कहना चाहूंगा कि उसमें प्रयास जारी है लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक हमारे पैसेंजर जहाज और वायुदूत के कर्मचारियों का सवाल है तो उसमें पहले से ही जितनी फ्लीट होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है। जबसे इसको ग्राउंड किया गया है तो बहुत से कर्मचारी बिना नौकरी के हैं। हमने इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और बाकी जो सिविल मिनिस्ट्री के कारपोरेशन्स हैं उनके लिए गाईड लाईन्स इश्यु की है कि जहां भी जगह निकले तो वायुदूत के लोगों को सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री डी.के. नायकर : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चहाता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों के विमान सेवा के अंतर्गत लाने के लिए निजी आपरेटरो को क्षेत्र-वार वायु मार्ग आबंटित किये जा रहे हैं। यदि हां, तो क्षेत्र वार वायु मार्ग आबंटित करते समय क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : इस समय हमारे पास दो प्रकार की निजी विमान कंपनियां हैं। एक के पास बोंइग 737 विमान है। उनके संबंध में, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि वह एक बार एक महीने अथवा इससे अधिक समय अथवा दो महीने के भीतर अनुसूचित आपेरटर हो जाते हैं तो उन्हें देश के विभिन्न भागों में पूर्वोत्तर से लद्दाख तक और देश के शेष भागों में विमान सेवा शुरू करनी होगी। हमने उन्हें अनुसूचित आपरेटर बनने के लिए तीन महीने का समय दिया था। कल अनुसूचित आपरेटर बनने के लिए उनकी आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि है। इसके बाद एक अथवा दो दिन के भीतर हमें अधिसूचना जारी करनी होगी और अधिसूचना की अवधि एक मीहने की होगी, जिस के दौरान वे कोई आपत्ति उठा सकते हैं। इसका मतलब है, हमें उन्हें 30 मई तक अथवा इससे 15 दिन और अधिक का समय देना होगा। अतः इस डेढ़ महीने के समय में इन निजी विमान कंपनियों को अनुसूचित आपरेटर बनना होगा, और इन निजी विमान कंपनियों में से जो भी अनुसूचित ऑपरेटर बनना चाहेगा, चाहे उसके पास छोटे किस्म के विमान हों अथवा बड़े विमान हों, उसे हमारे द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा, ऐसा नहीं है कि वह केवल महत्वपूर्ण मार्गों पर ही विमान चलायेगा, बल्कि उसे विभिन्न मार्गों पर विमान चलाने होंगे। वह केवल लाभप्रद मार्गों पर ही नहीं, बल्कि कम लाभप्रद मार्गों पर भी विमान चलायेगा।

हमारे पास दूसरे प्रकार के विमान अथवा टैक्सी आपेरटर हैं, जिनके पास केवल छोटे किस्म के विमान हैं, जो 10 सीटों वाले अथवा 15 सीटों वाले अथवा 20 सीटों वाले विमान हैं इन आपेरटरों के साथ हमारी बैठक हुई थी। वे अभी तक अपनी इच्छानुसार विमान चला रहे हैं। जब कभी देश के उत्तरी भाग में, जैसे शिमला अथवा कुल्लू अथवा मनाली में भीड़-भाड़ रहती थी तो वे इन स्थानों पर विमान चलाया करते थे और जब भी वहां कम भीड़-भाड़ होती थी वे अधिक लाभ कमाने के लिए दूसरे स्थानों के लिए विमान चलाते थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी विश्वसनीयता नहीं रही; लोगों को कठिनाइयां हो रही थीं। कभी-कभी वे सप्ताह में चार उड़ानें संचालित किया करते थे और कभी-कभी कई सप्ताह तक एक भी उड़ान संचालित नहीं करते थे। इसलिए हमने इन निजी एयर टैक्सी आपरेटरों के साथ विचार-विमर्श करके एक आचार संहिता बनाई है जिसमें वे क्षेत्रों का चयन स्वयं ही करेंगे उन्होंने स्वयं ही कुछ क्षेत्रों का निर्धारण किया है उनमें से कुछ आपरेटरों ने देश के उत्तरी भाग का चयन किया है, कुछ अपरेटरों ने देश के

दक्षिणी भाग का चयन किया है और कुछ आपरेटरों ने देश के पश्चिमी भाग का चयन किया है, ताकि वे अपनी विमान सेवाओं को बढ़ा सकें और लाभ भी अर्जित कर सकें। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : पटना के बारे में क्या विचार किया है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : ठीक है, वहां के लिए पहले से ही बड़े विमान उड़ान भर रहे हैं न कि छोटे। हम छोटे विमानों की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने प्राईवेट एयर आपरेटर्स को लाइसेंस देने की नीति बनाई है और अनेकों को लाइसेंस दिए गए हैं उनकी शर्तों में यह भी है कि उड़ने वाली उड़ानों में शराब नहीं परोसी जाएगी। अभी समाचार पत्रों में समाचार छपा है कि मोदी लुफ्ट में शराब परोसी गई है और जिन्होंने शराब पी तो उन्हें महिला यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है इस संबंध में मैंने मंत्री जी को लिखा है जो हमारी बनाई हुई नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं।

ऐसे प्राइवेट आपरेटर्स के साथ क्या कार्यवाही की गई है ? इसके अलावा जिन एयरलाइन्स के बारे में खबरें भी छपती हैं और कमेटी में भी मामले उठे हैं कि वे लोग कवि सम्मेलन कराते हैं, मुजरे कराते हैं, तो क्या सरकार ने उनके लाइसेंस रद्द कराने के लिए कोई कदम उठाया है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : निजी एयरलाइन्स की फ्लाइट्स में शराब बंद करने के लिए सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं दिये गये हैं, केवल सिगेरट न पीने के आदेश दिये गये हैं। **(व्यवधान)**

श्री नीतिश कुमार : मच्छरों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : फार्मूला भेज दें उनको मारने का।

श्री विजय एन. पाटील : जितनी एयरलाइंस हवा में बढ़ रही है उतनी उनको ग्राउंड में सपोर्ट नहीं मिल रही है, जो है वह बहुत पुरानी है। उदाहरण के तौर पर मैंने सुना है कि उदयपुर में सिग्नल भेजते हैं तो 50-100 किलोमीटर के अंतर की जगह डिविएशन 20 किलोमीटर का हो जाता है। आप उसमें क्या सुधार लाने वाले हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि अलग-अलग एयरलाइंस अलग-अलग एयरक्राफ्ट्स खरीद रही है। उनको हवा में ट्रेनिंग दी जाती है। क्या आप बड़ी एयरलाइंस को कम्पेल करेंगे कि सिमिलुएटर खरीदे जायें। अभी हाल ही में सहारा एयरलांइस को जो हादसा हुआ वह हम सबके सामने है, वह दूसरों के साथ भी हो सकता है। जो एयरलाइंस है एक ही किस्म के चार-पांच एयरक्राफ्टस खरीदती है, उनको सिमिलुएटर के साथ खरीदना चाहिए और पायलट को ग्राउंड में ही ट्रेनिंग दे, क्या ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री गुलाब नबी आजाद : जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है 1995 तक नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी ने बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है और पूरे देश में इन्फास्ट्रक्चर विकसित करने और आधुनिकीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जबकि पिछले 50 सालों में केलव 1300 करोड़ रुपये इस काम के लिए खर्च किए गये हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण का काम पिछले साल से शुरू हो गया है और कुछ इस साल के आखिर तक

और बाकी अगले साल के मध्य तक पूरा होगा। इससे हमारे बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, बंबई, के जो रूट हैं वे दुनिया के नामी एयरपोर्ट में शुमार किये जायेंगे। इससे न केवल दिल्ली और बंबई को लाभ होगा बल्कि 400-500 किलोमीटर तक इनका जो एरिया आपरेशन है वहां भी फायदा होगा। कलकत्ता, अहमदाबाद और त्रिवेन्द्रम में भी हम नये राडार फिक्स कर रहे हैं जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है तो अलग-अलग किस्म के जहाज आ रहे हैं और उनके लिए गाइडलाइंस इश्यू की गई है कि मिनीमम मेंटेनेंस फैसिलिटीज और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अगर उसको वह पूरा करते हैं तो उसके लिए इजाजत दी जायेगी। इसके अलावा और भी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाने की जरूरत है, वित्त मत्रांलय काफी उदार है, इस चीज में सुविधा दे रहा है, और कोई टैक्स भी नहीं है।

वे ला सकते हैं कुछ भी डेवलप कर सकते हैं।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी एयरक्राफ्ट में मच्छर और मक्खियां भी पायी जाती हैं और काकरोच भी दिखाई देते हैं। क्या इनसे भी कोई चार्जेज लिए जाते हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे पुराने मित्र हैं जब हम जमीन पर इकट्ठे रहते हैं, तो आसमां पर हम उनसे कैसे जुदा हो सकते हैं ?

[अनुवाद]

बैंक ऋण

*487. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भारी धनराशि वसूल न हो पाने के कारण माफ कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो वसूल न हो पाने वाली धनराशि का प्रत्येक वर्ष का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी स्थिति से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे-खाते डाले गये अशोध्य ऋणों से संबंधित बैंक-वार आंकडे अनुबंध में दिये गये हैं। चूंकि लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, अतः वर्ष 1993-94 के लिए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) निष्क्रीय परिसंपत्तियों के उच्च स्तर का, जिसमें उसके कुछ प्रतिशत को बट्टे-खाते डाल दिये जाने की संभावना बनी रहती है, संबद्ध बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ सकता है। चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में। यदि बड़ी संख्या में बैंक इस समस्या से ग्रसित हुए तो पूरा बैंकिंग उद्योग भी प्रभावित हो सकता है। जहां तक भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कमजोरियों और कठोरताओं को दूर कने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए इन बैंकों की कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाये हैं।

अनुबंध

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1992-93 के दौरान बट्टे-खाते डाले गए संदिग्ध ऋण

1. सरकारी क्षेत्र के बैंक		राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	693.84
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	8.44
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	24.88
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4.01
5.	स्टेट बैंक आफ पाटियाला	0.60
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	0.25
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	8.39
8.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	0.86
9.	बैंक आफ बड़ौदा	82.32
10.	इलाहाबाद बैंक	1.27
11.	बैंक आफ इंडिया	174.28
12.	बैंक आफ महाराष्ट्र	0.21
13.	केनरा बैंक	395.48
14.	देना बैंक	19.60
15.	इंडियन बैंक	0.76
16.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4.14

1	2	3
17.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1.98
18.	यूननियन बैंक आफ इंडिया	47.30
19.	पंजाब नेशनल बैंक	194.12
20.	यूनाइटेड बैंक	4.08
21.	यूका बैंक	0.24
22.	सिंडिकेट बैंक	1.19
23.	आंध्रा बैंक	0.81
24.	कार्पोरेशन बैंक	37.56
25.	ओरियंटल बैंक आफ कोमर्स	1.69
26.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.02
27.	न्यू बैंक आफ इंडिया	1.13
28.	विजया बैंक	3.06

(2) **गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक**

राशि (करोड़ रुपये में)

1.	बैंक आफ मदुरा लि.	0.89
2.	बैंक आफ राजस्थान लि.	1.92
3.	बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.	0.02
4.	बारी दोआब बैंक लि.	
5.	बनारस स्टेट बैंक लि.	0.04
6.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	0.06
7.	केथोलिक सीरियन बैंक लि.	0.01
8.	सिटी यूनियन बैंक लि.	0.38
9.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	
10.	फेडेरल बैंक लि.	0.16

1	2	3
11.	गणेश बैंक आफ कुरुंडवाड लि.	0.02
12.	जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	
13.	कर्नाटक बैंक लि.	0.72
14.	करूर वैश्य बैंक लि.	0.02
15.	काशीनाथ सेठ बैंक लि.	0.08
16.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0.72
17.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	0.15
18.	नैनीताल बैंक लि.	
19.	नेहुंगडी बैंक लि.	0.08
20.	पंजाब को-ओपरेटिव बैंक लि.	—
21.	रत्नाकर बैंक लि.	—
22.	सोनाली बैंक लि.	-
23.	साउथ इंडियन बैंक लि.	0.07
24.	सिक्किम बैंक लि.	--
25.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	0.05
26.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	5,05
27.	वैश्य बैंक लि.	3.35

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है,

> "निष्क्रीय परिसंपत्तियों के उच्च स्तर का, जिसमें उसके कुछ प्रतिशत को बट्टे-खाते डाल दिये जाने की संभावना बनी रहती है, संबद्ध बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में।"

यहां मैं यह कहूंगा कि इस तरीके से ऋण के बट्टे खाते में डालने से केवल संबद्ध बैंकों की लाभप्रदता ही प्रभावित नहीं होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी निष्क्रिय परिसंपत्तियां अस्तित्व में कैसे आई और क्या यह सच है कि कई उद्योगों के नाम पर केवल ऋण लिया लेकिन वे कभी अस्तित्व मे नही आए। मै यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ये उद्योग बड़े, मध्यम या लघु एककों की श्रेणी मे आते है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : ऋणों की वसूली न हो पाने के कई कारण हैं। हम ऋणों द्वारा पर्याप्त उत्पादन न कर पाने या अच्छे बाजार के अभाव जैसे कि पहले अनुबंध किया जाता है; (2) कच्चे माल की अनुपलब्धता; (3) हड़ताल के कारण उद्योग को बंद करना अथवा कार्य या व्यवसाय का स्थगन, यह अधिक महत्वपूर्ण बात है, (4) प्रबंधन द्वारा धनराशि का दूसरे उद्देश्यों के लिए उपयोग; (5) अकुशल प्रबंधन; (6) जानबूझकर धनराशि की अदायगी न करना, इत्यादि।

बैंकों ने इन क्षेत्रों का पता लगाया है तथा बैंकों ने इन असोध्य ऋणों पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाये हैं; यह सच है कि कुछ बैंकों ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं; बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण निर्धारण तथा अग्रिम में पर प्रभावी देखरेख और नियंत्रण हेतु मशीनरी को मजबूत करने संबंधी दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिये हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने 1994-95 के अपने हाल ही के बजट भाषण में यह घोषणा की है कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं को ऐसे कर्जदारों को ऋण नहीं देना चाहिए। जिन्होंने बैंकों की बकाया राशि अदा नहीं की है तथा उनके नाम बैंकों में तथा वित्तीय संस्थाओं में भेज दिए जाने चाहिए तथा उन्होंने ऋण न चुका पाने वाली उन कर्जदारों के नामों की जिनके बारे में पहले से ही मुकदमे दायर किए जा चुके हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक इस दिशा में कार्यवाही कर चुका है, सूची प्रकाशित करने के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, भारतीय स्टेट बैंक ऋण को बट्टे खाते में डालने वाले बैंकों की सूची में सबसे ऊपर है। भारतीय स्टैट बैंक 693.84 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाल चुका है। केनरा बैंक दूसरे स्थान पर आता है जो 395.48 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाल चुका है; तीसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक आता है जो 194.12 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाल चुका है।

महोदय, उद्यमियों या निजी व्यक्तियों को 1715.32 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि दी जा चुकी है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या कुछ कृषि संबंधी ऋण माफ किए गए हैं और यदि ऐसा है तो क्षेत्रवार इसके लाभभोगी कौन-कौन हैं। क्या सरकार के इस उदार कदम से पिछड़े क्षेत्र भी लाभान्वित हुए हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहती हूं कि क्या इससे कुछ अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग लाभान्वित हुए हैं। यदि हां, तो क्या मैं माफ की गई ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या जान सकती हूं ?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे अधिक 693.84 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले हैं। हम सब यह जानते हैं कि यह देश में सबसे बड़ा बैंक है जिसकी कई हजार शाखाएं हैं तथा लेन-देन काफी ज्यादा है। उसके बाद सबसे बड़ा बैंक केनरा बैंक है और तब पंजाब नेशनल बैंक है।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कृषि क्षेत्र में भी ऋणों की माफी पर विचार किया गया है तथा इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं मेरे पास इससे संबंधित आंकड़े नहीं हैं। मैं सूचना एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, ऋण निर्धारण की अवस्था में असोध्य ऋण की राशि में वृद्धि हो रही है। क्या मंत्री जी ऋण देते वक्त बैंकों के समीक्षा तंत्र तथा सतर्कता अनुभाग को और ज्यादा मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि कई बार बैंक अधिकारियों और उद्यमी की मिलीभगत होती है। समीक्षा-स्तर पर ऐसे लाभ प्राप्त कर लेते हैं ? दो बातें हैं। क्या आप सतर्कता अनुभाग और समीक्षा तंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं ?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण स्वीकृति के पूर्व समीक्षा करने तथा स्वीकृति के बाद निगरानी को मजबूत करने संबंधी दिशानिर्देश पहले ही जारी कर चुका है। सतर्कता अनुभाग ऋण वसूल न हो पाने के बाद ही दृश्य में आता है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, 1992-93 में छः बैंकों की 1,200 करोड़ रुपये की असोध्य ऋण राशि, को जिसमें भारतीय स्टेट बैंक सबसे आगे है। एक ही झटके में बट्टे खाते में डाल दिया गया। मैं इस संबंध में किसानों, उद्योगपतियों तथा अन्य व्यापारियों के बट्टे खातों में डाले गए ऋणों के बारे में श्रेणीवार जानकारी चाहता हूं। क्या यह जानकारी देने में कोई जोखिम है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न श्रीमती भंडारी द्वारा पूछा गया था।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हमारी जानकारी के अनुसार बहुत से मामलों में ऋण देने के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। ऐसा कहा गया है कि असोध्य ऋण इन्हीं सब बातों की देन है। क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है ? इस श्रेणी में कितने मामले आए हैं ? क्या उन दोषी अफसरों के संबंध में उत्तरदायित्व तय किया गया है जिनके कारण राजकोष को राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ी है ? इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति : मेरे पास कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में माफ किए गए ऋणों से संबंधित श्रेणीवार आंकड़े नहीं हैं। मैं ये आंकड़े एकत्र करके आपको दे दूंगा।

पर्यवेक्षण और निगरानी संबंधी पहलुओं के बारे में, मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं जिससे कि वे ऋण स्वीकृत से पूर्व समीक्षा में प्रभावी हो सकें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या इन धनराशियों के संबंध में विशेष रूप से कोई अध्ययन कराया गया है ? उनमें से कितने बैंकों ने नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया ?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह निर्णय किसी व्यकितगत स्तर पर नहीं लिया गया है। इन ऋणों की माफी संबंधी निर्णय बोर्ड में लिया गया है क्योंकि वे निष्क्रिय परिसंपत्तियां हो गई हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार लगभग 2000 करोड़ रुपया बट्टे-खाते में डाला गया है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बैंकों ने कुल जितने ऋण दिए, यह राशि उसका कितना प्रतिशत है जो कि बट्टे-खाते में डाली गयी है। आपने

नान-परफार्मिंग असैट्स की अधिकता को इसका कारण बताया है यानि निष्क्रीय प्रतिशतता बहुत ज्यादा है। एक आदर्श बैंकिंग प्रणाली में नान-पर फोर्मिंग असेट्स कितने प्रतिशत होना चाहिए और हमारे देश के नेशनलाइज्ड बैंकों में यह कितने प्रतिशत आज है ?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : इस समय इस क्रियाकलाप के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका हिसाब लगाकर इसे भेजा जा सकता है ?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जी हां।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियां

*481. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों ने देश भर में अपनी 100 से अधिक शाखाएं बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार चार शाखाएं बंद कर दी गयी हैं ये निम्नलिखित है :-

कंपनी का नाम	शाखा का ब्यौरा	राज्य
न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लि.	ओराजी	गुजरात
यूनाइटिड इंडिया इन्शोरेंस कंपनी लि.	अहवा	-वही-
वही	किलोस्करवाड़ी	महाराष्ट्र
·शनल इन्शोरेंस कंपनी लि.	कोडीनार	गुजरात

उक्त शाखाएं सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के मुकाबले उनके अधिक प्रबंध व्यय और प्रीमियम राशि के निर्धारित निम्नतम मानदंड से कम होने के कारण बंद की गयी थीं।

संयुक्त राष्ट्र का एशिया और प्रशान्त क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्केप) का पचासवां अधिवेशन

***484. श्री रवि राय :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1994 नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के एशिया और प्रशान्त क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयेाग (एस्केप) का 50वां अधिवेशन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य विषयों पर विचार किया गया और इसके परिणाम क्या निकले; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु आर्थिक और समाजिक आयोग (एस्केप) के 50वें सत्र (5 13 अप्रैल, 1994) एस्केप क्षेत्र में हाल ही में हुई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर तथा उनके प्रभाव पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस सत्र के मुख्य विचार विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य विचार-विषय था "आर्थिक विकास और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख साधन के रूप में अवस्थापना विकास" इस सत्र में जिन विषयों पर चर्चा की गयी वे इन मुख्य विचार क्षेत्रों के अंतर्गत आते थे : क्षेत्रीय आर्थिक सहयेाग प्रर्यावरण और प्रोन्नति और सामाजिक विकास के जरिए पर्यावरण और निरन्तर विकास तथा गरीबी को दूर करना। कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई जो इस प्रकार थे : परिवहन और संचार, सबसे कम विकसित देश, समुद्र तटहीन देश तथा द्वीप विकासशील देश, ऐस्कैप-क्षेत्रीय संस्थाएं और चुनींदा क्षेत्रीय परियोजनाएं, ऐस्कैप तथा अन्य संगठनों के बीच इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास बढ़ाने के लिए सहयेाग क्षेत्रीय अन्तर सरकारी निकायों की रिपोर्ट तथा अन्य ऐसे ही संबंधित विषय।

आयोग ने ऐस्कैप क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित विषयों पर नौ संकल्प स्वीकार किए। इनमें "21वीं शताब्दी की ओर एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग मजबूत करने के बारे में दिल्ली घोषणा" शामिल है। इस घोषणा के प्रलेख को भारत ने प्रायोजित किया था और 23 अन्य देशों ने सह-प्रायोजित किया था तथा इसके बाद सर्वसहमति से स्वीकार किया था। ऐस्कैप क्षेत्र में बहुपक्षवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहयेाग बढ़ाने पर भारत का प्रबल समर्थन तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐक्कैप को और सुदृढ़ करने का हमारा आह्वान को भी दिल्ली घोषणा में समुचित स्थान दिया गया है।

इस सत्र की परिचर्चा ऐसी रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ हुई जिसमें सत्र में चर्चित सभी मुद्दों का समावेश है।

एयर-टैक्सी संचालन

***485. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर-टैक्सी संचाल में विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या शर्तें रखी गयी हैं; और

(ग) इस इक्विटी व्यवस्था का सरकारी क्षेत्र की इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के संचालन और राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। एयर टैक्सी योजना के अंतर्गत विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति 40 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के लिए है। इससे एयर टैक्सी प्रचालकों के पास पूंजीगत आधार अधिक व्यापक हो सकेगा। यह अनुमति मामला-दर-मामला गुण-दोष के आधार पर दी जायेगी।

(ग) विदेशी इक्विटी व्यवस्थाओं के कारण इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के प्रचालनों और राजस्व पर कोई विशिष्ट प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

लघु सड़क परिवहन परिचालक

***488. श्री राम टहल चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक लघु सड़क परिवहन परिचालकों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने परिचालकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु सड़क परिवहन चालकों (एसआरटीओ) को शत-प्रतिशत वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उधारकर्ताओं को वाहन की लागत की कम-से-कम 15 प्रतिशत लागत को स्वयं वहन करना होता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुल लागत का 85 प्रतिशत अथवा उससे कम उपलब्ध कराते हैं। तथापि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लघु सड़क परिवहन चालकों को मंजूर किए गए ऋण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 100 प्रतिशत पुर्नवित्त सुविधा उपलब्ध कराता है। लघु सड़क परिवहन चालकों की ऋणों की योजना को नियंत्रित करने वाली विस्तृत शर्तें संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि हिताधिकारियों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, नाबार्ड ने वर्ष 1992-93 के दौरान 5.55 करोड़ रुपये और वर्ष 1993-94 के दौरान 4.94 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता का संवितरण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किया है।

विवरण

हिताधिकारी

(i) व्यक्ति, भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मों सहित व्यक्तियों सहित व्यक्तियो के समूह और सरकारी उद्यम इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे। उधारकर्ता का निवास ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए और वाहन का प्रयोग केवल ग्रामीण कृषि/औद्योगिक उत्पाद के लिए करना चाहिए।

(ii) उधारकर्ता के पास ड्राइवर के रूप में परिवहन क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए था। विकल्प के रूप में उसे किसी अनुभवी ड्राइवर को नियुक्त या शामिल करना चाहिए। ऐसे उधारकर्ता या कर्मचारी के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस और परमिट होना चाहिए।

वाहन

(i) परिवहन वाहन को पे लोड 3 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें टोम्पो, वैन और आटोरिक्शा जैसे तिपहिया शामिल होंगे। सहायता केवल नए वाहनों की खरीद के लिए उपलब्ध होगी।

(ii) इस योजना के अर्न्तगत, पुनर्वित्त केवल एक वाहन की खरीद के वित्तपोषण तक सीमित होगा।

(iii) वाहन, मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने के लिए पात्र होना चाहिए और बैंक का प्रभार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रामणपत्र में दर्ज किया जाना चाहिए। इसे माल-वाहक वाहन के रूप में पंजीकृत कराया जाना चाहिए।

पुनर्वित्त की शर्तें

(i) बैंक ऋण और पुनर्वित्त पर लागू ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(ii) वाहन की लागत का 15 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन उधारकर्ता द्वारा दिया जाना होगा। सहायता के लिए पात्र विभिन्न प्रकार के वाहनों की लागत के बारे में बैंक विस्तृत जानकारी रिकार्ड में रख सकते हैं।

(iii) ऋण स्वतः पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत जारी किए जायेंगे।

(iv) 6 महीने की ऋण स्थगन अवधि सहित यह ऋण 5 वर्षों के भीतर प्रतिदेय हैं।

(v) राष्ट्रीय बैंक वित्तपोषक बैंको को 100 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करेगा।

प्रतिभूति और बीमा

(i) यह ऋण वित्तपोषक संस्था के पक्ष में उस वाहन के दृष्टिबंधन के बदले में दिया जायेगा जो आर.टी.ए. के पास पंजीकृत हों।

(ii) सभी जोखिमों सहित वाहन के पूरे मूल्य का बीमा होना चाहिए और पॉलिसी या तो उधारकर्ताओं और बैंकों के संयुक्त नाम से होनी चाहिए या फिर बैंकों के पक्ष में होनी चाहिए। हर समय वाहन का बिना किसी अंतराल के बीमा किया जाना चाहिए।

अन्य सुरक्षा

(i) ऋण का अन्तिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऋण का संवितरण सीधे चेसिस के आपूर्तिकर्ता को ही किया जाना चाहिए। ऋण के घटकों में चेसिस की लागत, बॉडी बिल्डिंग का व्यय आरम्भिक कर और बीमा शामिल हो सकते हैं।

(ii) अन्तिम उपयोग, उचित रख रखाव इत्यादि सुनिश्चित करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार वित्त पोषक बैंक द्वारा वाहन की आवधिक जांच की जानी चाहिए।

निषेध

वाहन के परिचालन के लिए हिताधिकारियों को अनुमति दिये बिना पूर्णतः ठेके/भाड़े/कमीशन/चार्टर्ड आधार पर चलाये जाने के लिये वाहनों की प्राप्ति के लिए दिये गए ऋण पुनर्वित्त के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। व्यापारियों, बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टरों इत्यादि द्वारा अपने कारोबार के सिलसिले में वाहन प्राप्ति के लिए दिये गये ऋण पात्र नहीं होंगे। सवारी यातायात के उद्देश्य वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

पुनाने वाहनों की खरीद के लिए ऋण भी पात्र नहीं हैं।

हवाला व्यापार

*489. **श्री संतोश कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उदारीकृत आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत हवाला लेन-देन को रोकने में सफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा हवाला व्यापार को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) उदारीकृत आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप हवाला लेन-देन की राशि में काफी कमी आई है 1 जुलाई, 1991 से पहले की अपेक्षा अब विदेशी मुद्रा का प्रवाह अधिकृत विधिक माध्यमों से कहीं अधिक सीमा तक हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार अपनी विभिन्न आसूचना और जांच एजेंसियों को हवाला लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखने और विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाही करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

व्यापार मेले

*490. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का व्यापार संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1994 के दौरान अन्य देशों में व्यापार मेले आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मेलों को आयोजित करने पर कितना व्यय होगा; और

(घ) इनके परिणामस्वरूप व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (इटपो) भारत सरकार का उद्यम है और वर्ष 1994 के दौरान विदेशों में उसका 47 कार्यक्रमों में भारतीय भागीदारी आयोजित करने का प्रस्ताव है। किन्तु, भारतीय कंपनियां विदेशों में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों में सीधे अथवा इटपो के माध्यम से अथवा इटपो, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों आदि जैसे व्यापार संवर्धन संगठनों द्वारा चुनिन्दा कार्यक्रमों में समूह भागीदारी के माध्यम से भाग ले सकती हैं।

(ख) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन का यूरोप में 21 कार्यक्रमों, अफ्रीका में 11 कार्यक्रमों, दक्षिण पूर्व एशिया में 7 कार्यक्रमों और अमरीका क्षेत्र में 8 कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रस्ताव है। देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) विदेशों में इन मेलों के आयोजित करने में इटपो द्वारा किया जाने वाला संभावित व्यय लगभग 25.00 करोड़ रुपये है।

(घ) वर्ष के दौरान विदेशों में भागीदारी के फलस्वरूप व्यापार में होने वाली वृद्धि की मात्रा को पहले से बता पाना संभव नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने वाली भारतीय पार्टियां सीधे ही व्यापार वार्ताएं करती हैं और आर्डर बुक करती हैं। भागीदारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर जनवरी, 1994 से मार्च, 1994 की अवधि के दौरान 11,393.96 लाख रुपये का व्यापार बुक किया गया और 12 कार्यक्रमों में 21,305.87 लाख रुपये के व्यापार के लिए वार्ता चल रही थी।

विवरण

(क) यूरोप क्षेत्र

1. कन्ज्यूमेक्सपो फेयर, मास्को, जनवरी, 1994
2. ऐन्युअल स्प्रिंगफेयर, बैसल (स्विटजरलैंड) मार्च, 1994
3. ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर, पार्टनर्स फार प्रोग्रेस बर्लिन (जर्मनी) जून, 1994
4. प्रीमियर कलेक्शन्स बिर्मिघम (यू.दे) अगस्त, 1994
5. थेरसोलिवी इन्टरनेशनल फेयर, थेरसोलिवी (ग्रीस) सितम्बर, 1994
6. बुडापेस्ट इन्टरनेशनल आटम फेयर बुडापेस्ट (हंगरी) सितम्बर, 1994
7. डैगेन हुसहाल इन्ट कन्ज्यूमर गुड्स फेयर गोथेनवर्ग (स्वीडन) सितंबर, .1994
8. डोमोर्टक्स फेयर, हन्नोवर (जर्मनी) जनवरी, 1994
9. हेमीटिक्सटिल फेयर फ्रैंक्फट (जर्मनी) जनवरी, 1994
10. प्रेट ए पोर्टर फेयर प्रेसिस (फ्रांस) जनवरी फरवरी, 1994
11. इन्टरनेशनल हार्डवेयर फेयर कोलोन (जर्मनी) मार्च, 1994
12. सेबिट फेयर, हन्नोवर (जर्मनी), मार्च, 1994
13. टेसार फार्निशिंग, टेक्सटाइल र्टक, ऐंण्डन्टीयर क्लोदिंग सैलून पेस्सारो (इटली), मई, 1994
14. प्रेट ए पोर्टर फेयर पेरिस (फ्रांस) सितंबर, 1994
15. इन्टरनेशनल वाच ज्वैलरी एन्ड सिल्बर ट्रेड फेयर लन्दन (यू.के.) सितम्बर, 1994
16. सेमानी ड्यू क्यूर फेयर पेरिस (फ्रांस) सितम्बर, 1994
17. आईएफएमए इन्टरनेशनल मोटर साइकिल फेयर क्लोजिन, (जर्मनी) अक्तूबर, 1994
18. सियाल फूड फेयर पेरिस (फ्रांस) अक्तूबर, 1994
19. इन्टरनेशनल इलैक्ट्रानिक ऐंड टेलीवम्यूनीवेशन एग्जवेशन, जनेवा (स्विटरजरलैंड) अक्टूबर, 1994
20. इन्टरनेशनल वाइसिकल एग्जिवेशन बिलबाओं (स्पेन) नवम्बर, 1994
21. इंडियन एग्जिवेशन कास्को/सं. पीटर्सबर्ग जुलाई अगस्त, 1994

(ख) खाना तथा अफ्रीका क्षेत्र

1. कुवैत इन्टरनेशनल कंज्यूमर गुड्स फेयर कुवैत सिटी जनवरी फरवरी, 1994
2. शारजाह का आठरहवां खाड़ी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, व्यापार (यू.ए.आई.) मार्च अप्रैल 1994
3. इन्टरनेशनल मार्डन लिविंग एग्जिवेशन, तेलबीव (इजरायल) अगस्त, 1994
4. दमिश्क इन्टरनेशनल फेयर दमिश्क (सीरिया) अगस्त सितम्बर, 1994
5. नैरोबी इन्डस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरलशों नैरोबी (केन्या) सित. अक्तू. 1994
6. तेहरान इन्टरनेशनल फेयर, तेहरान (ईरान) अक्तू. 1994
7. लागोस इन्टरनेशनल फेयर लागोस (नाइजीरिया) नवम्बर, 1994
8. बगदाद इन्टरनेशनल फेयर, बगदाद (इराक) नवम्बर, 1994
9. दकार इन्टरनेशनल फेयर, दकार (सेन्गेल) दिसम्बर, 1994
10. इंडियन एगिज्वशन जोहानसवर्ग (दक्षिण अफ्रीका) अगस्त, 1994
11. इण्डएक्सपो, 1994 ट्यूनिश (ट्यूनीशिया) जून जुलाई, 1994

(ग) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र

1. अस्पात एशिया पेशेफिक इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर बीजिंग (चीन) जून, 1994
2. मलेशिया इन्टरनेशनल फेयर कुआलालम्पुर (मलेशिया) अक्तूबर, 1994
3. क्वैग ट्रंग इन्टरनेशनल फेयर, हो चीमिन्ट सीटी (वियतनाम) नव. 1994
4. एशिया पेसेफिक लेदर फेयर (हांगकांग) अप्रैल, 1994
5. एशियन इन्टरनेशनल गिफ्ट फेयर (सिंगापुर) मई, 1994
6. इन्टरस्तांफ एशिया फेयर (हांगकांग) नवम्बर, 1994
7. इंडियन ट्रेड एंड टैक्नालिजी फेयर (सिंगापुर) जुलाई, 1994

(घ) अमेरिका क्षेत्र

1. एक्सपोमेर इन्टरनेशनल फेयर, (पनामा) मार्च, 1994
2. कैरिबियन एक्सयों 94 पोर्ट आफस्पेन (ट्रिनडाड एंड टोनैगो) अप्रैल, 1994
3. एक्सपो मेटल मेकानिका मेटाम इन्डस्ट्री एगिजबेशन गुदालाजाए (मेक्सिको) सितंबर, 1994
4. वैलेनिसिया इन्टरनेशनल फेयर, बैलेगिया (वेन्येजूला) अक्तूबर, 1994

5. सौन फ्रांसिसवो गिफ्ट शो सौन फ्रांसिसकों (यू.एस.ए.) जन. 1994

6. इन्टरनेशनल फैब्रिक एक्सपो न्यूयार्क (यू एस ए) मार्च, 1994

7. नेशनल हार्डवेयर शो, शिकांगो (यूएसए) अगस्त, 1994

8. बीआई जी-1/ एपीएए आटोमोटिव पार्टस एंड एक्सेसरीज शो, लाजस वेगास (यूएसए) नवम्बर, 1994

[अनुवाद]

मोतियों का निर्यात

*491. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोतियों कां निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से उनके उद्योग के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश-वार कुल कितने मूल्य के मोतियों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत से रत्न एवं आभूषण के कुल निर्यात में ही मोतियों का निर्यात भी शामिल है। पालिश किए गए और संसाधित मोतियों (वास्तविक या संवर्धित) के निर्यातक वास्तविक या सवर्धित मोतियों-बिना जड़े/छेद नहीं किए गए-के आयात के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिए जाने के पात्र हैं। प्रतिपूर्ति लाइसेंस निर्यात के 65 प्रतिशत एफ ओबी मूल्य पर दिए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए मोतियों का कुल मूल्य देशवार निम्नलिखित है :

	1991-92	1992-93 (लाख रुपए में)	1993-94 (अनन्तिम)
1	2	3	4
जापान	371.34	205.24	229.86
संयुक्त राज्य अमेरिका	254.36	254.61	363.54
यू.ए.ई.	146.80	101.14	366.83

1	2	3	4
हांगकांग	82.02	200.88	246.16
ब्रिटेन	21.49	22.66	24.82
बहरीन	20.73	148.40	102.96
स्विट्जरलैंड	19.78	8.65	2.09
पश्चिम जर्मनी	18.66	18.76	21.32
कतर	10.28	12.71	2.32
फ्रांस	9.56	13.52	5.29
अन्य	35.97	22.28	13.09
	990.99	1008.85	1378.28

जापानी सहायता

*492. **श्री एस.बी. सिदनाल :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने जापान को सरकारी विकास सहायता (ओडीएस) के लिए 40 परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है तथा जापान सरकार ने इस संबंध में प्रत्येक परियोजना पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जापान ने परियोजना वार कुल कितनी राशि का ऋण दिया तथा 1994-95 के दौरान कितना ऋण देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) 1994-95 ओ.डी.ए. पैकेज के अन्तर्गत जापान सरकार को भारत सरकार द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत 40 परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जापान सरकार ने परियोजनाओं की छंटनी की है और वे छांटी गई परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जापान द्वारा दिए गए ऋण की कुल राशि 338, बिलियन येन है। परियोजना वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जहां तक 1994-95 के लिए जापान द्वारा मुहैया कराए जाने वाले प्रस्तावित ऋण का संबंध है, जापान सरकार से अंतिम निर्णय अभी तक पता नहीं चला है।

विवरण-I

1994-95 ओ.डी.ए. पैकेज के अन्तर्गत जापान सरकार को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना के प्रस्तावों की लंबी सूची

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

1. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की विजयपुर उर्वरक विस्तार, परियोजना, 987.3 करोड़ रुपए।

2. भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता की आओन्ला उर्वरक विस्तार परियोजना, 960 करोड़ रुपए।

भूतल परिवहन मंत्रालय

3. कनार्टक में शौलापुर चित्रदुर्ग के क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 13 की दो लेनों को चौड़ा करना (196 कि.मी.) 70 करोड़ रुपए।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 47 (27 कि.मी.) पर कोयम्बटूर बाई पास, 50 करोड़ रुपए।

5. गाजियाबाद हापुड़ के क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 24 (20 कि.मी.), की चार लेनों का निर्माण और हापुड़ में एक बाई पास का निर्माण, 60 करोड रुपए।

6. उड़ीसा में जगतपुर पापीखोल के क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 5 (30 कि.मी.) की चार लेनों का निर्माण 60 करोड रुपए।

7. आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का सुधार करना तथा कमजोर पुलों का पुननिर्माण करना, 120 करोड़ रुपए।

शहरी विकास मंत्रालय

8. उसी स्थान पर पानी की ट्रंकमेनों की लाइनिंग करना, पानी की ट्रंकमेनों में क्लोरीन, जल वितरण के केन्द्रीयकृत नियंत्रण को मानीटर करना, गंदे पानी की फोर्समैनों में बेग का मानीटर करना तथा मद्रास जल तथा मल व्यवस्था में उद्योगों को नवीकृत एवं गंदे पानी का 100 एम एल डी मुहैया कराना, 323 करोड़ रुपए।

ऊर्जा मंत्रालय

10. पुरुलिय पम्प युक्त भण्डारण योजना (4×225 मेगावाट) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड, 1800 करोड़ रुपए।

11. कोठाचुडम ताप विद्युत केन्द्र का अवधि विस्तार, आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड 250 करोड रुपए।

12. तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र, तेनुघाट विद्युत निगम लि. बिहार, 1200 करोड़ रुपए।

13. मैथन राइट बैंक कैनाल थर्मल पावर स्टेशन, दामोदर घाटी निगम, 1200 करोड़ रुपए।

14. सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, 1215 करोड़ रुपए।

15. लोकटक अनुप्रवाह बिजली परियोजना, मणिपुर, 425 करोड़ रुपए।

16. बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (3×210 मैगावाट), पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि., 529 करोड़ रुपए।

जल संसाधन मंत्रालय

17. कुरनूल-कुड्डप्पा नहर का आधुनिकीकरण, आन्ध्र प्रदेश 148 करोड़ रुपए।

18. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चरण II, राजस्थान, 355 करोड़ रुपए।

19. हिमाचल प्रदेश भू-जल विकास परियोजना, 120 करोड़ रुपए।

20. तमिलनाडु में टैंक सिंचाई प्रणाली को पुनःस्थापना, 52 करोड़ रुपए।

पर्यावरण और वन मंत्रालय

21. भोपाल की ऊपरी और निचली झीलों का संरक्षण, 118 करोड़ रुपए।

22. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, पश्चिम बंगाल, 129 करोड़ रुपए।

23. हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना, 57 करोड़ रुपए।

24. राजस्थान वानिकी परियोजना, 114 करोड़ रुपए।

25. कनार्टक वानिकी परियोजना, 250 करोड़ रुपए।

26. केरल वानिकी परियोजना, 120 करोड़ रुपए।

कोयला विभाग

27. तालचर कोयला क्षेत्र में गैर-कोकिंग कोलये का उपयोग (बेनिफिसएशन), (अनन्त कोयला निर्माण एकक के लिए यूनिट-I और भरतपुर कोयला निर्माण संयंत्र के लिए चरण-II), महानदी कोयला क्षेत्र लि. 97.45 करोड़ रुपए।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

28. हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की नई पाइप लाइन, भारतीय तेल निगम, 624 करोड़ रुपए।

29. मथुरा शोधन-शाला में उत्प्रेरक सुधारक (कैटलिटिक रिफार्मर), भारतीय तेल निगम 545 करोड़ रुपए।

30. विसाख-विजयवाड़ा पाइप लाइन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कं. लि. 359 करोड़ रुपए।

इस्पात मंत्रालय

31. पिपवाव पत्तन, गुजरात पर शिपब्रेकिंग विकास परियोजना, 140 करोड़ रुपए।

वित्त मंत्रालय

32. पूंजीगत विकास बाजार विकास कार्यक्रम, 250 मिलियन अमरीकी डालर।

33. वित्तीय व्यवस्था समायोजन ऋण, 400 मिलियन अमरीकी डालर।

उद्योग मंत्रालय

34. कलकत्ता चर्म कम्पलेक्स परियोजना, 153.5 करोड़ रुपए।

चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण खेप

35. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (उत्पादन) की 13 बिलियन की झनौर-गंधार गैस आधारित विद्युत चरण I (चतुर्थ खेप)

36. पावरग्रिड की 2.385 विलियन येन की गान्धार गैस आधारित विद्युत परियोजना (प्रेषण)

37. आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की 19.958 विलियन येन की श्री सेलम लैफ्ट बैंक पावर हाउस (उत्पादन)।

38. आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की 9.871 विलियन येन की श्री सेलम लैफ्ट बैंक पावर हाउस (प्रेषण)।

39. नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की कथालगुरी स्थित 11.166 विलियन येन की असम गैस आधारित कम्बाहेन्ड साइकिल विद्युत परियोनजा (उत्पदन)।

40. पावर ग्रिड की कथालगुरी स्थित 9.65 विलियन येन की असम गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकिल विद्युत परियोजना।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में जापान द्वारा परियोजना-वार उपलब्ध कराए गए ऋणों का ब्यौरा

	वर्ष 1991-92 की ऋण पैकेज परियोजनाएं	मिलियन येन
1	2	3
1.	गन्धार गैस आधारित कम्बाईड साइकिल विद्युत परियोजना, एन.टी.पी.सी.	42,599
2.	शहरी जल आपूर्ति परियोजना, हुडको	6,788
3.	अरावली पहाड़ियों में वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान सरकार	8,095
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सुधार परियोजना, भूतल परिवहन मंत्रालय	4,855

1	2
5. अजन्ता एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम	3,745
6. आपातकालीन वस्तुगत ऋण (तेल आयात), भारतीय तेल निगम	20,256
7. लघु उद्योग विकास कार्यक्रम (III) सिडबी	20,256
	106,594
वर्ष 1992-93 की ऋण पैकेज परियोजनाएं	
1. यमुना कार्य योजना परियोजना, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय	17,773
2. श्रीसेलम पन बिजली परियोजना, आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	3,806
3. अनपारा 'बी' थर्मल पावर परियोजना (चतुर्थ) उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड	13,224
4. गंधार गैस आधारित विद्युत परियोजना (III) एनटीपीसी	19,538
5. अमोनिया संयंत्र रिप्लेसमेंट परियोजना एफएसीटी	24,482
6. हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कार्यक्रम ऋण, भारतीय तेल निगम	33,085
	111,908
वर्ष 1993-94 की ऋण पैकेज परियोजनाएं	
1. अनपारा बी थर्मल पावर परियोजना (चरण पंचम) उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड	17,638
2. बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, डब्ल्यू वीपीडीसीएल	27,069
3. फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, एनटीपीसी	27,069
4. नैनी परियोजना के पास यमुना नदी पर पुल निर्माण, भूतल परिवहन मंत्रालय	
5. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की फोर लेनिंग परियोजना भूतल परिवहन मंत्रालय	11,360

1	2
6. लघु उद्योग विकास कार्यक्रम (चरण चतुर्थ) (सिडबी के लिए ऋण श्रृखंला)	30,000
	119,640
तीन वर्षों के लिए कुल जोड़	338,142 मिलियन येन

पड़ौसी देशों के साथ व्यापार

493. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारत का चीन, पाकिस्तान बंगलादेश, म्यांमार तथा अन्य पड़ौसी देशों के साथ कुल कितना व्यापार हुआ;

(ख) इस क्षेत्र व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा और बाजार की वास्तविक आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं;

(ग) 1994-1995 के लिए देश-वार क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (अप्रैल, 1993 जनवरी, 1994) के दौरान भारत का चीन, पाकिस्तान बंगलादेश म्यानमार और अन्य सीमावर्ती देशों के साथ कुल व्यापार नीचे दिया गया है :

(मूल्य करोड़ रु.)

देश	1991-92		1992-93		1993-94 (अप्रैल, 1993 जनवरी, 1994)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
चीन	118.77	51.42	397.63	374.89	727.83	766.73
पाकिस्तान	98.61	149.98	151.27	373.50	156.67	117.52
बंगलादेश	809.94	14.16	1030.86	35.99	1116.23	50.91
म्यानमार	9.46	125.62	19.66	322.25	46.33	307.52
नेपाल	196.55	70.34	210.48	72.75	239.97	65.25
भूटान	2.96	1.16	6.29	3.50	23.72	8.70

उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं।

(स्रोत: डी जी सी आई ऐंड एस, कलकत्ता)

(ख) भारत को छोड़कर इन देशों के प्रमुख निर्यातकों में ये शामिल है : जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा उनके द्वारा आयात की गई प्रमुख मदों में पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी और पुर्जे, परिवहन उपकरण, उर्वरक, औषधीय उत्पाद औद्योगिक कच्चा माल, सीमेंट, बिजली का सामान, खाद्य तेल, कच्चा कपास, कच्चा ऊन, आदि शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए देशवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) इन देशों के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि करने हेतु किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं :

(i) चीन, बंगलादेश, म्यानमार, नेपाल और भूटान के साथ द्विपक्षीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ विशेष व्यापारिक प्रबंध किए हैं, और चीन म्यानमार के साथ सीमावर्ती व्यापार करार किए हैं;

(ii) आवधिक अंतराल पर सरकारी तथा व्यापारिक स्तर पर बातचीत करना;

(iii) व्यापार मेलों में भाग लेना तथा व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करना;

(iv) भारत अन्य देशों के साथ साथ भूटान, नेपाल, बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ दक्षेस (सार्क) अधिमान्य व्यापार प्रबंध (साप्टा) का हस्ताक्षरकर्ता है तथा सार्क वाणिज्य और उद्योग मंडल (सार्क चैमबर आफ कामर्स) का सदस्य है।

(v) भारत, पाकिस्तान, नेपाल तथा बंगलादेश एशियाई क्लियरिंग यूनियन मेकेनिज्म के भी सदस्य हैं।

गैर-सरकारी विमान कम्पनियां

*494. **डा. खुशीराम डुंगरोमल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे विमान मार्गों पर विमान सेवाएं आरंभ करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में निर्धारित विमान परिवहन सेवायें चलाने वाले सभी परिचालकों ने तीनों प्रकार के विमान मार्गों पर विमान परिचालन के संबंध में सरकार के आदेशों का पालन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकारी आदेशों का पालन न करने वाले विमान परिचालकों [illegible] क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जो हवाई टैक्सी प्रचालक अनुसूचित प्रचालक बनना चाहते हैं उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे अनुसूचित विमान परिवहन प्रचालक परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं। एक गजट

अधिसूचना प्रकाशित की जानी अपेक्षित है और अधिसूचना से 30 दिनों की अवधि के बाद आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकता है। एक बार परमिट की मंजूरी मिल जाने पर सभी अनूसूचित प्रचालकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों को सेवाओं का निर्धारित प्रतिशत प्रचालन करें।

(ग) और (घ) जी, हां। इस समय केवल इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत अनुसूचित प्रचालक हैं और वे निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट को स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता

*495. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और अन्य स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य बनने तथा इन एक्सचेंजों के साथ सीधे लेन-देन करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य बनने से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को क्या लाभ होंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य बनने की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी नियम

*496. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य उत्पाद शुल्क के ढांचे में विसंगतियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; जिससे कि यह अधिक प्रभावी हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार का उत्पादित अथवा विनिर्मित शुल्क्य माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और इसे वसूल करने के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। प्रक्रियाओं और टैरिफ को सरल बनाना,

मात्रानुसार शुल्क दरों के स्थान पर मूल्यानुसार शुल्क दरें लागू करना, विनिर्माताओं के बीजकों के आधार पर निर्धारण करना, लघु उद्योग एककों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं को समाप्त करना, पूंजीगत माल के लिए मॉडवेट क्रेडिट की प्रणाली लागू करना और छूट–प्रदायी अधिसूचनाओं की कुल संख्या में कमी करना आदि कुछेक ऐसे उपाय हैं जिन्हें हाल के बजट में शामिल किया गया है।

(ग) राज्य आबकारी राज्यों का विषय है।

पर्यटक उत्सव

*497. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को भारत आने हेतु आकर्षित करने के लिए हाल ही में विभिन्न देशों में उत्सव आयोजित किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके संबंध में क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गईं; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश परमिटों में ढील दिये जाने के बाद 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में कितने विदेशी पर्यटक वहां आये और 1994-95 में कितने विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में यात्रियों के प्रवेश संबंधी प्रतिबंधों पर अनेक ढील दी गई हैं। गत 3 वर्षों के दौरान, भारत में पर्यटकों के आगमन के आंकड़े (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों सहित) निम्नानुसार थे :

1991-92	17,81,892
1992-93	18,20,239
1993-94	18,71,262

आशा है कि वर्ष 1994-95 के दौरान पर्यटकों का आगमन वर्ष 1993-94 की अपेक्षा अधिक होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः चालू करना

*490. **श्री तारा सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्तावों पर भारतीय वित्तीय संस्थाओं/भारतीय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अपेक्षित विचार किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रस्तावकों के विचार जाने बिना स्वीकार/अस्वीकार कर दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो गत छः महीनों में उपर्युक्त कितने प्रस्तावों को प्रस्तावकों की बात सुने बिना अस्वीकार कर दिया गया; और

(ङ) तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरुज्जीवन के प्रस्तावों पर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, मैसर्स टैनरी एण्ड फुटवीयर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें एक अनिवासी भारतीय ने रुचि दिखाई थी, के पुनरुज्जीवन के एक प्रस्ताव पर दिनांक 4-4-1994 को विचार किया था। उस समय अनिवासी भारतीय के प्रतिनिधि की भी सुनवाई की गई थी। लेकिन, इसे, अन्य बातों के साथ साथ टैफ्कों की देयताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था प्रस्तुत न करने और वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को देय राशियों की वापसी अदायगी के संबंध में अनिवासी भारतीय द्वारा प्रवर्तित भारतीय कम्पनी के असंतोषजनक रिकार्ड के कारण स्वीकार्य नहीं पाया गया।

अलबत्ता, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अनिवासी भारतीय निवेश से संबंधित वर्तमान मार्गनिर्देशों में निजी नियोजन के आधार पर वर्तमान शेयरधारकों से इक्विटी शेयरों की खरीद के रूप में या रुग्ण कम्पनी के नए इक्विटी निर्गमों में अंशदान के रूप में किसी रुग्ण कम्पनी की इक्विटी पूंजी के 100 प्रतिशत तक थोक निवेश का प्रावधान है।

आदर्श विमानपत्तन

*499. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विमानपत्तनों को आदर्श विमानपत्तनों के रूप में विकसित किया जा रहा है;

(ख) आदर्श विमानपत्तनों के रूप में विकसित करने हेतु इन विमानपत्तनों के चयन में क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या आदर्श विमानपत्तनों के रूप में विकसित करने के लिए कुछ और विमानपत्तनों के चयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जयपुर, लखनऊ, नागपुर,

इन्दौर, बड़ोदरा, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कालीकट, पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी तथा इम्फाल स्थित 12 हवाई अड्डों का विकास आदर्श हवाई अड्डों के रूप में किया जा रहा है।

(ख) आदर्श हवाई अड्डे की पहचान तथा विकास के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं :

(1) राज्य राजधानी;

(2) पर्यटन संभाव्यता;

(3) औद्योगिक संभाव्यता;

(4) चालू हवाई संभाव्यता;

(5) संवृद्धि संभाव्यता;

(6) धावनपथ विस्तार की व्यवहारिकता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) किसी हवाई अड्डे का उन्नयन, यातायात संभाव्यता अनुसूचित एयरलाइनों से मांग, पर्यटन संभाव्यता इत्यादि पर निर्भर करता है। चूंकि इंडियन एयरलाइन्स अथवा किसी अन्य प्रचालक से ऐसी कोई मांग नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस समय किसी अन्य हवाई अड्डे को आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की कोई योजना नहीं है।

इटली के साथ व्यापार

*500. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री राम कापसे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की सरकार ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने की दृढ़ इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में एक उच्च अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मंडल ने भारत की यात्रा की थी और संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विचार-विमर्श किया था;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भारत को इन करारों से कितना लाभ मिलेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (छ) इटली का एक बड़ा शिष्टमंडल भारत आया था और 27 फरवरी से 5 मार्च, 1994 तक भारत में रहा था। इस शिष्टमंडल में व्यापार क्षेत्र के और सरकार के प्रतिनिधि थे। इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष इटली के उद्योगों के सर्वोच्च संगठन "कन्फिन्दस्त्रियां" के अध्यक्ष थे और भारतीय पक्ष की ओर से इस शिष्टमंडल के क्रियाकलापों का समन्वय कार्य कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने किया था। सरकारी क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट के अलावा इस यात्रा का उपयोग इटली के और भारत के व्यापारियों के बीच व्यापक विचार विनिमय के लिए भी किया गया। इस सबमें हुई परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग में वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाना था और संभव है कि इनके फलस्वरूप, निकट भविष्य में ही एक भारतीय व्यापारी शिष्टमंडल के इटली हो आने के बाद, ठोस परिणाम निकलें और ठोस प्रस्ताव सामने आएं। इस यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए लेकिन इटली के इस शिष्टमंडल की यात्रा से द्विपक्षीय वाणिज्य संपर्क मजबूत हुए और इसके फलस्वरूप यह संभावनाएं सामने आई है कि भारत और इटली के बीच व्यापार की मात्र बढ़ेगी और इटली, भारत में अधिक निवेश करेगा। इटली और भारत दोनों ही "गैट" के सदस्य हैं और इसीलिए हमारा द्विपक्षीय व्यापार "परम मित्र-राष्ट्र" (एमएफएन) आधार पर किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से ऋण

5406. **श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और उद्यमों की योजना परिव्ययों के अंश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के भावी ऋणों को सम्मिलित न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित परियोजनाएं

5407. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) असम के लिए तीन पाइप लाइन परियोजनाएं हैं, जिन्हें संभाव्य सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ये परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। विवरण निम्नलिखित हैं :

परियोजना का नाम		दाता एजेन्सी	राशि (अमरीकी मिलियन डालर)
1.	असम ए.डी.पी.	आइ डी ए	100
2.	असम राज्य सड़कें	आइ बी आर डी	96.10
3.	IXवीं जनसंख्या (बहुराज्जीय)	आइ डी ए	86.7

एयर इंडिया का ''मार्किट शेयर'

5408. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से आरम्भ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात में एयरइंडिया के अंशदान में हाल के वर्षों में काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत से आरंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात में एयर इंडिया के मार्किट शेयर में बढ़ोत्तरी के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने गैर सरकारी एयरलाइन्स की तुलना में ''लेबेल प्लेइंग फिल्ड'' की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत ने एयर इंडिया का मार्किट शेयर 30 प्रतिशत के आस-पास लगभग स्थिर रहा है।

(ग) मार्किट शेयर में सुधार लाने के अहमदाबाद, अमृतसर और हैदराबाद जैसे स्टेशनों से हब और स्पोक प्रचालन शुरू किए गए हैं ताकि यात्रियों को उनके गतंव्य स्थानों तक सीधी व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके। अब जोहान्सबर्ग, डरबन, दार ए सलाम और जकार्ता जैसे नए गंतव्य स्थानों को एयर इंडिया के नेटवर्क में शामिल किया गया है। अधिंक यात्री सुविधाओं सहित आधुनिक बोइंग 747-400 विमानों को बेड़े में शामिल किया गया है ताकि यात्रियों के चिन्ताकर्षण को बढ़ावा मिल सके। एयर इंडिया की इंडियन एयरलाइन्स के साथ .मेल कर कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली और अन्य यात्री प्रोत्साहन शुरू करने की योजना है ताकि मार्किट में बेहतर पहुंच हासिल हो सके।

(घ) और (ङ) सरकार ने दिनांक 1-3-1994 को आदेश जारी किए हैं जिसमें सभी अनूसूचित हवाई परिवहन प्रचालकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे संबंधित क्षेत्रों की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा की व्यवस्था करे।

कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंक

5409. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की इस समय कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं गत तीन वर्षों से घाटे में चल रही है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 1975 शाखाएं कार्य कर रही थीं। इन शाखाओं की स्थानीय रूप से सूची का ब्यौरा बनाने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी, इन 1975 शाखाओं की बैंक-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त शाखाओं में से 467 शाखाओं को पिछले तीन वर्षों से हानि हो रही है। हानि की राशि का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	पिछले तीन वर्षों में हानि उठाने वाली शाखाओं की संख्या	हानि की राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	11	–	–
2.	बैंक आफ बड़ौदा	19	1	0.93
3.	बैंक आफ बड़ौदा	32	1	0.74
4.	बैंक आफ इंडिया	52	2	9.21
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	36	14	58.70
6.	केनरा बैंक	479	9	22.79
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	52	13	174.29
8.	कारपोरेशन बैंक	184	32	156.83
9.	देना बैंक	22		–

1	2	3	4	5
10.	इंडियन बैंक	56	1	1.96
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	57	24	131.68
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	4	–	–
13.	बैंक आफ कामर्स	1	–	–
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	5	3	41.67
15.	पंजाब नेशनल बैंक	30	5	48.70
16.	सिंडिकेट बैंक	443	280	2586.75
17.	यूको बैंक	26	10	59.12
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	77	7	11.27
19.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	7	–	–
20.	विजया बैंक	382	65	269.58
	कुल	1975	467	3574.22

राजस्थान में भारतीय यूनिट ट्रस्ट का निवेश

5410. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट को राज्य के लघु बचत कार्यक्रम में अधिक तथा पर्याप्त निवेश करने तथा वर्तमान ऋण सहायता की 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने और ऋण सहायता की अवधि 25 वर्षों से बढ़ाकर और लम्बी अवधि तक करने का निदेश दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

वायुयान माल केन्द्रों की स्थापना

5411. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी स्थित वायुयान माल केन्द्र की तरह कुछ और नए वायुयान माल केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए चुने गए स्थानों यदि कोई हो तो, के क्या नाम हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से राज्य में कुछ नये वायुयान माल केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेश

5412. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों पर ध्यान दिया है कि विदेशी संस्थागत निवेश संबंधी कुल अधिकतम सीमा 24 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से कम करके अन्य विकासशील देशों के समान कर दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आई आई) अथवा एक ही समूह के विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश हेतु निर्धारित सीमा 5 प्रतिशत है, जिसमें सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश प्राप्त करने वाली कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 24 प्रतिशत तक के निवेश हेतु सामूहिक सीमा निर्धारित है। विदेशी संस्थागत निवेशको द्वारा निवेश हेतु ये वर्तमान अधिकतम सीमाएं उचित मानी गई है।

मध्य प्रदेश को विदेशी सहायता

5413. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए कुल कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त राशि का पूरा उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
1991-92	96.1419
1992-93	81.2663
1993-94	78.3800

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा व्यय किए जाने और प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करने के बाद ही उन्हें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की रकम जारी की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के प्रशिक्षु

5414. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की शुरूआत से अब तक इस अकादमी से कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण लागत कितनी है;

(ग) प्रशिक्षुओं से लागत की कितनी राशि वसूली जाती है और अकादमी द्वारा कितनी राज सहायता दी जाती है;

(घ) प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति सरकारी विमान सेवाओं में कार्यरत हैं और कितने व्यक्ति गैर-सरकारी विमान सेवाओं में कार्यरत हैं और कितने व्यक्ति विदेशी विमान सेवाओं में कार्य करने हेतु देश छोड़कर चले गये; और

(ङ) कितने प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने यह प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ दिया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अकादमी ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कुल 242 विमानचालकों को प्रशिक्षित किया है।

(ख) और (ग) विवरण नीचे निम्नानुसार है :

पाठ्यक्रम संख्या	प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण पर कुल लागत (लाख रुपये)	प्रशिक्षुओं द्वारा अदा किया गया शुल्क	अकादमी द्वारा दी गई सहायता राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
1. सी.पी.एल.	2.80	70,000 रुपये	2.10
2. सी.पी.एल.	2.80	70,000 रुपये	2.10

1	2	3	4
3. सी.पी.एल.	2.80	70,000 रुपये	2.10
4. सी.पी.एल.	3.00	75,000 रुपये	2.25
5. सी.पी.एल.	3.00	75,000 रुपये	2.25
6. सी.पी.एल.	3.00	75,000 रुपये	2.25
7. सी.पी.एल.	4.00	1,50,000 रुपये	2.50
8. सी.पी.एल.	4.00	2,00,000 रुपये	2.00
9. सी.पी.एल.	6.00	4,00,000 रुपये	2.00

(घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में प्रशिक्षित 129 विमानचालकों ने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस लिमिटेड तथा ए.आर.सी. में नियुक्ति पाली है। विदेशी एयरलाइन्स में नौकरी लेने के लिए जो देश छोड़ गए हैं, उनके बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ङ) प्रशिक्षण को बीच में ही छोड कर चले जाने वालों का प्रतिशत अनुपात 2.5 प्रतिशत है।

जापान से कारों का आयात

5415. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान से 1993-94 के दौरान कितनी मर्सीडीज डी-240 कार का आयात किया गया;

(ख) इन कारों का मूल्य बीजक के अनुसार कितना था और प्रत्येक कार के लिए कितना सीमाशुल्क दिया गया;

(ग) वैकल्पिक कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क का आंकलन बीजक न होने की स्थिति में किस प्रकार किया जाता है;

(घ) क्या अनेक मामलों में सीमा शुल्क का आंकलन करने के लिए विश्व मूल्य सूची पर ध्यान दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) शून्य।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह लागू नहीं होता है।

(ग) बीजक के न होने पर, बाजार पूछताछ, समसामयिक आयातों और जहां कहीं उपलब्ध हों, मूल्य सूचियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए शून्य।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के वायुयान

5416. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में प्रत्येक विमान की संचालन अवधि कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में विमान के सेवाकाल के विवरण संलग्न विवरण I और विवरण II में दिये गये हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	1-4-1994 तक का सेवाकाल
1	2	3
1.	वीटी ईबीई	22 वर्ष 10 महीने
2.	वीटी ईडीएन	22 वर्ष
3.	वीटी ईएफजे	15 वर्ष 2 महीने
4.	वीटी ईएफयू	14 वर्ष 7 महीने
5.	वीटी ईजीए	14 वर्ष 3 महीने
6.	वीटी ईजीवी	14 वर्ष 2 महीने
7.	वीटी ईजीसी	14 वर्ष
8.	वीटी ईएमक्यू	15 वर्ष
9.	वीटी ईडीवी	18 वर्ष 3 महीने
एअरबस ए-300 बी4		
1.	वीटी ईएचक्यू	11 वर्ष 8 महीने
2.	वीटी ईएचओ	11 वर्ष 8 महीने
3.	वीटी ईएचक्यू	11 वर्ष 5 महीने
एअरबस ए-310/300		
1.	वीटी ईजेजी	8 वर्ष

1	2	3
2.	वीटी-ईजेएच	7 वर्ष 11 महीने
3.	वीटी-ईजेआई	7 वर्ष 10 महीने
4.	वीटी-ईआईजे	7 वर्ष 6 महीने
5.	वीटी-ईजेके	7 वर्ष 4 महीने
6.	वीटी-ईजेएल	7 वर्ष 1 महीने
7.	वीटी-ईक्यूएस	3 वर्ष 8 महीने
8.	वीटी-ईक्यूटी	3 वर्ष 8 महीने
बोइंग 747-300 (कोम्बी)		
1.	वीटी-ईपीडब्ल्यू	5 वर्ष 6 महीने
2.	वीबी-ईपीएक्स	5 वर्ष 5 महीने
बोइंग 747-400		
1.	वीटी-ईएसएम	8 महीने
2.	वीटी-ईएसएन	5 महीने
3.	वीटी-ईएसओ	4 महीने

विवरण-II

इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में उपलब्ध विमान के सेवाकाल का वितरण नीचे दिया गया है

एअरबस ए 300 बी2/बी4

क्र. सं.	पंजीकरण संख्या	सेवाकाल वर्ष/महीने में
1	2	3
1.	वीटी-ईएलडब्ल्यू	18 वर्ष 1 महीना
2.	वीटी-ईडीडब्ल्यू	17 वर्ष 3 महीने
3.	वीटी-ईडीएक्स	17 वर्ष 3 महीने

1	2	3
4.	वीटी-ईडीवाई	15 वर्ष 11 महीने
5.	वीटी ईडीजेड	14 वर्ष 10 महीन
6.	वीटी-ईएफबी	14 वर्ष 6 महीने
7.	वीटी-ईएफडब्ल्यू	13 वर्ष 9 महीने
8.	वीटी ईएफएक्स	13 वर्ष 8 महीने
9.	वीटी-ईएचसी	11 वर्ष 11 महीने
10.	वीटी-ईएचडी	11 वर्ष 11 महीन
बोइंग 737-200		
1.	वीटी ईसीपी	19 वर्ष 6 महीने
2.	वीटी-ईसीएस	19 वर्ष 5 महीने
3.	वीटी-ईडीआर	18 वर्ष 6 महीने
4.	वीटी-ईडीएस	18 वर्ष 6 महीने
5.	वीटी-ईएफके	16 वर्ष 4 महीने
6.	वीटी-ईएफएम	16 वर्ष 3 महीने
7.	वीटी-ईजीडी	13 वर्ष 10 महीने
8.	वीटी-ईजीई	13 वर्ष 9 महीने
9.	वीटी-ईजीएफ	13 वर्ष 9 महीने
10.	वीटी-ईजीजी	13 वर्ष 8 महीने
11.	वीटी-ईजीएच	13 वर्ष 2 महीने
12.	वीटी-ईजीएम	13 वर्ष
13.	वीटी-ईजीआई	12 वर्ष 7 महीने
14.	वीटी-ईजीजे	12 वर्ष 6 महीने
15.	वीटी-ईएचई	11 वर्ष 8 महीने
16.	वीटी-ईएचएफ	11 वर्ष 8 महीने

1	2	3
17.	वीटी ईएचजी	11 वर्ष 8 महीने
18.	वीटी ईएचएच	11 वर्ष 7 महीने
एअरबस ए 320-231		
1.	वीटी ईपीबी	4 वर्ष 10 महीने
2.	वीटी ईपीसी	4 वर्ष 9 महीने
3.	वीटी ईपीडी	4 वर्ष 9 महीने
4.	वीटी ईपीई	4 वर्ष 9 महीने
5.	वीटी ईपीएफ	4 वर्ष 9 महीने
6.	वीटी ईपीजी	4 वर्ष 9 महीने
7.	वीटी ईपीएच	4 वर्ष 7 महीने
8.	वीटी ईपीआई	4 वर्ष 7 महीने
9.	वीटी ईपीजे	4 वर्ष 7 महीने
10.	वीटी ईपीके	4 वर्ष 5 महीने
11.	वीटी ईपीएल	3 वर्ष 6 महीने
12.	वीटी ईपीएम	4 वर्ष 5 महीने
13.	वीटी ईपीओ	4 वर्ष 3 महीने
14.	वीटी ईपीपी	4 वर्ष 3 महीने
15.	वीटी ईपीक्यू	4 वर्ष 2 महीने
16.	वीटी ईपीआर	3 वर्ष 6 महीने
17.	वीटी ईपीएस	3 वर्ष 6 महीने
18.	वीटी ईपीटी	3 वर्ष 6 महीने
19.	वीटी ईएसएस	1 वर्ष 2 महीने
20.	वीटी ईएसबी	1 वर्ष
21.	वीटी ईएससी	10 महीन

1	2	3
22.	वीटी-ईएसवी	9 महीने
23.	वीटी-ईएसई	9 महीने
24.	वीटी-ईएसएफ	8 महीने
25.	वीटी-ईएसजी	3 महीने

पटसन का और अधिक क्षेत्रों में उपयोग

5417. **डा. आर. मल्लू :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन का और अधिक मूल्य-प्रवर्द्धित वस्तुओं के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पटसन संस्थान तथा पटसन अनुसंधान एवं विकास में लगी अन्य राज्य। केन्द्रीय एजेंसियों का योगदान क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी :) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न पटसन और वस्त्र अनुसंधान संस्थान मूल्य वर्धित गैर-परम्परागत पटसन उत्पादों का विकास करने के कार्य में लगे हुए हैं। उनके प्रयासो के फलस्वरूप पटसन और पटसन बुलेडिड कालीनों, कम्बलों, शापिंग बैग्स, फ्लोर कवरिंग, फर्नीशिंग फैब्रिक्स, सजावटी फैब्रिक्स, साफ्ट लगेज, जूतों, परिधानों, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि जैसे अनेक उत्पादों का विकास हुआ है।

जनपथ होटल में अनियमितताएं

5418. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल जनपथ के कर्मचारियों के गंभीर कदाचार और वित्तीय अनियमितताओं के अनेक मामले फरवरी, 1990 से दिसम्बर, 1993 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम/सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनमें लिप्त होटल के कर्मचारियों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक कर्मचारी के विरूद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) निधियों की हेराफेरी/दूरूपयोग किए जाने की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं का मामला, जुलाई, 1992 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन के ध्यान में आया था।

(ख) प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि ये अनियमितताएं व्यय कर के एवज में खाद्य बिलों के अदा किए जा चुके बालचरों का इस्तेमाल करके और केश वाउचरों को कमरा बिक्री के बिक्री-विवरण में केडिट के रूप में दर्ज करके दी गई हैं। यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सुपुर्द कर दिया गया है। वे अभी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं तथा उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।

भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-योजना व्यय

5419. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में भारत पर्यटन विकास निगम के एककों/प्रभागों के गैर योजना व्यय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस व्यय में कमी करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(घ) वर्ष 1993-95 के दौरान उक्त व्यय में कितनी कमी करने का लक्ष्य रखा गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। पिछले वर्षों में प्रचालन व्यय (गैर योजना) की कुल व्यापार के साथ प्रतिशतता में कमी आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गैर-योजना व्यय को कम करने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं-मनोरंजन व्यय पर मितव्ययिता का अनुपालन करना, टेलीफोन लाइनों, विदेश यात्राओं, पैट्रोल इत्यादि की खपत में कटौती करना तथा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण सुदृढ़ करना।

भारत पर्यटन विकास निगम 1994-95 के दौरान गैर-योजना व्यय को यथा सम्भव सीमा तक नियंत्रित करने का प्रयास करेगा।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के
बैंको द्वारा ऋण की वसूली

5420. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली 1992-93 और 1993-94 के दौरान अनुपात का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जून, 1990, जून 1991 और जून 1992 (नवीनतम उपलब्ध) को उत्तर प्रदेश

के साथ-साथ सारे भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत निम्नलिखित है :

	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत		
	जून 1990	जून 1991	जून 1992
उत्तर प्रदेश	48.5	61.1	59.2
अखिल भारतीय	48.8	58.1	54.1

सामान्य भविष्य निधि जमा राशि

5421. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार सामान्य भविष्य निधि योजना में राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार कुल जमा राशि कितनी थी और उस पर ब्याज किस दर पर दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं को कर्मचारियों के लिए और अधिक कारगर और आकर्षक बनाने की दृष्टि से इनकी गहन समीक्षा की है;

(ग) यदि हां तो समय-समय पर ब्याज में वृद्धि किए जाने के अतिरिक्त कर्मचारियों के लाभ के लिए योजना के उद्देश्यों में हाल ही में किए गए परिवर्तनों तथा प्रस्तावित पुनस्थापन/पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत जुटाई गई जमाराशि व कर्मचारियों के फायदे में तथा राज्यों के विकास के लिए अधिकाधिक उत्पादन और लाभदायक बनाने हेतु किस तरह से उपयोग में लाया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रह्मपुरी पाट साड़ियां

5422. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण उड़ीसा में बुनी गई ब्रह्मपुरी पाट साड़ियां देश और विदेश में अपने उत्तम रेशे और कलात्मक डिजाइनों के लिए अत्याधिक प्रसिद्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन साड़ियों के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) रेशम हथकरघा उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उड़ीसा में राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक योजना कार्यान्वित की जा रही है। भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद रेशमी उत्पादों के निर्यात में संवर्धन करने के कार्य में कार्यरत है जैसे क्रय-विक्रय सम्मेलनों का आयोजन। बुनकर

सेवा केन्द्र भुवनेश्वर ने इन उत्पादों की रंगाई क्वालिटी में सुधार लाने और नये डिजाइन आरम्भ करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

खजुराहो के मंदिरों के ऊपर से उड़ने वाले इंडियन एयरलाइंस के विमान

5423. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या इंडियन एयरलाइन्स ने खजुराहों के मंदिरों के ऊपर से विमान न उड़ाने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान अभी भी इन मंदिरों के ऊपर से गुजरते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स और राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने खजुराहो मंदिरों के ऊपर से उड़ने से बचने के अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। शिकायतों को देखते हुए, नागर विमानन महानिदेशक ने इन अनुदेशों को पुनः दोहराया है।

माइक्रोलाइट विमान

5424. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में माइक्रोलाइट विमानों का प्रदर्शन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उद्देश्य प्राप्त किए गए;

(ग) क्या भारत में माइक्रोलाइट विमान प्रशिक्षण सुविधा के लिए कोई क्लब है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन क्लबों को सरकार से मान्यता प्राप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार और निजी फर्मों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस प्रकार के विमानों का निर्माण किया जाता है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) यद्यपि मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब तथा गुजरात फ्लाइंग क्लब के पास उपस्कर है, तथापि सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण कोई संगठित माइक्रोलाइट विमान प्रशिक्षण आरंभ नहीं हुआ है। चूंकि ये संस्थान उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए अनुमोदित हैं, इसलिए माइक्रोलाइट विमान प्रशिक्षण के लिए कोई औपचारिक अनुमोदन अपेक्षित नहीं हैं।

(च) कर्नाटक में मैसूर स्थित मैसर्स राज हंस अल्ट्रालाइट (प्रा.) लि. तथा आंध्रप्रदेश में हैदराबाद स्थित पिनाकी टेक्नोलोजीज (प्रा.) लि. माइक्रोलाइट विमान का निर्माण कर रहे हैं।

कोयला खानों में सुरक्षा

5425. **श्रीमती सरोज दुबे :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में की गयी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद उनमें दुर्घटनाएं होने के समाचार अब भी मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने असुरक्षित खानों की पहचान करने हेतु कोयला खानों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन खतरनाक कोयला खानों की संख्या कितनी है, जिनमें खनन कार्य रोकने के लिए गत छह महीनों के दौरान आदेश जारी किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां। खानों में जब भी प्राणघातक तथा गम्भीर चोटों जैसी दुर्घटनाएं घटती हैं उनकी रिपोर्ट खान सुरक्षा महानिदेशालय को प्राप्त होती हैं।

(ख) और (ग) दुर्घटना-आंकड़ों के आधार पर दुर्घटना प्रवृत्त खानों की एक स्वीकृत योजनागत स्कीम के अंतर्गत सतत् आधार पर पहचान की जाती है। अब तक कोल इंडिया लिमिटेड की दो सहायक कम्पनियों का तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 10 खानों और इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की 11 खानों का सर्वेक्षण किया गया है और दुर्घटना प्रवृत्त खानों के रूप में पहचान की गयी है।

(घ) इस संबंध में क्षेत्र कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि आधारित एकक

5426. **श्री पीटर जी. मरबनिआंग :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने मेघालय में कृषि आधारित एककों की स्थापना के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कहां-कहां सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने मेघालय में कृषि पर आधारित एककों की स्थापना के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पेंशन योजना

5427. **श्री आर. अन्बारासु** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों सहित संगठित श्रमिकों के लिए तैयार की गई पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक उपर्युक्त पेंशन योजना प्रारूपित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियां प्रदान करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एंव प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने से सम्बन्धित एक विधेयक 29.3.1993 को राज्य सभा में लाया गया था। प्रस्तावित योजना के प्रारूपण एवं कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा था क्योंकि विधेयक अभी भी सदन के समक्ष लम्बित है।

जवाहर रोजगार योजना

5428. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर रोजगार योजना को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने का है;

(ख) क्या बैंकों को उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ऋण संबंधी 40,000 आवेदनों को मंजूरी देने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक कितने आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है और प्रत्येक आवेदन को मंजूरी देने में कितना समय लगता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) संभवत माननीय सदस्य का आशय 1993-94 के दौरान केवल शहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए 2 अक्टूबर, 1993 को शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए शुरू की गई प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) से है। वर्ष 1994-95 से इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरा देश शामिल होगा।

(ख) 1993-94 के लिए निर्धारित हिताधिकारियों का लक्ष्य/संख्या 42040 थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि वे वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित समस्त आवेदनों को 31 मार्च, 1994 तक निपटा लें।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना पटल पर रख दी जाएगी।

म्यांमार को सहायता

5429. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राज्य म्यांमार सरकार को कुछ आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो सहायता का ब्यौरा क्या है तथा यह कितनी अवधि के लिए दी जाएगी;

(ग) क्या राष्ट्रीय हित में तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए संयुक्त राज्य म्यांमार के साथ उदार निर्यात और आयात नीति तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में म्यांमार के साथ अच्छे पड़ौसी सम्बन्धों को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं म्यांमार के साथ द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धों को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में हाल में म्यांमार के साथ सम्पन्न सीमा व्यापार करार शामिल है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को आर्थिक बल तथा बढ़ावा मिलने और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को भी सहायता मिलने की उम्मीद है। जो अन्य उपाय किए जा रहे हैं वे हैं सरकारी तथा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान और फरवरी, 1995 में मांगों में भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी के आयोजन का प्रस्ताव।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण पटसन मिलें

5430. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की रुग्ण पटसन मिलों के अधिग्रहण संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी :) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह ब्रिटिश नागरिक श्री आर.जे. ब्रेरले के स्वामित्वाधीन राज्य में 4 रुग्ण पटसन मिलों अर्थात, टीटागढ़ पी एल सी, विक्टोरिया जूट मिल्स, नार्थ समनुग्गुर जूट फैक्ट्री तथा अंगस कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन का अधिग्रहण कर ले। चूंकि रुग्ण एककों का अधिग्रहण/पुनर्स्थापना करने में रुग्णता की समस्या का निवारण नहीं हो जाता इसलिए सरकार सामान्यता ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

स्वापक द्रव्यों का अवैध व्यापार

*5431. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक गुजरात में, विशेषतः राजकोट और कच्छभुज जिलों और समुद्रवर्ती क्षेत्रों में, अलग-अलग कितने भारतीय और विदेशी राष्ट्रिक स्वापक द्रव्यों के अवैध व्यापार के आरोप में पकड़े गए;

(ख) उक्त अवधि में जब्त किए गए स्वापक द्रव्यों का मूल्य क्या है;

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई;

(घ) क्या पड़ौसी देश स्वापक द्रव्यों की तस्करी में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वापक द्रव्यों के इस प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात में वर्ष 1992-93 और 1994 (31-3-1994) तक के दौरान गिरफ्तार किए गए भारतीय और विदेशी नागरिकों/राष्ट्रिकों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	
	भारतीय	विदेशी
1992	312	3 (पाकिस्तानी)
1993	226	--
1994 (31-3-1994 तक)	35	--

वर्ष 1992 के दौरान गुजरात राज्य पुलिस ने कच्छ में 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया।

वर्ष 1993 में गुजरात सीमाशुल्क विभाग ने 1 भारतीयों को गिरफ्तार किया।

(ख) स्वापक औषधि जो कि प्रायः अपरिमित शक्ति एवं संयोजन युक्त होती हैं और जिनका नष्ट कर दिया जाता है, का ठीक ठीक मूल्य आंकना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है, मुकद्दमे चलाए जाते हैं।

(घ) कोई विशेष/कानून प्रवर्तन अभिकरणों को विभिन्न अधिनियमों में अंतर्विष्ट कठोर उपबंधों के अंतर्गत अत्यंत सतर्कता बरतने और प्रवर्तन प्रयासों को बढाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत-पाक सीमा के एक भाग पर कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई है। प्रवर्तन कार्य में अंतर अभिकरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रर्वतन अभिकरणों में पील्ड स्तर

पर संपर्क केन्द्र स्थापित किए गए हैं। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत स्वापक औषधि पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रवर्तन अभिकरणों को प्राप्त शक्तियों अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और समुद्र तट रक्षक को भी जिनको भूमि और समुद्र तटीय सीमा पर तैनात किया गया है, के अंतर्गत इस हेतु शक्तियां प्रदत्त की गईं।

"गैट समझौते" पर विचार गोष्ठी

5432. **श्री विलास मुत्तेवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने उरुग्वे वार्ता चक्र पर नयी दिल्ली में किसी विचार गोष्ठी का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया और इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) विचार गोष्ठी में दिए गए सुझावों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वे मुद्दे जिन पर चर्चाएं हुईं उनमें बाजार पहुंचे कृषि, वस्त्र और पहनावे के क्षेत्रों में भारत के लिए उरुग्वे दौर के समझौते का निहितार्थ "ट्रीम्स" ट्रीप्स सहित गाट के नियम, सेवाओं में व्यापार तथा संस्थागत मुद्दे शामिल हैं। सेमीनार की कार्यवाही का विवरण औपचारिक रूप से अभी तक जारी नहीं किया गया है।

गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा

5433. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1994-95 और परवर्ती वर्षों में गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में कार्यान्वित किए जाने के लिए किये गये और स्वीकृत हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन-कौन-सी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए वित्तीय सहातया के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) आठवीं योजनावधि में 1994-95 और बाद के वर्षों में गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

अर्ध सरकारी कर्मचारी

5434. **श्री बारे लाल जाटव** :
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी अर्ध सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रैच्युटी देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सभी अर्ध सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रैच्युटी मंजूर करने का कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ऐतिहासिक स्मारक

5435. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों को सप्ताह में कुछ दिन लोगों के लिए बन्द रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह जानकारी पर्यटकों के हित में देश के पर्यटन साहित्य में शामिल की गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जहां तक राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों का संबंध है, केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्यात की गई वस्तुओं का निरीक्षण

5436. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडये** :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्तुओं के निर्यात के पहले अनिवार्य निरीक्षण के प्रावधान से इनको मुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक, आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) इस समय निम्नलिखित उत्पाद समूहों के तहत 986 मदें ऐसी हैं जो निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963

की धारा 7(1) के अधीन पोतलदान पूर्व निरीक्षण के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित मशीनरी द्वारा अनिवार्य पोतलदानपूर्व निरीक्षण के दायरे में आती है : रसायन और सहबद्ध उत्पाद, इंजीनियरी उत्पाद, खाद्य और कृषि उत्पाद, कयर उत्पाद, जूट और जूट उत्पाद हाथ से बुने ऊनी गलीचे, पदत्राण और पदत्राण संघटक और मानव बाल। जब इन मदों का निर्यात कुछ ऐसी श्रेणी के निर्यातकों द्वारा किया जाए जिन्हें 1990 और 1991 में छूट दी गई है, तब उनका पोतलदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण जरूरी नहीं है। इसका विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में अनुबंध में दिए गए उदारीकरण उपाय वर्षों से एक सतत् प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह है कि विनिर्माताओं और निर्यातकों के विलंब से बचने के लिए सहायता दी जा सके, उत्पादन अनुसूची से तालमेल बैठाया जा सके और वे अपने विदेशी क्रेताओं को प्रेषण की प्रतिस्पर्धात्मक तारीख दे सकें। इसके अतिरिक्त, चूंकि निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों द्वारा स्व प्रमाणन और इनप्रासेस क्वालिटी कंट्रोल (आई पी क्यू सी) की सुविधाएं वापस की जा सकती हैं। इसलिए विनिर्माताओं को अपेक्षित गुणवत्ता मानदंड कायम रखने पड़ते हैं।

निर्यात की गई मदों के बारे में दिनांक 29-4-1994 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अता.प्र.सं. 5436 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

केन्द्र सरकार द्वारा 1990 और 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण उपायों के परिणामस्वरूप, आवश्यक लदान-पूर्व प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है और उसे मुक्तिसंगत बनाया गया है जिससे कि निर्यात (गुणवत्ता निमंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचित मदों का निर्यात, आवश्यक लदान-पूर्व निरीक्षण के बिना हीं किया जा सके।

जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :

(i) केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चोटी के व्यापारिक घरानों, व्यापारिक घरानों तथा निर्यात घरानों को निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचित सभी उत्पादों के अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण के कार्य क्षेत्र से छूट दी गई हैं।

(ii) इन-प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल (आई पी क्यू सी) प्रणाली के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा अनुमोदित यूनिटों को निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के बजाय स्वयं सांविधिक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(iii) निर्यात संसाधन क्षेत्र/एफटीजेड में स्थापित औद्योगिक एककों तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 100 प्रतिशत निर्यात-अभिमुख एककों को अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है।

(iv) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचित मदों को अनिवार्य लदानपूर्ण निरीक्षण से छूट दी गई हैं बशर्ते की निर्यातक के पास विदेशी क्रेताओं की ओर से इस आशय का पत्र हो कि वे किसी सरकारी भारतीय निरीक्षण अभिकरण से कोई भी लदानपूर्व निरीक्षण नहीं चाहते हैं और

जिसे निर्यातकों द्वारा लदान के बंदरगाह पर सीमाशुल्क अधिकारियों के सामने दाखिल करना होगा।

(v) इंजीनियरी उत्पादों तथा मछली के उत्पादों के वे विनिर्माता/निर्यातक जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उत्पाद के औसतन 1.5 करोड़ रुपये तक के निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं और जिनको विदेशी क्रेताओं से गुणवत्ता संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और जो लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिए सक्षम है उन्हें आने उत्पादों के लिए निरीक्षण अभिकरण माना जाएगा।

बीड़ी श्रमिक

5437. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अब तक बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए बीड़ी उत्पादकों में अर्जित उप-कर राशि कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(क) और (ख) :

विवरण

वर्ष	बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए बीड़ी विनिर्माताओं से एकत्र उपस्कर	बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए किया गया व्यय
1990-91	120796	71978
1991-92	118759	77591
1992-93	120390	96659

जब्त किया गया माल

5438. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किये गये बहुमूल्य वस्तुओं की बडी मात्रा विभिन्न सीमाशुल्क डिपो और गोदामों में पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1993 तक सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किये ऐसे सामान का ब्यौरा क्या है जो मुम्बई, कलकत्ता दिल्ली और मद्रास के सीमाशुल्क गोदामों में पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा जब्त किये गये सामान के अनुरक्षण के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास सीमाशुल्क गृहों के गोदामों में पड़ी जब्तशुदा कीमती मदों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

सीमा शुल्क गृह का नाम	सोना	चांदी	हीरे तथा कीमती रत्न	मुद्रा
बम्बई	20.61	3.18	16.54	4.12
कलकत्ता	4.82	0.13	14.93	1.96
दिल्ली	0.38	0.62	0.73	0.11
मद्रास	4.99	1.38	1.63	0.25

(ग) ऐसी कीमती मदों को लॉकरों/कीमती वस्तुएं रखने के विभागीय गोदामों/सरकारी राजकोषों में तब तक रखा जाता है जब तक उनका सरकारी टकसाल अथवा बैंक में जमा करके अथवा विभागीय खुदरा दुकान अथवा सार्वजनकि नीलामी आदि द्वारा बिक्री करके निपटान नहीं कर लिया जाता है।

[हिन्दी]

सीमा भत्ता

5439. **श्री मोहन सिंह** (फिरोजपुर) :
श्री आनंद अहिरवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती राज्यों में नियुक्त कर्मचारियों की सीमा भत्ता और प्रतिपूरक भत्ते के भुगतान को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे फिर से कब तक बहाल कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार सीमा भत्ता जो एक प्रतिपूर्ति भत्ते के ही स्वरूप का है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे उन क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंजूर किया जाता है जहां पर संबंधित राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को इसी किस्म का भत्ता देती है। इस समय राजस्थान राज्य में जिलों, उप-जिलों और तहसील मुख्यालयों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 48 किलोमीटर की दूरी के भीतर तैनात किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी यह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

[अनुवाद]

विमान सेवाओं के प्रबंधकों की बैठक

5440. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय विमान सेवाओं निजी विमान सेवा संचालकों और अन्य विमान सेवा संचालकों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बैठक में प्रचालकों को प्रचालनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय करने की सलाह दी गई थी;

(1) सभी विमानचालकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के दौरान सिपुलेटरों पर आपातकालिक उड़ान प्रक्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए;

(2) विमानों के कलपुर्जों के ओवरहाल की मियाद की संवीक्षा की जानी चाहिए, और

(3) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को अपने बड़े पैमाने पर प्रचालनों को देखते हुए अलग से गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता सुनिश्चयन डिवीजनों की स्थापना करनी चाहिए। प्रचालकों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सुदृढीकरण, खराबियों के तुरंत सुधार पर्याप्त अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना, डिजीटल फलाइट डाटा रिकार्डर और काकपिट व्यास रिकार्डर के निरूपनों की मानिटरिंग, कर्मीदल की उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच, छोटे विमान क्षेत्रों से/को प्रचालन करते समय विशेष सावधानियों के पालन मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के पालन आदि द्वारा विमानों की उड़नयोग्यता और प्रचालनों की सुरक्षा के मानकों में सुधार लाएं।

काले धन का उपयोग

5441. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काले धन का तेल और प्राकृतिक गैस के खोज कार्य तथा दूर संचार कार्य में लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अघोषित आय को बाहर निकालने के निमित्त संसाधनों को जुटाने के लिए सरकारी विभागों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। अब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बना है।

महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास

5442. **श्री अन्ना जोशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में 1993-94 के दौरान पर्यटन का विकास करने के लिए कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) उन परियोजनाओं/ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनको ऐसी सहायता प्रदान की गयी है;

(ग) उनमें से ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जो महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं; और

(घ) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र सरकार के लिए राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए 356.60 लाख रुपये की राशि की परियोजनाएं/स्कीमें मंजूर की थीं। मंजूर की गई परियोजनाओं/स्कीमों का राशि सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र की राज्य सरकार से केन्द्रीय वित्तीय सहायता लेने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

1993-94 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मंजूर की गई राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
महाराष्ट्र		
1.	गणपतिपुले, जिला रत्नागिरी (कोंकण परिपथ) में पर्यटक परिसर (समुद्र तट कुटीर) का निर्माण	26.57
2.	मथेरन (पहाड़ी स्थान, जिला-रायगढ़) में पर्यटक परिसर का निर्माण	16.39
3.	महाबलेश्वर (पहाड़ी स्थान, जिला सतारा) में पर्यटक परिसर का निर्माण	23.46
4.	फर्दापुर (जिला औरंगाबाद) में पर्यटक परिसर का निर्माण	24.25

1	2	3
5.	हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन, जिला रायगढ़, कोंकण परिपथ में समुद्रतट कुटीरों का निर्माण	24.88
6.	कुंकेश्वर, तालुक देवघर, सिंधुदुर्ग जिला, में पर्यटक परिसर का निर्माण	24.80
7.	भंडारदरा, अकोला तालुक, अहमदनगर जिला, में लेक व्यू विहार-स्थल का निर्माण	27.00
8.	महेद, रायगढ़ जिला, कोंकण परिपथ, में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	7.33
9.	गोल्फ मैदान, बंबई का स्तर बढ़ाना	35.61
10.	गोल्फ मैदान, पुणे का स्तर बढ़ाना	48.00
11.	10 एच पी ओ बी एम एस (20+35) सहित 6 वाटर स्कूटरों की खरीद	4.67
12.	शिरोडा तथा मथपुर के लिए 100 स्वयंपूर्ण टेंटों की खरीद	12.80
13.	जल क्रीड़ा उपकरण तथा ओ बी एम एस की खरीद	11.29
14.	जल क्रीड़ा उपकरण की खरीद	20.54
15.	होवर क्राफ्ट की खरीद	16.97
16.	टरकाविल, टलपलवान, के लिए टेंटों की खरीद	19.23
17.	गणेश उत्सव	7.33
18.	अजन्ता, एलौरा गाइड बुक के लिए प्रचार सहायता	5.48
	जोड़	356.60

दूसरे देशों में बैंकों की शाखाएं

5443. **श्री मोहन रावले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय स्टेट बैंक तथा उन राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनकी शाखाएं इस समय दूसरे देशों में हैं और ये शाखाएं किन-किन देशों में स्थित हैं;

(ख) घाटे/मुनाफे में चल रही ऐसी बैंक शाखाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है,

(ग) प्रत्येक बैंक शाखा को प्रत्येक देश में अब तक हुए कुल घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन्हें लगातार घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने घाटे की भरपाई के लिए प्रत्येक बैंक को "इक्विटी" के रूप में अब तक कितनी धनराशि दी है;

(च) क्या लगातार घाटे में चलने के कारण दूसरे देशों में स्थित किसी बैंक-शाखा को बंद किया जायेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उन सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा जिनकी शाखाएं विदेशों में हैं तथा जिन देशों में वे शाखाएं हैं उन्हें संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) घाटे में चल रही/ लाभ अर्जित कर रही बैंक शाखाओं के साथ-साथ विभिन्न शाखाओं की संचित हानि का ब्यौरा बताना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) घाटे के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) नाइजीरिया, अर्जेन्टीना, मैक्सिकों आदि जैसे देशों की सरकारों को व्यापक एक्सपोजर जो इन देशों की विदेशी मुद्रा संबंधी समस्याओं के कारण समस्याजनक बन गया।

(ii) नाइजीरिया, जाम्बिया और सूडान जैसे उच्च जोखिम वाले देशों के साथ व्यापार संबंधी वित्तपोषण। ये सभी अग्रिम भारतीय वंश के लोगों को उनके कारोबार के वित्तपोषण के लिए दिया गया।

(iii) इराक और लीबिया में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशों में दिया गया विदेशी मुद्रा ऋण।

(iv) विशेष रूप से इंडोनेशिया में भारतीय मूल के उधारकर्ताओं और भारतीय संयुक्त उद्यमों पर बड़े एक्सपोजर।

(v) स्थावर सम्पदा की कीमतों में गिरावट जिसके कारण स्थावर सम्पदा के विरुद्ध प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण संदिग्ध हो गए।

(ङ) सरकार ने बैंकों की सार्वभौम तुलन पात्रों को ध्यान में रखकर, न कि केवल उनके विदेशी परिचालनों के आधार पर, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयरपूंजी में अतिरिक्त अंशदान क्रिया है। ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों को, जिनकी शाखाएं विदेशों में हैं। सरकार द्वारा उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान अंशदान किए गए अतिरिक्त शेयर पूंजी की राशि को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(च) और (छ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी विदेश स्थित शाखाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, बैंक आफ बड़ौदा ने चार शाखाओं अर्थात बहरीन ओ बी यू और यू.के. की इन फोर्ड, वाइट चैपल और थार्नटन हीट शाखाओं को अब बंद कर दिया है।

बैंक आफ इंडिया ने यू.के. की निम्नलिखित शाखाओं का समामेलन/को बंद कर दिया है :

बेलग्रव रोड शाखा को लेइस्टर शाखा के साथ मिला दिया है।

स्टाटे फोर्ड शाखा को विलय बर्मिंघम शाखा में कर दिया गया है। पिछले शाखा का विलय वेम्बले शाखा में किया गया है और हडर्सफील्ड शाखा को बंद कर दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक ने यू.के. स्थित अपनी बर्मिंघम शाखा को बंद कर दिया है।

विवरण-I

1 जनवरी 1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों की देश-वार शाखाएं

देश का नाम	बैंक के नाम								कुल
	भारतीय स्टेट बैंक	बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ बड़ौदा	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	यूको बैंक	केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रीलंका	2	--		2	2		--	–	6
यू.के.	4	9	10	–	–	2	1	1	27
यू.एस.ए.	5	2	1		–	–	–	–	8
जापान	2	2				–	–	–	4
मालदीव	1	–	–	–	–	–	–	–	1
पश्चिमी जर्मनी	1	–	–	–	–	–	–	–	1
बंग्लादेश	1	–	–			–	–	–	1
बहारा द्वीपसमूह	1	–	1				–	–	2
बहरीन	1	–	--				–	–	1
बैल्जियम	1	–	1				--	--	2
सिंगापुर	1	1	–	1	1	3		–	7
हांगकांग	1	2			2	2		–	7
कैमन द्वीपसमूह	--	1		--				–	1
पनामा	1	–			–		–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फ्रांस	1	1	–				–	–	2
चैनल द्वीपसमूह		1	–	–			–		1
फिजी द्वीपसमूह	-		9		-		–		9
गुयाना		–	1	–	–			–	1
केन्या		2	–	–			–		2
मारिसस		–	7				–	–	7
यू.ए.ई.	–		6				–	–	6
सैचलस	–	–	1				–		1
दक्षिणी कोरिया	–	–	–		1			–	1
थाईलैंड		–	–	–				–	1
ओमान	–	–	3	–					3
कुल	23	21	40	3	6	7	1	1	102

विवरण-II

सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान

बैंक का नाम	1992 (मार्च)	1993 (मार्च)	1994 (मार्च)
बैंक आफ बड़ौदा	45.00	50.00	400.00
बैंक आफ इंडिया	110.00		5635.00
केनरा बैंक		75.00	365.00
इंडियन बैंक	50.00	35.00	220.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	50.00	–	705.00
सिंडिकेट बैंक	85.00		680.00
यु.को. बैंक			535.00

[हिन्दी]

बिहार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण

5444. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बिहार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को ऋण दें; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष बिहार को योजना-वार कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा सभी अग्रणी बैंकों को सूचित करते हुए समस्त राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को दिनांक 18 जनवरी, 1991 को जारी किए गए परिपत्र में, उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के ब्यौरे जिले के अग्रणी बैंकों को अग्रिम रूप से भेजे जाएं ताकि जिले के बैंक उसे अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में शामिल कर सकें। बैंकों से भी कहा गया था कि वे अपनी वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार करते समय सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को वरीयता दें।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निगरानी नहीं करता। इसलिए, उसके पास बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

चाय का उत्पादन

5445. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1993 के दौरान चाय का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी चाय का निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993 के दौरान राज्य-वार चाय का उत्पादन निम्नानुसार रहा :-

राज्य	उत्पादन मिलियन कि.ग्रा. में (अनन्तिम)
1	2
1. असम	402.95
2. पश्चिम बंगाल	168.02
3. तमिलनाडु	108.65

1		2
4.	केरल	66.69
5.	कर्नाटक	4.00
6.	अन्य राज्य जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं।	7.75
	कुल	758.06

(ख) वर्ष 1993 के दौरान चाय का निर्यात निम्नानुसार रहा :-

मात्रा* (मिलियन कि.ग्रा. में)	कीमत* (करोड़ रु. में)
180.06	1155.86

*अनुमानित

विमानपत्तनों की लाभप्रदता

5446. **डा. मुमताज अंसारी :**
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री प्रबीन डेका :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री पीटर जी. मरबनिआंग :
श्री हरिन पाठक :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री राजेश कुमार :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री शरत पटनायक :
प्रो. के.वी. थामस :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री ब्रहानन्द सिंह :
श्री तेज नारायण मंडल :
डा. आर. मल्लू :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत पृथक् पृथक् कौन कौन से हवाई अड्डे आते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन हवाई अड्डों पर कितने यात्रियों का आवागमन हुआ और कितनी माल ढुलाई की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक हवाई अड्डे पर कितना राजस्व अर्जित किया गया और कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) घाटे में चल रहे हवाई अड्डों की लाभप्रदता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) हवाई अड्डा वार आधुनिकीकरण हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(च) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(छ) इस संबध में धन और जनशक्ति दोनों मामलों में प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का हवाई अड्डा वार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या विदेशी एयरलाइनों के विमानों के उतरने के संबंध में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में कोई अंतर है, और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेशम केन्द्रों की स्थापना

5447. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में नये रेशम केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु समय कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में सूरत और बलसाड़ जिलों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विश्व बैंक स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित की जा रही है तथा इस परियोजना में की गई परिकल्पना के अनुसार बोर्ड ने विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर एककों केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं। इस समय इस परियोजना के अंतर्गत और जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रुई का निर्यात

5448. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमान मल लोढा :
श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुई सूती धागे के निर्यात से प्रतिबध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नवम्बर, 1993 से मार्च, 1994 तक कुल कितनी रुई का आयात किया गया; और

(घ) इससे रुई सूती धागे की कितनी कमी पूरी हुई है और मूल्य पर कितना नियंत्रण पाया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी, हां।

सरकार ने 31.3.1994 से कच्ची कपास की ऐसी मात्राओं, जिनके लिए संविदाएं वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से पंजीकृत की गई थी; के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। सूती यार्न के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

संविदाकृत निर्यात वचनबद्धताओं का पूरा करने के लिए कदम उठाया गया था देश में फाईबर उपलब्धता को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में कपास आयातों को जीरो आयात शुल्क सहित ओ जी एल के अन्तर्गत रखना तथा रियायती आयात शुल्क पर विस्कोस स्टेपल फाईबर के 30,000 एम.टी. के आयात भी शामिल हैं। तथापि चूंकि आयात प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, इसलिए नवम्बर, 1993 से मार्च, 1994 तक की अवधि के दौरान अपरिष्कृत कपास की किसी भी मात्रा का वास्तविक रूप से कोई आयात नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त उपायों से कपास की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सका है जो कि पिछले दस-बारह दिनों से कम होनी शुरू हो गई हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस विमानों के उतरते समय पिछले हिस्से के रगड़ खाने की घटनाएं

5449. **श्री एस.एम. लाल जान बाशा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानों के उतरते समय पिछले हिस्से के रगड़ खाने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इंडियन एयरलाइंस के उड़ान सुरक्षा निदेशक ने इन घटनाओं में से प्रत्येक घटना के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानों के उतरते समय पिछले हिस्से के रगड़ खाने की घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :

(1) दिल्ली में दिनांक 28-7-1993 को इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 विमान बी.टी.-इंजीडी के जांच "बी" निरीक्षण के दौरान पिछले भाग के प्रेशर बल्कहैड के निकट पिछले हिस्से पर खरोंचे तथा निर्गम छिद्र के नजदीक एक छोटी दरार देखी गई थी।

(2) दिनांक 9-11-1993 को आई.सी. 989 (कालीकट-शारजाह) उड़ान का प्रचालन करते समय ए-320 विमान वी.टी. ईपीडी कालीकट से उड़ान भरने के दौरान पिछले हिस्से के जमीन से टकराने की घटना में ग्रस्त हो गया था अनुषंगी पावर यूनिट ड्रैन मास्ट निकलकर दांयी ओर मुड़ा हुआ पाया गया।

(ख) पहली घटना में, कैप्टन के सिमुलेटर पर, भारी तथा हल्के विमानों के साथ दो उड़ानें भरने तथा दो अवतरण करने और बाद में दो रूट चैक के लिए बाध्य किया गया। दूसरी घटना में सह विमानचालक के लाइसेंस को छः महीनों के लिए रद्द कर दिया गया था। इस मामले में विमान चालक के विरुद्ध भी कार्यवाई आरंभ की गई है।

होटलों में ब्रिटेन से निवेश

5450. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन स्थित होटलों से भारत में होटल उद्योग में प्रवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सरकार को यू.के. स्थित होटलों से भारत में होटल स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में पूंजी-निवेश के लिए ब्रिटेन आधारित कंपनियों/व्यक्तियों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया ऋण

5451. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :
श्री छेदी पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋणों के भुगतान के संदर्भ में बैंक-वार 10 शीर्ष बकायेदार कौन-कौन हैं तथा प्रत्येक बकायेदार का ऋण की कितनी-कितनी राशि बकाया है;

(ख) सरकार ने बकाया ऋण की वसूली के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ग) बकायादारों से ऋण की वसूली में कौन-कौन-सी कठिनाइयां आ रही हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी ऋण की वसूली न होने से पैदा होने वाली स्थिति से बचने के लिए वित्तीय संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों तथा बैंकरों के बीच प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार, बैंक अलग-अलग उधारकर्ताओं के नाम और उनके ऊपर बकाया ऋणों की राशि को प्रकट नहीं करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1992 और मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अतिदेय राशियों की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

	खातों की संख्या (लाखो में)	अतिदेय राशि (करोड़ रुपए)
मार्च, 1992	237	25633
मार्च, 1993	165	22689

अतिदेय राशियों को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के संबंध में उनके वसूली कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :-

(1) बैंकों से यह आग्रह किया गया है कि वे एक तरफ, अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद और उत्पादक क्षेत्रों के लिए बैंकों के दुर्लभ संसाधनों का पुनः निर्धारण करने में उनकी मदद करने तथा दूसरी तरफ, ऋणदाता बैंकों की लाभप्रदता तथा अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली बनायें।

(2) अलग-अलग अग्रिमों के प्रभावी पर्यवेक्षण और उस अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए, उन अग्रिमों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए एक गहन तथा एक समान ग्रेडिंग पद्धति आरम्भ करना।

(3) प्रमुख अवरुद्ध खातों की वसूली संबंधी स्थिति पर नजर रखना।

(4) जिन मामलों में खाते अवरुद्ध हो जाने का पता चल जाता है उनमें उपचारी कार्रवाई करना।

(5) हाल ही में, बैंकों को देय ऋणों की वसूली और उससे संबंधित और प्रासंगिक मामलों के शीघ्र न्यायनिर्णयन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनिमय, 1993 को अधिनियमित किया गया है।

अतिदेय राशियों की वसूली के लिए बैंकों के समक्ष आने वाली कुछ कठिनाइयां निम्नलिखित हैं :-

1. उधारकर्ताओं अर्थात् जानबूझकर चूक करने वालों का असहयोगपूर्ण रवैया।
2. परियोजना/कारोबार की असफलता के कारण घाटे के परिणामस्वरूप ऋण की वापसी अदायगी के लिए आय न होना।
3. दायर मुकदमों के निपटान/डिक्री के निष्पादन में विलम्ब।

[हिन्दी]

"ओन योर हाउस" योजना के अंतर्गत जीवन बीमा

5452. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने गत दो वर्षों के दौरान "ओन योर हाउस" योजना के अंतर्गत कुल कितना ऋण दिया;

(ख) इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए; और

(ग) सरकार ने इस योजना के विस्तार के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) विगत दो वर्षों अर्थात् 1991-92 और 1992 93 के दौरान "ओन योर हाउस" योजना के अंतर्गत मंजूर किया गया आवास ऋण तथा लाभान्वित परिवारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	ऋणों की संख्या	ऋणों की राशि (लाख रुपयों में)
1991-92	22872	17283.43
1992-93	9662	7908.71

(वर्ष 1993 94 का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।)

(ग) जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि. ने देश के लगभग सभी सुगम्य केन्द्रों में क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिए हैं ताकि आवास वित्त संबंधी कार्य में तेजी लाई जा सके।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों को ऋण

5453. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान कितने हथकरघा एकक बंद किए गए;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य में इस उद्योग को पुनः चालू करने के लिए हथकरघा बुनकरों को ऋण प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) गुजरात सरकार के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान (1992-93 और 1993-94) उस राज्य में कोई हथकरघा औद्योगिक सहकारी समिति बंद नहीं हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

"गैट" समझौता

5454. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "गैट" प्रस्तावों को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो "गैट" प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद क्या-क्या लाभ और हानि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार ने उरुग्वे दौर के अन्तिम अधिनियम को अधिप्रमाणित कर दिया है।

(ख) उरुग्वे दौर के परिणामों से एक नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली शुरू हो सकेगी जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक होगा। कुल मिलाकर यह हमारे निर्यातों को बढ़ाने में लाभदायक होगी। टैरिफ दरों को कम करने तथा बहुरेशा प्रबंध को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने के परिणामस्वरूप भारतीय सामान के लिए बाजार पहुंच के व्यापाक अवसर मिलेंगे। सेवा संबंधी करारों से भी निर्यात के अवसर मिलेंगे। बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली को शासित करने वाले नियमों को भी मजबूत बनाया गया है। हालांकि हमें अपनी पेटेन्ट प्रणाली में सुधार करना आवश्यक होगा लेकिन पेटेन्ट धारक द्वारा पेटेन्ट अधिकारों के दुरुपयेाग के खिलाफ करार में सुरक्षा की व्यवस्था है। कीमत नियंत्रण उपायों के उपयोग पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हमें किसानों तथा अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों के प्रावधानों तथा पौध किस्म संरक्षण की अपनी निजी अद्वितीय प्रणाली विकसित करने की लोचशीलता प्राप्त है। हमारे विकास और सार्वजनिक कल्याण की नीतियों में कोई रुकावट नहीं आएगी।

बैंक डकैतियां

5455. **श्री हरि सिंह चावड़ा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लूटपाट/डकैतियों के राज्य वार कितने मामले प्रकाश में आए तथा ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी-कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) उक्त मामलों में शामिल पाये गए गिरोहों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) इनसे कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्ष 1993 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियों/लूटपाटों की राज्यवार संख्या उनमें अंतर्गत राशि, वसूल की गई राशि, मारे गये डकैतों/लुटेरों की संख्या, इन घटनाओं के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति/की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण I में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993 के दौरान बैंक डकैतियों/लूटपाटों के मामलों की संख्या, उनमें अंतर्ग्रस्त राशि, वसूली की गई राशि, मारे गये लुटेरे/डकैत, इन घटनाओं में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति/की गई कार्रवाई की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मामलों की सं.	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि	मारे गये लुटेरे/डकैत	गिरफ्तार व्यक्ति/की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5	0.20	–	–	–
2.	असम	7	96.90	19.98	5	5
3.	बिहार	46	78.55	5.75	4	9*
4.	गुजरात	2	0.14	–	–	–
5.	जम्मू और कश्मीर	1	1.37	–	–	–
6.	मध्य प्रदेश	1	3.26	–	–	–
7.	महाराष्ट्र	1	2.06	–	–	–
8.	मेघालय	4	5.97	–	–	–
9.	नई दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	2	49.60	22.80	1	6**
10.	उडीसा	1	2.50	-	-	-
11	पंजाब	1	-	-	-	
12.	राजस्थान	1	0.17	-	-	
13.	त्रिपुरा	1	0.06	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
14.	उत्तर प्रदेश	14	30.24	2.31		1
15.	प. बंगाल	2	11.80	5.02		3
	योग	89	282.82	55.86	10	24

*एक शाखा अधिकारी को निलंबित किया गया।

**एक बैंक के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया।

कृषि क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

5456. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपने आसान किश्तों पर ऋण देने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत को 400 मिलियन डालर का भारी ऋण देने के संबंध में विचार करने से पूर्व कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार करने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा दिए गये सुधार संबंधी सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र से संबंध संभावित क्षेत्रीय ऋण पर विश्व बैंक के साथ प्रारम्भिक बातचीत हुई हैं। तथापि, इस अवस्था में सुनिश्चित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

आंध्र प्रदेश में ऋण राहत योजना

5457. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के अग्रणी जिलों में ऋण राहत योजना लागू करने के संबंध में आंध्र बैंक ने क्या प्रगति की है;

(ख) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में उक्त बैंक के द्वारा इस योजना को लागू करने में असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के जिला वार कार्यनिष्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता आंध्रा बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में 1,51,227 हिताधिकारियों 43.30 करोड़ रुपए की ऋण राहत प्रदान की है आंध्रा बैंक ने सूचित किया है कि उसने कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना मार्ग निर्देशों के अनसार कार्यान्वित की है। आंध्र प्रदेश राज्य में यह योजना 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार

5458 **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के आरम्भ में तथा जनवरी, 1994 के अंत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना-कितना था;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी विदेशी सहायता और ऋण प्राप्त हुआ; और

(ग) इसमें से कितना विदेशी ऋण अभी जारी किया जाना शेष है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चालू वित्त वर्ष के प्रारम्भ में विदेशी मुद्रा भंडार (सोना और एस डी आर के अतिरिक्त) 47287 करोड़ रुपए (15074 अमरीकी मिलियन डालर) और जनवरी, 1994 के अंत में ये 32911 करोड़ रुपए (10491 अमरीकी मिलियन डालर) के थे।

(ख) और (ग) समनुरूप अवधि (फरवरी और मार्च, 1994) के दौरान प्राप्त की गई विदेशी सहायता और ऋण की राशि 4607 करोड़ रुपए (1474 अमरीकी मिलियन डालर) थी जिसमें अब दिए जाने के लिए कुछ नहीं है।

बेंत और बांस दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र

5459. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान असम में और अधिक बेंत और बांस दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) तथा (ख) जी, हां। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा तीन प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जाते हैं : (क) विभाग द्वारा चलाए जा रहे, (ख) राज्य हस्तशिल्प निगमों तथा शीर्ष सहकारी समितियों एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे तथा (ग) सिद्धहस्तशिल्पियों के अन्तर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षुता प्रशिक्षण केन्द्र।

विभाग द्वारा चलाए जा रहे चार प्रशिक्षण केन्द्र असम में कार्य कर रहे हैं और ये भ्रमणशील प्रवृत्ति के हैं। इनके अतिरिक्त अन्य संगठन द्वारा चलाया जा रहा एक केन्द्र कोरापारा (जिला कामरूप) में तथा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत बानिया मारी और दोतमा में दो केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ये केन्द्र 1994-95 में कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

नारियल के तेल का निर्यात

5460. **श्री जी. माडे गोडा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल तेल के व्यापारियों ने सरकार से बिना प्रतिबंधों और लाइसेंस के तेल का निर्यात करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या साबुन निर्माता उद्योगों को प्रोत्साहन देने के आधार पर नारियल के तेलों सहित खाद्य तेलों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) व्यापार की मांग और अन्य आवश्यक कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों (मूंगफली के तेल को छोड़कर) के निर्यात को बिना किसी निर्यात लाइसेंस के अनुमति दी है।

(ग) और (घ) नारियल के तेल सहित खाद्य तेलों के आयात, जिसमें खाद्य पामोलिन तेल शामिल नहीं है, को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और हिन्दुस्तान वैजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लि. के माध्यम से सरणीकृत किया गया है। खाद्य वनस्पति पामोलिन तेल का आयात की बिना किसी लाइसेंस के अनुमति 20 अप्रैल, 1994 से दी गई है।

गुजरात में कपास ओटाई और प्रैसिंग एकक

5461. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसकी कुल कितनी खपत हुई;

(ख) राज्य में कपास ओटाई और प्रैसिंग एककों की संख्या कितनी हैं;

(ग) उनमें से कितने एकक रुग्ण हैं; और

(घ) सरकार ने इन्हें फिर चालू करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कपास का कुल उत्पादन और खपत निम्न अनुसार है :-

(लाख गांठ में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1991-92	15.15	9.81
1992-93	22.62	9.85
1993-94	18.50	8.60 (अप्रैल-जनवरी)

(ख) और (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार गुजरात राज्य में गिनिंग और प्रैसिंग एककों की कुल संख्या क्रमशः 913 और 162 है। इनमें से 222 गिनिंग एकक तथा 27 प्रैसिंग एकक रुग्ण एकक बतलाए गए हैं।

(घ) भारत सरकार ने गिनिंग और प्रैसिंग उद्योग में सुधार लाने के लिए एक कार्य योजना बनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ शिक्षा, कामगारों का प्रशिक्षण तथा महीनों के रख-रखाव संबंधी नियम पुस्तिका बनाना शामिल है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का विकेन्द्रीकरण

5462. **प्रो॰ सावित्री लक्ष्मण :**
श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और उसके अधिकारियों को सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में तैनात कर दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो ये अधिकारी इन विभागों/मंत्रालयों में क्या कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन अधिकारियों को कोई विशेष कार्य सम्पन्न करने हेतु तैनात किया गया है अथवा वे विभाग का कोई और कार्य कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इन अधिकारियों को उसी प्रकार का कार्य सौंपा जायेगा जो वे पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में कर रहे थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इन अधिकारियों को इन विभागों में तैनात करने का औचित्य क्या है और इन अधिकारियों को अपने मूल कार्यालय में कब तक वापस भेजा जायेगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (छ) वर्ष 1991 के अंतिम महीनों में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में, तदर्थ मांग-पत्रों के मद्दे अधिप्राप्ति संबंधी कार्य, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से विभिन्न मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों को अन्तरित कर दिया गया है। साथ ही, इस कार्य की देखभाल कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कार्य के साथ इन्हीं मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। रक्षा तथा रेल मंत्रालयों के लिए दर संविदा पर पी.ओ.एल. उत्पादों की अधिप्राप्ति का कार्य भी, कार्य की देखरेख कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही इन मंत्रालयों को अन्तरित कर दिया गया है।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है; खरीद कार्यों के साथ पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लगभग 500 अधिकारियों और कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित प्रमुख मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों का स्थानान्तरित किया गया है :

(क) रेल मंत्रालय

(ख) रक्षा मंत्रालय

(ग) सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय

(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ङ) शहरी विकास मंत्रालय

(च) गृह मंत्रालय

(छ) वित्त मंत्रालय

(ज) मंत्रिमंडल सचिवालय

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके पद सहित इन मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित किया गाया है।

उन मंत्रालय/विभागों से जिनमें कुछ खरीद कार्यों के साथ पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है, यह आशा है कि वे अपने अधिप्राप्ति कार्यों में स्थानांतरित किए गये इन कर्मचारियों की सेवाओं का सदुपयोग करेंगे। मंत्रालयों ने अपने अधिकांश कार्यालयों में स्थानांतरित किये गये इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्टोर्स की अधिप्राप्ति का कार्य सौंपा है। फिर भी कुछेक कार्यालयों ने स्थानांतरित किए गये अधिकारियों/कर्मचारियों को अभी तक अधिप्राप्ति संबंधी कार्य सौंपना समयोचित एवं व्यावहारिक नहीं समझा है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि किसी सरकारी कर्मचारी के लिए यह कोई सेवा शर्त नहीं है कि उसे अपने पूरे सेवा काल में एक विशेष प्रकार का कार्य ही सौंपा जायेगा। प्रत्येक संगठन में प्रचलित शर्तों तथा कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की जा सकती है।

पुरानी मशीनों का आयात

5463. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में क्षेत्र-वार किस-किस प्रकार की मशीनों का आयात किया गया और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या इन मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्पर्धा में टिक नहीं पाती हैं;

(ग) क्या विदेशी क्रेताओं के साथ हुए समझौते के अनुसार अन्य देशों से स्पर्धा करने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं का निर्माण आधुनिकतम मशीनों की सहायता से किया जाए ;

(घ) यदि हां, तो पुरानी मशीनों के आयात को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी मशीनों का आयात करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए प्रोत्साहनों और रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात के आंकड़ें अलग से नहीं रखे जाते हैं फिर भी पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की प्रवृत्ति के कारण आधुनिक तकनीकी की विभिन्न पुरानी पूंजीगत वस्तुएं बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर उपलब्ध हैं। पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का आयात हमारी टेक्नालोजी के उन्नयन और हमारे उत्पादन आधार को बढ़ाने के लिए लाभदायक हो सकता है ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें और यह जरूरी नहीं है कि वस्तुओं का विनिर्माण केवल अधुनिकतम मशीनों पर ही किया जाए।

(ङ) इन मशीनों का आयात करने के लिए सरकार ने अभी हाल में कोई शेष प्रोत्साहन या रियायत नहीं दी है। फिर भी, ई पी सी योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति नई मशीन जब यह बनाई गयी थी के सी आई एफ मूल्य के चार गुना निर्यात दायित्व के साथ दी जाती है।

विवरण

(क) सामान्य सीमाशुल्क के भुगतान पर आयात के लिए अनुमत पुरानी पूंजीगत वस्तुएं

वर्ष	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	सी आई एफ मूल्य (करोड़ में)
1991-92	127	115.93 रु.
1992-93	130	540.51 रु.
1993-94	137	526.44 रु.

(ख) रियायती सीमाशुल्क पर ई पी सी जी योजना (यह योजना 1-4-1992 से शुरू की गई) के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमत पुरानी पूंजीगत वस्तुएं

वर्ष	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	सी आई एफ मूल्य (करोड़ में)
1992-93	114	106.82 रु.
1993-94	156	170.80 रु.

राज्यों को प्रति व्यक्ति अनुदान

5464. **श्री रतिलाल वर्मा :**
श्री चन्द्रेश पटेल : .

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि के केन्द्रीय ऋण तथा अनुदान दिये गये;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य-वार केन्द्रीय अनुदान की प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि दी गयी और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य को ऋणों और अनुदानों की कितनी धनराशि देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ग) विवरण-I संलग्न है (अनुबध-I)।

(ख) विवरण-II संलग्न है (अनुबंध-II)।

विवरण-I

राज्यों का प्रति व्यक्ति अनुदान

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी किया गया ऋण एवं अनुदान :

(करोड़ रुपयों में)
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने
के लक्षण एवं अनुदानों का आबंटन

	राज्य	1991–92		1992–93		1993–94		1994–95	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	872.39	365.11	977.10	472.10	1472.50	585.03	1261.93	568.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.99	265.23	28.54	306.11	29.01	309.14	33.94	343.37
3.	असम	134.08	903.89	173.22	902.96	194.86	1063.58	224.56	1079.94
4.	बिहार	798.58	489.47	680.31	563.14	803.43	629.22	1072.72	764.06
5.	गोआ	48.88	47.63	50.73	50.61	35.63	46.02	52.41	52.46
6.	गुजरात	1072.52	263.28	769.19	233.65	764.06	212.11	896.38	228.74
7.	हरियाणा	250.31	55.36	237.33	66.42	297.12	86.61	430.60	118.37

8. हिमाचल प्रदेश	67.43	376.78	109.10	409.14	139.18	687.96	145.73	434.14
9. जम्मू व कश्मीर	141.71	868.68	121.78	952.20	160.21	1150.89	135.23	1019.42
10. कर्नाटक	500.63	151.15	639.51	208.12	666.75	222.16	1059.02	289.06
11. केरल	365.11	221.94	389.36	244.40	507.29	265.64	661.09	327.64
12. मध्य प्रदेश	574.35	385.24	505.21	426.76	580.32	478.10	727.09	580.58
13. महाराष्ट्र	1492.18	248.95	1176.89	292.41	1476.27	525.64	1249.42	345.50
14. मणिपुर	21.15	245.37	21.38	251.15	29.09	303.27	25.95	276.29
15. मेघालय	23.81	197.84	21.88	207.17	31.75	249.47	38.97	277.86
16. मिजोरम	18.16	224.73	19.97	226.34	23.44	267.45	24.20	266.17
17. नागालैंड	32.39	242.42	18.88	262.71	27.31	332.33	23.23	277.12
18. उड़ीसा	366.13	334.27	424.99	378.36	433.74	418.81	602.89	529.53
19. पंजाब	952.40	95.17	902.84	120.00	335.81	135.62	1136.10	148.49
20. राजस्थान	518.74	459.63	573.24	562.30	656.07	663.76	792.64	797.30
21. सिक्किम	9.79	98.34	11.07	116.70	10.99	112.14	13.91	140.51
22. तमिलनाडु	825.06	286.47	945.50	311.58	1059.54	383.96	1373.59	488.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा	34.46	279.49	35.20	291.72	37.03	295.53	50.86	345.96
24.	उत्तर प्रदेश	2093.51	1351.74	1950.82	1508.36	1789.95	1403.76	2808.37	1862.51
25.	पश्चिम बंगाल	838.42	348.13	806.99	407.44	1153.10	466.97	1346.24	618.57
	कुल जोड़	12076.23	8788.31	11611.03	9776.93	13714.45	11295.17	16187.18	12180.62*

*इसमें 32 करोड़ रु. की उन्नयन अनुदान राशि का बकाया शामिल नहीं है जिसके लिए राज्यवार ब्रेक अप नहीं किया गया है।

विवरण-II

राज्यों को प्रति व्यक्ति अनुदान

(राशि रुपये में)

राज्य		वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी किया गया प्रति व्यक्ति अनुदान		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	55	71	88
2.	अरूणाचल प्रदेश	3091	3568	3603
3.	असम	405	405	477
4.	बिहार	57	65	73
5.	गोवा	407	433	394
6.	गुजरात	64	57	52
7.	हरियाणा	34	41	53
8.	हिमाचल प्रदेश	737	801	1346
9.	जम्मू व कश्मीर	1125	1234	1491
10.	कर्नाटक	34	46	50
11.	केरल	76	84	91
12.	मध्य प्रदेश	58	65	72
13.	महाराष्ट्र	32	37	67
14.	मणिपुर	1343	1375	1660
15.	मेघालय	1123	1176	1417
16.	मिजोरम	3276	3299	3899
17.	नागालैंड	1994	2160	2733

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	106	120	133
19.	पंजाब	47	62	67
20.	राजस्थान	105	128	151
21.	सिक्किम	2428	2881	2769
22.	तमिलनाडु	48	56	69
23.	त्रिपुरा	1018	1063	1077
24.	उत्तर प्रदेश	97	108	101
25.	पश्चिम बंगाल	51	60	69

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

5465. **श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के शेयरों के विनिवेश, विशेष रूप से बाजार भाव के मूल्य का निर्धारण करने की पद्धति और ढंग को बलदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।.

[हिन्दी]

निजी विमान कंपनियों पर बकाया राशि

5466. **श्री दत्ता मेघे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी विमान कंपनियों द्वारा सरकार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को देय प्रभारों/करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक विमानन कंपनी द्वारा 1990 से वर्ष-वार उपरोक्त प्रभारों/करों की अलग अलग कितनी कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक विमान कंपनी पर उपरोक्त प्रत्येक प्रभार/कर की पृथक-पृथक कितनी राशि बकाया है; और

(घ) इन बकाया राशियों की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जूट का आयात

5467. **श्री राम निहारे राय :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में पटसन का आयात किया गया;

(ख) इसका आयात किये ज़ाने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क़दम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कच्चे पटसन की मात्रा नीचे दी गई है :

अवधि (अप्रैल-मार्च)	आयातित कच्चे पटसन की मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु.)
1990-91	5436	392.93
1991-92	12347	687.91
1992-93	12648	1071.22

(ख) मुख्यत: श्रेष्ठ ग्रेड की कच्ची पटसन जिसकी घरेलू बाजार में आपूर्ति कम है, अधिकाशत निर्यात उद्देश्यों के लिए पटसन के सामान के मूल्य वर्धित तथा विविधीकृत मदों का उत्पादन करने के लिए, का आयात करना पड़ा था। पट्सन के सामान की ऐसी मदों से परिणामी निर्यात आय ऐसे पटसन के आयात से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा की तुलना में कई गुना अधिक है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में कृषि मंत्रालय के माध्यम से विशेष पटसन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना शामिल है ताकि चुनिन्दा जिलों के किसान को प्रमाणित बीज आवश्यक पोषक तत्व नाशीकीट, कृषि के उन्नत उपस्कर तथा रैटिंक टैंक जैसी आवश्यक अन्तर्निविष्टियां प्रदान की जा सकें जोकि किसानों के लिए कृषि की उन्नत प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करने तथा उसका प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त है।

चावल का निर्यात

5468. **डा. असमी बाला :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल के निर्यात में विश्व में भारत का स्थान कौन-सा है;

(ख) क्या सरकार ने चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय निर्यात किए जा रहे चावल की किस्मों का ब्यौरा क्या है और इसका आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत का विश्व में चालव का सबसे अधिक निर्यात करने वाले देशों में 6वां स्थान है और विश्व-व्यापार में इसका हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत है। (स्रोत : फूड आउटलुक-फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन आफ दि यूनाइटेड नेशन्स का प्रकाशन, दिसम्बर, 1993)

(ख) और (ग) भारतीय चावल की निर्यात प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए किए गये उपायों में शामिल हैं : (1) चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और कुछ राज्य सरकरों द्वारा निर्यात के उद्देश्य से अच्छे गैर-बासमती चावल पर लगी लेवी को हटाना; (2) न्यूनतम निर्यात कीमतों को युक्ति संगत बनाना; (3) निर्यातकों को निर्यात संवर्धन पूजीगत माल योजना के तहत रियायती शुल्क पर मिल संबंधी उपकरण आयात करने की अनुमति देना; (4) चावल के निर्यातक भी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।

(घ) वासमती चावल और अच्छे गैर-वासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है। भारतीय चावल के प्रमुख बाजार हैं : कुवैत, सऊदी अरब, श्री लंका, यू.ए.ई., ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल नेपाल आदि।

प्लास्टिक टुकड़ों का आयात

5469. **डा. सुधीर राय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक टुकड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय उपभोक्ता हाल के वर्षों में अन्य देशों में हुई प्लास्टिक क्रांति से वंचित रह जाएंगे और देश में कुछ कंपनियों के एकाधिकार के कारण उसे अधिक कीमतें चुकानी पड़ेंगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी : (क) से (घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात के साथ जुड़े हुए बेहद पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के लिए नुकसान के मुद्दों को देखे हुए सभी तरह के प्लास्टिक अपशिष्ट (पी ई टी बोतल अपशिष्ट छोड़कर) के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और एक विशिष्ट लाइसेंस पर आयात को छोड़कर अन्य किसी आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन

भारतीय उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्चे माल के रूप में (प्राइम क्वालिटी) के प्लास्टिक का आयात करने की अनुमति जारी रहेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के लिए विदेशी सहायता

5470. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं से सहायता का अनुरोध करने के अनेक प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) विदेशी वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश से परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है। ये परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों पर हैं। वे परियोजनाएं जिन्हें अन्तिम रूप से वित्तपोषित किया जाता है ब्यौरे वार परियोजना की तैयारी, दाता की वरीयता, कमिटमेंट की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती हैं।

	परियोजना का नाम	दाता एजेन्सी (बहुपक्षीय)
1.	मध्य प्रदेश एडीपी	विश्व बैंक
2.	मध्य प्रदेश वानिकी	विश्व बैंक
3.	मध्य प्रदेश शहरी विकास	विश्व बैंक
4.	अन्धता नियंत्रण (बहुराज्यीय)	विश्व बैंक
5.	मध्य प्रदेश रेशम कीट पालन	आई एफ ए डी
6.	बिलासपुर जिले में एकीकृत जनजातीय विकास	आई एफ ए डी

[अनुवाद]

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा शीशे और जस्ते की बिक्री

5471. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने शीशे और जस्ते की बिक्री का कार्य सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम से अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हल्के वायुयान का निर्माण

5472. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निजी कंपनी ने एक ऐसे हल्के वायुयान का निर्माण किया है जो जमीन और पानी दोनों से उड़ान भर सकता है और उन पर उतर सकता है;

(ख) यदि हां, तो वायुयान के वजन उसकी भार वहन क्षमता और गति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस वायुयान के विकास के लिए उस कंपनी को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ताइवान के बैंक की स्थापना

5473. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ताइवान की बैंक की एक शाखा की स्थापना को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बैंक किस स्थान पर खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को अभी तक किसी ताइवानी बैंक से कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आस्ट्रिया के साथ व्यापार

5474. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आठवीं योजना के दौरान आस्ट्रिया के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार का प्रयास है कि आस्ट्रिया सहित सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाए जाएं एवं उनका विविधीकरण किया जाए। इण्डो-आस्ट्रियन मिक्सड कमीशन की पिछली बैठक में परम्परागत मदों में व्यापार की अधिक गुंजाइश का पता लगाने के अलावा भेषजों और कम्प्यूटर साफ्टवेअर जैसे क्षेत्रों में भी संभावना का पता लगाया। इस संबंध में किए गए विशिष्ट प्रयासों में शामिल हैं टैक्सटाइल्स में एक नए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर वार्ता, मंत्री स्तरीय और वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों के दौरे और भारतीय व्यापार मेलों में आस्ट्रिया की भागीदारी इण्डो-आंस्ट्रियन मिक्सड कमीशन को शीघ्र ही होने वाली अगली बैठक में भी भारत में हुए आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार होगा।

हीरे का निर्यात

5475. **श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान हीरों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई,

(ख) क्या हीरों के निर्यात में वृद्धि करने की अत्यधिक संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) आठवीं योजना की शेष अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993 के दौरान तराशे तथा पालिश किए हुए हीरों का निर्यात और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा लगभग 10904.37 करोड़ रुपये थी।

(ख) तथा (ग) चूंकि भारत मात्रा (कैरेट) के रूप में अपरिष्कृत हीरों का लगभग 70 प्रतिशत प्रोसेस करता है और तराशे तथा पालिश किए हुए हीरों में विश्व बाजार में इसका 40 प्रतिशत हिस्सा है इसलिए हीरों के निर्यात में वृद्धि की अधिक गुंजाइश नहीं है। किन्तु, सरकार हीरा अग्रदाय तथा डीटीसी लाइसेंसों और प्रतिपूर्ति लाइसेंसो के जरिये हीरा निर्यातकों के लिए कच्चे माल की पहुंच बनाए रखे हुए है। हीरा जड़ित आभूषणों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाता है।

(घ) विश्व बाजार में प्रचलित हालात को ध्यान में रखते हुए निर्यात लक्ष्य प्रति वर्ष निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1994-95 के लिए 12600 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

मैसूर के बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल

5476. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के मैसूर जिले में कितने बीड़ी श्रमिक हैं;

(ख) क्या सरकार ने मैसूर में बीड़ी श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाया है;

(ग) यदि हां, तो इस अस्पताल में कौन-कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के दूसरे स्थानों पर इसी प्रकार के अस्पताल बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्हें अन्य क्या विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) यह अनुमान है कि कर्नाटक के मैसूर जिले में 49,135 बीड़ी कर्मकार हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अस्पताल में बीड़ी कर्मकारों के लिए आउट डोर तथा इनडोर उपचार की व्यवस्था है। इस अस्पताल में एक्स-रे तथा जांच संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस अस्पताल से संबद्ध एक सचल इकाई बीड़ी कर्मकारों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसूर तथा उसके आस-पास के 6 सैटेलाइट केन्द्रों में कार्य कर रही है। यह अस्पताल मैसूर तथा उसके आस-पास के अन्य तालुकों के कर्मकारों को भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है।

(घ) से (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्यात संवर्धन बोर्ड

5477. **श्री अकुंशराय टोपे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात संबर्धन बोर्डों के प्रबन्धन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुमति प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व पहले से ही विभिन्न निर्यात संवर्धन बोर्डों अर्थात मसाला बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड चाय बोर्ड, काफी बोर्ड रबड़ बोर्ड, कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण में दिया जाता है।

कॉफी संग्रहण केन्द्र

5478. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने कई कॉफी संग्रहण केन्द्रों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

केरल	9
अन्य राज्य	शून्य

(ग) आन्तरिक बिक्री कोटा की शुरूआत के दौरान कुछ अन्य गैर परम्परागत क्षेत्रों सहित केरल के ट्रावनकोर क्षेत्र को आवश्यक एकत्रीकरण से छूट दी गई। इससे इन जगहों में इकट्ठा करने वाले केन्द्र कम एकत्रीकरण के कारण अव्यवहार्य हो गए। फिर भी, बोर्ड के साथ इकट्ठा करने के इच्छुक उपजकर्ता सबसे नजदीक के क्यूरींग वर्क्स के साथ ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम द्वारा आवास योजनाएं

5479. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में 1993-94 के लिए आवास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम से ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि देश के किसी भी भाग में उनके द्वारा कोई आवास योजना नहीं चलाई गई है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे पालिसीधारक आवासन योजना के अंतर्गत अपने पालिसीधारकों के लिए निवास इकाइयों का निर्माण करते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत निर्मित निवास इकाइयों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

स्थान का नाम	निवास इकाइयों की संख्या
1	2
बंबई	1538
हैदराबाद	106
कानपुर	150

1	2
अहमदाबाद	324
बंगलौर	1592
मद्रास	800
जोड़ :	4510

इसके अतिरिक्त, बंगलौर, और भोपाल में क्रमशः 429 ओर 161 निवास इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

(ख) योजना आयोग प्रत्येक वर्ष जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम को निधियां आबंटित करता है, ये निधियां विभिन्न राज्यों को उनके आवासन क्षेत्र में समाजोन्मुख ग्रामीण तथा शहरी योजनाओं को समर्थन देने हेतु आयोजन शीर्ष के अंतर्गत वातचीत द्वारा निर्धारित ऋणों के रूप में प्रदान की जाती हैं।

(ग) वर्ष 1993-94 के लिए आवासन क्षेत्र हेतु जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम/सहायक कंपनियों का राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जीवन बीमा निगम का आबंटन			साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनिया
		साधारण	ग्रामीण	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2.56	5.69	28.25	29.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.26	0.42	1.68	0.10
3.	असम	1.70	0.57	2.27	0.75
4.	बिहार	3.00	1.00	4.00	0.78
5.	गोआ	0.50	0.16	0.66	2.66
6.	गुजरात	8.53	2.30	10.83	2.93
7.	हरियाणा	10.91	3.63	14.54	5.13

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	0.85	0.29	1.14	1.40
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.45	0.81	3.26	0.81
10.	कर्नाटक	16.53	4.96	21.49	24.30
11.	केरल	16.50	5.50	22.00	8.28
12.	मध्य प्रदेश	5.21	1.73	6.94	2.19
13.	महाराष्ट्र	7.85	-	7.85	2.28
14.	मणिपुर	0.61	0.20	0.81	0.25
15.	मेघालय	2.14	0.72	2.86	0.87
16.	मिजोरम	0.34	0.11	0.45	0.05
17.	नागालैंड	1.28	0.43	1.71	0.11
18.	उड़ीसा	6.49	2.17	8.66	7.63
19.	पंजाब	1.94	0.65	2.59	0.38
20.	राजस्थान	3.83	1.28	5.11	1.70
21.	सिक्किम	0.30	0.10	0.40	0.14
22.	तमिलनाडु	13.81	4.60	18.41	5.32
23.	त्रिपुरा	2.79	0.93	3.72	1.14
24.	उत्तर प्रदेश	13.91	4.63	18.54	3.76
25.	पश्चिम बंगाल	12.99	4.33	17.32	5.27

[अनुवाद]

जल क्रीड़ा स्टेडियम हेतु सहायता

5480. **प्रो के.वी. थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन में जल क्रीड़ा स्टेडियम के निर्माण और इंदिरा गांधी इन्टरनेशनल वोट रेस के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर कोचीन में इंदिरा गांधी नौका दौड़ के लिए वित्तीय सहायता हेतु, केन्द्रीय पर्यटन विभाग स्कीम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय सहयता देने के लिए सहमत हो गया है।

कोचीन में जल-क्रीड़ा स्टेडियम की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्राथमिकता प्राप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चांदी का आयात

5481. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में इसकी मांग में संतुलित रूप से वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चांदी की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु इसका आयात करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो चांदी का कितना आयात किए जाने की आशा है और यह आयात किन-किन देशों से किया जाएगा तथा इसकी वित्तीय जटिलताएं क्या होंगी; और

(ङ) यह डीलरों को किस मूल्य पर तथा किन एजेंसियों के माध्यम से बेची जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में भारत में चांदी की मांग, आभूषण, सिक्कों आदि के लिए पारम्परिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त बढ़ती हुई औद्योगिक जरूरतों के कारण बढ़ी है। भारत ने फरवरी, 1993 और फरवरी, 1994 के दौरान 3200 टन चांदी का आयात किया। भारी अंतः प्रवाह के कारण, 1993 की अधिकतर अवधि के दौरान चांदी की घरेलू कीमतों में गिरावट बनी रही। तथापि, नवम्बर, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान उच्च घरेलू कीमतें घरेलू बाजार में बढ़ती हुई मांग तथा इसकी आपूर्ति में कमी आने की द्योतक हैं क्योंकि अक्तूबर, 1993 से विदेशों में चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कारण चांदी का आयात करने संबंधी लाभ में कमी आई है।

(ग) से (ङ) चालू एक्जिम नीति (1992-97) के तहत, चांदी को निषेधात्मक सूची में होने के कारण, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत आयात करने की अनुमति दी गई है :-

(i) पुनः पूर्ति प्रयोजन के लिए जवाहरात और आभूषण योजनाएं।

(ii) विशिष्ट निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने से संबंधित शुल्क मुक्त योजनाएं।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त निर्यात व्यापारिक स्टार ट्रेडिंग घरानों और विनिर्माताओं को भंडार एवं बिक्री के लिए दिए गए विशेष आयात लाइसेंस। ऐसे लाइसेंस स्वीकृत निर्यात हेतु भी जारी किए जाते हैं।

(iv) अनिवासी भारतीय आयात योजना।

इस ढांचे के भीतर आयात की मात्रा कीमत और वह देश जिससे आयात किया जाए जैसे वाणिज्यिक निर्णय आयतकों द्वारा लिए जाते हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

5482. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कर्नाटक से गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) मंजूर किए गए तथा अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपरोक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में उद्योगों को सीधे ही कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में औद्योगिक इकाइयों के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्राप्त, मंजूर और खारिज किए गए आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :

	1991-92	1992-93	1993-94 (अप्रैल-फरवरी)
वर्ष के प्रारंभ में लंबित	38	21	10
वर्ष के दौरान प्राप्त	60	65	75
मंजूर की गई	60	63	59
खारिज/वापस/रद्द की गई	17	13	8
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लम्बित	21	10	18

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कर्नाटक में उद्योगों को मंजूर और संवितरित प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वित्तीय सहायता	
	मंजूर की गई	संवितरित की गई
1991-92	182.3	95.4
1992-93	367.0	199.2
1993-94** (फरवरी, 1994 तक)	274.6	214.6

**आंकड़े अनन्तिम

पारेषण कर

5483. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से पारेषण कर लागू करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अनेक राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को परेषण कर लगाने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है। तथापि, परेषण कर की दर, आय का बंटवारा करने और जूटों से संबंधित मुद्दों के बारे में विचारों में पर्याप्त भिन्नता है। डा. राजा चेल्लैय्या की अध्यक्षता में कर सुधार समिति ने सरकार की प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में और मूल्य वर्धित कर के बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में परेषण कर के बारे में कतिपय टिप्पणियां की हैं। इस मामले पर अन्तिम रूप से विचार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है।

आयात और निर्यात के संबंध में उपलब्धियां

5484. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान अनुमानतः कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया और कार्यों, अमेरिकी डालरों तथा एस डी आर. में तत्संगत व्यापार संतुलन कितना है;

(ख) 1992-93 के लिए तत्संगत आंकड़े क्या हैं;

(ग) समग्र वृद्धि की तुलना में कौन-कौन-सी निर्यात मदों में कम वृद्धि हुई;

(घ) आयात करने वाले देशों में किस-किस देश द्वारा 1992-93 की तुलना में कम आयात किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने पिछड़ते हुए मदों और बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अप्रैल-फरवरी, 1993-94 की अवधि के लिए आयात, निर्यात की कीमत एंव व्यापार संतुलन के आंकड़े जो कि वर्ष 1993-94 में उपलब्ध है तथा पिछले साल इसी अवधि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	अप्रैल-फरवरी	
करोड़ रुप में	1992-93	1993-94
आयात	57302	63700
निर्यात	47234	62191
व्यापार संतुलन	-10066	-1599
मिलियन अमरीकी डालर में		
आयात	19945	20335
निर्यात	16441	19825
व्यापार संतुलन	-3504	-510
मिलियन एस डी आर में		
आयात	15673	14536
निर्यात	12919	14172
व्यापार संतुलन	-2754	-364

(ग) अप्रैल-जनवरी, 1993-94 की जिस अद्यतन अवधि के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध हैं इस अवधि के दौरान जिन प्रमुख वस्तुओं/वस्तु समूहों के मामले में डालर के रूप में कुल 21.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में निर्यात में कम वृद्धि हुई वे हैं; पौध, अयस्क एवं खनिज, चमड़ा, एवं चमड़े से बनी वस्तुएं, खेल-कूद का सामान, परियोजना सामान, वस्त्र, हथकरघा, कालीन एवं पेट्रोलियम उत्पाद।

(घ) जिन प्रमुख देशों के अप्रैल-जनवरी, 1993-94 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात का स्तर कम रहा वे है : आयरलैंड, इटली, स्पेन, फिनलैंड, स्वीडन, टयूनिसिया इत्यादि।

(ङ) तथा (च) निर्यात संवर्धन एक सतत् एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और निर्यात

को बढ़ाए जाने के लिए नई स्थिति के संदर्भ में व्यापार, उद्योग एवं निर्यात संवर्धन संगठनों परामर्श से उपाय किये जाते हैं। व्यापार में निर्यात मदों एवं निर्यात बाजार दोनों के अनुसार ही विविधता लाने के प्रयास किए जाते हैं। जिसमें पिछड़ी हुई मदें एवं बाजार शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब

5485. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब कार्य कर रहे हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं, उनकी स्थापना कब-कब हुई थी और उनके पास कितने-कितने विमान है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इनमें से प्रत्येक क्लब को कितनी-कितनी राजसहायता/सहायता दी गई; और

(ग) कार्यकरण की गुणवत्ता के संबंध में इनमें से प्रत्येक क्लब को नागर विमानन महानिदेशालय ने क्या योग्यता क्रम दे रखा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब (एम.पी.एफ.सी.) तथा उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दो फ्लाइंग क्लब हैं तथा ये दोनों इन्दौर में स्थित हैं। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब की स्थापना 9.10.1951 को तथा उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1.10.1990 को की गई थी। पहले क्लब के पास अपने स्वामित्व के पांच प्रशिक्षण विमान तथा बाद वाले संस्थान के पास छः विमान हैं। मध्य प्रदेश में कोई ग्लाइडिंग क्लब नहीं है।

(ख) मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब कों पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	राशि
1991-92	14,74,446 रुपये
1992-93	8,16,153 रुपये
1993-94	10,80,248 रुपये

उड़ान रिसर्च एंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट को इस अवधि के दौरान आर्थिक सहायता योजना के अधीन नहीं लाया जा सका क्योंकि इसने इस प्रयोजन के लिए नागर विमानन महानिदेशक से कोई करार नहीं किया।

(ग) दोनों क्लब, प्रशिक्षु विमान चालकों को उड़ान लाइसेंस जारी करने हेतु उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अंशदान का अग्रिम भुगतान

5486. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के कर्मचारी-राज्य-बीमा में जमा धन का अग्रिम भुगतान करने की नई पद्धति आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई पद्धति से श्रमिकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1.4.1994 से नियोजकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की पूर्व अदायगी करने से संबंधित एक वैकल्पिक योजना शुरू की है। इस योजना को अपनाने वाले नियोजकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा की गई पूर्व अदायगी की राशि सम्बन्धित वेतन अवधि के अन्त में अदा किए जाने वाले वास्तविक अंशदान की राशि से हमेशा अधिक हो।

(ग) योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को धन के रूप में कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं· मिलेगा।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिकों की भविष्य निधि

5487. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों की भविष्य निधि में धनराशि जमा कराए जाने के झूठे मामलों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गयी है;

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना

5488. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी है जिनके लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान ऋण स्वीकृत किये गये थे; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ बैंकों ने उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का वितरण किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन का विकास

5489. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान संबंधित राज्यों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक प्रत्येक स्वीकृत परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि मंजूर की गई है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के संबंध में 7 पूर्वोत्तर राज्यों में 1992-93 और 1993-94 में क्रमशः 33 और 30 पूर्ण प्रस्ताव मिले हैं। ये सभी प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किए जा चुके हैं। 1992-93 और 1993-94 में मंजूर की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा निम्नांकित है :

	राज्य का नाम	मंजूर की गई राशि (रुपये लाखों में)	
		1992-93	1993-94
1.	अरुणाचल प्रदेश	48.27	45.40
2.	असम	78.66	78.11
3.	मणिपुर	66.24	45.50
4.	मेघालय	9.77	1.85
5.	मिजोरम	47.70	88.18
6.	नागालैंड	7.17	16.66
7.	त्रिपुरा	80.28	29.41

1994-95 के दौरान वित्तीय सहायता देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गैर-विकास सम्बन्धी व्यय

5490. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में तथा केन्द्र में गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विक्षोभकारी प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया है; और

(घ) यदि हां, तो गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों का समग्र गैर विकास खर्च तथा पहले वर्ष से अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि नीचे दिए गए अनुसार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
1991-92 (वास्तविक)	27142.8	20.1
1992-93 (संशोधित अनुमान)	32027.2	18.0
1993-94 (बजट अनुमान)	38293.1	19.6

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के गैर-विकास व्यय के आंकड़े तथा पहले वर्ष से अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
1991-92 (वास्तविक)	54668	11.3
1992-93 (वास्तविक)	60252	10.2
1993-94 (संशोधित अनुमान)	71045	17.9

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि राज्यों और केन्द्र के गैर-विकास खर्च में 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। तथापि, इस वृद्धि को वार्षिक मूल्य-वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गैर-विकास खर्च का राज्य-वार का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अक्तूबर, 1993 के अंक में प्रकाशित "राज्य सरकारों के वित्त 1993-94 मुख्य-मुख्य बातें" संबंधी लेख में यह उल्लेख किया गया था, "कुल मिलाकर, विकासात्मक व्यय (राजस्व और पूंजीगत दोनों) के अंश में पिछले छह वर्षों में 68.2 प्रतिशत की

औसत से 1993-94 के दौरान 64.00 प्रतिशत की गिरावट आएगी जबकि गैर-विकासात्मक व्यय क्रमशः 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 29.3 प्रतिशत हो जाएगा। उपर्युक्त रुख से पता चलता है कि अगर राज्यों की विकासात्मक भूमिका को बनाए रखना है तो उनके स्तर पर राजकोषीय सुधार की शीघ्र आवश्यकता है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित लेख से केवल राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति का पता चलता है। जहां तक राज्य सरकारों के गैर-विकासात्मक व्यय का संबंध है, मुख्य रूप से यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे प्रभावी आर्थिक उपायों के जरिए अपने गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करें। तथापि, केन्द्र राज्यों को समय-समय पर और विशेषकर योजना संबंधी चर्चाओं के समय यह सलाह देता रहा है कि वे अपने गैर-विकासात्मक और योजना-भिन्न व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखें।

विवरण

राज्य-वार गैर विकास खर्च

(करोड़ रुपयों में)

	राज्य	1991-92 (लेखे)	1992-93 (संशोधित अनुमान)	1993-94 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,861.1 (20.8)	2,158.5 (16.0)	2,502.0 (15.9)
2.	अरुणाचल प्रदेश	88.8 (6.3)	96.4 (8.6)	197.2 (104.6)
3.	असम	542.1* (-9.8)	725.1 (33.8)	1,031.4 (42.2)
4.	बिहार	2,094.0 (18.2)	2,426.5 (15.9)	2,644.1 (9.0)
5.	गोवा	102.3 (46.1)	114.7 (12.1)	142.3 (24.1)
6.	गुजरात	1,474.8 (21.7)	1,790.8 (21.4)	2,109.4 (17.8)
7.	हरियाणा	784.5 (21.9)	783.7 (-0.1)	990.7 (26.4)
8.	हिमाचल प्रदेश	360.1 (22.3)	417.5 (19.3)	477.2 (14.3)
9.	जम्मू व कश्मीर	647.2 (34.2)	736.7 (13.8)	817.0 (10.9)
10.	कर्नाटक	1,457.4 (22.3)	1,748.9 (20.0)	1,929.3 (10.3)
11.	केरल	1,229.1 (23.0)	1,372.0 (11.6)	1,600.9 (16.7)
12.	मध्य प्रदेश	1,530.1 (16.6)	1,831.4 (19.7)	2,090.8 (14.2)

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	3,205.4 (20.2)	4,057.0 (26.6)	5,045.2 (24.4)
14.	मणिपुर	133.1 (28.6)	127.9 (-3.9)	140.0 (9.5)
15.	मेघालय	112.0 (18.1)	136.1 (21.5)	155.2 (14.0)
16.	मिजोरम	81.6 (-9.1)	104.5 (28.1)	113.4 (8.5)
17.	नागालैंड	182.7 (15.6)	203.8 (11.5)	196.5 (-3.6)
18.	उड़ीसा	919.5 (30.0)	1,093.2 (18.9)	1,326.1 (21.3)
19.	पंजाब	997.1 (15.0)	1,242.5 (24.6)	1,850.9 (49.0)
20.	राजस्थान	1,466.9 (25.8)	1,723.1 (17.5)	1,958.7 (13.7)
21.	सिक्किम	41.5 (29.3)	50.2 (21.0)	54.7 (9.0)
22.	तमिलनाडु	1,750.9 (17.1)	2,123.1 (21.3)	2,483.0 (17.0)
23.	त्रिपुरा	159.0 (15.3)	182.3 (14.7)	191.1 (4.8)
24.	उत्तर प्रदेश	4,133.6 (24.3)	4,720.4 (14.2)	5,975.0 (26.6)
25.	पश्चिम बंगाल	1,798.0 (15.4)	2,060.9 (14.6)	2,271.0 (10.2)
	जोड़	27,142.8 (20.1)	32,027.2 (18.0)	38.293.1 (19.6)

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पहले वर्ष से हुए प्रतिशत अंतर को दर्शाते हैं।

निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा इस्पात का निर्यात

5491. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र की कितनी कम्पनियां इस्पात का निर्यात कर रही हैं;

(ख) उक्त कम्पनियां इसका किन-किन देशों को निर्यात कर रही हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कम्पनियों द्वारा किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र की लगभग 30 कम्पनियां इस्पात का निर्यात करती हैं।

(ख) जिन देशों को अत्यधिक इस्पात का निर्यात किया जा रहा है, उनके नाम हैं : आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, हांगकांग, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैन्ड्स, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यू.ए.ई और संयुक्त राज्य अमेरिका।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया इस्पात का निर्यात निम्नलिखित है :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात
1991-92	234
1992-93	382
1993-94 (जनवरी, 94 तक)	435

(स्रोत : इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद)

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा किराये पर लिया गया स्थान

5492. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश अथवा विदेश में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा किराये पर लिये गए कार्यालय और अन्य स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किराए पर लिए गए कुछ परिसरों का इस समय उपयोग नहीं किया जा रहा है परन्तु उनका किराया दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस विषय में कोई नीतिगत निर्देश अथवा प्रतिबंध है;

(ङ) क्या जगह किराये पर लेने और उसका अधिकतम उपयोग करने के संबंध में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच कोई तालमेल है अथवा था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

5493. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े राज्यों में विदेशी मान्यता प्राप्त कर रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में शुरू की गयी ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्तीय और तकनीकी और अन्य दृष्टिकोणों से अपेक्षित अधिदेशित सहमति प्राप्त होने के पश्चात् विदेशी सहायता के लिए, विभिन्न दाता देशों के पास पिछड़े राज्यों सहित राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं को ले जाया जाता है। तथापि, जिन परियोजनाओं को अंतिम रूप से सुपुर्द किया जाता है वे दाता देश की अधिमान्यताओं, परियोजना की तैयारियों, सुपुर्दगी की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती हैं।

(ख) राज्य-वार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए विचारार्थ पाइपलाइन वाली परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

(मिलियन में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान	दाता अभिकरण	राज्य
1	2	3	4	5
1991-92				
1.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरण सफाई	109.9 अमरीकी डालर	आईडीए	महाराष्ट्र
2.	द्वितीय तकनीकी शिक्षा	307.1 अमरीकी डालर	आईडीए	पंजाब, प. बंगाल असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, व अन्य

1	2	3	4	5
3.	दून घाटी अंतर्राष्ट्रीय जल विभाजक प्रबंधन	22.5 ईसीयू	ईईसी	उत्तर प्रदेश
4.	डूंगरपुर अंतर्राष्ट्रीय जल विभाजक विकास	80 एस ई के	स्वीडन	राजस्थान
5.	द्वितीय सड़क परियोजना	250.0 अमरीकी डालर	एडीबी	उ.प्र., आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
6.	अरावली की पहाड़ियों में वानिकी	8095.0 येन	ओईसीएफ	राजस्थान
7.	अजन्ता एलौरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास	3745.0 येन	ओईसीएफ	महाराष्ट्र
8.	तमिलनाडु ए.डी.पी.	87.53 अमरीकी डालर 20.00 अमरीकी डालर	आईडीए आईबीआरडी	तमिलनाडु
9.	पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	15.0 एसईके	स्वीडन	आंध्र प्रदेश
10.	केरल उद्यान विकास	28.7 ईसीयू	ईईसी	केरल
11.	झींगा मछली और मछली पालन	85.0 अमरीकी डालर	आईडीए	पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार
12.	महाराष्ट्र वानिकी	124.0 अमरीकी डालर	आईडीए	महाराष्ट्र
13.	पश्चिम बंगाल वानिकी	34.0 अमरीकी डालर	आईडीए	पश्चिम बंगाल
14.	तिरूनेलवेली जल विभाजक विकास	25.0 डीकेआर	डेनमार्क	तमिलनाडु
15.	रेशम कीट पालन परियोजना-II	41.06 रुपये	स्वीटजरलैंड	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
16.	उत्तर प्रदेश नलकूप चरण-II	2.1 डीएफएल	नीदरलैंड	उत्तर प्रदेश
17.	खार भूमि विकास चरण-II	3.15 डीएफएल	नीदरलैंड	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
18.	आंध्र प्रदेश जनजातीय विकास	20.0 अमरीकी डालर	आईएफएडी	आंध्र प्रदेश
19.	रायचूर अस्पताल विकास	9.0 अमरीकी डालर	ओपेक	कर्नाटक
1992-93				
1.	बिहार पठार विकास	117.0 अमरीकी डालर	आईडीए	बिहार
2.	राजस्थान ए डी पी	106.0 अमरीकी डालर	आईडीए	राजस्थान
3.	श्रीसेलम पन बिजली परियोजना (आंध्र प्रदेश बि.बो)	3806.0 येन	ओईसीएफ	आंध्र प्रदेश
4.	अनफारा बी तापीय विद्युत-IV उ.प्र.रा.बि.बो.	13224.0 येन	ओईसीएफ	उत्तर प्रदेश
5.	जल विभाजक विकास कोरापुट	46.30 डीकेआर	डेनमार्क	उड़ीसा
6.	अंतर्राष्ट्रीय पशुधन विकास, कोरापुट	19.9 डीकेआर	डेनमार्क	उड़ीसा
7.	स्टेटिक वी ए आर कम्पेन्सेटर, उ.प्र.रा.बि.बो.	96.0 एफएफ	फ्रांस	उत्तर प्रदेश
8.	बकरी विकास और चारा उत्पादन-IV	6.0 रुपये	स्वीटजरलैंड	राजस्थान
9.	केरल लघु सिचाई, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ऋण	11.8 ईसीयू	ईईसी	केरल
10.	उड़ीसा पर्यावरण कार्यक्रम	40.0 एनओके	नार्वे	उड़ीसा
11.	उच्च सिंचाई	55.0 डीएम	जर्मनी	उड़ीसा
12.	सामाजिक आर्थिक इकाइयां-II	0.7 डी एफ एल	नीदरलैंड	केरल
13.	छपरा में यू एस एस बी संयंत्र	0.4 डी एफ एल	नीदरलैंड	बिहार
14.	कानपुर/मिर्जापुर चरण-III	5.42 डी एफ एल	नीदरलैंड	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
15.	सामाजिक आर्थिक इकाई, जीडब्ल्यूएसएसबी	0.08 डी एफ एल	नीदरलैंड	गुजरात
16.	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत	350 अमरीकी डालर	आईबीआरडी	महाराष्ट्र
17.	केरल उद्यान	28.7 ईसीयू	ईईसी	केरल
1993-94				
1.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय सफाई	92.0 अमरीकी डालर	आईडीए	कर्नाटक
2.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	29.0 अमरीकी डालर	आईएफएडी	महाराष्ट्र
3.	उ.प्र. प्राथमिक शिक्षा	165.0 अमरीकी डालर	आईडीए	उ.प्र.
4.	परिवार कल्याण शहरी गंदी बस्ती	79.0 अमरीकी डालर	आईडीए	पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश
5.	हीराकुंड जल पुनर्वास	25.1 पौंड	ओडीए	उड़ीसा
6.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार	54.7 अमरीकी डालर	आईडीए	उत्तर प्रदेश
7.	अनपारा बी तापीय विद्युत चरण-V	176 38 येन	ओईसीएफ	उत्तर प्रदेश
8.	बक्रेश्वर तापीय	27.69 येन	ओईसीएस	पश्चिम बंगाल
9.	टाडरी मछली पालन चरण-II	8.52 डीकेआर	डेनमार्क	कर्नाटक
10.	पर्यावरणीय प्रशिक्षण	9.96 डीकेआर	डेनमार्क	कर्नाटक
11.	तमिलनाडु कृषि में महिलाएं	25.0 डीकेआर	डेनमार्क	तमिलनाडु
12.	भूमि विकास रामानाथपुरम	26.42 डीकेआर	डेनमार्क	तमिलनाडु
13.	पर्यावरणीय प्रशिक्षण	9.96 डीकेआर	डेनमार्क	तमिलनाडु
14.	मध्य प्रदेश में कृषि में महिलाएं	12.61 डीकेआर	डेनमार्क	मध्य प्रदेश
15.	पशु पालन विकास	5.00 रुपये	स्वीटजरलैंड	सिक्किम
16.	सिद्धमुख और नोहर सिंचाई	45.0 ईसीयू	ईईसी	राजस्थान
17.	कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण	3.36 डीएफएल	नीदरलैंड	आंध्र प्रदेश
18.	ग्रामीण जलापूर्ति	36.79 डीएफएल	नीदरलैंड	कर्नाटक

1	2	3	4	5
19.	बंगलौर शहरी गरीबी परियोजना	0.94 डीएफएल	नीदरलैंड	कर्नाटक
20.	सामुदायिक सिंचाई परियोजना	11.02 डीएफएल	नीदरलैंड	केरल
21.	आईसीडी परियोजना, कानपुर/मिर्जापुर	3.5 डीएफएल	नीदरलैंड	उ.प्र.
22.	हैदराबाद हरित पट्टी	4.84 डीएफएल	नीदरलैंड	आं.प्र.
23.	महिला समाख्या कार्यक्रम	30.52 डीएफएल	नीदरलैंड	उ.प्र., गुजरात, कर्नाटक
24.	हरियाणा जल संसाधन विकास	2558.00 अमरीकी डालर	आईडीए/ आईबीआरडी	हरियाणा

विवरण-II

आठवीं पंचवर्षीय योजना में पाइप लाइन वाली परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण
1	2	3
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	विश्व बैंक
2.	राष्ट्रीय जल प्रबंध-II	" "
3.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	" "
4.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	" "
5.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III	" "
6.	पश्चिम बंगाल जल संसाधन समेकन	" "
7.	आई सी डी एस चरण-II (विस्तार)	स्वीडन (सिडा)
8.	सामाजिक वानिकी चरण-II (विस्तार)	" "
9.	सामाजिक वानिकी चरण-III	" "

1	2	3
10.	सामाजिक वानिकी चरण-II (विस्तार)	स्वीडन (सिडा)
11.	सामाजिक वानिकी चरण-III	" "
12.	एन ओ आर ए डी द्वारा सहायता दिए जाने वाला पर्यावरणीय कार्यक्रम	नार्वे (एनओआरएडी)
13.	हरियाणा राजमार्ग उन्यन परियोजना	विश्व बैंक
14.	आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	" "
15.	तमिलनाडु राज्य सड़क परियोजना	" "
16.	उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना	" "
17.	असम राज्य सड़क परियोजना	" "
18.	II राजस्थान जलापूर्ति परियोजना	कनाडा
19.	उ.प्र. शहरी विकास चरण-II	आई डी ए
20.	श्रीसेलम वायां किनारा विद्युत गृह (सामान्य)	ओईसीएफ
21.	श्रीसेलम वायां किनारा विद्युत गृह (प्रशि.)	" "
22.	पुरूलिया पम्प भंडारण योजना	" "
23.	वक्रेश्वर तापीय विद्युत स्टेशन (विस्तार)	" "
24.	कुठागुदाम तापीय विद्युत स्टशेन का विस्तार	" "
25.	पानी की लाइनें बिछाने का कार्य	" "
26.	भोपाल की ऊपरी और निचली झीलों का संरक्षण	" "
27.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, पश्चिम बंगाल	" "
28.	राजस्थान वानिकी	" "
29.	केरल वानिकी	विश्व बैंक
30.	उ.प्र. वानिकी	" "
31.	म.प्र. वानिकी	" "

1	2	3
32.	बिहार वानिकी	विश्व बैंक
33.	असम ए.डी.पी.	" "
34.	म.प्र. ए.डी.पी.	" "
35.	कर्नाटक ए.डी.पी.	" "
36.	आंध्र प्रदेश ए.डी.पी.	" "
37.	महाराष्ट्र ए.डी.पी.	" "
38.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	" "
39.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	" "
40.	जल विभाजक विकास परियोजना म.प्र.	डेनमार्क
41.	पशुधन विकास परियोजना, बस्तर, मध्य प्रदेश	" "
42.	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण चरण-II, उड़ीसा	" "
43.	तिरूनेयवेली जल विभाजक चरण-ii तमिलनाडु	" "
44.	हैंड पम्प नवीकरण, उड़ीसा	" "
45.	एकीकृत जल एवं सफाई चरण-II कर्नाटक	" "
46.	राख की उपयोगिता, मध्य प्रदेश	" "
47.	पीआईडीओडब्ल्यू चरण-III कर्नाटक	स्वीटजरलैंड
48.	पीआईडीओडब्ल्यू कर्नाटक (जल विभाजक परियोजना)	" "
49.	कच्छ गुजरात में महिलाओं को अधिकार देना	" "
50.	भारत-स्वीत परियोजना चरण-II, उड़ीसा	" "
51.	उत्तर पूर्वी विद्युत परियोजना, असम	ए डी बी
52.	राजस्थान विद्युत-II (ए पी)	" "
53.	उड़ीसा विद्युत परियोजना	विश्व बैंक
54.	हरियाणा विद्युत परियोजना	" "

1	2	3
55.	मध्य प्रदेश शहरी विकास	आई डी ए
56.	उड़ीसा विकास	विश्व बैंक
57.	प्रथम जिला प्राथमिक शिक्षा	" "
58.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति	" "
59.	तृतीय मद्रास जलापूर्ति	" "
60.	बम्बई मल-व्ययन परियोजना	" "
61.	द्वितीय बम्बई शहरी परिवहन "	"
62.	नौवीं जनसंख्या परियोजना	" "
63.	उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति	" "
64.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	" "
65.	आंध्र प्रदेश जलापूर्ति परियोजना	" "
66.	आईपीएम परियोजना दक्षिण भारत के लिए	आई एफ ए डी
67.	सूखा निवारण कार्यवाही योजना, पलामू, बिहार	" "
68.	औरंगा सिंचाई परियोजना	" "
69.	उद्यान विकास, सिक्किम	" "
70.	एकीकृत कुकुट पालन विकास	" "
71.	सुंदरवन विकास चरण-II	" "
72.	एकीकृत तेलहन विकास	आईएफएडी
73.	रेशम कीट पालन विकास	" "
74.	एकीकृत जन-जातीय विकास, बिलासपुर, मध्य प्रदेश	" "
75.	एकीकृत उद्यान विकास, हरियाणा	" "
76.	तमिलनाडु में शहरी विकास में लिंगीय मामलों को मुख्य धारा में लाने की प्रस्तावित परियोजना	" "

1	2	3
77.	कृषि में महिलाओं के प्रशिक्षण पर आरेखित परियोजना, आंध्र प्रदेश, व मध्य प्रदेश	आईएफएडी
78.	बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उपयुक्त आय सृजित करने वाले क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए आरेखित परियोजना	" "
79.	कर्नाटक की महिलाओं के विकास की परियोजना	" "
80.	महिलाओं की एकीकृत डेयरी परियोजना, उ.प्र.	" "
81.	हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों की परियोजना	" "

[अनुवाद]

शोलापुर में हवाई अड्डे का विकास

5494. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शोलापुर में 4000 फुट लम्बी हवाई पट्टी का हवाई अड्डे के रूप में विकास करने के लिए इसे राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। शोलापुर हवाई अड्डा पहले से ही राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वापक औषधों का अवैध व्यापार

5495. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में भारत-अमरीका संयुक्त कार्यकारिणी समिति की पांचवी बैठक का आयोजन दोनों देशों के बीच स्वापक औषधों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किये गये समझौते पर विचार करने के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैठक में अन्य किन मामलों पर विचार किया गया; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। स्वापकों के भारत अमरीका द्विपक्षीय करार हेतु नई दिल्ली में 16-17 मार्च, 1994 को स्वापकों पर भारत अमेरिका संयुक्त कार्यकारिणी की पांचवी बैठक का आयोजन किया गया था। दोनों पक्ष ने यह माना कि स्वापकों का अवैध व्यापार निरंतर गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है और इसलिए अपनी सरकारों की ओर से प्रतिज्ञा की कि सभी स्तरों अर्थात उत्पादन, अवैध व्यापार और दुरुपयोग के विरूद्ध लड़ाई जारी रखेंगें। बैठक में उठाए गए सामान्य विषयों में वैद्य अफीम उत्पाद, द्विपक्षीय कानून प्रर्वत्तन सहयोग, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, प्रशिक्षण औषध जागरुकता और मांग में कमी कार्यक्रम तथा स्वापक अवैध व्यापार और आंतकवादी गतिविधियों में तालमेल शामिल थे।

कहवे की खेती

5496. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कहवे की खेती की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में कहवे की बड़े पैमाने पर खेती के लिए कोई नई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां कॉफी बोर्ड ने गैर परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए वर्ष 1984 से 1990 तक मौके पर एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अनुसार आंध्र प्रदेश में लगभग 11,040 हैक्टेयर भूमि को कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया जो कि विशाखापत्तनम में 8,689 हैक्टेयर, पूर्वी गोदावरी 2,251 हैक्टेयर तथा श्री काकुलम 100 हैक्टेयर स्थित है।

(ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में काफी की खेती के लिए कोई नई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीज बैंक

5497. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सामान्य व्यापार और तटकर करार (गैट) के खतरे का सामना करने के लिए वैज्ञानिकों के सहयोग से देश में बीज बैंक के एक नेटवर्क की स्थापना की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में चीनी मिलों को ऋण

5498. **श्री विलास राव नागनाथराव गूंडेवार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन चीनी मिलों की संख्या और ब्यौरा क्या है; जिन्होंने 1993-94 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण हेतु आवेदन किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कितनी चीनी मिलों को ऋण दिये गये तथा उनमें से प्रत्येक मिल को कितना ऋण दिया गया; और

(ग) उन चीनी मिलों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है; जिन्हें 1994-95 के दौरान ऋण स्वीकृत किए गए हैं/दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) ने सूचित किया है कि सहकारी क्षेत्र में 2500 आई.सी.डी. वाली नयी चीनी मिलें स्थापित करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त 27 आवेदन उसके पास विचाराधीन हैं।

(ख) संयुक्त संस्थागत समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर आई एफ.सी.आई. द्वारा 19 मामलों के संबंध में कार्रवाई आरंभ की गयी थी और संस्थाओं/बैंकों द्वारा 16 मामलों के संबंध में प्रत्येक के लिए 2040 लाख रुपये के ऋण मंजूरी पहले ही दे दी गयी है। शेष तीन मामलों में, सहायता मंजूर करने के प्रश्न पर कार्रवाही की जा रही है।

(ग) आई.एफ.सी.आई. ने बताया है कि संस्थाओं द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् शेष आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5499. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये शाखाएं राज्यवार कहां कहां खोली जाएंगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुर्नसंरचना के संबंध में निर्णय होने तक नीति के अनुसार 1990-95 की शाखा विस्तार नीति के तहत, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष भी शामिल है, शाखाएं खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कोई केन्द्र आंबटित नहीं किए गए हैं।

गाय के गोबर का आयात

5500. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हालैंड से गाय का गोबर आयात करने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) क्या अन्य यूरोपीय देशों से भी गाय का गोबर आयात करने संबंधी ऐसे ही प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हालैंड से गाय का गोबर आयात करने पर कितनी लागत आएगी, भारत में इसे संशाधित करने पर कितनी लागत आयेगी, इससे तैयार उत्पाद को किसानों को किस मूल्य पर बेचा जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) हालैंड सहित किसी भी देश से गोबर का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात वृद्धि

5501. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान जिन वस्तुओं के निर्यात पर सर्वाधिक जोर दिया गया था, उनके अतिरिक्त कुछ और वस्तुओं के निर्यात हेतु संभावनाओं की तलाश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और निर्यात बढ़ाने के लिए सामान्य उपायों के साथ-साथ अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले उत्पादों तथा अच्छी निर्यात-संभावनाओं वाली मदों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

कालीनों का निर्यात

5502. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कालीनों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना प्राप्त किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कालीनों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(घ) कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कालीनों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य और कालीनों के निर्यात द्वारा रुपये में अर्जित विदेशी मुद्रा के संदर्भ में की गई प्राप्ति निम्नोक्त प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	अर्जित विदेशी मुद्रा
1991-92	720.00	745.00
1992-93	967.00	992.00
1993-94	1260.00	1162.00 (अप्रैल-फरवरी)

(ग) वार्षिक योजना 1994-95 के दौरान कालीन सहित हस्तशिल्प मदों के निर्यात का लक्ष्य 3873 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

(घ) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद "क्रेता-बिक्रेता बैठकों" का आयोजन कर रही है और विदेशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों और अखिल भारतीय कालीन व्यापार मेले में भाग ले रही है ताकि हाथ से बने ऊनी, रेशमी/सिंथेटिक कालीनों, चिथड़ों, दरियों आदि के निर्यात के लिए व्यापार बढ़ाया जा सके तथा नए बाजारों का पता लगाया जा सके। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद विदेशी बाजार में संवर्धनात्मक प्रचार अभियान भी चला रही है। वर्ष 1993-94 के दौरान परिषद ने नवम्बर, 1993 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय कालीन विनिर्माण मेला, शिकागो (यू एस ए) और जनवरी, 1994 के दौरान डोमोटेक्स अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, हनोवर (जर्मनी) में भाग लिया।

इसके अतिरिक्त कार्यकुशलता में सुधार लाने और व्यापक उत्पादन आधार बनाने के लिए कालीनों के लिए कालीन बुनाई में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए गए।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल

5503. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झाल्दा नगर में बीड़ी श्रमिकों के लिए एक अस्पताल खोलने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) झालदा में बीड़ी कर्मकारों के लिए एक स्थिर एवं सचल औषधालय कार्य कर रहा है। इसे अस्पताल के रूप में अपग्रेड किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फैशन प्रशिक्षण केन्द्र

5504. **श्री राम कापसे : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग के तकनीकी आधार को विस्तृत करने के लिए देश में फैशन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र किन किन स्थानों पर खोले जाएंगे; और

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार महत्वपूर्ण परिधान विनिर्माता केन्द्रों में ऐसे कुछ और फैशन प्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच कर रही है जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ उद्योग का, अपेक्षित संसाधन जुटाने तथा संस्थानों का प्रबंध करने के लिए सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इनके स्थानों तथा लागत सहभागिता व्यवस्था के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

महाराष्ट्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5505. **श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और कहां-कहां हैं;

(ख) इन बैंकों के मुख्य लक्ष्य क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान इन लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंक गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार इन बैंकों की कार्यशैली में सुधार लाने के क्या कदम उठा रही है;

(च) क्या उपरोक्त बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित आरक्षण मानदंडों के अनुरूप है;

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार का इन बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को पर्याप्त रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) महाराष्ट्र राज्य में 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे जिनका मार्च, 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार 591 शाखाओं का नेटवर्क था और जिनके मुख्यालय नादेड, औरंगाबाद चंद्रपुर, अकोला, रत्नागिरी, सोलापुर, यवतमाल, बुल्ढाना, थाणे और भंडारा में थे।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, ग्रामीण बचतें जुटाने और उन्हें ग्रामिण क्षेत्रों में उत्पादक क्रियाकलापों को सहयोग देने में लगाने, पुनर्वित्त के माध्यम से केन्द्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह के लिए अनुपूरक चैनल तैयार करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामिण क्षेत्रों में ऋण प्रबंध की लागत में कमी लाने के लिए बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता, खासकर अब तक के बैंक रहित क्षेत्रों तक ले जाना है। मार्च, 1993 के अनुसार महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 9.64 लाख खातों में 162.92 करोड़ रुपये जुटाए। इन बैंकों द्वारा दी गई ऋण सहायता 3.05 लाख खातों में 153.35 करोड़ रुपये (बकाया) थीं। इस प्रकार उक्त अवधि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संस्थागत ऋण सहायता देकर और अब तक अप्रयुक्त ग्रामीण बचतों को जुटाकर बैकिंग सेवा को उन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

(ग) कमजोर वर्गों तक पहुंचने की प्रक्रिया में तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक उद्देश्य लक्ष्य पूरा करने में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आर्थिक दृष्टि से नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित सभी बैंकों को 1992-93 में 20.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और मार्च 1993 के अंत तक उनकी संचित हानियों की रकम 43.56 करोड़ रुपये बैठती है। दस में से नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि का पूरी तरह से ह्रास किया है जिसके कारण चल निधि में समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं और इसके परिणाम स्वरूप ऋण संबंधी कार्यकलापों में कमी आ गयी है। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की खराब वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन के कारण चल निधि की समस्या भी गम्भीर हो गयी है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठायी जाने वाली हानियों के कई कारण हैं जैसे कि ग्राहकों के चयन पर रोक, परिचालन का सीमित क्षेत्र, न्यून ब्याज मार्जिन, खासकर राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के पंचाट के कार्यान्वयन के पश्चात् तेजी से बढ़ते हुए स्थापना व्यय आदि।

(ङ) उनकी अर्थक्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से इन बैंकों के ऋणों में और अधिक लचीलापन लाने तथा उनकी संबंद्ध बैंकिंग सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए दिसम्बर, 1993 में उपायों का एक पैकेज घोषित किया गया है। इन उपायों में गैर-लक्ष्यगत समूह वित्त पोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर निधि पर आधारित कारोबार में वृद्धि उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र संबंधी बाध्यता से मुक्त करना जिनका वर्ष 1992-93 में संवितरण 2 करोड़ रुपये से कम था और घाटा उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उपज केन्द्रों आदि जैसे स्थानों में पुनः स्थापित करने की अनुमति देना और उन संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काऊंटर खोलना, जिनके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर है, आदि उपाय शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपाजिट लाकर लगाने की भी अनुमति दी गयी है।

(च) से (ज) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत 2546 कर्मचारियों में से 559 कर्मचारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे जो कर्मचारियों की कुल संख्या का 22 प्रतिशत बैठता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के मामले में सरकार द्वारा जारी की गयी हिदायतों

का अनुपालन करें सरकार के अनुरोध पर, नाबार्ड ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, दिनांक 17-12-1993 को पिछली बकाया के रिक्त पद, अगर कोई हो, भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए कहा है।

विदेशी कम्पनियां

5506. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विदेशी कम्पनियों को वित्तीय सरकारी क्षेत्र में शत-प्रतिशत सहायक कम्पनियां नहीं सौंपी जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विशिष्ट दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[**हिन्दी**]

गुजरात में लघु उद्योगों को ऋण

5507. **श्री काशीराम राणा :**
श्री एन.जे. राठवा :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा इनके लिए कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किये गये;

(ख) क्या इन उद्योगों को रुग्णता से बचाने के लिए ये बैंक इन एककों को समय पर ऋण देते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा संवितरित की गई राशि निम्नानुसार है :

1990-91	290.19 करोड़ रुपये
1991-92	170.72 करोड़ रुपये
1992-93	244.53 करोड़ रुपये

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं जिसमें आवेदनों का समय से निपटान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और तदनुसार 25,000 रुपये तक की ऋण सीमा वाले आवेदनों का 15 दिन के भीतर और 25,000 रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदनों का उनकी प्राप्ति के तारीख से 8-9 सप्ताह के भीतर निपटान किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा आवेदनों के निपटाये जाने में देरी से संबंधित शिकायतें जब कभी सरकार को प्राप्त होती हैं, तो उन्हें उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध बैंकों के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसियां जारी किया जाना

5508. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा पालिसियां जारी करने का कोई समय निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचना दी है कि पालिसी प्रलेखों को जारी करने के लिए निम्नलिखित समय तालिका निर्धारित की गई है :-

1.	प्रीमियम रसीदें जारी करना	तत्काल
2.	पूरी तरह भरा हुआ प्रस्ताव फार्म प्राप्त होने पर	
(1)	मोटर बीमा प्रमाण-पत्र जारी करना	उसी दिन
(2)	निर्यात हेतु समुद्रीय पालिसि.. जारी करना :	एक दिन के भीतर
(3)	मोटर, गृह स्वामी/दुकानदार व्यापक, लघु : क्षेत्र तथा अन्य व्यक्तिगत बीमा पालिसियां जारी करना	एक माह के भीतर
(4)	औद्योगिक जोखिम कवच नीतियां जारी करना :	दो माह के भीतर

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

[हिन्दी]

हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

5509. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गुजरात से कितनी कीमत की हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया और इन वस्तुओं का किन किन देशों को निर्यात किया गया;

(ख) क्या राज्य से इन वस्तुओं के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात की गई हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं का मूल्य निम्न प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

क्रम	वर्ष	हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प	हथकरघा/रेशम की वस्तुएं (तैयार परिधानों को छोड़कर)
1.	1991-92	1810.00	1053.66
2.	1992-93	2404.00	955.41
3.	1993-94	2905.66	359.53
		(अप्रैल-फरवरी 1993-94)	(सितम्बर, 1993 तक)

हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों का निर्यात अन्य विकासशील देशों जैसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, कोरिया, ताइवान आदि से संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को किया जाता है। भारत से हस्तशिल्प वस्तुओं के पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात का देशवार ब्यौरा, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा हथकरघा तथा हस्तशिल्प के निर्यातों को बढ़ाने के लिए वर्ष 1993-94 और 1994-95 में उठाए गए कदमों में डिजाइन/प्रौद्योगिकी सहायता करना, प्रशिक्षण गुणवत्ता नियंत्रण, व्यापार जानकारी, विदेशों में मेल तथा उत्सव आयोजित करना, विदेशों में

बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि आयोजित करना शामिल है।

वर्ष 1993-94 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (इपीसीएच) तथा कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने कई मेलों/उत्सवों में भाग लिया जो इस प्रकार है :—

1. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने इम्पोर्ट फेयर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, बर्लिन (जर्मनी); इण्टरनेशनल ऊसवेयर शो, टोकियो, इण्टरनेशनल गिफ्ट फेयर, मैडरिड और मेसी केपेयक्स-लिपजिक, जर्मनी में भाग लिया। हस्तशिल्प निर्यात संबंर्धन परिषद ने जनवरी, 1994 के दौरान नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार मेला, 1994 भी आयोजित किया।

2. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 1993-94 के दौरान इण्टरनेशनल कार्पेट मैन्यूफैक्चर्स फेयर, शिकागो तथा डोमोटैक्स इण्टरनेशनल ट्रेड फेयर, हनोवर (जर्मनी) में भाग लिया। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने फरवरी, 1994 में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय कालीन व्यापार मेले के आयोजन में सहायता की।

विवरण

हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प का चयनित देशों को कुल निर्यात

क्र. सं.	देश का नाम	(करोड़ रुपये में)		
		1990-91	1991-92	1992-93
1.	आस्ट्रेलिया	20.90	33.09	43.63
2.	कनाडा	41.18	62.59	79.72
3.	फ्रांस	46.16	69.01	90.26
4.	जर्मनी	275.73	398.53	556.78
5.	इटली	24.13	40.27	67.41
6.	जापान	31.85	52.75	77.53
7.	नीदरलैंड	30.34	46.98	61.64
8.	सऊदी अरब	23.25	36.60	54.50
9.	स्विटजरलैण्ड	35.31	51.33	65.16
10	यू.एस.ए.	428.92	636.39	783.29
11.	यू.के.	109.53	165.05	207.70
12.	अन्य देश	152.70	217.41	316.38
	योग :	1220.00	1810.00	2404.00

[अनुवाद]

तम्बाकू का निर्यात

5510. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू आयातक देशों के किसी विदेशी संगठन ने 1994 के दौरान भारतीय तम्बाकू की आयात की जाने वाली मात्रा के बारे में स्पष्ट संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे निर्यात आदेशों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यात संविदाएं भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों के बीच सीधी वार्ताओं के जरिए की जाती है। ऐसे आदेशों को जल्दी पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में, भारतीय तम्बाकू का आयात करने के लिए एफ सी बी तम्बाकू के पहचाने हुए नए बाजारों में व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को भेजना तथा संयुक्त समिति की बैठकों के जरिए आयातक देशों की सरकारों के साथ बातचीत करना इत्यादि। रूसी सरकार से यह भी निवेदन किया गया है कि 1994 में ऋण भुगतान के तरीके के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले तम्बाकू का वास्तविक मात्रा के बारे में जल्द से जल्द बताएं।

[हिन्दी]

काला धन

5511. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और योजना आयोग के प्रतिवेदनों के अनुसार इस समय देश में अनुमानतः कितनी धनराशि का कालाधन परिचालन में है; और

(ख) सरकार द्वारा काले धन को रोकने हेतु क्या नए उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में दिए गए अनुमान के अलावा काले धन के उत्पन्न होने के बारे में सरकार को किसी सरकारी अनुमान की जानकारी नहीं है। "आस्पेक्टस आफ ब्लेक इकानॉमी इन इण्डिया" (भारत में काले धन की अर्थ-व्यवस्था के पहलू) शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में वर्ष 1983-84 में उत्पन्न काला धन अनुमानतः 31,584 करोड़ रुपये से लेकर 36,786 करोड़ रुपये के बीच था। यह अनुमान अनेक कल्पनाओं और अनुमानों पर आधारित था। इसके बाद इस संबंध में कोई प्रामाणिक अध्ययन किया गया प्रतीत नहीं होता और अतः देश में प्रचलित काले धन के बारे में अनुमान प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(ख) कर अपवंचन और काले धन के उत्पन्न होने को रोकना किसी भी अर्थव्यवस्था में

निहित एक सतत प्रक्रिया है। सरकार जैसा भी उचित समझे समय-समय पर काले धन के उत्पन्न होने एवं उसकी वृद्धि रोकने के लिए आवश्यक कानूनी वित्तीय और प्रशासनिक जैसे उपाय करती रही है। कराधान की दर में उत्तरोत्तर रूप से कमी आई है और आय के स्लैब उत्तरोत्तर रूप से युक्तिसंगत बनाये गये हैं। संसद में 28-2-1994 को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में भी ऐसा किया गया है। साथ-ही-साथ आयकर अधिनियम, 1961 में काले धन के उत्पन्न होने को रोकने के उद्देश्य से अनेक उपबंध विद्यमान हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें धारा 44कक और 44कख के अंतर्गत उचित मामलों में खातों का अनिवार्य अनुरक्षण और उनकी लेखा परीक्षा संबंधी उपबंध, धारा 40क(3), 269ध ध और 269 न के अंतर्गत नकदी लेनदेन पर प्रतिबंध, अध्याय **ग के अंतर्गत संपत्तियों का पूर्व क्रयाधिकार और कर चूककर्ताओं को दण्डित करने के लिए दण्डों और अभियोजनों संबंधी उपबंध शामिल है। इस अधिनियम में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सम्मनों, सर्वेक्षणों, तलाशियों और अन्य जांचों का भी प्रावधान है। कर अपवंचन के उपयुक्त मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है।

मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण

5512. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना था तथा देश में प्रति व्यक्ति औसत बैंक ऋण कितना था; और

(ख) सरकार ने प्रति व्यक्ति बैंक ऋण सीमा बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये हैं और इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर पिछले तीन वर्षों में सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में दिए गए प्रति व्यक्ति ऋण और समग्र रूप से देश में दिए गए औसत प्रति व्यक्ति ऋण से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

की स्थिति के अनुसार	प्रति व्यक्ति ऋण (रुपये)	
	मध्य प्रदेश	अखिल भारत
मार्च 1991	786	1569
मार्च 1992	819	1684
मार्च 1993	890	1964

(ख) किसी क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर ऋण वितरण निर्भर करता है जो विद्युत, विपणन नेटवर्क, संचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित है। राज्यों में ऋण वितरण से संबंधित मुद्दों पर राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति की बैठकों में नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

[अनुवाद]

पटसन मिलों का निजीकरण

5513. **श्री चित्त बसु : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल जूट मिल कारपोरेशन के अंतर्गत पटसन मिलों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

यात्रियों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराना

5514. **श्री राजवीर सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के एयरलाइंस यात्रियों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस और अन्य एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा वैयक्तिकृत सेवा प्रदान की जाती है। इंडियन एयरलाइंस विभिन्न नए उपायों के माध्यम से बेहतर वैयक्तिकृत सेवा प्रदान करती है :

- जे/बी श्रेणी के यात्रियों के लिए टेली चैक-इन।

  जे/बी श्रेणी के यात्रियों के लिए चाय/कॉफी की पेशकश।

  चैक-इन काउंटर पर समाचार-पत्र।

  विमान में भोजन के विकल्प सहित सुधरी हुई भोजन सेवा।

  निः शुल्क सामान छूट में वृद्धि।

- एयर टैक्सी प्रचालक भी कई उड़ानगत और ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं जिनसे यात्री हैंडलिंग और अन्योन्यक्रिया की गुणवस्था में सुधार होता है। वैयक्तिकृत सेवा के परिणामों को कूतना संभव नहीं है यात्रियों की ओर से आम सराहना हुई है।

[हिन्दी]

बैंकों में निवेश

5515. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की घाटे में चलने वाली शाखाओं में घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए शेयरपूंजी के रूप में कितनी धनराशि का निवेश किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अभी भी घाटे में चल रही बैंक शाखाओं को बंद करने अथवा उनका विलय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में अतिरिक्त रकमों का अंशदान करती रही है न कि शाखाओं के लिए। गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा दी गयी अतिरिक्त शेयर पूंजी संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ख) और (ग) पुनः पूंजीकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गये अंशदान के परिणामस्वरूप बैंकों की चुकता पूंजी का वास्तविक मूल्य, अंकित मूल्य के साथ-साथ बढ़ गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि सभी प्रयास किए जाने के बावजूद, जिन कतिपय दीर्घकालिक हानि उठाने वाली शाखाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है, उन्हें या तो "वसूली" शाखाओं में बदल दिया जाये अथवा बंद कर दिया जाये। ऐसी शाखाओं की संख्या 104 है।

विवरण

राष्ट्रीकृत बैंकों की शेयरपूंजी में सरकार का अतिरिक्त अंशदान

(करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	1992	1993	1994
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	50.00	65.00	90.00
आंध्रा बैंक	40.00	30.00	150.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	45.00	50.00	400.00
बैंक ऑफ इण्डिया	110.00	—	685.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	40.00	35.00	130.00
केनरा बैंक	--	75.00	365.00
सेंट्रल बैंक	50.00	—	490.00

1	2	3	4
कारपोरेशन बैंक	20.00	30.00	45.00
देना बैंक	–	50.00	130.00
इंडियन बैंक	50.00	35.00	220.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	50.00	--	705.00
न्यू बैंक	45.00	60.00	(*)
ओरियटल बैंक ऑफ कामर्स	20.00	30.00	50.00
पंजाब नेशनल बैंक		75.00	415.00
पंजाब सिंध बैंक	20.00	85.00	160.00
सिंडिकेट बैंक	85.00		680.00
यूनियन बैंक	50.00	30.00	200.00
युनाइटेड बैंक			215.00
यूको बैंक			535.00
विजया बैंक	25.00	50.00	65.00
	700.00	700.00	5,700.00

*पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय

व्यापार घाटा

5516. **श्री राजेश कुमार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ऋण के भुगतान और विदेशी मुद्रा की कमी के परिणामस्वरूप देश की विकास दर में कमी होने की आंशका है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993 94 के दौरान अनुमानित व्यापार घाटा कितना रहा और तथा देश पर कितना घरेलू और विदेशी ऋण बकाया है तथा इस पर कितना ऋण देय हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) वाणिज्यिक सतर्कता और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल फरवरी 1993 94 के दौरान व्यापार घाटा 510 मिलियन अमरीकी डालर (1599 करोड़ रुपए)

होने का अनुमान लगाया गया है जबकि इसकी तुलना में 1992-93 की इसी अवधि के दौरान यह 3504 मिलियन अमरीकी डालर (10068 करोड़ रुपए) था।

1993-94 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार का आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं 4,25,727 करोड़ रुपए तथा उस पर देय ब्याज 33625 करोड रुपए होने का अनुामन है। सितम्बर, 1993 के अन्त तक देश का कुल विदेशी ऋण 90.39 बिलियन अमरीकी डालर (282, 904 करोड़ रुपये) होने का अनुमान लगाया गया है और 1993-94 के दौरान ब्याज देयताएं 8, 26 बिलियन् अमरीकी डालर (25910 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

लोकप्रिय स्मारकों की मरम्मत

5517. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को होटल एंड ट्रैवल ट्रेड इन्डस्ट्रीज से देश में कुछ लोकप्रिय स्मारकों की मरम्मत एंव वित्त पोषण करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का दिखाया जाना

5518. **श्री जी. माडे गौडा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की उड़ानों में दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाने शुरू किये गये है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन उड़ानों में यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों पर इन कार्यक्रमों को शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत/यू.के./यू.एस.ए. और यू.एस.ए./यू.के./भारत सेक्टरों की उड़ानों पर प्रथम श्रेणी में एयर इंडिया 747-400 की उडानों पर वैयक्तिक टैलीविजन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस के विमान ऐसे उड़ानगत मनोरंजन उपकरणों से सुसज्जित नहीं हैं जो इस प्राकर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसी सुविधा/उपकरण को लगाने से विदेशी मुद्रा में पर्याप्त निवेश करना होगा। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइंस की अधिकतर उड़ानें कम अवधि की हैं।

गुजरात में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

5519. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के रोजगार कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 1993 तक पंजीकृत स्नातकोत्तरों स्नातकों, अवर स्नातकों चिकित्सा तथा अभियांत्रिकी स्नातकों और III प्रशिक्षित तकनीशियनों की संख्या कितनी थी;

(ख) उन व्यक्तियों में से गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ग) राज्य में रोजगार के और अधिक अवसर सृजन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने का है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह योजना देश में कब से लागू की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) गुजरात में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर स्नातकोत्तरों, स्नातकों, अवर स्नातकों और चिकित्सा व इंजीनियरिंग स्नातकों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षित तकनीशियनों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या निम्न प्रकार है :

	श्रेणी	चालू रजिस्टर पर संख्या (हजार में)
1	2	3
1.	अवर स्नातक (मैट्रिक, हायर सेकेण्डरी एवं डिप्लोमाधारी)	558.1
2.	स्नातक (चिकित्सा एंव इंजीनियरिंग स्नातकों सहित)	65.0
3.	स्नातकोत्तर (चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर सहित)	8.1

1	2	3
4.	मैडीसन (स्नातक एंव ऊपर)	0.4
5.	इंजीनियरिंग (स्नातक एवं ऊपर)	4.8
6.	आई.टी.आई. प्रशिक्षित	26.1

(ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों के दर्ज रहने की अवधि संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। किसी भी राज्य में और इसी प्रकार गुजरात में रोजगार सामान्यतः उस राज्य में विकास की गति तथा स्वरूप पर निर्भर होता है जिसके लिए राज्य सरकार मुख्यतः उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र के विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन में राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र प्रवर्तित चालू योजनाएं हैं-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार (एस.ई.ई.यू.वाई.) को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना। एस.ई.ई.यू.वाई. आर्थिक सहायता तथा बैंक ऋण के माध्यम से उद्योग, सेवाओं तथा व्यापार में स्वरोजगार उद्यम आरम्भ करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहित करती है। अक्टूबर, 1993 में आरम्भ की गयी एक स्वरोजगार योजना "प्रधान मंत्री रोजगार योजना" (पी.एम.आर.वाई.) का उद्देश्य विनिर्माण, सेवाओं तथा जोखिमों में उद्यम स्थापित करने में विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को समर्थ बना कर रोजगार प्रदान करना है।

(घ) से (च) संसाधन बाधाओं के कारण केन्द्र सरकार बेरोजगारों की किसी भी श्रेणी को, जिसमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं, बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को कुछ विशिष्ट शर्तों पर एक सीमित अवधि के लिए ऐसा भत्ता देती आ रही है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा गुजरात को सहायता

5520. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा अपनी पुनर्वित्त पोषण योजना के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान गुजरात को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को अन्य राज्यों की तुलना में कितने प्रतिशत सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या उक्त सहायता से गुजरात में रोजगार के अवसर बढ़े हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि उसके द्वारा पिछले दो वर्षों में गुजरात राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गयी पुनर्वित्त सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए)

	मंजूरी	संवितरण
1992-93	258.22	173.50
1993-94	230.30	205.89

(ख) पुनर्वित्त संबंधी विभिन्न योजनाओं के अलावा सिडवी लघु औद्योगिक क्षेत्र को अपनी विभिन्न बिल वित्त, राज्य लघु उद्योग निगमों/औद्योगिक विकास निगमों को ऋण-श्रृखला, पट्टा वित्त, इक्विटी की किस्म की अलग-अलग समर्थन योजनाओं के जरिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है। पिछले दो वर्षों में अखिल भारत स्तर पर प्रदान की गयी कुल सहायता में से गुज़रात द्वारा प्राप्त प्रतिशत हिस्से का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

	मंजूरी	कुल की तुलना में प्रतिशत	संवितरण	कुल की तुलना में प्रतिशत
गुजरात				
1992-93	438.09	(15.06)	301.47	(14.05)
1993-94	466.93	(14.00)	378.45	(14.30)
(अनंतिम)				
अखिल भारत				
1992-93	2908.4	(100.00)	2145.80	(100.00)
1993-94	3334.08	(100.00)	2646.40	(100.00)

(ग) सिडबी द्वारा 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए पिछले दो वर्षों में प्रदान की गयी कुल सहायता से 13524 करोड़ रुपये अधिक रकम के पूंजी निवेश होने और 34 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है। गुजरात में स्थित परियोजनाओं के लिए मंजूर की गयी सहायता से 2003 करोड़ रुपये की रकम के कुल पूंजी निवेश होने तथा 5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ताइवान के साथ व्यापार

5521. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के साथ व्यापार और निवेश के मामलों पर बातचीत करने के लिए ताईवान से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) ताईवान का एक उच्चस्तरीय व्यापार शिष्टमंडल भारत-ताईवान संयुक्त व्यापार सहयोग समिति की दूसरी बैठक, जो 31 3-1994 को नई दिल्ली में हुई थी में भाग लेने के लिए भारत आया था। इस समिति का गठन फिक्की और ताईवान के सी.एन.ए.आई.सी. के बीच हुआ था। ये दोनों संगठन गैर-सरकारी हैं। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें परस्पर बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कार्यक्षेत्र और क्षमता का पता लागने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(ग) से (ङ) जी नहीं तथापि, ताईवान के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से दोनों देशों में विद्यमान व्यापार की संभावनाओं के बारे में दोनों देशों के व्यपारियों के बीच बढ़ी हुई जागरुकता तथा परस्पर विचार-विनियम में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है।

बाल श्रमिकों परियोजनाओं पर राष्ट्रीय नीति

5522. **प्रो. सावित्री लक्ष्मण** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में बाल श्रम परियोजनाओं पर राष्ट्रीय नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए किन-किन केन्द्रों की पहचान की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रलय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) केरल में अन्य राज्यों की तुलना में बाल श्रमिकों की घटनाएं कम हैं। केरल की संपूर्ण बाल जनसंख्या का 0.76 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं ज़बकि तत्संबंधित राष्ट्रीय आंकड़े 4.26 प्रतिशत के हैं। चूंकि अन्य कई ऐसे राज्य हैं जहां बाल श्रमिको की संख्या अत्यधिक है और राज्य सरकारों

से कोई परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं अतः केरल में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत कोई परियोजना शुरू करने के बारे में अभी आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क में कटौती

5523. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशों से आने वाले यात्रियों तथा पर्यटकों के सामान पर लगाये जा रहे यथा-मूल्य सीमाशुल्क की सामान्यतया प्रभावी दरें घटाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शुल्क घटाने के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितने राजस्व घाटे का आकलन किाय गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) से (ग) देश में विदेशों से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों के असबाब पर सीमाशुल्क की सामान्य प्रभावी दरें घटने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन में चेयरमैन का रिक्त पद

5524. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन बिना चेयरमैन अथवा संगठन के प्रमुख के बिना ही कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में श्री जी. अश्वत्थनारायण की दिनांक 31 अक्तूबर, 1993 को सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा ई.सी.जी.सी. बोर्ड में इस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक सरकारी निदेशक श्री अशोक झा को ई.सी.जी.सी. के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए 1 नवंबर, 1993 से प्रारंभ में 3 मास के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में 30 अप्रैल, 1994 तक अथवा नियमित उत्तराधिकारी द्वारा कार्यभार संभालने तक इनमें से जो भी पहले हो बढ़ा दिया गया है। इस पद को नियमित आधार पर भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

औद्योगिक रुग्णता और निगमों के पुनर्गठन संबंधी समिति की सिफारिशें

5525. **री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रुग्णता और नियमों के पुनर्गठन संबंधी समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सिफारिशों के संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड, श्रमिक संघों तथा अन्य लोगों द्वारा इन सिफारिशों पर व्यक्त किए गए विचार क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले उक्त विचारों पर भी विचार किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) ओद्योगिक रुग्णता और निगमों के पुनर्गठन संबंधी समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इन सिफारिशों से संबंधित निर्णयों को अंतिम रूप देते समय विभिन्न संगठनों से सरकार को प्राप्त हुए विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

अमेरिकी आयात-निर्यात बैंक से निर्यातकों की सहायता

5526. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी आयात निर्यात बैंक से वित्तीय सहायता लेने की ऐच्छिक अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सहायता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय निर्यात आयात बैंक ने सूचित किया है कि वह यू.एस. एक्जिम बैंक की गारंटी सुविधा के तहत सिटी बैंक, न्यूयार्क से 15 मिलियन यू एस डालर की ऋण श्रृंखला प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी शर्तों के अनुसार सिटी बैंक सीधे ही एक्जिम बैंक को निधि प्रदान करेगा जो उसे आगे भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए प्रयोग करेगा। ऋण की गारंटी यू एस एक्जिम बैंक देगा।

(ख) और (ग) ऋण श्रृंखला की शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) यू एस एक्जिम बैंक द्वारा यथा अनुमोदित यू एस मूल पूंजी उपस्कर की खरीद लागत के 85 प्रतिशत का वित्तपोशण करना।

(ii) पात्र उप संव्यवहारों के लिए संवितरण 180 दिनों की दरें उपयोग अवधियों (ड्राडाउन) में किया जाएगा। प्रत्येक उप संव्यवहार का वित्तपोशण संबंध प्रयोगावधि के बकाया दिनों के बराबर की अंतरिम अवधि, जो 180 दिनों से अधिक नही होगी, के लिए किया जाएगा।

(iii) ब्याज दर समेकन तारीख के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए छः माह की लंदन अंतर-बैंक प्रस्तुत दर (एल आई बी ओ आर) जमा 0.5 प्रतिशत होगी।

(iv) वापसी अदायगी, पहली समेकन तारीख के छः महीने बाद प्रारंभ 10 बराबर की अर्धवार्षिक किस्तों में की जानी है।

(v) न्यूनतम आहरण का आधार 200,000 यूएस डालर होगा।

बैंकों की ग्रामीण ऋण परियोजनाएं

5527. **डा. असीम बाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों के ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर सरकार की नयी आर्थिक नीति का प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बैंक, पिछले तीन वर्षों से विभिन्न ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजनाएं लागू कर रहे हैं इन योजनाओं के नाम हैं : समन्वित ग्रीमण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना (एस ई ई यू वाई) एस एस आर एस, विभेदी ब्याज दर योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजना। उक्त योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

आई आर डी पी : इस कार्यक्रम का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यगत समूहों के चुनिंदा परिवारों को सहायता मुहैया कराना है ताकि वे स्वरोजगार के धंधे अपना कर गरीबी की रेखा को पार कर सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जहां कहीं आवश्यक हो लक्ष्यगत समूह के परिवारों को सब्सिडी तथा संस्थागत ऋण सम्मेत सहायता के पैकेज के जरिए आय पैदा करने वाली अस्तियां प्रदान करने के बताए गए लक्ष्य को हासिल करना है जिसमें कार्यशील पूंजी भी शामिल है। इस लक्ष्यगत समूह में छोटे किसान सीमांत किसान कृषि मजदूर ग्रामीण कारीगर तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अन्य व्यक्ति आ जाते हैं।

एस-ईईयूवाई : 18-35 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक और जिनकी पारिवारिक आय 10,000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है वे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक कार्यों के लिए 35,000 रुपए सेवा इकाइयों के लिए 25,000 रुपए और कारोबार उद्यमों के लिए 15,000 रुपए से अनधिक से समिश्रण ऋण दिए जाते हैं। हिताधिकारियों को परियोजना के 25 प्रतिशत की दर पर पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। 1-4-1994 से एस ई ई यू वाई प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के साथ मिल गयी है।

एस एल आर एस : यह योजना 1993 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को शारीरिक रूप से मल मूत्र और गंदा उठाने के उनके वर्तमान

वंशानुगत और अप्रिय कार्य से मुक्ति दिलाना और उनका पुनर्वास करना तथा उन्हें कोई दूसरा और सम्मानीय व्यवसाय प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक की लागत की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है। 10,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। 6,500 रुपए तक के सभी ऋणों को डीआर आई ऋण के रूप में माना गया है जिन पर 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज़ दर लगेगी और 6,500 रुपए से अधिक के ऋणों पर ब्याज दरें वही होंगी जो ब्याज दरों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार लागू होंगी।

डी आर आई : इस योजना का उद्देश्य कमजोरों में से सबसे कमजोर को लघु उत्पादक प्रयासों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उनके प्रयासों में सहायता देकर उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है बैंकों को योजना के अधीन पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार अपने कुल अग्रिम का 1 प्रतिशत ऋण देना है ओर जिसका 40 प्रतिश अ.जा./अ.ज.जा. को मिलना चाहिए। योजना के अधीन पात्र उधारकर्ताओं को 6,500 रु. तक का ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है।

पी एम आर वाई : यह योजना दिनांक 2-10-1993 को शुरू की गई थी और यह आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रवृत रहेगी। इस योजना का उद्देश्य माइक्रो इंटरप्राइजेज में 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को निरंतर रोजगार देने का है। इस योजना में वर्ष 1993-94 के दौरान केवल शहरी क्षेत्रों को ही शामिल किया गया। तथपि, वर्ष 1994-95 से इस योजना में सारे देश (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित) को शामिल किया गया है। 1 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं का इस योजना के अतंर्गत वित्तपोषण किया जाता है। 7,500 रु. की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जाती है। हिताधिकरी को मार्जिन मनी के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत देना होगा।

(ख) और (ग) ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधित भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां और अनुदेश अपरिवर्तित है और इस तरह सरकार की नई आर्थिक नीति से बैंकों के ग्रामीण ऋण पैकेज अप्रभावित रहे हैं।

नेपाल को यूकालिप्टस पौधों का निर्यात

5528. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या पटना सीमाशुल्क समाहर्तलय ने 1993-94 में रचसौल एल सी एस होकर यूकेलिप्टस पौधों के निर्यात की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आयात और निर्यात नीति की निषेध सूची के अंतर्गत आता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पौधों के निर्यात की अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

भारतीय रुई निगम लिमिटेड द्वारा कपास की खरीद

5529. **श्री धर्मण्णा मोंडया सादुल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम लिमिटेउ को उत्पादकों के कपास खरीदने की अनुमति न देने के कारण रूई के स्टाक में कमी आ गई और जनवरी, 1994 में यार्न का मूल्य काफी बढ़ गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रूई निगम द्वारा कपास की खरीद न करने देने के क्या कारण हैं और जनवरी, 1994 से पहले के मूल्य पर यार्न उपलब्ध कराने हेतू सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) कपास की कीमतों में उछाल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय कपास निगम से यह इच्छा व्यक्त की थी कि वह उत्तरी क्षेत्र में खरीदारियां रोक दे। निगम मार्च, 1994 से कपास उपजाने वाले सभी राज्यों के सभी बाजारों से हट गया है तथापि, यार्न की कीमतों में वृद्धि निगम द्वारा खरीदारियां बंद करने अथवा धीमी करने के कारण नहीं हुई है। सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि, मुख्यतया नाशीजीत के आक्रमण तथा प्रतिकूल जलवायु की परिस्थितियों के कारण कपास के समग्र उत्पादन में कमी आने के फलस्वरूप कपास की कीमतों में वृद्धि होने के कारण हुई पिल्स एसोसिएशनों ने समस्त देश में सहकारी समितियों के माध्यम से इमदादी दरों पर हथकरघा बुनकरों को 10 मिलियन कि.ग्रा. हैंक यार्न उपलध कराने के प्रति सहमति प्रकट की है। भारीतय कपास निगम ने अधिसूचित हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को वितरित करने के लिए हैंक यार्न का उत्पादन करने के लिए सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों की मिलों को सप्लाई करने हेतु महाराष्ट्र राज्य परिसंघ से कपास की 75,000 गांठों की खरीद की है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को उप-राजकोषों में बदलना

5530. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से मध्य प्रदेश में सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया को उप-राजकोषों में बदलने की मांग की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक को मध्य प्रदेश में कुछ केंद्रों को सेट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखाओं से जोड़कर गैर-बैंकिंग उप-राजकोष में परिवर्तित करने के कुछ प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन प्रस्तावों को सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के पास भेजा है ताकि वे उसकी व्यवहार्यता अध्ययन कर सकें और राजकोषों/उप राजकोषों की नगदी शेष को

नियंत्रण में लेने की अपनी इच्छा से अवगत करा सकें। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही दो केन्द्रो पर उप राजकोषों का नियंत्रण लेने के लिए प्राधिकृत किया है।

[अनुवाद]

विमानों के नकली फालतू पुर्जे

5531. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के विमानन विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि विश्व में बड़ी संख्या में होने वाली विमान दुर्घटनाएं विमान में प्रयोग किए जा रहे लाखों डालरों के नकली फालतू पुर्जो के कारण होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जनवरी/फरवरी, 1994 के फ्लाइट सेफ्टी डाइजेस्ट (स्पेशल डबल इशु) में "बोगस पार्टस-डिटेक्टिंग द हिडन थ्रेट" शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख प्रकाशित किया गया है इसमें नोर्वे की शिप बिल्डिंग कंपनी की एक विमान दुर्घटना का हवाला दिया गया है, नोर्वे के सुरक्षा अन्वेषकों ने घटिया कलपुर्जों को उड़ानगत खंडन और दुर्घटना का कारण ठहराया है।

लेख में यह उल्लेख किया गया है कि एफ.ए.ए. के 62 विमानों के बेड़े को भी बिना स्वीकृति वाले कल पुर्जों की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेखा परिक्षा ने पाया कि ओकाल्हामा स्थित एफ.ए.ए. की एक फेसिल्टि में 32 मिलियन डालर मूल्य के विमानों के कलपुर्जों में 39 प्रतिशत कलपुर्जों मान्यता प्राप्त नहीं थे।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निकट भूत में विमानों के नकली पुर्जो के इस्तेमाल का कोई मामला नहीं पाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र

5532. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जून, 1988 को भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को संबोधित करते हुए परिपत्र जारी किया था जिसमें यह सलाह दी गई थी कि शहरी सहकारी बैंकों की निगम/कंपनियों के पास जमा राशि को असुरक्षित अग्रिम के रूप में माना जाएगा और इस पर निर्देश के उपबंध भी लागू होंगे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के उपबंध ब्याज दरो के संबंध में निर्देश तथा अग्रिम राशि की अधिकतम सीमा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिपत्र के निर्देश हाल ही से सरदार सरोवर निगम लिमिटेड की श्रीनिधि जमा योजना पर, लागू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 13 जून, 1988 का उसका परिपत्र किसी ऐसी संस्था/कंपनी/निगम, जो सहकारी क्षेत्र में नहीं है, के पास रखी गई सभी प्रकार की जमा राशियों पर लागू होता है। सहकारी क्षेत्र में जुटायी गई निधियों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल सहकारी क्षेत्र में ही और मुख्य रूप से सदस्यों के लाभ के लिए अभिनियोजित की जानी चाहिए। इन अनुदेशों मे शहरी सहकारी बेंकों से उन उद्देश्यों के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है जिसके लिए उन्हें स्थापित किया गया है अर्थात परिचालन से संबंध क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्त प्रदान करके वहां पर आर्थिक गतिविधियों द्वारा उसका विकास करें। ये समग्र रूप से शहरी सहकारी बैकिग प्रणाली और सहकारिता आन्दोलन के हित में है। इस संदर्भ में शहरी सहकारी बैंक जमाराशियों के रूप में अपने संसाधनों को सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. (एस एस एन एन एल) सहित किसी संस्था/निगम इत्यादि में नहीं लगा सकते हैं।

जून, 1988 में और इस समय जमाराशियों और अग्रिमों पर लागू ब्याज की दर से संबंधित प्रासंगिक जानकारी संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

विवरण-I

जमाराशियों पर ब्याज दरें

		जून 1988 में	दिनांक 16-12-1993 की स्थिति के अनुसार
1.	चालू खाता जमाराशियां		
1	2	3	4
	चालू जमा खातों और 14 दिनों तक की जमाराशियों पर और आहरण की स्थिति में जमाराशियां या वापसी अदायगी की स्थिति में या 14 दिन या उससे कम अवधि के नोटिस पर	0.5% प्रतिवर्ष से अनधिक	0.5% प्रतिवर्ष से अनधिक
2.	**बचत जमाराशियां**	5.0% प्रतिवर्ष	5.0% प्रतिवर्ष
3.	**सावधि जमाराशियां**		
(क)	15 दिन से 45 दिन तक	3.0% प्रतिवर्ष	शून्य

1	2	3	4
(ख)	46 दिन से 90 दिन तक	4.0% प्रतिवर्ष	46 दिन से 3 वर्षों तक और इससे अधिक पर 10% वार्षिक से अनधिक
(ग)	90 दिन और उससे अधिक लेकिन एक वर्ष से कम	8.0% प्रतिवर्ष	
(घ)	एक वर्ष और उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	9.0% प्रतिवर्ष	
(ङ)	दो वर्ष और उससे अधिक	10.0% प्रतिवर्ष	

विवरण-II

1 जून 1988 में मुख्य श्रेणियों के लिए ब्याज की दरें निम्नानुसार थीं :-

(I)	**लघु उद्योग**	**ब्याज दर प्रतिशत प्रतिवर्ष**
	1. 25,000 रुपए तक के समिश्रित ऋण	
	(क) पिछड़ा क्षेत्र	11.00 से अनधिक
	(ख) अन्य	12.00 से (नियत)
	2. अल्पावधि अग्रिम	
	(क) 2.00 लाख रुपए तक और उसके सहित सीमाएं	14.00 से अनधिक
	(ख) 2.00 लाख रुपए से अधिक और 25.00 लाख रुपए तक की सीमा	15.50 से अनधिक
	(ग) 25.00 लाख रुपए से अधिक की सीमा	16.50 (नियत)
(II)	**अन्य श्रेणियां**	
	1. फुटकर व्यापार अग्रिम	
	(क) 5,000 रुपए तक और उसके सहित सीमा	14.00 से अनधिक

1	2
(ख) 5,000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक की सीमा	15.00 से अनधिक
(ग) 25,000 रुपए से अधिक की सीमा	16.50 से अनधिक
2. शैक्षिक अग्रिम	
(क) भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य से गरीब छात्रों को	बैंक दर से कम नहीं
(ख) अन्य शैक्षिक अग्रिम	14.00-15.50
3. सभी अन्य अग्रिम	16.50 से अनधिक
(III) सावधि ऋण	
लघु उद्योग की तत्कालीन नई परिभाषा में	
दिए गये अनुसार लघु उद्योग एकक	
(क) पिछड़ा क्षेत्र	13.50 से अनधिक
(ख) अन्य क्षेत्र	13.50 (नियत)
अन्य दूसरे सावधि ऋण	15.00 से अनधिक

2. वर्तमान की स्थिति के अनुसार (प्रतिशत वार्षिक)

ऋण सीमा का आकार	वर्तमान दर	तीन वर्ष और इससे अधिक के सावधि ऋण की नयी दरें (1.3.1994 से प्रभवी)	अन्य सभी अग्रिम
25,000 रुपए से अधिक और दो लाख रुपए तक	15.0	14.0	15.0
2 लाख रुपए से अधिक	15.0 (न्यूनतम)	14.0 (न्यूनतम)	15.0 (न्यूनतम)

उड़ीसा में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा

5533. **श्री के. प्रधानी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की मांग संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलमा नबी आजाद) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 के दौरान रोमांचक पर्यटन का संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने हेतु उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 1993-94 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार के साथ परामार्श करके कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

5534. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने सरकार को एक मांग पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की प्रमुख मांगे सूचकांक से संबंध एक पेंशन योजना का प्रारम्भ करना, वेतनमानों और अन्य भत्तों में संशोधन करना है।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम और कर्मचारी संघों के बीच एक सहमति ज्ञापन संपन्न हुआ है, जिसमें सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए सूचकांक से संबंध एक पेशन योजना और श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार कर ली गई है।

[हिन्दी]

विदेशों से व्यापारिक समझौता

5535. **डा. लाल बहादुर रावल** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 में किन-किन देशों के साथ व्यापारिक समझौता किया गया तथा देशवार आयात और निर्यात सूची में किन-किन मदों को शामिल किया गया है;

(ख) इन समझौतों से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितने वर्षों के लिए यह समझौता किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए :

(1) बेलारुस के साथ 14-5-1993 को

(2) स्लोवाक गणराज्य के सथ 14-5-1993 को

(3) उजबेकिस्तान के साथ 24-5-1993 को

(4) सलतनत आफ ओमान के साथ 15-6-1993 को

(5) लिथुआनिया के साथ 2-7-1993

(6) लातविया के साथ 10-9-1993 को

(7) एस्टोनिया के साथ 15-10-1993 को

(8) स्लोवेनिया के साथ 7-12-1993 को

(9) म्यांमार के साथ 7-12-1993 को

(10) इंडो-ईसी को-आपरेशन करार 20-12-1993 को,

इन करारों में किन्ही मदों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) इन करारों के अंतर्गत कोई व्यापार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसलिए इन करारों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अर्जन की मात्रा के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत म्यांमार करार को छोड़कर अन्य सभी करारों पर 5 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत-म्यांमार करार पर 2 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गये हैं।

[अनुवाद]

लम्बित श्रम विवाद

5536. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 में श्रमिकों द्वारा उठाए गए श्रमायुक्त, दिल्ली को प्राप्त औद्योगिक विवाद के मामालों की जोनवार संख्या कितनी है;

(ख) जोनवार कितने विवाद समझौता अधिकारियों/श्रम अधिकारियौं के स्तर पर निपटाए गए;

(ग) 1993 में औद्योगिक विवाद के कितने मामले दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों को न्यायालय वार सौंपे गए;

(घ) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार विभिन्न औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों द्वारा न्यायालयवार कितने विवादों पर फैसला सुनाया गया और कितने मामले अभी उनके पास लम्बित हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विवादों के निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

(क) और (ख) दिल्ली में 1993 के दौरान कर्मकारों द्वारा उठाये गये और संसाधन अधिकारी स्तर पर निपटाये गये औद्योगिक विवादों की संख्या।

क्र.सं.	क्षेत्र	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाये गये विवादों की संख्या
1.	दक्षिण	2254	382
2.	कर्मपुरा	930	147
3.	मायापुरी	1256	145
4.	शाहदरा	725	47
5.	शहरी क्षेत्र	456	86
6.	सब्जी मंडी	1803	185
7.	नई दिल्ली	972	58
8.	करोल बाग	1073	137
	कुल	9469	1187

(ग) और (घ) विभिन्न श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों को दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गये औद्योगिक विवादों की संख्या घोषित पंचाटों की संख्या और 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार उनके समक्ष लंबित विवादों की संख्या।

क्र.सं.	श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण	भेजे गये औद्योगिक विवादों की संख्या	1993 के दौरान श्र.न्या./औ.अ. द्वारा घोषित पंचाटों की संख्या	31-12-1993 की स्थिति के अनुसार लंबित औद्योगिक विवादों की संख्या
1.	श्रम न्यायालय-I	222	ब्यौरा	2266
2.	श्रम न्यायालय-II	482	उपलब्ध	1979
3.	श्रम न्यायालय-III	495	नहीं	3391
4.	श्रम न्यायालय-IV	382	हैं।	2508
5.	श्रम न्यायालय-V	321		2614
6.	श्रम न्यायालय-VI	553		602
7.	श्रम न्यायालय-VII	371		1904
8.	श्रम न्यायालय-VIII	412		2262
9.	औद्योगिक अधिकरण-I	17		1364
10.	औद्योगिक अधिकरण-II	111		. 1534
11.	औद्योगिक अधिकरण III	110		1465
	कुल	3476	3814	21889

(ङ) और (च) 1990-91 के दौरान दो अतिरिक्त औद्योगिक न्यायालय सस्वीकृत किए गये थे। संबंधित पीठासीन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गये हैं।

भारतीय रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्थान परिषद

5537. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में आठवी योजना के दौरान भारतीय रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्थान परिषद की स्थापना करने का कोई प्रस्तप है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित संस्थान के लिए किस स्थान का चयन किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड की आठवीं योजना के प्रस्तावों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बंगलौर मे रेशम उत्पादन अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में सुझाव दिया है।

केरल में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा

5538. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय स्टैट बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन बैंकों में कितनी राशि जमा कराई गई;

(ग) क्या सरकार को राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की और अधिक शाखाएं खोलने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31-12-1993 की स्थिति के अनुसार, केरल में भारतीय स्टेट बैंक की 216 शाखाएं हैं।

(ख) मार्च 1992 और मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार केरल में स्थिति भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की जमाराशियां क्रमशः 1091 करोड़ रुपए और 1424 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को केरल के त्रिचूर जिले में कोम्बोदीनजमक्कल में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने के लिए केरल राज्य सरकार के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस मामले को भारतीय स्टैट बैंक के साथ उठाया गया था। जिसने सूचित किया कि चूंकि कोम्बोदीनजमक्कल में शाखा अर्थक्षम नहीं होगी, इसलिए उसका वहां शाख खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा कृषि ऋण वापस करना

5539. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता योजना, 1990 के अंतर्गत 10,000 रु. तक के कितने कृषि ऋणों को माफ किया गया है;

(ख) क्या राज्य में बहुत से किसानों ने अपने ऋणों का वापस भुगतान नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की राशि में अत्यधिक वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों भूमिहीन कामगारों कारीगरों और बुनकरों के ऋणों की राशि जो बट्टे खाते डाली गई निम्नलिखित है।

	(करोड़ रुपए)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	160.21
सहकारी बैंक	272.19
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	42.89
कुल	475.29

(ख) और (ग) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 की घोषणा और उसके कार्यान्वयन के तत्काल बाद ऋणों की वसूली में कमी हुई थी क्योंकि उधारकर्ता अपनी देय राशियों का इस आशा से भुगतान नहीं कर रहे थे कि शायद एक बार फिर ऋण माफ कर दिया जाए यह लक्षण मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में भी देखा गया। संभवत इसी कारण ब्याज संचित हो गए।

[अनुवाद]

असम में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

5540. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राज्य के श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान राज्य बीमा अस्पताल पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार असम में और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये अस्पताल कहां-कहां खोले जाएंगे और इस प्रयोजनार्थ कितना आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

5541. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कितनी शाखाएं हैं और इस बैंक की जमाराशि, अग्रिम राशि और लाभार्जन की अद्यतन राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) उक्त के बैंक कितने जोनल कार्यालय हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद में जोनल कार्यालय खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमान निर्माण

5542. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान निर्माण का कार्य अब सरकारी क्षेत्र के लिए ही आरक्षित नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी कंपनियां विमान निर्माण एकक स्थापित करने हेतु आगे आई हैं;

(ग) निजी क्षेत्र की ऐसी कौन-कौन सी कंपनियां विदेशी हैं; और

(घ) देश में विमान निर्माण एकक स्थापित करने हेतु किसी विदेशी कंपनी की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 24 जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार, केवल रक्षा विमानों का निर्माण ही सार्वजनिक सेक्टर के लिए आरक्षित रखा गया है।

(ख) मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड ने पहले ही एक विमान निर्माण यूनिट स्थापति कर दी है।

(ग) कोई भी विदेशी कंपनी भारत में विमान का निर्माण नहीं कर रही है।

(घ) विदेशी कंपनियां भारतीय पार्टी के साथ संयुक्त उपक्रम में ईक्विटी भागीदारी से विमान के निर्माण के लिए यूनिटें स्थापित कर सकती है, तथापि विदेशी ईक्विटी भागीदारी/विदेशों तकनीकी करार के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

इंडियन बैंक का पुनर्गठन

5543. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक गत तीन वर्षों से लाभ कमा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन बैंक के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं और इससे क्या क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर सहमत हो गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इंडियन के बैंक कर्मचारियों ने प्रस्तावित पुनर्गठन के विरुद्ध आंदोलन चलाने की धमकी दी है;

(छ) यदि हां, तो उनके दृष्टिकोण का ब्योरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित तुलना पत्र के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौान भारतीय बैंकों द्वारा अर्जित लाभ निम्नलिखित है :-

	(करोड रु.)
मार्च 1991	31.84
मार्च 1992	36.50
मार्च 1993	6.51

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ज) ये प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में कताई मिलें

5544. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान उड़ीसा में सरकारी स्वामित्व वाली कितनी कताई मिलों को निजी पार्टियों को बेचा गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कताई मिलों को किस मूल्य पर बेचा गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में उड़ीसा में किसी भी सरकारी मिल का निजीकरण नहीं किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले मे गंगपुर बुनकर सहकारी मिल लि., ए आई आर ई आई नामक केवल एक सहकारी कताई मिल का एक प्राइवेट पार्टी को 13.16 करोड़ रु. की लागत पर बेचा गया। मिल की स्थापना से ही यह मिल घाटा उठा रही है, जिसके अनेक कारणों में परियोजना की अत्यधिक लागत, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने में विलम्ब, कम यार्न की प्राप्ति कम क्षमता उपयोग, निरन्तर बिजली की अनुपलब्धता आदि शामिल हैं। इस एकक की बिक्री के समय इसका कुल संचित घाटा 16.99 करोड़ रु. था।

शुष्क पत्तन

5545. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शुष्क पत्तनों की सुविधाएं सीमित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सुविधाओं का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) देश में सीमाशुल्क निकासी और संबद्ध सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर इग्लैंड कन्टेनर डिपोट्स (आई.सी.डी.) तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस.) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, आई.सी.डी./सी.एफ.एस. के लिए नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक ही स्थान पर स्वीकृति देने की व्यवस्थ की गई है। ऐसी परियोजनाओं में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को भाग लेने की अनुमति है।

संलग्न विवरण पत्र में उन स्थानों को दिखाया गया है जहां ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं या जहां उन्हें लागू किया जा रहा है।

(ङ) आईसीडी/सीएफएस की स्थापना करने में अगर विदेशी मुद्रा का कोई खर्च होता है तो उसके बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

उन आई सी डी/सी डी एफ एस की सूची जो प्रचालन में है

1	2	3
इन्लैंड कन्टेनर डिपोट्स		
1.	लुधियाना	पंजाब
2.	तुगलकाबाद	नई दिल्ली
3.	गुण्टूर	आंध्रा प्रदेश
4.	अनापार्ती	आंध्रा प्रदेश

1	2	3
5.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
6.	गुवाहाटी	असम
7.	बंगलौर	कर्नाटक
8.	पानीपत	हरियाणा
9.	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश
10.	अहमदाबाद	गुजरात
11.	पुणे	महाराष्ट्र
12.	वाडीबंदर बंबई में पत्तन के बगल में कन्टेनर टर्मिनल	महाराष्ट्र
13.	कोयम्बूटूर	तमिलनाडु
14.	टॉडीयास्पेट, मद्रास में पत्तन के बगल में कन्टेनर टर्मिनल	तमिलनाडु
कन्टेनर फ्रेट स्टेशन		
1.	पटपडगंज	दिल्ली
2.	रोयापुरम, मद्रास (निर्यात के लिए)	तमिलनाडु
3.	टिरूवोट्टीयर, मद्रास (अभी निर्यात के लिए)	तमिलनाडु
4.	जेएनपीटी पोर्ट	महाराष्ट्र
5.	कलाम्बोली न्यू बंबई	महाराष्ट्र
6.	भान्डुप बंबई	महाराष्ट्र
7.	पुणा	महाराष्ट्र
8.	मुलुन्द बंबई	महाराष्ट्र
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	अहमदाबाद	गुजरात

1	2	3
11.	लुधियाना	पंजाब
12.	जलंधर	पंजाब
13.	जयपुर	राजस्थान
14.	अमृतसर	पंजाब
15.	टूटीकोरिन	तमिलनाडु
16.	द्रोणागिरी नोडे न्यू बबंई	महाराष्ट्र

सरकार द्वारा स्वीकृत उन आई सी डी/सी एफ एस की सूची जो कार्यान्वयन अधीन है

1.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
2.	नव सेवा	महाराष्ट्र
3.	टूटीकोरिन (कोन्कर)	तमिलनाडु
4.	काडला	गुजरात
5.	कलकत्ता (सीडब्ल्यूसी द्वारा)	पश्चिम बंगाल
6.	सूरत	गुजरात
7.	दिल्ली (मैसर्स एसोसिएटेड कन्टेनर टर्मिनल लि.)	दिल्ली
8.	जोधपुर	राजस्थान
9.	दशरथ, बडौदा	गुजरात
10.	नासिक	महाराष्ट्र
11.	माधवारम, मद्रास	तमिलनाडु
12.	उदयपुर	राजस्थान
13.	भटिंडा	पंजाब
14.	इन्दौर	मध्य प्रदेश

1	2	3
15.	कलाम्बोली	महाराष्ट्र
16.	टिरुपुर	तमिलनाडु
17.	कोटा	राजस्थान
18.	थम्मनम (कोची)	तमिलनाडु
19.	कोचीन (मैसर्स नेशनल टायर रबड़ एंड क.)	केरल

फोरेक्स नीति

5546. **श्री श्रवण पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूंजीगत वस्तुओं के आयात से संबंधित फोरेक्स नीति को और अधिक उदार बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, नहीं। वर्तमान निर्यात एवं आयात नीति (संशोधित संस्करण मार्च, 1994) के अंतर्गत सभी व्यक्तियों द्वारा बिना किसी लाइसेंस के स्वतंत्र रूप से नई पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी गई है। ऐसी पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का जो कम से कम पांच वर्ष और रह सकती है, बिना लाइसेंस आयात करने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन इसकी अनुमति केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को ही दी गई है।

खाड़ी के देशों के साथ व्यापार समझौता

5547. **श्री फूल चंद वर्मा** :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 के दौरान खाड़ी के देशों के साथ किन्हीं व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी देशवार मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) 1993 के दौरान इन देशो के साथ देशवार किन-किन मदों का कितनी कितनी विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात किया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान ओमान

सल्तनत तथा भारत के बीच आर्थिक व्यापार और तकनीकी सहयेाग के संबंध में एक करार किया गया।

(ख) करार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) संविदाकारी पक्ष अपने आर्थिक वाणिज्यिक तथा तकनीकी संबंधों के बारे में एक दूसरे को परममित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करेंगे। ऐसा करते समय वे अन्य देशों के साथ अपनी-अपनी विशेष व्यवस्थाओं के संदर्भ में प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को मिलने वाले विशेष शर्तों और रियायतों के बारे में पूर्वाग्रह नहीं करेंगें।

(2) संविदाकारी पक्ष दोनों देशों में आयोजित होने वाली औद्योगिक वाणिज्यिक तथा तकनीकी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए अपने वाणिज्यिक उद्यमों तथा संगठनों को प्रोत्साहित करेंगे,

(3) संबंधित राज्य संगठन और दोनों देशों के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र अल्पाबधि अथवा दीर्घावधि वस्तु करार संपन्न कर सकते हैं और दोनों में से किसी भी देश के हित की वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त करारों की व्यवस्थाओं से अपने को प्रतिबद्ध कर सकते हैं।

(4) इस करार को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त आयोग गठित किया जाएगा। संयुक्त आयोग की बैठकें क्रमशः मस्कट और नई दिल्ली में होगी।

(5) यह करार पांच वर्षो की अवधि के लिए वैद्य रहेगा और इसकी अवधि अगले पांच वर्षों के लिए स्वतः बढ़ती जाएगी जब तक कि, इसकी प्रचलित अवधि समाप्त होने से छह माह पूर्व संविदाकारी पक्षकारों में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने के अपने इरादे की लिखित सूचना नहीं दे देता है।

(ग) वर्ष 1993-94 के पहले 10 महीनों के दैरान ओमान को हमारे निर्यात 68 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए और ओमान से हमारे आयात 14 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए।

ओमान को निर्यात की हमारी प्रमुख मदें है तेल खाद्य आमिब और तैयार पदार्थ रत्न और आभूषण, इंजीनियरी सामान, धातुओं का विनिर्माण टेक्सटाइल यार्न और फेबिक्स कृषि वस्तुएं, चमड़ा उत्पाद, हस्तशिल्प आदि। ओमान से हमारे आयात की प्रमुख मदें हैं फर्ल और काष्ठमल धातुमय पदार्थ अयस्क और धातु कतरन, अलौह धातुऐं, कार्बनिक रसायन, औषधीय और भेषजीय उत्पादन, परिवहन उपस्कर आदि।

विमानों की टक्कर

5548. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 नवम्बर 1993 को मुम्बई हवाई अड्डे पर एक निजी एयरलाइन के वायुयान के एयर इंडिया के वायुयान से लगभग टकराने की घटना घटी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए विमान चालकों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 8-11-1993 को इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। तथापि, 11-10-1993 को एयर इंडियन की उड़ान संख्या ए.आइ.-643 को जो बंबई हवाई अड्डे के धावन पथ पर 27 अंतिम पहुंच पर थी, उस ओर न बढ़ने के लिए कहा गया क्योंकि वहां एक जेट एयरवेज का विमान उड़ान भरने के लिए बढ़ रहा था परन्तु दोनों विमानों की आसन्न टक्कर नहीं हुई थी।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जेट एयरवेज विमानचालक को, भविष्य में अधिक सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी गई है, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, हवाई यातायात नियंत्रकों के संबंध में अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित मामलें के बारे में नागर विमानन महानिदेशक की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है।

उर्वरकों के लिए जापानी सहायता

5549. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों के आयात और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने हेतु जापान सरकार से येन में सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जापान सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

5550. **डा. के.वी.आर. चौधरी** :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार कुल कितनी मात्रा में कृषि उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों एवं मसालों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) इन पदार्थों का नेर्यात बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1991-92 से कृषि-समुद्री उत्पाद (रुई सहित) संसाधित खाद्य मदों तथा मसालों के निर्यात का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

(मूल्य:करोड रु.)

(मात्रा एमटी में)

	1991-92		1992-93		1993-94 (अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. सभी कृषि-समुद्री उत्पाद	–	6333.88	–	7452.05	–	5725.64
2. संसाधित खाद्य मंदे	–	421.27	–	493.06	–	388.15
3. मसाले	141848	372.13	127965	368.82	147857	459.80

(स्रोत : डी.जी.सीआई. एंड एस., कलकत्ता)

माननीय संसद सदस्यों द्वारा मांगी गई देश-वार विस्तृत सूचना डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता द्वारा प्रकाशित (i) मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ फारेन ट्रेड ऑफ इंडिया के नार्वे 1992 अंक (1991-92 के वार्षिकांक) भाग-I-निर्यात और पुनः निर्यात (ii) मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ फारेन ट्रैड आफ इंडिया के मार्च 1993 अंक (1992-93 के वार्षिक अंक) भाग-1-निर्यात और पुनः निर्यात; तथा (iii) मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया (मुख्य मदें तथा देश) के जनवरी के अंक में उपतध है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) सरकार कृषिजन्य निर्यातों के विाकस को उच्च प्राथमिकता देती है क्योंकि इन निर्यातों से न केवल विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायता मिलती है बल्कि इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का सृजन करने में भी सहायता मिली है। एकीकृत उदारीकरण कुछ चुनिंदा पूंजीगत वस्तुओं तथा कृषि क्षेत्र द्वारा अपेक्षित अन्य निवेशों एवं विनिमय दर की शुरूआत एक्सिम नीति 1992-97 में किया गया। वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्कों में कमी करने से कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात का सवर्धन करने में सहायता मिली है। कृषि पर आधारित निर्यातोन्मुख एककों (इओयू) के लिए विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध है। उत्साहपूर्ण विपणन रणनीति विदेशों में प्रदर्शनियों में भागीदारी, व्यापार प्रतिनिधि-मंडलों को प्रायोजित करना तथा आयातकों के साथ परस्पर बातचीत के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करके वस्तु बोर्ड भी इस क्षेत्र की सहायता कर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का कार्य-निष्पादन बहुत संतोषजनक रहा है।

महाराष्ट्र में विमानपत्तनों का निर्माण

5551. **श्री अन्ना जोशी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में नये विमानपत्तनों का निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में वृद्धि

5552. **श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान डालरों के रूप में 25 प्रतिशत निर्यात में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने 1994-95 के दौरान निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) 1992 की तुलना में 1993 के दौरान निर्यात में कुल कितनी वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1994-95 के लिए निर्यात लक्ष्य अभी निश्चित किया जाना है।

(ख) निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है तथा व्यापार के उदारीकरण के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं जिनमें निर्यात से जुड़े हुए आयातों का संवर्धन, आयात लाइसेंसिंग में कमी निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना शामिल हैं। वर्ष 1994-95 के बजट में इन उपायों को और सुदृढ़ किया गया है। इस प्रयोजन के लिए चालू खातें में रुपए के विनिमय की सुविधा लागू की गई है तथा सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क में कमी की गई है। एक्सिम नीति में 30-3-1994 को महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं जिनमें कार्य प्रणाली का सरलीकरण एवं उन्हें युक्तिसंगत बनाना, विशेष आयात लाइसेंसों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त आयातों की सूची में विस्तार करना तथा सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेज के एक नए वर्ग की शुरूआत शामिल हैं।

(ग) व्यापार आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं। अद्यतन व्यापार आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-फरवरी 1993-94 के दौरान 62181.31 करोड़ रु. (19825.19 मिलियन अमरीकी डालर) का निर्यात होने का अनुमान है जबकि अप्रैल-फरवरी 1992-93 के दौरान 47233.62 करोड़ रु. (16440.75 मिलियन अमरीकी डालर) का निर्यात हुआ।

तंबाकू संबंधी कानून

5553. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य तंबाकू उत्पादन देशों में तंबाकू के प्रयोग और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रभावित करने वाले तुलनात्मक कानूनों का कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे देश के कानून तंबाकू उत्पादकों के लिए किस प्रकार से लाभप्रद हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) तंबाकू के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कानूनों में शामिल हैं वित्तीय उपाय और निर्यात नीति, विज्ञापन नीति, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लेबल चिपकाने की आवश्यकता आदि। सरकार ने इन सभी पहलुओं को कवर करते हुए कोई व्यापक तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है।

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है। इसपर कर लाभ भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1994 95 के केंद्रीय बजट में सिगरेट पर शुल्क की विशिष्ट दरें लागू रखी गयी हैं गैर फिल्टर वाली 60 एम एम श्रेणी की सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 120 रुपया प्रति हजार से घटाकर 60 रुपया प्रति हाजर कर दिया गया है। इससे तंबाकू उद्योग में तबाकू का प्रयोग बढ़ेगा, जिससे तंबाकू उपजकर्ताओं को सहायता मिलेगी। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के निर्यात को भी निर्दिष्ट मामलों में पोत लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण से छूट दी गई है।

बैंक शाखाओं को बंद किया जाना

5554. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** 18 मार्च 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान बंद की गई शाखाओं और 1994-95 के दौरन बंद की जाने वाली शाखाओं का बैंक वार पृथक् पृथक् ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वर्षों के दौरान बैंक वार कितनी अतिरिक्त बैंक शाखाएं स्थापित की गयीं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नुकसान में जा रही शाखाओं को बंद करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) क्या नुकसान में जा रही शाखाओं के बाद के कार्य निष्पादन की निगरानी संबंधित बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक और/या सरकार द्वारा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक अनुसार किसी भी बैंक ने वर्ष 1993 94 के दौरान हानि उठाने वाली शाखाअें में से किसी भी शाखा को बंद करने के संबंध में रिजर्व बैंक को अभी तक सूचित नहीं किया है। 1994-95 में बंद की जाने वाली शाखाओं से संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 1993 94 की अवधि में 74 अतिरिक्त शाखाएं खोली थीं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि सभी प्रयास किए जाने के बावजूद, जिन कतिपय दीर्घकालिक हानि उठाने वाली शाखाओं की वित्तीय स्थिति

में सुधार होने की संभावना नहीं है, उन्हें या तो "वसूली" शाखाओं में बदल दिया जाए अथवा बंद कर दिया जाये।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों को हानि उठाने वाली शाखाओं के कार्यनिष्पादन पर नजर रखने तथा उसमें सुधार लाने के वास्ते विशेष उपाय अमल में लाने के लिए भी कहा है।

मेवों का आयात

5555. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन देशों से प्रतिवर्ष मेवों का आयात किया गया;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(घ) देश में मेवों का उत्पादन करने/इसके उत्पादन में वृद्धि करने तथा विदेशी मुद्रा की बचत के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) अनुबंध के अनुसार।

(घ) आठवीं योजना में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय, शुष्क तथा शीतोष्ण क्षेत्र के फलों, जिनमें मेवे भी शामिल है, के समेकित विकास के लिए भारत सरकार ने 74.40 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान मेवों का आयात

मात्रा : मी.टन

मूल्य : लाख रु. मे

क्र.स.	मदों का ब्यौरा	1991–92		1992–93		ये देश जहां से आयात किया गया
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7
1.	काजू, कच्चा	106080	26668.29	134985	37633.12	तंजानिया, आर.ईपी., थाईलैंड, टोगो, यू.एस.ए. टेनेजुएला, बेनिन, अल सल्वाडोर गोजाबिक, वियतनाम, समाजवादी गणराज्य, नाइजीरिया, आस्ट्रेलिया, गिनी, गिनीबासू, होनडयूरस, इन्डोनेशिया, आवरी कोस्ट, मालागस, आर.पी., फिलीपीन्स रोनेगस, सिंगापुर, ब्राजील, और पुर्तगाल।
2	बादाम ताजें या छिलके में सूखे हुए	9723	3980.16	13341	9505.27	अफगानिस्तान, ईराक पाकिस्तान, यू.एस.ए. बैलिज्यम यू.के. और संयुक्त अरब अमीरात।

1	2	3	4	5	6	7
3.	छिलके वाले बादाम ताजे या सूखे हुए	1380	757.31	1864	2054.04	अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, यू.एस.ए., यू.ए.ई., सिंगापुर इंडोनेशिया आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
4.	पिस्ता	1018	342.25	1634	616.78	अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, यू.एस.ए.,और सिंगापुर।
5.	किशमिश	4405	1088.61	3922	2004.62	अफगानिस्तान, चीन ताइपेई, चीन, पी.आर.पी. फ्रांस, पाकिस्तान, यू.ए.ई. आस्ट्रेलिया साइप्रेस और ईरान।
6.	सुल्ताना और अन्य सूखे अंगूर	1810	455.76	1605	479.46	अफगानिस्तान, ईरान, आस्ट्रेलिया, साइप्रेस, चीन, ताइपेई, चीन, पी.आर.पी और संयुक्त राज्य अमीरात।
7.	खजूर सूखे नरम (खजूर या गीली खजूर)	30023	1568.52	20772	756.19	ईरान, पाकिस्तान, ईराक, जोर्डन, तुनिसिया, ओमान और यू.ए.।
8.	छुहारा–सूखा सख्त (छुआरा या खारेक)	15454	1326.86	23012	3092.82	ईरान, ओमान, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीराता यू.एस.ए सऊदी अरब तथा ईराक।
9.	अंजीर सूखी	444	116.26	520	160.42	अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान।

X.	अन्य मेवे				
	(क) खुमानी सूखी हुई	133	39.73	96	28.36	पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान।
	(ख) आलूबुखारा सूख हुआ	3	1.71	9	4.50	यू.एस.ए., पाकिस्तान और सिंगापुर।
	(ग) अन्य (खट्टे फलों को छोड़कर सूखे फल)	42	9.66	69	13.21	पाकिस्तान, ईरान, और अफगानिस्तान।

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया वेल्यू–II (आयात)

हथियारों का जब्त किया जाना

5556. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधीधाम पत्तन पर मार्च के पहले सप्ताह में तीन अलग-अलग कंटेनरों में विभिन्न बोर के हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कंटेनर कुवैत और अमरीका से आगे थे,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : जी, नहीं। तथापि, मार्च, 1994 में, कुवैत से आयात किए गए हैवी मेल्टिंग स्कैप की दो खेपों की जांच-पड़ताल के दौरान, विभिन्न व्यासों के कुछेक खाली और इस्तेमाल किए गए स्मोक स्क्रीन सैल और 38.59 मीट्रिक टन वजन के खाली कारतूस 2 कंटेनरों से बरामद किए गए थे और विभिन्न व्यासों के पुराने किन्तु क्रियाशील कारतूसों के 119 पीस 3 अन्य कंटेनरों से बरामद किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए गए पीतल के मिलेजुले स्क्रैप की एक अन्य खेप में एक कंटेनर में कुछेक अनदगे 0.22 कारतूस, विभिन्न व्यासों के पुराने किन्तु क्रियाशील कारतूसों के 96 पीसों सहित अनदगे ब्लैंक राउन्डस बरामद किए गये थे। जांच-पड़ताल करने पर सेना/वायु सेना/पुलिस अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि ये कारतूस इस्तेमाल किये जाने योग्य नहीं हैं, किन्तु यदि इन्हें भट्टी में डाला गया अथवा इन्हें कूटा गया तो यह फट सकते हैं।

(ग) और (घ) सीमाशुल्क विभाग द्वारा की गयी जांच-पड़ताल से, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि धातु स्क्रैप के रूप में क्रियाशील गोलाबारुद लाने की जानबूझकर कोशिश की गयी है।

हथकरघा क्षेत्र को अर्थक्षम बनाने संबंधी योजना

5557. **डा. असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को अर्थक्षम बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपये की एक वृहत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्लान में दो प्रमुख योजनाएं हैं। प्रथम योजना में चार वर्षों की अवधि के दौरान 3000 हथकरघा विकास केन्द्रों और 500 उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना करना है। दूसरी प्रकार की योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1993-94 के आरम्भ से तीन वर्षों की अवधि के दौरान हथकरघा बुनकरों की कवरेज में वृद्धि करना है।

(ग) 267 हथकरघा विकास केन्द्रों और 66 उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना के लिए वर्ष 1993 94 के दौरान प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 1994-95 के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की चालू योजनाओं के अंतर्गत 1993 94 के दौरान हथकरघा बुनकरों की कवरेज बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में सर्वेक्षण और लाभभोगियों का पता लगाने पर विशेष बल दिया है।

खनिजों का निर्यात

5558. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्यात किये गये विभिन्न खनिजों का ब्यौरा क्या है और उससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) सरकार द्वारा खनिजों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार ने खनिजों के निर्यात के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए सामान्य उपायों में शामिल है, निर्यात सेक्टर को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बैंकों को निर्देश, रुपया ऋण पर ब्याज दर में कमी, मशीनरी के आयात पर तटकर स्तर में कमी करना और भारतीय मिशनों द्वारा विपणन सहायता प्रदान करना।

(ग) खनिजों के निर्यात के लिए मानदंडों में शामिल हैं, घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की उपयुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, मूल्य वर्द्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना, उच्च ग्रेड के और नीतिगत महत्व वाले अयस्कों को सुरक्षित रखना और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।

विवरण

भारत द्वारा खनिजों का देशवार निर्यात

मूल्य : करोड़ रुपये में

	1991-92	1992-93	1993-94 (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4
लौह अयस्क			
जापान	880.57	668.09	538.58
चीन जनवादी गणराज्य	26.88	111.42	106.57

1	2	3	4
ईरान	57.01	34.35	60.85
कोरिया गणराज्य	142.53	73.05	45.48
चीनी ताइपेई	63.16	31.90	26.37
अन्य	265.24	183.49	184.23
योग	1435.39	1102.30	962.08
अभ्रक			
यू.एस.ए.	5.04	5.54	5.73
जापान	3.86	5.68	4.30
बेल्जियम	0.70	3.28	3.71
यू.के.	2.17	1.65	1.35
जर्मन संघीय गणराज्य	3.16	2.48	1.24
अन्य	20.32	5.48	4.03
योग :	35.25	24.11	20.36
कोयला			
बंगलादेश	9.81	43.59	30.42
नेपाल	5.20	7.33	2.69
अन्य	0.03	0.08	0.24
योग :	15.04	51.00	33.35
परिष्कृत खनिज			
यू.एस.ए.	102.50	62.68	72.20
जापान	61.21	54.91	46.76
ईरान	21.55	20.83	38.36
कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य	2.02	18.32	31.79
चीन जनवादी गणराज्य	26.96	5.04	29.42

1	2	3	4
अन्य	146.70	240.63	204.07
योग :	360.94	402.41	422.60
अन्य अयस्क और खनिज			
जापान	141.06	118.98	120.40
इटली	73.90	126.03	95.38
चीन जनवादी गणराज्य	52.49	58.55	48.68
चीनी ताइपेई	41.76	42.83	43.05
बेल्जियम	17.93	37.99	28.17
अन्य	118.22	181.51	147.99
योग :	445.36	565.89	483.67

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता

केनरा बैंक के विरुद्ध मामले

5559. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष में अब तक ग्राहकों द्वारा उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में केनरा बैंक के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) इनमें से कितने मामलों का निपटारा हुआ है;

(ग) इन मामलों में आत्मरक्षार्थ या अन्य तरीके से निपटने हेतु केनरा बैंक को कानूनी फीस एवं अन्य शुल्कों के रूप में कितनी राशि देनी पड़ी; और

(घ) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें केनरा बैंक को पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) ग्राहकों द्वारा उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में केनरा बैंक के विरूद्ध दर्ज किए गए मामलों से संबंधित सूचना नीचे दी गई हैं :

	1993	1994
दर्ज किए गए मामले	266	33
निपटाये गये मामले	26	6

(ग) उपर्युक्त मामलों को निपटाने के लिए बैंक ने 1-1-1993 से आगे की अवधि में 3,77,210.25 रुपये खर्च किए।

(घ) संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन मामलों की विस्तृत जानकारी जिनमें केनरा बैंक को उपभोक्ता विवाद निवारण मंच द्वारा वर्ष 1993 और 1994 में अब तक के दौरान क्षति पूर्ति आदेश दिया गया है

क्र. सं.	मामला संक्षेप में	राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	एमआईसीआर चैकों के लिए प्रति चैक 1 रुपये प्रभारित करना	550.00
2.	चैक बुक पर शाखा का पता अंकित न होना	5,000.00
3.	मैसर्स तुकाराम बापूजी निक्कम के भागीदारी के दावे का निपटारा	98,748.60
4.	भुनाये नहीं गए सुगम चैक	5,000.00
5.	भुनाये गये चैक और इसे लिये समाहरित प्रभार	200.00
6.	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन मंजूर ऋण अंशतः संवितरित की गई थी	100.00
7.	अन्तर्राष्ट्रीय मनीआर्डर को जमा करने में देरी	786.00
8.	विदेशी डीडी/एमटी की प्राप्ति को जमा करने में देरी	11,855.67
9.	अधिक परिकलित ब्याज	250.00
10.	निर्धारित संख्या से अधिक मासिक किस्तों के भुगतान में चूक के कारण ऋण से जुड़ी जमा योजना के बदले मंजूर न किये गये ऋण	200.00
11.	मांगने पर जारी न किये गये चैक बुक	500.00
12.	शैयरों का आंबटन न किया जाना	1,000.00
13.	जमा कराये गए लेकिन समाहरित न किये गये चैक	1,284.00
14.	ऋण खाते में समायोजित एस बी खाते में शेष राशि	6,425.00
15.	हस्ताक्षर अंतर के कारण भुगतान न किए गए सुगम चैक	5,000.00
16.	ऋण अदा करने के बावजूद भी ऋण अदायगी प्रमाण पत्र देने से इंकार	700.00

1	2	3
17.	शेयरों का आबंटन न करना	2,900.00
18.	जाली चैक मंजूर करना	20,000.00
19.	घटे मूल्यवर्ग के नोटों को स्वीकार न करना	600.00
20.	कैन 80 सी सी का आंबटन न करना	4,500.00
21.	शेयरों का आबंटन न करना	2,100.00
22.	जाली चैक मंजूर करना	5,000.00
23.	शेयरों का आबंटन न करना	450.00
24.	एसबी खातों से राशि धोखाधड़ीपूर्ण निकासी	15,000.00
25.	एसबी खातों से राशि धोखाधड़ी निकासी	2,000.00
26.	ब्याज वारंट की कपटपूर्ण भुनाई	1,500.00
27.	धन की कमी के कारण वापस किये गये चैक	10,000.00
28.	मांग ड्राफ्ट की कपटपूर्ण भुनाई	6,774.00
29.	एमआरपीएल के निर्गम की वापसी	6,000.00
30.	अन्जाने में वापस किये गये चैक	250.00
31.	परेषिति के अनुदेशों का अनुपालन न होने के कारण माल उपयोग के काबिल नहीं रहा	1,450.00
32.	हक विलेख ... पर जारी नहीं हुआ	1,000.00
33.	शेयर आवेदन कम्पनी को अग्रेषित नहीं किये गये	400.00
34.	खाते से गैर अप्राधिकृत रूप से निकाला गया	2,455.00
35.	शेयर आवेदन कम्पनी को अग्रेषित नहीं किए गए	10,000.00
36.	कमीशन की दर अधिक देना	1,000.00
37.	कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के तहत राहत नहीं दिया गया	1,000.00
38.	भुगतान नहीं किये गये बिलों को वापस करने में देरी	3,925.64
39.	शेयर आवेदन अग्रेषित करने में देरी	10,000.00
40.	गलती से चैक वापस किया गया	1,000.00

1	2	3
41.	विदेशी चैक की प्राप्तियों को जमा करने में देरी	3,780.00
42.	बिलों की डिलिवरी में विलम्ब	1,450.00
43.	अधिकारियों द्वारा मांग ड्राफ्ट हस्ताक्षर न किया जाना	1,200.00
44.	बिना किसी अनुदेश के पार्टी के खाते से आहरण	7,584.75
45.	हुंडी की वापसी प्रक्रियात्मक विलम्ब	500.00
46.	जाली चैक का भुगतान	5,232.00
47.	ऋण से जुड़े जमा योजना के तहत ऋणों की मंजूरी न होना	940.00
48.	बिना नोटिस दिये ब्याज दर में वृद्धि करना	655.00
49.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ऋण मंजूर न करना	5,000.00
50.	आवागमन में खो गये चैक	1,500.00
51.	वापस मंगवायी गई गारंटी	14,301.00

टिप्पणी : उपर्युक्त 51 मामलों में से 19 मामले जनवरी, 1993 से पहले दायर किये गये थे परंतु उपभोक्ता विवाद निवारण फोरा द्वारा इनका निर्णय 1993 और 1994 के दौरान किया गया।

आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि का कार्यालय

5560. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि के (क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों सहित) कितने कार्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि के और अधिक कार्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां कहां खोले जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 24.

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश में किसी क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

5561. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पुनर्विन्यास और आधुनिकीकरण में देर हुई है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सूती वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पुनरुजीवित के लिए तैयार की गई पुनर्विन्यास तथा आधुनिकीकरण योजनाओं, जिनको कि विशेष त्रिपक्षीय समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय बंगलौर में
दावा नहीं की गई जमा पूंजी**

5562. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर के क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में दिसम्बर, 1993 के अंत तक कितनी ऐसी धनराशि थी जिस पर कोई दावा नहीं किया गया; और

(ख) इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 6,36,01,043 रुपये।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार ब्याज अर्जित करने के लिए धनराशि निवेश की गई है। इसका उपयोग जब भी सदस्यों के दावे प्राप्त होते हैं उनके खातों के निपटान के लिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में "नाबार्ड" की शाखाएं

5563. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में कहां कहां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखाएं खोली गई हैं और 1994-95 के दौरान कहां कहां खोली जाएंगी; और

(ख) कब तक ये शाखाएं खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसका देश में कोई शाखा खोलने

का कोई प्रस्ताव नहीं हैं अलबत्ता, नाबार्ड 1989-90 से चरणबद्ध रूप में जिला स्तर पर जिला विकास प्रबंधकों (डीडीएम) की तैनाती कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए, एकल व्यक्ति आवास-सह-कार्यालय खोले जाते हैं, जिनका कार्य सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत ऋण आयोजना जिलों में ऋण कार्य का समन्वय करने और ऋण संवितरण की निगरानी करने के कार्य तक सीमित हैं।

31 मार्च, 1993 तक, नाबार्ड ने मध्य प्रदेश में अलग-अलग चरणों में 16 डीडीएम कार्यालय खोले थे। 1993-94 के दौरान, 2-7-1993 को बैतूल में और 8-7-1993 को रीवा में दो जिला कार्यालय खोले गए जिससे मध्य प्रदेश में जिला कार्यालयों की कुल संख्या 18 हो गई है जैसा कि नीचे दिया गया है। 1993-94 में प्रस्तावित 2 डीडीएम कार्यालय खोल दिए गए हैं :

1989-90

1. दुर्ग

1990-91

2. बिलासपुर
3. खंडवा
4. इंदौर
5. धार
6. ग्वालियर

1991-92

7. रायपुर
8. जबलपुर
9. छिंदवाड़ा
10. होशंगाबाद

1992-93

11. देवास
12. राजनांदगांव
13. रतलाम
14. सूरगुजा
15. विदिशा

16. शहडोल

1993-94

17. बेतूल

18. रीवा

[अनुवाद]

बेनामी शेयरों का लेन-देन

5564. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवादास्पद बेनामी शेयर मामले की समस्या का समाधान निकालने के लिए वित्त मंत्रालय सहित अनेक विभागों के उच्च अधिकारियों की हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो बहुत पहले से लम्बित इस मामले, जिससे बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, का क्या समाधान निकाला गया; और

(ग) इस समस्या से उत्पन्न पेचीदगियों को रोकने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों की जांच) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित बड़े कतिपय मामलों के संबंध में सरकार की स्थिति को बताने के सीमित उद्देश्य को लेकर वास्तव में अप्रैल, 1994 में कई सरकारी विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक से कोई अन्तिम समाधान नहीं निकला।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाद में विशेष न्यायालय ने 14 जून, 1994 तक मामले पर विचार करना स्थगित कर दिया।

निर्धन बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना

5565. **प्रो. साबित्री लक्ष्मणन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक निर्धन बुनकरों के लिए मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार कितने निर्धन बुनकरों को शामिल किया गया है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निस्सहाय बुनकरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5180
2.	असम	5550
3.	बिहार	4350
4.	गुजरात	110
5.	हिमाचल प्रदेश	280
6.	जम्मू और कश्मीर	319
7.	कर्नाटक	1908
8.	केरल	1339
9.	मध्य प्रदेश	235
10.	महाराष्ट्र	50
11.	मणिपुर	1300
12.	उड़ीसा	5750
13.	पंजाब	54
14.	राजस्थान	5
15.	तमिलनाडु	3819
16.	त्रिपुरा	100
17.	उत्तर प्रदेश	2669
18.	पश्चिम बंगाल	550
	कुल योग	33568

(ख) इस योजना के अन्तर्गत गत 3 वर्षों के दौरान अर्थात् 1991-92 से 1993-94 में केन्द्र सरकार द्वारा कल 447.76 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

कपास एकाधिकार योजना

5566. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में गुजरात और मध्य प्रदेश की कपास एकाधिकार योजना की हानि/लाभ के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपास उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं। गुजरात तथा मध्य प्रदेश में कोई भी एकाधिकार योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

असम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5567. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और वे कहां कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों ने कहां तक लक्ष्य पूरा किया है;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंक भीषण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बैंकों की कार्यक्षमता को सुधारने के क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) असम राज्य में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे जिनका मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार 404 शाखाओं का नेटवर्क था और जिनके मुख्यालय नलबाड़ी, गोलाघाट, सिल्थर, दिफु और उत्तरी लखीमपुर में थे।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने ग्रामीण बचतें जुटाने और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक क्रिया कलापों को सहयोग देने में लगाने, पुनर्वित्त के माध्यम से केन्द्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह के लिए अनूपूरक चैनल तैयार करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रबंध की लागत में कमी लाने के लिए बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता खासकर अब तक के बैंक रहित क्षेत्रों तक ले जाना है। मार्च, 1993 के अनुसार असम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 11.67 लाख खातों में लगभग 152 करोड़ रुपये जुटाये। इन बैंकों द्वारा दी गई ऋण सहायता 2.45 लाख खातों में 118 करोड़ रुपये बकाया थी। इस प्रकार उक्त अवधि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संस्थागत ऋण सहायता देकर और अब तक अप्रयुक्त ग्रामीण बचतों को जुटाकर बैंकिंग सेवा को उन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

(ग) कमजोर वर्गों तक पहुंचने की प्रक्रिया में तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक उद्देश्य का लक्ष्य पूरा करने में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आर्थिक दृष्टि से नुकसान हुआ है। असम में स्थित

सभी बैंकों को 1992-93 में 10.75 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और मार्च, 1993 के अंत तक उनकी संचित हानियों की रकम 27.96 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और मार्च, 1993 के अंत तक उनकी संचित हानियों की रकम 27.96 करोड़ रुपये बैठती है। सभी 5 क्षेत्रीय ग्रामींण बैंकों ने अपनी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि का पूरी तरह से ह्रास किया है जिसके कारण चल निधि में समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं और इसके परिणामस्वरूप ऋण संबंधी कार्यकलापों में कमी आ गई है। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की खराब वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन के कारण चल निधि की समस्या गम्भीर हो गयी है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठायी जाने वाली हानियों के कई कारण हैं जैसे कि ग्राहकों के चयन पर रोक, परिचालन का सीमित क्षेत्र, न्यून ब्याज मार्जिन, खासकर राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के पंचाट के कार्यान्वयन के पश्चात् तेजी से बढ़ते हुए स्थापना व्यय आदि।

(ङ) उनकी अर्थक्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से इन बैंकों के ऋणों में और अधिक लचीलापन लाने तथा उनकी संबद्ध बैंकिंग सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए दिसम्बर, 1993 में उपयों का एक पैकेज घोषित किया गया है। इन उपायों में गैर-लक्ष्यगत समूह वित्तपोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर निधि पर आधारित कारोबार में वृद्धि, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र संबंधी बाध्यताओं से मुक्त करना जिनका वर्ष 1992-93 में संवितरण 2 करोड़ रुपये से कम था और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उपज केन्द्रों आदि जैसे स्थानों में पुनः स्थापित करने की अनुमति देना और उन संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलना, जिनके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर हैं, आदि उपाय शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपाजिट लाकर लगाने की भी अनुमति दी गई है।

हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना

5568. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश के सभी औद्योगिक उत्पादों के प्रदर्शन को सुगम बनाने की दृष्टि से हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश से किन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ग) क्या हीरे-जवाहरात के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र से निर्यातकों को सहायता देने का अनुरोध किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश से कुल कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से हैदराबाद में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

केन्द्र स्थापना को स्वीकृति दे दी है। ताकि राज्य से निर्यात योग्य उत्पादों के प्रदर्शन को सुलभ बनाया जा सके। ए पी आई डी सी केन्द्र की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रही है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश से निम्नलिखित निर्यात किए जाते हैं :

(1) कृषि, कृषि आधारित औद्योगिक और वन-उत्पाद।

(2) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, पशु और समुद्री उत्पाद।

(3) खनिज और खनिज उत्पाद।

(4) यार्न सहित हथकरघा और वस्त्र।

(5) आभूषणों सहित हस्तशिल्प।

(6) औषध, भेषज, रसायन और सहबद्ध उत्पाद।

(7) इंजीनियरिंग मदें।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1991-92 की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि रही। वर्ष 1991-92 के दौरान हुए 4.5 करोड़ रुपये के निर्यात की तुलना में वर्ष 1992-93 में 9.33 करोड़ रुपये के आभूषणों का निर्यात किया गया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय देश के किसी निर्यातक विशेष से प्राप्त होने वाली जानकारियों को मानीटर नहीं करता है। वाणिज्य मंत्रालय निर्यात से सम्बंधित राज्यवार आंकड़े भी नहीं रखता है।

निर्यात की जाने वाली खेप के वितरण में विलम्ब

5569. **प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यातकों से विगत छह माह के दौरान अंतर्देशीय कंटेनर डिपों द्वारा पत्तनों को निर्यात प्रेषित माल देने में अधिक समय लेने से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के विलम्ब को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जी, हां। मुख्य रूप से तुगलकाबाद, मुरादाबाद, लुधियाना और जयपुर के अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं (आईसीडी) से पत्तनों को कन्टेनरों के अन्तरण में विलम्ब के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं।

(ग) कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया, जो अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं का रख-रखाव करता है, ने कार्य संचालन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) विशिष्ट मार्गों पर गारंटी शुदा परिवंहन समय/निर्धारित समय की कन्टेनर रेलगाड़ी सेवाओं के लिए रेल मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) रेलगाड़ियों की रूकावट से बचने के लिए पत्तन ट्रस्टों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

(3) निर्यात कन्टेनरों के लिए एक विशिष्ट लाइन निर्धारित की गई है और अब आई सी डी लुधियाना से पत्तनों को सीधी रेलगाड़ी चलाई जा रही है।

(4) तुगलकाबाद में रख रखाव के लिए अतिरिक्त उपस्कर लगाया गया है।

राज्यों में वित्तीय संकट

5570. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन के अक्तूबर, 1993 के अंक में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय संकट का सामना कर रहे राज्यों की सहायता के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राज्यों के वित्त संबधी भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अक्तूबर, 1993 के अंक में राज्य सरकारों के वित्त में विशेषकर राजस्व लेखा जो कि लगातार सातवें वर्ष घाटे में रहेगा, में राजकोषीय असंतुलनों का विशेष उल्लेख किया है। राजस्व घाटे की मात्रा 1992-93 में 4,116.8 करोड़ रुपये की तुलना में 1993-94 में 4,524.2 करोड़ रुपये बैठती है। कुल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) जो कि अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों से तेजी से बढ़ रहा है में 1993-94 में 18.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जिससे यह बढ़कर 23,706.6 करोड़ रुपये हो जाएगा। 1993-94 के लिए समग्र (पारंपरिक) घाटा 2,639.7 करोड़ बताया गया है जो कि 1992-93 में 1256.5 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों के स्तर का लगभग दुगना है। 1993-94 में राज्य सरकारों का बढ़ता हुआ घाटा, राजस्व प्राप्तियों की बढ़ोत्तरी में 1992-93 में 13.5 प्रतिशत से घटकर, 1993-94 में 10.00 प्रतिशत की गिरावट आने और उनके गैर-विकासात्मक व्यय, में अधिक बढ़ोतरी होने जिसका 1992-93 में 17.7 प्रतिशत के प्रति 1993-94 में 19.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का बजट प्रावधान है,.जैसे पहलुओं का संयुक्त परिणाम है।

(ग) और (घ) यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे गैर-विकासात्मक व्यय में मितव्ययिता बरतकर और अपनी संसाधन स्थिति में सुधार लाकर अपमी वित्तीय स्थिति को सुधारे। तथापि, केन्द्र ने राज्यों को योजना पर चर्चा करते समय और विभिन्न मंचों पर समय समय पर सलाह दी है कि वे अपने व्यय पर नियंत्रण रखने और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के

लिए अपने स्वयं के राजस्वों में सुधार लाएं। 1993-94 के दौरान 7 विशेष श्रेणी राज्यों को, उनके शुरुआती घाटे को ध्यान में रखते हुए, 840 करोड़ रुपये की अग्रिम योजनागत सहायता (एपीए) दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 1993-94 के दौरान, पंजाब को, उसकी विशेष समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए, 939 करोड़ रुपये का विशेष योजनागत ऋण मंजूर किया गया था। इसी प्रकार, जम्मू व कश्मीर की विशेष वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य को सुरक्षा से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए 1993-94 के दौरान 100 करोड़ रुपये देने और केन्द्र को लौटाए जाने वाले ऋण एवं ब्याज की 259.10 करोड़ रुपये तक की राशि को अस्थगित रखने की भी अनुमति दी गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजीकृत विमान

5571. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत विमानों के नेशनल रजिस्टर में कितने विमान सम्मिलित किए गए हैं,

(ख) इनमें से कितने विमान मध्य प्रदेश के हैं तथा राज्य से पंजीकृत हुए विभिन्न प्रकार के विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भोपाल में कोई उड्डयन योग्यता कार्यालय स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो यह कार्यालय वहां कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(च) मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों के पास नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए लाइसेंस और प्रमाणपत्र हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) नागर विमानन रजिस्टर में 892 विमान पंजीकृत हैं।

(ख) 22 विमान ऐसे पंजीकृत हैं जिनके पते मध्य प्रदेश के हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय का एक उप क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है जिसके प्रधान एक उड़नयोग्यता नियंत्रक हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा मध्य प्रदेश से 274 व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

मध्य प्रदेश आधारीय विमान

प्रकार	जोड़
बी-200	1

डॉफिन हेलीकाप्टर	1
चेतक हेलीकाप्टर	2
पुष्पक विमान	3
सेसना 150 एम	1
सेसना 152	5
सेसना 172	3
पाइपर कोमान्ची पी.ए.-30	1
एफ-27	2
पाइपर नवाजी पी.ए.-31	1
जेट कमांडर	1
बोइंग 720	1
जोड़ :	22

अंगोला के साथ आर्थिक संबंध

5572. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अंगोला के साथ आर्थिक सम्बन्ध मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार तथा आर्थिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में एक करार मौजूद है। एक संयुक्त आयोग भी गठित किया गया है जिसकी पहली बैठक पारस्परिक सहमति से सुविधाजनक तारीखों को भारत में होगी।

अंगोला के साथ हमारे सम्बन्धों के विकास में कमी आई है। ऐसा अंगोला में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण हुआ है।

दूरदराज क्षेत्रों में एयर टैक्सी आपरेटर

5573. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर टैक्सी आपरेटर अपनी उड़ानों का केन्द्र बिन्दु छोटे शहरों दूरदराज तथा विमान सेवा से रहित पर्वतीय क्षेत्रों को बना रहे हैं, जैसा कि विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों में हाल ही में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों तथा एयर टैक्सी ऑपरेटरों के नाम, उनकी उड़ानों के कार्यक्रम, उनके द्वारा प्रचालित विमानों की किस्म तथा उनकी क्षमता उपयोग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों तथा विमान में यात्रा करने वाली जनता ने नयी व्यवस्था पर अपना संतोष व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा किए जा रहे मौजूदा तथा योजनाबद्ध प्रचालन तथा विमानों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई अनुक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

1.	**राज्य एविएशन (प्रा.) लिमिटेड**	एफ-27 एम.के.-50
	(क) वर्तमान प्रचालन	
	पुणे-बम्बई	– दैनिक
	पुणे-हैदराबाद	– सप्ताह में चार बार
	पुणे-बैंगलौर	– सप्ताह में चार
	हैदराबाद-तिरुपति	– सप्ताह में तीन बार
	बम्बई-चंड़ीगढ़	– सप्ताह में दो बार
	(ख) योजना प्रचालन	
	पुणे-औरंगाबाद-जयपुर	
	बम्बई-नासिक	
2.	**अर्चना एयरवेज**	एल-410-यू.वी.पी.ई. 90
	(क) वर्तमान प्रचालन	
	दिल्ली-कल्लू	– दैनिक
	दिल्ली-लुधियाना	– दैनिक

	दिल्ली चंडीगढ़	दैनिक
	चंडीगढ़ हिसार	सप्ताह में पांच बार
(ख)	**योजना प्रचालन**	
	दिल्ली धर्मशाला	
	दिल्ली शिमला	
	दिल्ली देहरादून	
	दिल्ली जोधपुर जयशलमेर	
	लुधियाना जम्मू	
	लुधियाना कुल्लु	
	लुधियाना अमृतसर	
	चंडीगढ़ कुल्लू	
	चंडीगढ जम्मू	
	चंडीगढ़ अमृतसर	
3.	**जैगशन एयरलाइंस**	डोर्नियर 228
(क)	**वर्तमान प्रचालन**	
	दिल्ली कुल्लू	सप्ताह में छः बार
	दिल्ली चंडीगढ़	सप्ताह में छः बार
	दिल्ली देहरादून	सप्ताह में छः बार
(ख)	**योजना प्रचालन**	
	दिल्ली धर्मशाला	
	दिल्ली जोधपुर जयशलमेर	
	दिल्ली कानपुर वाराणसी	
4.	**ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस**	
(क)	**3 एफ-27 और बोइंग 737 से वर्तमान प्रचालन**	
	बम्बई पुणे	सप्ताह में तीन बार

बम्बई-भावनगर	दैनिक
बम्बई अहमदाबाद	दैनिक
बम्बई बेलगाम	सप्ताह में चार बार
बम्बई राजकोट	दैनिक
बम्बई-बड़ोदरा	दैनिक
(ख) योजना प्रचालन	
बम्बई केशीद	
बम्बई पोरबन्दर	
बम्बई दियु	
बम्बई कोहलापुर शोलापुर	
त्रिवेन्द्रम कोचीन कालीकट	
कोचीन लक्षद्वीप	
कोचीन त्रिवेन्द्रम	
एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	एफ-27 500
मद्रास-सलेम	
मद्रास-कोयम्बेतूर	
मद्रास-कोचीन	
मद्रास अगती	
मद्रास त्रिची	
मद्रास मदुरई	
मद्रास त्रिवेन्द्रम	
मद्रास-तूतीकोरन	

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पेंशनभोगी

5574. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत पूर्व में की गई अपनी सेवा के लिए उन संगठनों से अधिकारियों को पेंशन लेने की अनुमति देने का हाल ही में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव से 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार देश को विदेशों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या एफ 1 (16) ई. III (ख) 66 दिनांक 5-11-1966 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय/खाद्य एवं कार्य संगठन/अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विदेशी सेवा पर प्रतिनियुक्त किए गए अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कर्मचारी पेंशन निधि में शामिल होने के पात्र हैं। किसी भी अधिकारी के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पेंशन का हकदार हो जाने पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुज्ञेय पेंशन की अवधि के संबंध में किसी प्रकार का पेंशन संबंधी अंशदान करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, इस अवधि की गणना सरकार में पेंशन के लिए नहीं की जाएगी। इन आदेशों में यह भी व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र नियमों के अंतर्गत उपार्जित सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान अधिकारियों को भारत में रुपयों में किया जाएगा।

(ख) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण

5575. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से डालर के रूप में 16 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फलों का निर्यात

5576. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात किए गए फलों और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92

और 1992-93 के दौरान निर्यात किए गए फलों और उससे प्राप्त विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	(मात्रा मीटर टन में) 1990-91		(मूल्य लाख रुपये में) 1991-92		1992-93	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. ताजा आम	19380	3122	23104	3546	25850	4599
2. ताजा अंगूर	5348	855	11147	1862	10801	2179
3. अन्य ताजा फल	22121	1261	41313	2846	43633	3419
4. सूखे काष्ठ फल (अखरोट)	4268	1945	4929	3613	4832	4404
5. काजू गिरियां	49812	44140	65508	67151	53241	74513

(स्रोत : एपीडा और डी जी सी आई एण्ड एस)

देश वार निर्यात के ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथल स्टैटिस्टिकस आफ दि फारेन ट्रेड आफ इंडिया, खंड-1 के वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार ने फलों का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) बागवानी क्षेत्र के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक परिव्यय का प्रावधान।

(2) यांत्रिक ग्रेडिंग, पैकिंग केन्द्र, प्रशीतित परिवहन सुविधाएं, उन्नत पैकेजिंग सामग्री, गुणवत्ता-परीक्षण उपस्कर के प्रावधान और पत्तनों एवं हवाई अड्डों पर कार्गो संचालन सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास।

(3) प्रायोगिक आधार पर विशिष्ट फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा उपदान योजना शुरू करना।

(4) अंगूर, आम आदि जैसे उन अभिज्ञात उत्पादों का संवर्धन जिनके संबंध में समुचित संवर्धनात्मक अभियानों और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेकर अच्छी निर्यात-संभावना है।

(5) संगरोधन की क्रिया विधियां का सरलीकरण।

भारतीय दूतावासों में व्यापार विकास मिशन

5557. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में व्यापार विकास मिशन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेश में विभिन्न भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक स्कंध पहले से ही कार्य कर रहे हैं जिन्हें अपने-अपने देशों में व्यापार का संवर्धन करने सम्बन्धी कार्य सौंपा गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन का बढ़ता हुआ खतरा

5578. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन का खतरा बढ़ता जा रहा है;

(ख) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, और उन पर मुकदमा चलाया गया, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) चूंकि स्वापकों की बिक्री और खपत एक गुप्त गतिविधि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह मध्य प्रदेश में बढ़ रही है अथवा नहीं।-तथापि राज्य में वर्ष 1991 92 और 1993 के दौरान जब्त की गई औषध की मात्रा और गिरफ्तार/अभियोजित व्यक्तियों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :

औषध	1991	1992	1993
1	2	3	4
मात्रा किलोग्राम में			
अफीम	774.312	519.460	234.142
मारफीन	2.070	2.040	1.400
हेरोइन	47.720	26.092	28.690

1	2	3	4
गांजा	956.201	.1552.186	1144.400
हशीश	2.883	21.994	22.271
मैथाक्वालोन			11.000
गिरफ्तार/अभियोजित व्यक्तियों की संख्या*	528	669	785

*अभियोजन की विस्तृत जानकारी नहीं रखी जाती, लेकिन सामान्यतया एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही निर्धारित सांविधिक अवधि के भीतर चलाई जाती है।

[अनुवाद]

विद्युत करघा श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना

5579. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जीवन बीमा निगम के सहयोग से आंध्र प्रदेश में विद्युत हथकरघा श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने श्रमिकों को शामिल किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :–

(1) वे सभी विद्युतकरघा कामगार पात्र हैं जिनकी आयु 18-60 वर्ष के बीच है तथा जिन्होंने वर्ष के दौरान कार्य किया है।

(2) जो बुनकर कम–से–कम 1200 रुपये प्रति माह का न्यूनतम औसत वेतन अर्जित करता है, योजना में शामिल हो सकता है।

(3) एक परिवार का एक सदस्य योजना में शामिल हो सकता है।

(4) 10,000 रुपये की बीमाकृत राशि पर 120 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वार्षिक प्रीमियम में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा विद्युत करघा कामगारों की बराबर भागीदारी होगी।

(5) दुर्घटना से मृत्यु हो जाने की स्थिति में 20,000 रुपये की राशि अदा की जाएगी।

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल 20,873 कामगारो को शामिल किया गया है।

इंडियन एयरलाइंस के विमान में दुर्घटना

5580. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की विमान संख्या आई.सी.-186 में दिल्ली-मुम्बई मार्ग पर 1 मार्च, 1994 को दुर्घटनाएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विमान को सम्बद्ध अभिकरणों से स्वीकृति मिली हुई थी;

(घ) यदि नहीं, तो विमान के उड़ान भरने के क्या कारण थे; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी ऋण

5581. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 को बकाया विदेशी ऋण का ऋण लेने के वर्ष से ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान मूल ऋण लेने के वर्ष से अनुमानित ऋण प्रभार के भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान मूलधन और ब्याज के बीच अनुमानित ऋण प्रभार के भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान ऋण प्रभार शुल्क के भुगतान के लिए अतिरिक्त विदेशी ऋण लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विदेशी ऋण वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर अनुबंधित होते हैं और प्रत्येक ऋण का संवितरण कुछ समयान्तराल के पश्चात् किया जाता है। किसी समय विशेष पर संवितरित और बकाया ऋण प्रत्येक ऋण के अन्तर्गत किए गए संवितरणों में से उस समय तक वापसी अदायगियों को घटने के बाद की राशि का अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार किसी समय विशेष पर ऋण की बकाया राशि उधार लिए गए वर्ष से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध नहीं है।

(ख) और (ग) संवितरित ऋणों की वापसी अदायगी तत्संबंधी ऋण करार में दी गई ऋण

परिशोधन अवधि के अनुसार की जाती है। प्रायोजित भुगतान (मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान) प्रांथिस विभिन्न ऋण परिशोधन अनुसूचियों के अनुसार उस वर्ष में देय होने वाली वापसी अदायगियों की किस्त पर आधारित होती है। वर्ष के आरंभ में बकाया ऋण और वर्ष के दौरान किए गए अनुवर्ती आहरणों के संदर्भ पर ब्याज का हिसाब लगाया जाता है। इसलिए 1994-95 के दौरान प्रयोजित ऋण शोधन भुगतान मूल ऋण के वर्ष से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त ऋण शोधन भुगतान न केवल पिछले उधारों पर बल्कि वर्तमान और भविष्य के उधारों पर भी निर्भर करते हैं। ये भुगतान संतुलनों के चालू और पूंजी खाता दोनों के अंतर्गत विधिया मदों में घट बढों पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये घटबढ़ भी अनेक घटकों पर निर्भर करती है। स्थिति की जटिलता को देखते हुए भविष्य की वास्तविक ऋण भुगतान अनूसूची को निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) अतिरिक्त विदेशी उधार केवल ऋण शोधन भुगतानों से ही सम्बद्ध नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडारों की अच्छी स्थिति होने चालू खाते और विदेशी इक्विटी के अंतः प्रवाहों की ठोस संभावनाओं के होने से वर्ष 1994-95 के दौरान अन्य नए उधार लिए बगैर ऋण शोधन बाध्यताओं को पूरा किया जा सकता है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

5582. **श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार उन अनिवासी भारतीयों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती है जो देश में पूंजी निवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनिवासी भारतीय को अब तक प्रदान की गई ऋण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) को लक्षित करती हुई क्रेडिट संबंधी कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं। तथापि अनिवासी भारतीय (व्यक्ति) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के एन आर आई बाण्डों की जमानत के प्रति रुपये में ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

खनिज और धातु व्यापार निगम को घाटा

5583. **डा. लाल बहादुर रावल :**

श्री राम बदन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम को 1992 से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन घाटों को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड और आवासीय योजना

5584. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड और आवासीय योजना के अंतर्गत सरकार ने आंध्र प्रदेश को कितना धन उपलब्ध कराया है;

(ख) राज्य में लाभान्वित बुनकरों की संख्या समेत उस धन से कुल कितने और वर्कशेड बने हैं; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यशाला-सह-आवास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को 175.785 लाख रुपये की राशि दी गई।

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान आवास और कार्यशाला की मंजूरी और उससे राज्य में लाभान्वित बुनकरों की संख्या 2372 है।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में घाटा

5585. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1992-93 के दौरान सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अर्जित मुनाफा और घाटा कितना था;

(ख) घाटा होने के क्या कारण थे; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन्हें भविष्य में घाटा न उठाना पड़े ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) **(1) सहकारी समितियां** :-

(i) 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को 369.56 लाख रुपये का लाभ हुआ।

(ii) मध्य प्रदेश के 45 जिला सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में से 27 बैंकों ने 1992-93 के दौरान 184 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि बाकी 18 डीसीसीबी को 713 लाख रुपये की हानि हुई।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

मध्य प्रदेश राज्य के 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 23 बैंकों को 4445 लाख रुपये की हानि हुई और रीवा-सीधी ग्रामीण बैंक नामक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 3.31 लाख रुपये का लाभ हुआ।

(ख) और (ग) डीसीसीबी को हुई हानियों के लिए निम्नलिखित कारण माने जा सकते हैं :

(i) प्रबंधन की अधिक लागत, (ii) निधियों का अविवेकपूर्ण प्रबंधन, (iii) खराब वसूली और विशेष रूप से ब्याज की कम वसूली और (iv) कृषि ऋणों का वित्तपोषण करने के लिए कम मार्जिन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सभी एससीबी से कहा है कि वे हानि उठाने वाली डीसीसीबी के हानि के कारणों का पता लगाएं और उनकी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे अपने खर्चों में कमी लायें, निधियों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंध करें और अपने संवर्गों का व्यावसायीकरण करें। खराब वसूली के संबंध में नाबार्ड उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा कर रहा है बैंकों के वसूली प्रयासों में पूरा सहयोग देने के लिए राज्य सरकार को लिख रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुई हानियों के लिए निम्नलिखित कारण माने जा सकते हैं :

(i) निधियों की उच्च लागत के कारण ऋण देने पर कम या नकारात्मक मार्जिन (ii) एनआईटी पंचाट को कार्यान्वित करने के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थापना खर्च पर्याप्त रूप से अधिक हो जाने के कारण नियत किया हुआ अधिक उपरि खर्च, (iii) खातों की अधिक संख्या होने के कारण सेवा की अधिक लागत और (iv) सेवा किए जाने वाले क्षेत्र के पहलू से समिति परिचालन, ग्राहकों की किस्म और किए जाने वाले लेन देनों के स्वरूप के कारण प्रति कर्मचारी कम कारबार का स्तर।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हानियों को दूर करने और सामान्य रूप से उनकी अर्थक्षमता को सुधारने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :–

(i) 12-9-1992 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके नए ऋणों के 40 प्रतिशत से अनधिक की सीमा तक गैर लक्ष्य समूह के उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई है। गैर लक्ष्य समूह के उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सीमा और बढ़ाकर 1 जनवरी, 1994 से उनके नए ऋणों के 60 प्रतिशत तक कर दी गई है।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्रायोजक बैंकों को उनके (प्रायोजक बैंकों के) पास रखी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्त एसएलआर सावधि जमाराशियों पर न्यूनतम 13.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के अनुदेश जारी किए हैं।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 15 लाख रुपये से अनधिक के परिव्यय वाले लघु एवं अति लघु एककों को दिए गए उनके ऋणों के लिए 10 लाख रुपये तक का शत प्रतिशत पुनर्वित्त प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, गैर कृषि क्षेत्र के लिए उनके ऋणों में वृद्धि करने के लिए स्वतः पुनर्वित्त सुविधा वाली योजनाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराया गया है।

(iv) 22-12-1993 से, भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें ये शामिल हैं :– शाखाओं को दूसरे स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति कतिपय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र बाध्यता से मुक्त करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारोबार के स्तर में वृद्धि करने के लिए इस उम्मीद से कई अन्य ढीलें प्रदान करना कि इससे कुछ समय बाद उनकी अर्थक्षमता और कारोबार की कम मात्रा की समस्याओं को हल करने में सहयता मिलेगी।

[अनुवाद]

न्यूक्लिअस रबर एस्टेट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर्स

5586. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में न्यूक्लिअस रबर एस्टेट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर को अपने नियंत्रण में लेने के बाद इस सेंटर द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस द्वीप समूह में कितने हेक्टेअर भूमि पर रबड़ की खेती की जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस रबर सेंटर को कितना लाभ हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) दक्षिणी अंडमान में रबड़ सह विकास केन्द्र के लिए परियोजना का प्रतिपादन और कार्यान्वयन तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में किया गया था। परियोजना का कार्यसंचालन रबड़ बोर्ड को सौंप दिया गया था। बाद में द्वीप की प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए वर्ष 1986 में इसे न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एंड ट्रेनिंग सेन्टर (एन आर ई टी सी) में बदल दिया गया था। लगभग सभी प्रारंभिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं और परियोजना अब अर्थक्षम एकक के रूप में चल रही है।

(ख) वर्ष 1992-93 के अन्त तक, अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह में रबड़ कृषि के तहत कुल 970 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई है, जिसमें एन आर ई टी सी एस्टेट शामिल है।

(ग) एन आर ई टी सी ने अभी कोई लाभ नहीं कमाया है।

जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश

5587. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों के भारतीय यूनिट ट्रस्ट और जीवन बीमा निगम द्वारा इन राज्यों में पर्याप्त पूंजी निवेश करने और इंदिरा गांधी विकास पत्र तथा किसान विकास पत्र के माध्यम से प्राप्त जमाराशि में से पूंजी निवेश करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यबार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम में राष्ट्रीयकृत बैंक

5588. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं खोली गई और ये कहां-कहां खोली गई हैं;

(ख) क्या इन बैंकों में श्रेणी-III और श्रेणी-IV में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कई पद खाली पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चावल का निर्यात

5589. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल के निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कोई नयी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चावल के निर्यात के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय चावल की निर्यात प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए किए गये उपायों में शामिल हैं : (1) चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना और कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्यात के उद्देश्य से अच्छे गैर-वासमती चावल पर लगी लेबी को हटाना, (2) न्यूनतम निर्यात कीमतों को युक्तिसंगत बनाना (3) निर्यातकों को निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत रियायती शुल्क पर मिल-सम्बन्धी उपकरण आयात करने की अनुमति देना, (4) चावल के निर्यातक भी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ ने सरकार से चावल के लिए ऐसी निर्यात संवर्धन

परिषद गठित करने का अनुरोध किया है। बाद में उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया और इसके स्थान पर उन्होंने सोयावीन प्रासेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया की तरह की एक एसोसिएशन बनाने की अनुमति मांगी जिसे निर्यात संविदा करने का अधिकार हो। इस समय गैर वासमती चावल कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का एक अनूसूचित उत्पाद है।

रुई का निर्यात

5590. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारतीय रुई को विश्व में सर्वाधिक मिलावटी रुई माना है;

(ख) क्या विशेषज्ञों के अनुसार पैकिंग के बाद या परिवहन के दौरान भारतीय रुई में रंगीन धागे, मनुष्य के बाल और अन्य सामग्री मिला दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो रुई की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कपास में मौजूदा मिलावट के स्तर को कम करने और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है। फसल पश्चात् प्रबंधन के विभिन्न चरणों में खामियों तथा अप्रचलित गिनिंग और प्रैसिंग मशीनों के कारण प्रदूषण होता है जिसमें पटसन/हैसियन, वूवन प्लास्टिक, पत्ते, पंख, चमड़े जैसी आर्गेनिक वस्तुओं के साथ-साथ ग्रीस/तेल, तार आदि जैसे तत्व शामिल हैं।

(ग) सरकार ने गिनिंग और प्रैसिंग उद्योग में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना बनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कामगारों को शिक्षित करने तथा प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम, मशीनों के रखरखाव संबंधी नियम पुस्तिका बनाना शामिल है।

ऋण माफ करना

5591. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय स्टेट बैंक की कलकत्ता और मुम्बई स्थित शाखाओं के एसोसिएट बैंकों के प्रबंधकों ने करोड़ों रुपये के ऋणों को कथित रूप से माफ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन "एसोसिएट बैंकों" के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी राशि के ऋण माफ किए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध/अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रोमानिया के साथ व्यापार

5592. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत और रोमानिया के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग में सुधार हेतु सहमति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोमानिया की भारत से विविधीकृत ढंग से निर्मित माल का आयात करने में रुचि है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। रोमानिया के साथ 23 फरवरी, 1993 को एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये तथा व्यापार और आर्थिक सहयोग में सुधार करने के लिए तरीकों के बारे में समय समय पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत रोमानिया संयुक्त व्यापार परिषद की 10 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में हुई तीसरी बैठक में दोनों पक्षों ने भारत द्वारा निर्यात की कुछ सम्भावित मदें, जैसे दवाईयां और भेषज उत्पाद, एलेक्ट्रानिक उपकरण, उपभोक्ता एलेक्ट्रानिक सामान, कंप्यूटर साफ्टवेयर, सौन्दर्य प्रसाधन, अपमार्जक, बिजली के बल्व और ट्यूब रसोई के बर्तन, पोशाक और चमड़े के सामान की पहचान की।

इंडियन एयरलाइन्स को हुआ घाटा

5593. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **नागर विमानन पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे की किस प्रकार पूर्ति की जा रही है;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स को इन घाटों की प्रति पूर्ति के लिए कौन सी एजेन्सी धन प्रदान कर रही है; और

(घ) इस भारी घाटे को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरलाइन्स 1994-95 में और उसके पश्चात् विमानों की खरीद के लिए किस प्रकार धन की व्यवस्था करेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलांइन्स अपनी बहिर्गामी निधियों को जुटाये गए आन्तरिक संसाधन शेष रोकड़ और बैंक अधिशेष में से कार्यशील पूंजी में कटौती करके अल्प अवधि उधार कर और अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में से पूरा करती रही है।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स का 5 ए 320 विमानों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है जिनके लिए आदेश दिए गए हैं। इस खरीद का वित्तपोषण विदेशी बैंकों के संघ से दीर्घ कालीन ऋणों द्वारा किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त ऋण

5594. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से कुल कितना ऋण प्राप्त किया; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त किये जाने वाले नये ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारत द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आई डी ए ऋणों की प्राप्त की गई कुल धनराशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये में)

1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 अनन्तिम
1388.60	2547.47	3407.30	2103.59

(ख) जिन पाईपलाइन परियोजनाओं को 1994-95 में अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:

	परियोजना का नाम	धनराशि (डालर मिलियन)
1.	जनसंख्या I*	86.7
2.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	250.00
3.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	170.00
4.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-III	100.00
5.	आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली	150.00
6.	मध्य प्रदेश वानिकी	120.00

बैंकों के लिए डी आई सी जी सी योजनाएं

5595. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा बैंकों के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) डीआईसीजीसी को गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों से वर्षवार गारंटी शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार बैंकों द्वारा डीआईसीजीसी को कितने मूल्य के दावे भेजे गए और निगम के ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत बैंकों को वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया/मामले सुलझाए;

(घ) क्या अनेक बैंकों ने हाल ही में ऋण गारंटी योजना की उपयोगिता और प्रक्रियाओं के बारे में अपने असंतोष व्यक्त किए हैं और योजना से अपनी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(च) डीआईसीजीसी द्वारा योजना से अपनी सदस्यता समाप्त करने से बैंकों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे; और

(छ) उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के दौहरे उद्देश्य हैं। ये हैं :

(i) किसी बैंक की सभी शाखाओं में जमाकर्ताओं की पूरी जमाराशि या उसके किसी भाग की हानि के बदले बैंकों, बीमा में जमाकर्ताओं को लाभ प्रदान करना; और

(ii) भागीदार संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऋण को गारंटी समर्थन प्रदान करना। संभवतः माननीय सदस्य उन विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे को जानना चाहते हैं जिन्हें डीआईसीजीसी द्वारा अपने ऋण गारंटी कार्यों के अंतर्गत बैंकों को प्रदान किया जाता है। इस समय डीआईसीजीसी निम्नलिखित ऋण गारंटी योजनाओं को परिचालित कर रहा है।

(i) लघु ऋण प्रत्यय गारंटी योजना 1971

इस योजना के अंतर्गत लघु क्षेत्र के उद्योगों को छोड़कर प्राथमिकता क्षेत्र के लिए वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मंजूर किए गए अग्रिम आते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया पर डीआईसीजीसी द्वारा लगाई गई गारंटी फीस 2.5 प्रतिशत वार्षिक है।

(ii) लघु क्षेत्र (एसएसआई) गारंटी योजना, 1981

इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में आने वाले लघु औद्योगिक क्षेत्रों को वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा मंजूर किए गए अग्रिम आते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया पर डीआईसीजीसी द्वारा लगाई गई गारंटी फीस 1.5 प्रतिशत वार्षिक है।

(iii) ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

इस योजना के अंतर्गत परिवहन, खुदरा व्यापार कारबार उद्यम/व्यावसायिक उपभोक्ता ऋण आदि और कृषि से संबंधित कार्यों के लिए प्राथमिक शहरी विकास बैंकों द्वारा मंजूर किए

गए अग्रिम आते हैं। डीआईसीजीसी द्वारा प्रारंभिक गारंटी फीस की दर 1.5 प्रतिशत वार्षिक हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्पुयक्त तीन योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों से प्राप्त गारंटी फीस के वर्षवार आंकड़े, बैंकों द्वारा प्रस्तुत दावे और डीआईसीजीसी द्वारा भुगतान किए गए दावें नीचे दिए गए हैं :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	गारंटी फी गये दावे	प्रस्तुत किए गये दावे	निपटाये गये दावे	भुगतान किए गए दावे
1991-92	565.88	627.23	615.81	462.31
1992-93	702.78	1143.27	809.16	633.55
1993-94 (अनन्तिम)	850.85	1476.25	1091.85	882.58

(घ) और (ङ) डीआईसीजीसी ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान 32 ऋणदात्री संस्थाओं ने डीआईसीजीसी द्वारा परिचालित की जा रही उपर्युक्त वर्णित तीन ऋण गारंटी योजनाओं से अपने को अलग कर लिया है। इसके साथ-साथ गारंटी फीस के भुगतान में 29 बैंकों द्वारा की गई चूकों के कारण भागीदारी करने वाली संस्थाओं की सूची में से उन्हें निकाल दिया गया था। इसके अतिरिक्त 13 ऋणदात्री संस्थाओं ने ऋण गारंटी योजना से अपने आप अलग होने की इच्छा व्यक्त की है। इस योजना से अलग होने के लिए ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दिया गया मुख्य कारण उच्च गारंटी फीस है।

(च) और (छ) डीआईसीजीसी द्वारा परिचालित ऋण गारंटी योजनाएं स्वैच्छिक प्रवृत्ति की है और इस तरह प्रत्येक संस्था के पास उक्त योजना से अपनी भागीदारी वापस लेने के विकल्प है और इसलिए, डीआईसीजीसी किसी भी संस्था को अपनी सदस्यता जारी रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तथापि, डीआईसीजीसी ने एक निर्णय लिया है कि यदि कोई ऋणदात्री संस्था ऋण गारंटी योजना से अलग होना चाहती है तो यदि वह एक से अधिक में भागीदारी कर रही है, तो उसे सभी ऋण गारंटी योजनाओं से अलग होना पड़ेगा।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट को विदेशी निवेशकों की पेशकश

5596. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को उनकी तरफ से चुनिन्दा भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदने की ठोस पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। भारतीय

यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि उसे विदेशी संस्थागत निवेशकों से उनकी ओर से शेयरों की खरीद करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण चाय बागान

5597. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, त्रिपुरा, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बागान श्रमिक सहकारी संस्थाओं ने रुग्ण चाय बागानों को न केवल अर्थक्षम बनाने, बल्कि उनके उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि करने में वह सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चाय बागानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चाय निगम के अन्तर्गत रुग्ण चाय बागानों सहित अन्य रुग्ण चाय बागानों में ऐसे सहकारी प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) असम में चाय बागान श्रमिकों की सहकारी समितियां कुछ रुग्ण चाय बागानों का पुनरुद्धार करने में सफल रही हैं।

(ख) श्रमिकों की सहकारी समितियों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जा रहे चाय बागानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) असम के गोलाघाट जिले के फुरकटिंग में वोका चाय बागान।

(2) पश्चिम के त्रिपुरा जिले के वीमानगढ़ में दुर्गावाड़ी चाय बागान।

(ग) अपनी विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत बोर्ड ऐसी सभी सहकारी समितियों के उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। फिर भी, टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के बागानों का प्रबंधन ऐसी किन्हीं सहकारी समितियों को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्राप्त शिकायतें

5598. **डा. के.वी.आर. चौधरी :**
श्री छीतू भाई गामीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को इसकी स्थापना के पश्चात् निवेशकों से कंपनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितनी शिकायतों का निपटान कर लिया गया और कितनी शिकायतें निपटान हेतु लंबित पड़ी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों के भविष्य में शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) को आरम्भ से 31 मार्च, 1994 तक निवेशकों की कुल 10,65,610 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सूचना प्राप्त हुई है कि कम्पनियों द्वारा 4,32,832 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने निवेशकों की शिकायतों की समस्या से निपटने के लिए निवारण संबंधी अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) स्टाक-इन्वेस्ट आरम्भ करना।

(ii) न्यूनतम आवेदन-राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये करना।

(iii) न्यूनतम अनिवार्य संग्रहण केन्द्रों की संख्या को 57 से कम करके 30 करना।

(iv) आवंटन प्रक्रियाओं में 'सेबी' द्वारा नामित जन-प्रतिनिधियों को शामिल करना तथा 'सेबी' के पास पंजीकरण के आधार पर इशू के रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करना।

वस्त्रों का निर्यात

5599. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 के दौरान वस्त्रों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना प्राप्त किया गया;

(ख) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कयर, पटसन तथा हस्तशिल्प सहित वस्त्रों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	
	अनन्तिम	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1991-92	5414	5797
1992-93	6349	6590
1993-94	7400	7072 (फरवरी, 94 तक)

स्रोत : वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 के दौरान वस्त्रों के निर्यात लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं।

आयात-निर्यात नीति में संशोधन

5600. **प्रो. एम. कामसन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात निर्यात नीति को और सरल और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए इसकी कार्यविधियों में कुछ संशोधन करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों और उससे पूरा होने वाले उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों की घोषणा कब तक होने की आशा है और उनके प्रभावी होने का अनुमानित तिथि क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) उदारीकरण की प्रक्रिया और देश से निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए आयात निर्यात नीति, 1992 97 और उससे संबंधित क्रियाविधियों को दिनांक 30-3-1994 को और अधिक सरल और युक्तिसंगत बनाया गया था। इस नीति और क्रियाविधियों में किए गए प्रमुख संशोधनों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

1. शुल्क छूट और ई पी सी जी योजनाओं के अधीन तृतीय पार्टी निर्यात किए जा सकते हैं।

2. शुल्क मुक्त लाइसेंसों को जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए निर्यात उत्पादों के मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों की संख्या में और अधिक वृद्धि की गई है। इनकी संख्या दिनांक 1-4-1993 को 2211 मानदण्ड थी जो अब बढ़कर 3383 हो गई है।

3. तदर्थ मानदण्डों पर आधारित पुनरावृत्ति आधार पर शुल्क मुक्त लाइसेंस प्रदान किए जाने की सुविधा तब तक जारी रहेगी जब तक कि इन तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण करके उन्हें अधिसूचित नहीं किया जाता।

4. तदर्थ मानदण्डों पर आधारित शुल्क मुक्त लाइसेंसों के लिए अनुरोध पर विचार करने हेतु क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समितियों की शक्तियां 50 लाख रुपये के मूल्य से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये मूल्य कर दी गई है। जिन मामलों में मानदण्ड अधिसूचित कर दिए गए हैं, उन मामलों में यह शक्ति 5 करोड़ रुपये के मूल्य से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये मूल्य की हो गई है।

5. हमारे औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए शुल्क मुक्त लाइसेंस धारक अपना अपना माल आयात करने की बजाय स्थानीय विनिर्माताओं से जुटा सकेंगे और इससे उन्हें माने गए निर्यात का लाभ भी मिल सकेगा। अग्रिम रिलीज आदेश की सुविधा अब विशेष अग्रदाय लाइसेंसों, अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंसों, हस्तान्तरित अग्रिम लाइसेंसों और अलग-अलग मूल्य के अनुसार संवेदनशील सूची की मदों के लिए भी मूल्य के रूप में उपलब्ध हो सकेगी। मूल्य आधारित लाइसेंसिंग पर संवेदनशील सूची की मदों के लिए जो 20 प्रतिशत की अतिरिक्त लोचशीलता मिलती है वह अब अग्रिम रिलीज आदेशों पर भी दी जाएगी।

6. निर्यात/व्यापार/चोटी के व्यापार घरानों और सरकारी उपक्रमों के मामलों में कानूनी वचनपत्र (एल यू टी) प्रस्तुत करने की हकदारी सीमा पिछले निर्यात निष्पादन स्तर के तीन गुने से बढ़ाकर 5 गुना कर दी गई है। अन्य फर्मों के लिए इसे डेढ़ गुने से बढ़ाकर दो गुना किया गया है। सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस को एल यू टी के लिए असीमित हकदारी होगी।

7. एक करोड़ रुपये और उनसे अधिक सी आई एफ मूल्य के शुल्क मुक्त लाइसेंसों के मामलों में बैंक गारन्टियां, जहां कहीं आवश्यक हों, दो भागों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि 50 प्रतिशत निर्यात पूरा कर लेने पर बैंक गारंटी दायित्व उसी अनुपात से कम होता जाएगा। इसके लिए एक संशोधित बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

8. आवेदन पत्र के साथ एल यू टी प्रस्तुत करना इसलिए आरम्भ किया है ताकि आयात प्रक्रिया और उसके परिणामी निर्यात का कार्य तेजी से हो सके।

9. शुल्क मुक्त लाईसेंसों पर निर्यात दायित्व की अवधि का पुनर्वैधीकरण करने और उसे आगे बढ़ाए जाने के प्रावधानों की ओर अधिक युक्ति संगत बनाया गया है और अब क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्यात दायित्व की अवधि का बारह महीनों की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण/समयावधि विस्तार कर सकेंगे।

10. क्षतिपूर्ति/विनियमन के प्रयोजन के लिए एक समान तकनीकी विनिर्देशनों वाले एक से अधिक शुल्क मुक्त लाइसेंसों को सम्मिलित कर देने की अनुमति प्रदान की गई है।

11. आवेदन पत्र के साथ सहायक विनिर्माता का नाम और अन्य ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब लाइसेंसधारकों को कबूल किए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी बनाया गया है। इसके फलस्वरूप, वे निर्यात मद को किसी भी विनिर्माता से बनवाने के लिए स्वतंत्र हैं।

12. चूक को विनियर्मित करने के प्रयोजन के लिए किसी शुल्क मुक्त लाइसेंस के मामले में मूल्य के रूप में 5 प्रतिशत तक की गलती माफ किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

13. स्प्लिट-अप लाइसेंसों को सुविधा शुल्क मुक्त लाइसेंसों के लिए भी दी गई है।

14. विदेशों को कम्प्यूटर साफ्टवेयर और निर्दिष्ट व्यावसायिक सेवाओं का जो भी निर्यात किया जाएगा उसे निर्यात/व्यापार/चोटी के व्यापार/सुपर स्टार व्यापार घरानों का दर्जा दिए जाने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त निर्यात/व्यापार/चोटी के व्यापार/सुपर स्टार व्यापार घरानों को पारगमन प्रबंध 6 महीनों की अवधि के लिए दिए जाते हैं जिसके दौरान वे अपने-अपने दर्जे के नवीकरण/पदोन्नति के लिए अनुरोध कर सकते हैं। निर्यात/व्यापार/चोटी के व्यापार/सुपर स्टार व्यापार घरानों को भी अनुमति होगी कि वे एक-एक बार क्रमशः एक/दो/तीन/पांच कारें आयात कर सकेंगे।

15. निर्यात/व्यापार/चोटी के व्यापार/सुपर स्टार व्यापार घरानों और आई एस ओ 9000 अथवा बी आई एस 14000 प्रामणन वाले विनिर्माता निर्यातकों को दिए गए विशेष आयात लाइसेंस पर मदों की आयात क्षमता में वृद्धि की जा रही है जिससे यह योजना अपेक्षतया अधिक आकर्षक बनाई जा सके।

16. निर्यात घरानों/व्यापार घरानों/चोटी के व्यापार घरानों/सुपर स्टार व्यापार घरानों को अपने-अपने ई ई एफ सी खाते से मुक्त विदेशी मुद्रा में सीमाशुल्क के भुगतान पर कारों के एक बार आयात करने की अनुमति है ताकि वे अपने यहां दौरे पर आने वाले व्यापारी शिष्टमंडलों की बेहतर सेवा कर सकें।

17. उपयुक्त श्रेणी पर सोने और चांदी कें आयात के मामले में उन्हें अब अपने ई ई एफ सी खाते से सीमाशुल्क की रियायती दर पर भुगतान करके ऐसे आयात की अनुमति होगी।

18. निर्यात/व्यापार/चोटी के व्यापार घरानों के लिए विशेष आयात लाइसेंस की हकदारी दर बढ़ाई गई है। जो माने गए निर्यातक शुल्क छूट योजना का लाभ नहीं उठाते हों, वे भी सप्लाई के एफ ओ आर मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से विशेष आयात लाइसेंस पाने के हकदार होंगे।

19. कम से कम 5 वर्षों के शेष जीवन वाले पुराने पूंजीगत माल के आयात की अनुमति सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं को बिना किसी लाइसेंस के है।

20. शारारिक रूप से विकलांग लोगों को अब ऐसी कारें आयात करने की अनुमति है जो विशेष रूप से इसी श्रेणी के लोगों के लिए बनाई गई हों। इसके लिए उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करना होंगी।

[हिन्दी]

स्वर्ण आयात योजना

5601. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सोने का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) स्वर्ण आयात हेतु क्या नीति अपनायी जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में आयातित सोने की मात्रा नीचे दी गई है :

	'एक्जिमू' नीति के तहत तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत	अविनासी भारतीय स्वर्ण आयात योजना के अन्तर्गत
	मात्रा (मीट्रिक टन)	
1990 91	0.077	
1991 92	0.062	.9 (मार्च, 1992)
1992 93	18.36	131.5
1993 94	10.29	109.4 *(मार्च तक)
(अनंतिम दिसम्बर, 1993 तक)		

(ख) वर्ष 1992 97 की यथासंशोधित निर्यात एवं आयात नीति के अन्तर्गत स्वर्ण को आयात की निषेधात्मक सूची में शामिल किया जाता है। इसके आयात की अनुमति निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत दी गई है :

(i) पुनर्भरण के प्रयोजना के लिए हीरे एवं जवाहारात योजना।

(ii) विशिष्ट निर्यात दायित्व के साथ निर्यात हेतु उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त योजना।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त निर्यात/व्यापारिक/स्टार ट्रेडिंग/सुपर स्टार व्यापारिक घरानों और विनिर्माताओं को भण्डार एवं बिक्री के लिए दिए गए विशेष आयात लाइसेंस/ऐसे लाइसेंस स्वीकृत निर्यात हेतु भी जारी किए जाते हैं।

(iv) अनिवासी भारतीय आयात योजना।

मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूर कल्याण कोष के अन्तर्गत अस्पताल

5602. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर बीड़ी मजदूर कल्याण कोष के माध्यम से अस्पताल और औषधालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान किन स्थानों पर इस प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ग) इन चिकित्सा सुविधाओं से कितने बीड़ी मजदूर लाभान्वित होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकारों के लिए चलाये जा रहे औषधालयों का विवरण संलग्न है।

(ख) यद्यपि कुछ प्रस्ताव हैं किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जबलपुर

मध्य प्रदेश

1. स्थिर एवं सचल औषधालय, सिहोरा जिला जबलपुर
2. स्थिर एवं सचल औषधालय, जबलपुर जिला जबलपुर
3. स्थिर एवं सचल औषधालय, गढ़कोटा जिला-सागर
4. स्थिर एवं सचल औषधालय, दिओरी जिला सागर
5. स्थिर एवं सचल औषधालय, सागर जिला सागर
6. स्थिर एवं सचल औषधालय, दमोह जिला दमोह
7. स्थिर एवं सचल औषधालय, हाता जिला दमोह
8. स्थिर एवं सचल औषधालय, नोहाता जिला दमोह
9. स्थिर एवं सचल औषधालय, ग्वालियर जिला ग्वालियर
10. स्थिर एवं सचल औषधालय, बेगमगंज जिला रायसेन
11. स्थिर एवं सचल औषधालय, भोपाल जिला-भोपाल
12. स्थिर एवं सचल औषधालय, सनबाद जिला खरगौन
13. स्थिर एवं सचल औषधालय, रीवा जिला-रीवा
14. स्थिर एवं सचल औषधालय, धमतारी जिला-रायपुर
15. स्थिर एवं सचल औषधालय, राज नन्दगांव जिला-राजनन्द गांव

16. स्थिर एवं सचल औषधालय, जारोरा जिला-रतलाम

17. सचल औषधालय, सतना जिला-सतना

18. स्थिर औषधालय, इंदौर जिला-इंदौर

19. स्थिर औषधालय, कटंगी जिला-जबलपुर

20. स्थिर औषधालय, वारासिवान जिला-बालघाट

21. स्थिर औषधालय, गुना जिला-गुना

22. स्थिर औषधालय, बुरहानपुर जिला-खंडवा

[अनुवाद]

विदेशी ऋण

5603. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, आई एम एफ वाणिज्यिक उधारों, निर्यात ऋण अल्पकालिक ऋण और ज्ञापन मदों समेत 31 दिसम्बर, 1993 को रुपयों अमरीकी डालर एवं एस डी आर में अनुमानित विदेशी, सरकारी और गैर सरकारी, छूट वाले और बिना छूट वाले अनुमानित ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 की उसी कोटि के अंतिम आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संपूर्ण रूप से प्रत्येक संवर्ग में अनन्तिम अंतर वार्षिक अंतरों और इन डेट-स्टाक-जीडीपी अनुपात और इन डेट-सर्विसिंग अनुपात का ब्यौरा क्या है और जिसमें गैर-सिविल ऋण भी सम्मिलित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 30 दिसम्बर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानित बकाया विदेशी ऋण के श्रेणी-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) चूंकि खातों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है इसलिए यह संभव नहीं है कि उनके तदनुरूपी अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।

(ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण क्रमशः 41.1 और 39.8 था जो 1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। इसी प्रकार से वर्तमान प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण अदायगी में 1991-92 में 31.2 से 1992-93 में 30.8 अर्थात् 0.4% तक की गिरावट आई है।

31-3-1992 और 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार बकाया विदेशी ऋण और इसकी संघटक वार विभिन्नता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

30-9-1993 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण बकाया

	(करोड़ रुपये)	(अमरीकी मि. डालर)	(मि. एसडीआर)
1	2	3	4
I. बहुपक्षीय	**79811**	**25532**	**36214**
(क) सरकारी उधार	73811	23612	33491
(i) रियायती	49716	15904	22558
(ii) गैर-रियायती	24095	7708	10933
(ख) गैर-सरकारी उधार	6000	1920	2723
(i) रियायती	–	–	–
(ii) गैर-रियायती	6000	1920	2723
II. द्विपक्षीय	**51813**	**16575**	**23510**
(क) सरकारी उधार	43311	13855	19652
(i) रियायती	43311	13855	19652
(ii) गैर–रियायती		—	
(ख) गैर-सरकारी उधार	8502	2720	3858
(i) रियायती	1262	404	573
(ii) गैर-रियायती	7240	2316	3285
III. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	**16024**	**5108**	**7245**
IV. निर्यात ऋण	13658	4365	6191
V. वाणिज्यिक उधार	36340	11625	16489

VI. अनिवासी भारतीय तथा एफ सी (बी एण्ड ओ) जमाओं	37035	11806	16745
VII. रुपया ऋण	31974	10196	14462
VIII. अल्पावधि ऋण	16249	5179	7346
जोड	282904	90386	128202

विवरण-II

विदेशी ऋण बकाया

(अमरीकी मिलियन डालर)

		31-3-1992 की स्थिति के अनुसार	31-3-1993 की स्थिति के अनुसार	अन्तर
1.	बहुपक्षीय	23090	25008	1918
2.	द्विपक्षीय	15466	16154	688
3.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	3451	4799	1348
4.	निर्यात ऋण	3990	4322	332
5.	वाणिज्यिक उधार	11700	11606	(94)
6.	अनिवासी भारतीय तथा एफ सी (बी एवं ओ) जमाओं	10144	11238	1094
7.	रुपया ऋण	10420	10616	196
8.	अल्पावधि ऋण	7073	6347	(726)
	जोड़	85334	90090	4756

स्टाक एक्सचेंज में शेयरों की डिलिवरी

5604. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से शेयरों की डिलिवरी संबंधी कोई नियम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बड़े स्टाक एक्सचेंजों में डिलिवरी के समय में अक्सर परिवर्तन हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इन स्टाक एक्सचेंजों में डिलिवरी की तारीखों में अक्सर किये जाने वाले परिवर्तनों को रोकने हेतु कोई निदेश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) स्टाक एक्सचेंजों के जरिए शेयरों की सुपुर्दगी अलग अलग एक्सचेंजों की उप-विधियों और विनियमनों द्वारा निर्धारित होती है। स्टाक-एक्सचेंजों की उप विधियों में प्रतिभूतियों में लेन-देनों के निपटाने हेतु प्रक्रियाओं को शासित करने वाले उपबन्ध भी निहित हैं। उप-विधियों के अनुसार, निर्दिष्ट शेयरों की सुपुर्दगी भुगतान घर की प्रणाली के जरिए की जाती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, बेचने वाले ब्रोकर भुगतान घर को शेयर सुपुर्द करते हैं और भुगतान-घर 'पे-इन' तथा 'पे-आउट' के बाद खरीदने वाले ब्रोकरों को शेयरों की सुपुर्दगी करते हैं।

(ग) और (घ) प्रमुख स्टाक एक्सचेंज में सुपुर्दगी का कार्यक्रम अनेक कारणों जैसे कुल बिक्री की बढ़ती मात्रा, डाक संबंधी विलम्ब, शेयरों के अन्तरण से जुड़ी अत्यधिक कागजी कार्रवाई, बीच में आ जाने वाली छुट्टियों तथा कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण कभी-कभी परिवर्तित हो जाता है।

(ङ) से (छ) हालांकि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में सामान्य निर्देश जारी नहीं किया है, फिर भी इसने स्टाक एक्सचेंजों के निरीक्षण के दौरान 'पे-इन' तथा 'पे-आउट' में होने वाले विलम्ब की ओर संकेत किया है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए पूंजी उपयुक्तता मानदण्ड

5605. **श्री बी. देवराजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले वाणिज्यिक बैंकों से आरंभ किये गये पूंजी उपयुक्तता मानदण्डों को वित्तीय संस्थाओं में भी लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से कुछ वित्तीय संस्थाओ की आर्थिक स्थिति मे गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस समय वित्तीय कमियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में हैं जिनके लिए प्रावधान किया गया था।

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या वित्तीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से आय मान्यता प्रदान करने और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के साथ साथ विवेकपूर्ण लेखा प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29-3-1994 को पांच अखिल भारतीय सावधि ऋण दाता संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रिल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक और भारतीय निर्यात आयात बैंक के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड शुरू किए हैं। यह निर्धारित किया गया है कि जिन वित्तीय संस्थाओं का लेनदेन विदेशी सरकारी और/या गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ है, उन्हें 31 मार्च, 1995 तक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में 8 प्रतिशत पूंजी अनुपात प्राप्त करना चाहिए। अलबत्ता सभी वित्तीय संस्थाओं को 31 मार्च, 1994 तक 4 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त करना चाहिए। जिन वित्तीय संस्थाओं को लेनदेन विदेशी सरकारी और/या गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ नहीं है, उन्हें 31 मार्च, 1996 तक 8 प्रतिशत का मानदंड प्राप्त करना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसका वित्तीय संस्थान कक्ष 11 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी उनकी आस्तियों और देयताओं से संबंधित विवरणियों के माध्यम से सूचना एकत्र करके करता है। एकत्र की गई सूचना के आधार पर यह निर्णय लेना उचित नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में इन वित्तीय संस्थाओं की स्थिति खराब हुई है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने पांच सावधि ऋण दाता संस्थाओं अर्थात् आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईआरबीआई और एक्जिम बैंक के लिए आय की पहचान परिसंपत्ति के वर्गीकरण, प्रावधान आदि से संबंधित मार्गनिर्देश 28 मार्च, 1994 को निर्धारित किए थे। वित्तीय संस्थाओं से वर्गीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और प्रावधान संबंधी आवश्यकतओं का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार, पूंजी पर्याप्तता में कमी, यदि कोई हो, का स्पष्ट दृश्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही सामने आएगा।

(छ) से (झ) आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान आदि संबंधी मार्गनिर्देश, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच अखिल भारत सावधि ऋणदात्री संस्थानों के लिए 28 मार्च, 1994 को निर्धारित किया था उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंधित किया गया है :

(1) **आय की पहचान** : वित्तीय संस्थाओं के लिए निष्क्रीय आस्तियों का अर्थ है कि वे सावधि ऋण/ऋण सुविधा जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निर्धारित अवधि के लिए ब्याज बकाया रहता है। किसी भी ऋण सुविधा के तहत राशि को पूर्व में देय माना जाता है जब वह देय तारीख के बाद 30 दिनों से बकाया रहे।

(2) **आस्ति वर्गीकरण** : वित्तीय संस्थानों से कहा गया है कि वे अपने ऋणों/अग्रिमों को चार वर्गों अर्थात् मानक आस्ति अवमानक आस्ति संदिग्ध आस्ति और हानि आस्ति में वर्गीकृत करें।

(3) **प्रावधान** : भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं के हानि आस्ति वर्ग के ऋणों को बट्टे खाते डाले और संदिग्ध आस्ति के मामले में उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान करें जहां तक वे प्रतिभूति के मूल्य से कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाओं से कहा गया है कि वे जमानती भाग का 20 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की रेंज में प्रावधान करें जो इस पर निर्भर करेगा कि किस अवधि के लिए अग्रिमों को संदिग्ध माना गया है। वित्तीय संस्थाओं को अवमानक अग्रिमों के अन्तर्गत कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करना होगा। इन मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं को दो लेखा वर्षों अर्थात् 1993-94 और 1994-95 में फैलाया गया है।

जहां तक निवेशों का संबंध है, वित्तीय संस्थाओं से कहा गया है कि मूल्य ह्रास का पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए और ऐसे प्रावधानों का आकलन निवेश के प्रत्येक वर्ग अर्थात् शेयरों, सरकारी प्रतिभूतियों आदि के लिए सार्वभौमिक आधार पर किया जाना चाहिए।

निजी एयरलाइनों का विकास और संवर्धन

5606. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **नागर विमानन पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी एच डी वाणिज्य स्रोत उद्योग मंडल ने देश में निजी एयरलाइनों के विकास और संवर्धन के लिए 10 सूत्री नीति का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। चैम्बर द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं :

1. हवाई टैक्सी प्रचालकों को इंडियन एयरलाइन्स की मरम्मत और अनुरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना।

2. भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई टैक्सी प्रचालकों को दी जा रही सेवाओं का उन्नयन।

3. दोनों विमानपत्तन प्राधिकरणों की कार्य-दिशा में परिवर्तन।

4. इंडियन एयरलाइन्स द्वारा हवाई टैक्सी प्रचालकों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सुविधा की व्यवस्था दी जानी चाहिए।

5. विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्य में कमी करना।

6. अंतर्देशीय विमान यात्रा कर को समाप्त करना/कम करना।

7. इंडियन एयरलाइन्स को निजी वाहकों के साथ इंटरलाइन करार पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

8. इंयिन एयरलाइन्स के रद्द करने संबंधी नियमों की संबीक्षा करना।

9. हवाई टैक्सी प्रचालकों को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ानों को शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए और अनिवासी भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ानों पर यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

10. किरायों का विनियमन नहीं किया जाना चाहिए।

11. छोटे विमान क्षेत्रों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को मनाया जाना चाहिए।

(ग) पूर्वोक्त सुझावों को नोट कर लिया गया है।

अमरीका के साथ व्यापार

5607. **श्री एल.बी. सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारत और अमरीका के बीच 7 बिलियन डालर का व्यापार हुआ;

(ख) क्या अमरीका ने निर्यात नियमों में ढील दी है जिससे अमरीका के साथ व्यापार में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो 1993-94 में दोनों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) 1994-95 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए अन्य क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। संयुक्त राज्य के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार कैलेन्डर वर्ष 1993 में भारत और यू एस के बीच 7.312 अरब अमरीकी डालर का व्यापार हुआ था।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

(ग) भारत और यू एस के बीच समग्र द्विपक्षीय व्यापार में (अप्रैल-जनवरी), 1992-93 की तुलना में अप्रैल-जनवरी, 1993-94 के दौरान 11.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(घ) व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर सेमीनार आयोजित करके तथा बाजार सम्बन्धी जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट प्रतिनिधि मंडलों के दौरों के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधि समय-समय पर बैठक आयोजित करते हैं, ताकि बाधाओं और अन्य कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल का पुनर्गठन

5608. **प्रो. एम. कामसन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल का दस वर्षों के बाद पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित निदेशक मंडल में कितने सदस्य हैं और उसका कार्यकाल कितना है;

(ग) क्या इस पुनर्गठित मंडल का आधार पहले के निदेशक मंडलों की तुलना में नियमित आवश्यक है तथा संतुलित है और उसमें व्यापार, उद्योग, कृषि बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, अर्थशास्त्र, विधि-क्षेत्रों आदि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केन्द्रीय स्थानीय बोर्डों का 28 मार्च, 1994 को पुनर्गठन किया गया है। इसके केन्द्रीय बोर्ड में 10 निदेशकों और 4 स्थानीय बोर्डों में 17 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। स्थानीय बोर्डों के चार सदस्यों, अर्थात् प्रत्येक स्थानीय बोर्ड से एक-एक को भी भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन निवेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है। इन निदेशकों और सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। ये सभी नियुक्तियां चार वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठित केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्ड विस्तृत आधार वाले होते हैं और इनके द्वारा उद्योग कृषि, अर्थशास्त्र, विधि प्रबंधन, श्रम इत्यादि जैसे हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड

1. श्री रतन नवल टाटा
अध्यक्ष,
टाटा संस लिमिटेड,
बम्बई

2. श्री कृष्णलाल चुग,
अध्यक्ष,

आई टी सी लिमिटेड,
कलकत्ता।

3. श्री मुमताज अहमद,
मुख्य कार्यपालक,
नामडांग टी कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
कलकत्ता।

4. डा॰ सी॰आर॰ हनुमंत राव,
भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग,
हैदराबाद।

5. डा॰ भाई मोहन सिंह,
अध्यक्ष, अमेरिट्स,
रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड,
नई दिल्ली।

6. डा॰ एम॰एल॰ सहारे,
भूतपूर्व अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग,
नई दिल्ली।

7. डा॰ अमृता पटेल,
प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड,
आणंद।

8. श्री गोपाल रामानुजम,
अध्यक्ष
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, कांग्रेस,
मद्रास।

9. श्री विपिन मलिक,
चार्टर्ड लेखाकार,
बी. मलिक एंड एसोसिएट्स,
नई दिल्ली।

10. श्री सरदारा सिंह जोहल,
भूतपूर्व अध्यक्ष, कमीशन फार एग्रीकल्चर,
कास्टस एंड प्राइसिज,
भारत सरकार, लुधियाना।

11.	श्री जमशेद जीजी इरानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टिस्को लिमिटेड, जमशेदपुर।	पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से
12.	श्री पृथ्वी नाथ धर, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट आफ इकनोमिक ग्रोथ, दिल्ली।	उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से
13.	श्री एरासु अय्यपु रेड्डी एडवोकेट, हैदराबाद	दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से
14.	श्री येज्दी हीरजी मालेगम, सनदी लेखाकार बम्बई।	दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से

पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

1. श्री बेज्दी हरिजी मालेगम,
   सनदी लेखाकार, बम्बई।
2. डा. बकुल एच. ढोलकिया,
   प्रो. इंडियन इकानामिक्स,
   आईआईएम, अहमदाबाद।
3. श्री प्रदीप पन्नालाल शाह,
   प्रबंध निदेशक, सीआरआईएसआईएल,
   बम्बई।
4. डा. नीलकांत ए. कल्याणी,
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
   भारत फोजे लिमिटेड, पुणे।
5. श्री इन्द्र चन्द जैन,
   सनदी लेखाकार,
   खण्डेलवाल जैन एंड कम्पनी,
   बम्बई।

पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

1. श्री जमशेद जीजी इरानी,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
टिस्को लिमिटेड,
जमशेदपुर।

2. श्री तरुण चन्द्र दत्त,
अध्यक्ष
पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,
कलकत्ता।

3. डा. सुब्रत गांगुली,
कार्यकारी' उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
बम्बई।

4. डा. सुबीर चौधरी,
निदेशक,
भारतीय प्रबंध संस्थान,
कलकत्ता।

उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

1. श्री पृथ्वीनाथ धर,
अध्यक्ष इंस्टीच्यूट आफ इक्नोमिक ग्रोथ
दिल्ली।

2. श्रीमती शोभना भारतीय,
कार्यपालक निदेशक, हिन्दुस्तान टाइम्स,
नई दिल्ली।

3. श्री ब्रिज मोहन लाल मुंजल,
उद्योगपति,
हीरो होण्डा ग्रुप, नई दिल्ली।

4. श्री डी.ए : वाई. पानंदीकर,
भूतपूर्व महामंत्री, एफआईसीसीआई।

दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

1. श्री एरासु अय्यपु रेड्डी,
एडवोकेट, हैदराबाद।

2. श्री एन. सनकर,
उपाध्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक,
केमिकल्स एंड प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड,
मद्रास।

3. श्री के. रामुन्ना मेनन,
आईएएस (सेवा निवृत्त),
त्रिवेन्द्रम।

4. श्री देवीनैनी सीतारमैया,
चार्टर्ड लेखाकार,
ब्रह्मैया एंड कंपनी,
हैदराबाद।

मध्य प्रदेश में समेकित पर्यटक विकास योजना का कार्यान्वयन

5609. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या नागर विमानन पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से समेकित पर्यटन विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या ऐसी योजनाओं में अनिवासी भारतीयों को निवेश करने की अनुमति दी गई है अथवा देने का विचार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र में स्विस बैंकों का प्रवेश

5610. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस बैंकों ने भारतीय वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) हबीब बैंक एजी ज्यूरिक और यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड नामक दो स्वीस बैंकों ने बम्बई में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन भेजे हैं। विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, हबीब बैंक एजी ज्यूरिक के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचाराधीन है।

तांबे का आयात

5611. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तांबे का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उसका मूल्य कितना है; और

(ख) देश में तांबे की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विभिन्न मदों (तांबे सहित) के आयात को दर्शाने वाले आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के प्रकाशन मंथली स्टैटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया खंड-2 (आयात) में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस प्रकाशन का नवीनतम अंक जून, 1993 से सम्बन्धित है।

(ख) चालू एक्सिम नीति के तहत, तांबे का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। मुक्त रूप से आयात किए जाने से देश में मांग एवं आपूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड

5612. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री राजेश कुमार :

क्या **नागर विमानन पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) क्या इस बोर्ड ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस बोर्ड की अब तक कुल कितनी बैठकें हुई हैं;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और बोर्ड को सक्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का बोर्ड को पुनर्गठित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोर्ड का पुनर्गठन कब तक किया जाएगा ?

नागर विमानन पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

निवेश गारंटी समझौता

5613. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल ही की जर्मनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य किसी निवेश गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जी-7 के अन्य किन-किन देशों के साथ हाल ही में ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 14 मार्च, 1994 को लन्दन में यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ, दोनों देशों के बीच निवेश के संबर्धन और संरक्षण हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- दोनों में से किसी भी देश के निवेशों को दूसरे देश में संरक्षण दिया जाएगा;
- दोनों में से किसी भी देश द्वारा देश के साथ सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का व्यवहार किया जाएगा;
- निवेश संबंधी विवादों के निपटान के लिए प्रावधान किया गया है;
- सम्पत्तिहरण राष्ट्रीकरण के मामले में क्षतिपूर्ति दिए जाने हेतु भी प्रावधान किया गया है;
- दोनों देशों के बीच निवेशों और उससे अर्जित होने वाले लाभों के मुक्त अन्तरण के लिए किया गया है;
- यह करार दस वर्ष के लिए प्रभावी होगा; इसके बाद यह किसी एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को करार की समाप्ति का लिखित नोटिस दिए जाने के एक वर्ष बाद तक लागू रहेग।
- यह करार अनसमर्थन के उपकरणों के आदान-प्रदान के बाद ही प्रभावी होगा।

रुई बोर्ड

5614. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तंबाकू बोर्ड की भांति एक रुई बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह बोर्ड कब तक स्थापित किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने कपास के उत्पादन, खपत और विपणन संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) की पहले से ही स्थापना की है। बोर्ड का पिछला गठन अप्रैल, 1992 में दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

5615. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कोई शर्त रखी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय कंपनियों के विरुद्ध इन कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) देशीय म्यूचुअल फण्डों के प्रबन्ध हेतु भारत में परिसम्पत्ति प्रबन्ध कम्पनियां स्थापित करने की इच्छुक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अलग अलग म्यूचुअल फण्ड योजनाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) विनियमन, 1993 के उपबन्धों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित की जाती हैं। ये विनियमन प्रायोजक संस्थान के स्वरूप का ध्यान रखे बिना, सभी देशीय म्यूचुअल फण्डों पर लागू होते हैं। ये विनियमन पात्रता संबंधी मापदण्ड, योजनाएं शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं, निवेश संबंधी उद्देश्यों, मूल्य निर्धारण नीतियों और निवेश संबंधी प्रतिबन्धों को निर्धारित करते हैं। इन विनियमों से 'सेबी' को उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले म्यूचुअल फण्डों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि म्यूचुअल फण्ड, अपने प्रायोजकों के स्वरूप पर ध्यान न देते हुए, अनुशासनात्मक रूप से कार्य करें, 'सेबी' के लिए विनियमों में पर्याप्त रक्षोपाय हैं।

यूरो इश्यू संबंधी नई नीति

5616. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1994-95 में यूरो-इश्यू हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में भारतीय कंपनियों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में भारतीय कंपनियों हेतु यूरो-इश्यू संबंधी नई नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(च) यूरो-इश्यू संबंधी नई नीति की घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1994-95 के दौरान यूरो इश्यू से संग्रहरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) से (च) ऐसे इशुओं के जरिए कम्पनियों द्वारा जुटाई गई कुल राशियों की सरकार द्वारा इसके बृहत आर्थिक प्रभावों को देखते हुए निरंतर समीक्षा की जाएगी। उन कम्पनियों की पात्रता जो अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार तक पहुंच सकती हैं, जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति के साथ पठित 12-11-1993 को जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित होती हैं तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि तक का अच्छे कार्य-निष्पादन का समनुरूप ट्रैक रिकार्ड पात्रता संबंधी एक प्रमुख मापदण्ड है। यूरो इशू जारी करने संबंधी नीति की, बृहत-आर्थिक तथा भुगतान शेष संबंधी दृष्टि कोणों के साथ सामंजस्य रखते हुए सतत् और निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है।

परिस्थितिकी अनुकूल कृषि उत्पाद

5617. **डा. आर. मल्लू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बाजार में परिस्थितिकी के अनुकूल उत्पादों विशेषकर कृषि उत्पादों के विपणन के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार परिस्थिति की चाय की तर्ज पर परिस्थितिकी अमुकूल कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु अनुसंधान और विकास कार्य को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इको-फार्म उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यापार और उद्योग के आम हित में अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से संगत अनुसंधान एवं विकास करने के लिए एक योजना बनाई है।

टेलीफोन लाइनों का वापस लौटाया जाना

5618. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मितव्ययिता उपाय के तहत मंत्रालयों विभागों को टेलीफोन लाइनें वापस लौटा देने के दिशा निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दूरसंचार विभाग के अधिकारी इस योजना के तहत आते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना की घोषणा के बाद इस विभाग के कर्मचारी द्वारा कितने टेलीफोन वापस लौटाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के निवास पर टेलीफोन सुविधा के प्रावधान के सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों में एकरूपता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के आधार पर कि 10 प्रतिशत टेलीफोन लाइनें वापिस की जाएंगी; जनवरी, 1992 में सभी मंत्रालयों/विभागों से 10 प्रतिशत टेलीफोन लाइनें वापिस करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) अब तक 101873 लाइनों में से 10882 लाइनें वापिस की गई हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) 58789 टेलीफोन लाइनों में से 6514 लाइनें वापिस की गई हैं।

(च) पात्र अधिकारियों के आवास पर टेलीफोन की व्यवस्था से संबंधित अनुदेश केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर समान रूप से लागू होते हैं।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, सरकार ने पूरे देश में कुछ जिलों को बैकवर्ड जिले घोषित किया है और बिहार में कुल 51 जिलों में से 23 जिलों को बैकवर्ड जिले घोषित किया गया है लेकिन हमें इस बात का दुख है कि सरकार ने जिस आधार पर कुछ जिलों को बैकवर्ड घोषित किया है, चयन किया है, उसमें कोई क्राईटेरिया नहीं रखा गया है। मैं यहां समस्तीपुर जिले को रिप्रेजेंट करता हूं वहां 27 लाख की आबादी में से 26 लाख लोग गांवों में रहते हैं और वहां की 80 हजार हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में न तो सिंचाई की कोई व्यवस्था है और न नहरों की कोई व्यवस्था है। कोई उद्योग धन्धे भी नहीं हैं। लगभग 50.3 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और 72 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। ऐसी हालत होते हुए भी इस जिले को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित न करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है जबकि कई ऐसे जिलों को बैकवर्ड घोषित कर दिया गया है जो काफी एडवांस हैं, शिक्षित हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि किसी जिले को बैकवर्ड जिला घोषित करने के लिए क्या कोई क्राईटेरिया या नौर्म बनाये गये हैं, निश्चित किए गये हैं। सही चयन न होने वाले जिलों में सिर्फ समस्तीपुर जिला ही नहीं है, खगरिया और नालन्दा आदि जिले भी हैं। यदि अध्यक्ष जी आप माननीय सदस्यों की राय लेंगे तो अधिकांश माननीय सदस्यों की यही शिकायत है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उसने जिन जिलों को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, उसके लिए कोई सही मापदंड, क्राईटेरिया या नौर्म्स बनाये ताकि किसी जिले के साथ अन्याय न हो सके।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं भी इनसे सहमत हूं कि कुछ जिलों के साथ अन्याय हुआ है।

[अनुवाद]

श्री एम.आर. कादम्बूर जर्नादनन (तिरुनेलवेली) : महोदय, पूरा दक्षिणी भारत तथा समस्त जनता औद्योगिककरण के प्रयोजनार्थ दक्षिणी गैस ग्रिड के माध्यम से, गैस प्राप्त करने की आस लगाये हुए है क्योंकि उनके पास न तो कोयले का भंडार है और न ही कोई अतिरिक्त धन बिजली संसाधन। परन्तु उनमें इस बात से काफी निराशा है कि भारत सरकार तथा पेट्रोलियम मंत्रालय ने अनुदान की मांगों अथवा किसी तेल कंपनी के वार्षिक बजट में राष्ट्र के लिए आवश्यक इस परियोजना के लिए सांकेतिक निधि के रूप में एक रुपये का भी आवंटन नहीं किया है। दक्षिण के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने, चाहे वे किसी भी दल के रहे हों, दो वर्ष पूर्व अपनी बैठक में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें केन्द्र से दक्षिण गैस ग्रिड की स्थापना करने का अनुरोध किया गया था इसके बाद, माननीय पेट्रोलियम मंत्री शर्माजी ने सभा के भीतर तथा बाहर भी यह आश्वासन दिया कि परियोजना को शुरू किया जाएगा, परन्तु अब पेट्रोलियम सचिव ने स्थायी समिति में उत्तर दिया है...

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन, स्थायी समिति में जो होता है उसका उल्लेख सभा में नहीं किया जाता है, अतः आप इसका उल्लेख न करें।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : हमें अब पता चला है कि राष्ट्र के लिए आवश्यक दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना साकार नहीं हुई है। चूंकि योजना आयोग ने भी दक्षिणी गैस ग्रिड की अवधारणा का समर्थन किया है इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय को योजना आयोग से योजना में दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना के लिए प्रावधान करने का अनुरोध करना चाहिए था। सरकार ने परियोजना के लिए सहायक पाइप लाइन के लिए भी सांकेतिक प्रावधान नहीं किये हैं जिससे पता चलता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने दक्षिण भारतीयों तथा दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की परवाह नहीं की है और परियोजना कुछ समय के लिए कागज पर ही रह गयी है।

अतः, सरकार को बजट में दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना के लिये प्रावधान करके दक्षिण भारतीयों की आशाओं को पूरा करने के लिए तुरन्त आगे आना चाहिए। ताकि वह व्यवहार में साकार हो सके। मुझे आशा है कि सरकार अब इस ओर ध्यान देगी।

श्री तेज सिंह राव भौंसले (रामटेक) : महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य गाइड गत पन्द्रह वर्षों से अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। परन्तु उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की गयी है। मैंने इस संबंध में 1992 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री एम.एल. फोतेदार को लिखा था। मैंने 1993 में स्वासथ्य मंत्री श्री बी. शंकरानन्द को भी लिखा था परतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ये स्वास्थ्य गाइड देश के सुदूरवर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है और उन्हें मात्र 50 रुपये की राशि मिलती है जो तनिक भी न्यायसंगत नहीं है। सरकार श्रमिकों की मजदूरी समय-समय पर बढ़ाती रही है परन्तु किसी ने उसका ध्यान इन स्वास्थ्य गाइडों के वेतन अथवा मजदूरी की ओर आकर्षित नहीं किया है। ये स्वास्थ्य गाइड अब जन्तर-मन्तर पर 28-4-1984 से धरना दिये बैठे हैं। उनकी मांग उचित है, और उस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने

और अखिल भारतीय स्वास्थ्य गाइडों की शिकायतों का निवारण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने और उन्हें अपना **धरना** समाप्त करने के लिए राजी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी रवान्डा में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में वहां के प्रेसीडेंट की भी हत्या हुई। विद्रोही सेना ने वहां पर भारी लूटमार की और हत्याएं भी कीं। रवान्डा की राजधानी जो किंगाली है वहां पर 200 भारतीय परिवार रहते हैं। विद्रोह के वे भी शिकार हुए हैं। उनकी भी हत्याएं हुई हैं, उनकी दुकाने लूटी गई हैं। जब उन भारतीय परिवारों ने, चूंकि किंगाली में हमारा कोई हाई कमीशन नहीं है, इसलिए कम्पाला के हाई कमिश्नर से मिल कर अपनी रक्षा की प्रार्थना की, तो उन्होंने कोई भी सहायता करने से इंकार कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर जो भारतीय परिवार वहां थे, उन्होंने अमरीका और फ्रांस के हाई कमिश्नरों से सहायता का अनुरोध किया। इन दोनों हाई कमिश्नरों ने मानवीय आधार पर उन भारतीय परिवारों को अपने देश के लोगों के साथ-साथ किंगाली से कम्पाला पहुंचाने का काम किया, लेकिन हमारे कम्पाला स्थित हाई कमीशन ने उनकी कोई सहायता नहीं की, यह बहुत गम्भीर विषय है।

वहां बसे एक होटल मालिक भारतीय उद्योगपति श्री जोबनपुला ने अपनी ओर से एक चार्टर्ड प्लेन करके उन 200 भारतीय परिवारों को बुरुंडी पहुंचाने का महान काम किया है। वहां से वे परिवार अहमदाबाद में 6 दिन पहले आ गये हैं उन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए जब विदेश कार्यालय से सम्पर्क किया तो उनकी कोई सहायता नहीं की गई क्योंकि वे किंगाली से आए हैं, इसलिए जब तक कम्पाला स्थित हमारा हाई कमीशन इनके बारे में कुछ नहीं करेगा तब तक इनके पासपोर्ट नहीं बन सकते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि जो 200 परिवार रवान्डा से आए हैं और रवान्डा में हमारे हाई कमीशन ने जो उनकी सहायता नहीं की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाही होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भारतीय परिवार की ऐसी स्थिति न हो और रवान्डा के हाई कमिश्नर को इनके पासपोर्ट जारी करने के लिए तुरन्त कहा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह भी मांग है कि ये परिवार वहां से आए हैं, ये 300-300 वर्ष से वहां पर बसे हुए थे, लेकिन उनको अचानक यहीं आना पड़ा। वे वहां अपनी सब जमीन, जायदाद और सब प्रकार की प्रापर्टी छोड़ कर आए हैं। उस सब की वहां पर रक्षा हो और उन आर्थिक परिवारों को यहां पर अधिक सहायता दी जाए। मेरी आपके माध्यम से यही मांग है। आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए मै। आपको धन्यबाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर एक वक्तव्य देगी।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, भारत के लगभग 5 लाख लघु उद्योगों के कर्मचारी, मजदूर व उनके एंटर्परिन्योर्स आज यहां दिल्ली में जन्तर-मन्तर पार्क में करीब 20 हजार की तादाद में धरना दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये यूनिटें पिछले कई महीनों से

बन्द पड़ी हुई हैं क्योंकि उनके लिए जो. एग्लैम्पशन 489 के अन्तर्गत दिए गए थे, वे सब नोटिस वापस ले लिये गये हैं जिसके कारण उन उद्योगों की आज यह स्थिति बन गई है कि उनका चलना सम्भव नहीं है यही नहीं बल्कि इन धरना देने वाले कर्मचारी और उद्योगपतियों का कहना है कि जो ब्रांड लेकर दूसरे कर्मचारी बनाते हैं उन पर 30 लाख का बचाव न रखकर और उनकी पूरी एक्साइज ड्यूटी को एक्सपोज कर के एक प्रकार से भारत के पूरे लघु उद्योग पर हमला किया गया है।

मेरा निवेदन है कि यहां पर जो लोग सारे प्रदेशों से धरना देने आए हुए हैं, जिनका कनफैडरेशन ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की ओर से वहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है, हमारे वित्त मंत्री जी उसमें भाग लें, उनके दुखदर्द को सुने और उन्हें किसी प्रकार की राहत देने के प्रयास करें अन्यथा यदि 5 लाख इंडस्ट्रीज बन्द हो गई तो हमारे देश में उद्योग के अतिरिक्त लेबर की बहुत बड़ी प्रौबल्म हो जाएगी। इसलिए इंसपैक्टर राज को खत्म किया जाए। 30 लाख से 75 लाख की ऐग्जैम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए और जो दूसरों के ब्रांड बनाते हैं, उनको भी इसमें अवसर दिया जाए।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन हमें इसलिए तकलीफ हुई कि --**(व्यवधान)**--

अध्यक्ष महोदय : आप डायरैक्टली सबजैक्ट पर आ जाइए।

श्री राम नगीना मिश्र : गोरखपुर डिवीजन में जब गन्ने की सिंचाई और उसकी मढ़ाई का मौसम आता है तो वहां से डीजल समाप्त हो जाता है। हमारे जिले में हमारे दल के नेताओं की मीटिंग थी। सारे नेता डरे हुए थे। कोई भी ऐसा पेट्रोल पम्प नहीं था जहां पर सैकड़ों ट्रक न लगे हों। वहां पर हाहाकार मचा हुआ था। कहीं पर भी डीजल नहीं मिल रहा था। गत वर्ष भी यही हालत थी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कह सकता था, संयोग से हमें मौका नहीं मिला था इसलिए हमें तकलीफ हुई थी। आज आपने कहा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमें जनसमस्याओं पर बोलने का मौका दिया। आए दिन हमारे यहां परेशानी होती है। आप सरकार से बयान दिलवाने की कोशिश करें और आदेश देने की कृपा करें ताकि इस समय और भविष्य में भी किसानों को डीजल की दिक्कत न हो।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, डीजल की समस्या सारे उत्तर प्रदेश में है और आज किसानों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है।--**(व्यवधान)**--

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : सरकार ने बर्न स्टैंडर्ड कंपनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के रिफैक्टरी तथा सरामिक (मृतिका) एकक का अधिग्रहण वर्ष 1973 में किया था। इसके बाद उसी वर्ष एक अधिनियम द्वारा इसका राष्ट्रीय करण कर दिया गया। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सरकार इतनी धनराशि का निवेश करेगी जितनी संयंत्र के आधुनिकीकरण

तथा उसमें विविधता लाने के लिए आवश्यक है ताकि उसे अर्थक्षम बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कई परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के बावजूद अब तक इस सम्बन्ध में एक पाई भी खर्च नहीं की गयी है। यहां तक कि गई है। कच्चे माल, फालतू पुर्जों तथा रखरखाव पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि 700 व्यक्ति अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, तथापि, किसी भी रिक्ति को भरा नहीं गया है। और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। यहां तक कि मजदूर संघ कंपनी तथा राज्य सरकार के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते को भी समुचित रूप से लागू नहीं किया गया है। समझौते की सभी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां तक कि लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा घोषित अंतरिम राहत आदेश को भी लागू नहीं किया गया है। पिछले 14 वर्षों से इस एकक के कामगारों की संख्या बढ़ाने के लिए एक भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी है और वह बंद होने के कगार पर है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से उस एकक पर ध्यान देने और कामगारों के लिए अंतरिम राहत मंजूर करने का अनुरोध करता हूं। एकक के कार्यों में विविधता लाने तथा उसका आधुनिकीकरण करने के लिए आवश्यक पूरी धनराशि दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में डीजल की परेशानी है। मंत्री जी इस पर व्यक्तव्य दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी नीति नहीं है। आप मंत्री जी से मिल सकते हैं और वह आपकी सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोज़पुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंजाब की उस महतम जाति, जो सतलुज दरयाह के किनारे रहती है, ज्यादातर खेती का कार्य करती है और रायसिख के नाम से जानी जाती है, कि ओर दिलाना चाहता हूं। उस जाति के साथ 40 वर्षों से अन्याय हो रहा है। हर साल उस जाति के लोग बाढ़ की मार में आते हैं।

पंजाब के चार मुख्य मंत्री ज्ञानी जैल सिंह, दरबारा सिंह, प्रकाश सिंह बादल, और बेअंत सिंह जी ने समय-समय पर सैंट्रल गवर्नमैंट को सिफारिश की कि राय सिख जाति जो कि बार्डन के इलाकों में रहती है, दरिया के किनारे रहती है, उनका शैडयूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। बार-बार रिक्मडेशन्स आने के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी अपना फैसला दिया और सिविल अपील 132 के तहत 1975 में यह डिसिजन दिया कि राय सिखो को शैडयूल्ड ट्राइब घोषित किया जाना चाहिए। 1982 के अपील नम्बर 169 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही डिसिजन दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि इतनी सिफारिशें आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन आने के बाद भी गर्वनमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरी सरकार से मांग

है कि राय सिखों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको दूर करके फौरी तौर पर उन्हें शैडयूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करें।

[अनुवाद]

12.16 म.प.

परमाणु अप्रसार सन्धि संबंधी नीति के बारे में

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

दिल्ली तथा वाशिंगटन दोनों ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि लंदन में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी परन्तु उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि संबंधी बैठक की महत्ता को कम करने की चेष्ट की। जब इस मामले को सभा सदन में उठाया गया, तब भी सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। हम संसद सदस्यों को समाचार पत्रों से पता चला।

अब देश में इस बात को लेकर भारी संशय उत्पन्न हो गया है कि क्या हम परमाणु अप्रसार के संबंध में अपनी इस सर्वमान्य और सुस्थापित नीति से हट जायेंगे कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सरकार ने इस संबंध में अपना दृष्टिकोण सभा में भी बहुत ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम यह नहीं जानते कि इस तरह से गुप-चुप किस बात पर चर्चा हो रही है। अतंतः सरकार द्वारा इसे स्पष्ट किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन चौधरी जी, सरकार ने इस सभा में और दूसरी सभा में भी इस पर अपना दृष्किोण बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा है। इन मदों को बार-बार उठाने से क्या आपको नहीं लगता कि इससे सभा की कार्यवाही प्रभावित होगी−**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि अब यह आशंका उत्पन्न हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : हमें अन्य देशों के साथ अपने संबंध सुधारने में योगदान देना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अच्छी बात है। महोदय, इस पर वे अपना वक्तव्य दें क्योंकि इस पर देशभर में आपत्ति प्रकट की गई है। हम अपनी नीति को अच्छी तरह से समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ल ने संसद में केवल दो दिन पहले ही इस पर वक्तव्य दिया था।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय –**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैं श्री चौधरी का कथन सुन रहा हूं। आप खड़े क्यों हो रहे हैं ?

श्री श्रीकान्त जेना : आप हमारी बात भी सुनिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हमारी सर्वमान्य नीति का दोहराया जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह प्रश्न उठा था कि क्या हम किसी बात पर बातचीत करने जा रहे हैं और क्या कुछ नई बातें उभर कर सामने आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : हम जिम्मेवार सांसद हैं। कृपया ऐसी बातें न लाएं जो आवश्यक नहीं है। कृपया इस बात को समझें।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : तीसरे देश में मीटिंग क्यों हो रही है। सरकार इस पर कोई बयान क्यों नहीं दे रही है। सारे सामाचार-पत्र इन खबरों से भरे पड़े हैं। ऐसे समाचारों के आने से संशय का वातावरण पैदा हो गया है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि ससंदीय कार्य मंत्री श्री शुक्ल, अपना वक्तव्य देकर इसे स्पष्ट करेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। वे मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा करने के लिए ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दूंगा। इसके बाद माननीय मंत्री उत्तर दे सकेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह तो अच्छी बात है। वे उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, जब इस सभा में यह मुद्दा उठाया गया था तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया था कि परमाणु अप्रसार संधि में, सरकार का दृष्टिकोण जो भी हो, ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था अथवा कि नहीं ?

श्री श्रीकान्त जेना : जी हां, उन्होंने यह कहा था कि उसके तुरन्त बाद अगले दिन हमने अखबारों में यह समाचार पढ़ा कि दिल्ली और वाशिंगटन के बीच कोई गोपनीय वार्ता तीसरे देश अर्थात लंदन में हो रही है। संसद को इस बात की जानकारी तब तक नहीं थी जब यह समाचार अखबारों में प्रकाशित हुआ कि कोई गोपनीय वार्ता चल रही है। यदि यह द्विपक्षीय वार्ता दिल्ली अथवा वाशिंगटन में आयोजित की जा सकती थी। यह वार्ता लंदन में क्यों की जा रही है ? इस बैठक की कार्यसूची में कौन-कौन सी बातें शामिल हैं ? आज हमने समाचार पत्रों में यह पढ़ा कि हमारे अग्नि और अन्य परमाणु प्रयोगों को बंद करने के लिए अमेरिका का दबाव पड़ रहा है।

वस्तुतः अमेरिका के दबाव का सही स्वरूप क्या है ? लंदन में बैठक की कार्यसूची में कौन-कौन सी बातें शामिल हैं ? सरकार द्वारा देश को इन दो प्रश्नों का स्पष्टीकरण दिया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिए कि बैठक होने से पहले चर्चा के सभी प्रश्न प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : नहीं महोदय, यदि यह चर्चा द्विपक्षीय है तो उन्हें यह करना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं कर दिया है तो वह अपनी स्वीकृत नीति पर अटल रहेगी।

श्री श्रीकान्त जेना : बैठक वहां होनी है। प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं। उनकी यात्रा 19 तारीख के लिए तय है। यदि यह द्विपक्षीय विचार विमर्श है, तो बैठक नई दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है ? लंदन में क्यों हो रही है ? सरकार कार्यसूची और लंदन में बैठक के बारे में स्पष्टीकरण दे।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में जो खबरें छप रही हैं कि दो देशों के बीच, हमारे देश और अमेरिका के बीच में एक तीसरे मुल्क में बातचीत हो रही है, इनमें दो सवाल उत्पन्न हुए। पूरे देश में एक कन्सेंसस है कि NPT के सवाल पर हमारा क्या स्टेंड है और सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या ? उसके बारे में दूसरी बात है कि यह लंदन में जो गोपनीय बातचीत हो रही है जो कि अब गोपनीय नहीं रही, इसकी खबरे सारी दुनिया में प्रकाशित हो चुकी। क्या इसका संबंध प्रधान मंत्री की अमेरिका यात्रा से है ? इन दो सवालों पर पूरा देश इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर यह मामाल क्या है इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : मैंने इसके पूर्व इसी सदन में इस मुद्दे को दो बार उठाया था, अतः मैं फिर से उसकी चर्चा करना नहीं चाहता हूं। दो नई बातें सामने आई हैं सरकार की प्रतिक्रिया दूसरे सदन में आई है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात यदि छोड़ दें, तो सरकार ने अभी तक लंदन में होने वाली अधिकारियों की इस बैठक के संदर्भ में अपने कोई अधिकाधिक विचार-व्यक्त नहीं किए हैं चाहे वह स्थान के बारे में, चाहे कार्य सूची के बारे में हो या चाहे बैठक के समय के बारे में हो।

जिस तरह से सरकार ने दूसरे सदन में इस विषय में खुलासा किया, उसी तरह से इस सदन में भी यदि करें तो इस प्रश्न के बड़े अंश का उत्तर मिल जाएगा। ऐसा वह कब करेगी ? दूसरे, यदि वह अमेरिका के कुछ अधिकारियों के उन कुछ कथित बयानों पर ध्यान देगी जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं, तो मैं समझाता हूं कि वह समस्या नहीं उठेगी।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मेरी समझ से सरकार ने इस बात को अत्यंत स्पष्ट कर दिया है कि हमारी नीति पर कोई भी पुनः विचार नहीं हुआ है हम जिन सिद्धांतों के पक्षधर हैं, उन पर कोई समझौता नहीं हुआ है यदि हम अखबारों में छपी रिपोर्टो के ही आधार पर एकाएक यह मान लें कि हम अपने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध समझौता करने जा रहे हैं; तो मुझे पक्का विश्वास है कि यह हितकर नहीं होगी अंततोगत्वा देश के ही हित को क्षति पहुंचेगी। इससे केवल जनता के मन में संदेह ही उत्पन्न होंगे।

मेरी समझ से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेस रिपोर्टों का सहारा लेकर यहां बयान देने के बजाए हमें देश की जनता के मन में विश्वास की भावना उत्पन्न करनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह हमारी राष्ट्रीय नीति से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसी कोई भी बात नहीं होने देनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र सरकार के सुपरिचित उदघोषित नीति के संबंध में भ्रमित हो जाए। तीन नई बातें आ गई हैं। किसी तीसरे देश में गुप्त प्रकार की एक बैठक होने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : सरकारों के शासनाध्यक्षों ने भी विभिन्न देशों में बैठके की हैं।

श्री रूपचन्द पाल : नहीं। दूसरी नई बात यह है कि संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों को विश्वास में लिए बिना, उन नए और अवकाश प्राप्त कूटनीतिज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं जिनका इस संबंध में पूर्वाग्रह दुनिया को पता है। वाशिंगटन के अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। इनसे एक गंभीर प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार इस मामले में अपनी घोषित नीति पर चल रही है या नहीं सरकार का यह उत्तर दायित्व है कि वह अपनी नीति की पुनः घोषण करे और इस संबंध में राष्ट्र का विश्वास फिर से स्थापित करे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संसदीय कार्य मंत्री की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैंने यह आधिकारिक तौर पर कहा है और पुनः कहना चाहता हूं कि परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में सरकार कोई पुनर्विचार नहीं कर रही है। हम इस बात पर दृढ़ हैं कि संधि सार्वभौम और अभेदमूलक होनी चाहिए। इसमें कोई बदलाव नहीं है। जहां तक लंदन वार्तालाप का संबंध है, तो यह सुविख्यात है कि जब कभी भी ऐसी शीर्ष बैठकें होनी होती है तो आरम्भिक बातचीत की जाती है। आरम्भिक वार्ताओं की यही प्रकृति होती है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : लंदन में अन्य देश में !

श्री विद्याचरण शुक्ल : एक मिनट मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने देते ? महोदय, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारतीय दल का गठन ऐसा है जिसके अधिकांश सदस्य पहले से ही विदेशों में हैं। वे या तो विदेशों में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं और उन्हें प्रधान मंत्री की मात्रा और उन सभी मुद्दो पर आरम्भिक वार्तालाप में सहायता प्रदान करने को कहा गया है जिनमें भारत के प्रधान मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच होने वाले विचार विमर्श के सभी मुद्दे शामिल होंगे।

अतः यह बातचीत एक सुविधाजनक स्थान पर होने जा रही है।

यह सच है कि इसका प्रचार बिल्कुल नहीं किया गया। ऐसी चीज को प्रचार देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, किन्तु इसमें कोई गोपनीयता नहीं थी। केवल इस बात से कि कोई अग्रिम घोषणा नहीं की गई थी कि अमुक-अमुक दल लंदन में बैठक करने जा रहे हैं, ये अर्थ नहीं निकलता कि इसमें किसी प्रकार की गोपनीयता थी। एक बार लोगों को जानकारी मिल गई बस इतना ही काफी है। हमने पहले ही कहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी स्पष्ट किया है कि लंदन में यह बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच होने वाली शिखर वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे अनावश्यक संदेह उत्पन्न न करें जिनके कारण शीर्ष बैठक में अड़ंगे आएं।

वस्तुतः मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाएगी जिससे राष्ट्रीय संसद हमारे प्रधान मंत्री के हाथ इन संवेदनशील मामलों को इस प्रकार हल करने में मजबूत हों कि हमारे राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह रक्षा हो और सभी देशों विशेषत : अमेरिका को लगे कि जहां तक परमाणु अप्रसार संधि पर भारत के रुख का प्रश्न है, तो भारत की संसद और भारत की जनता प्रधान मंत्री के साथ है और इस बारे में किसी के मन में तनिक भी संदेह नहीं है।

जहां तक हमारा संबंध है तो मैं पुनः कहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण पूर्ववत है, हम इस पर दृढ़ रहेंगे और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मंत्री जी द्वारा की गई टिप्पणियों पर मुझे आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें तो कुछ भी अपमानजनक नहीं है आप इसे अपने आप पर न लें। आप तो अत्यंत देशभक्त सदस्य हैं और आप निश्चित ही....

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या हम इस मामले में संशय उत्पन्न कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आपका संशय दूर नहीं हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : बेकार में इसे आप अपने ऊपर मत लीजिए।

श्री पी.सी. थामस (मुत्तुपुजा) : महोदय, में इस सदन का ध्यान कृषक समुदाय के संबंध में एक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक अत्यंत गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई है। चूंकि अभी वाणिज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों यहां उपस्थिति है, अतः मेरी मसझ से अपनी बात रखने का यही सही समय है।

महोदय, भारत में लौंग की खेती महत्वपूर्ण खेती होती हैं इस क्षेत्र में हम काफी विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं, जबकि लौंग का उत्पादन करने वाले किसान अभी भारी कष्ट में है। लौंग का

प्रयोग दवाओं और साथ ही इत्रों में भी किया जाता है। समस्या यह है कि लगभग तीन वर्ष पहले इसकी कीमत 400 रु. प्रति किलो थी, पर अब यह घट कर 65 रु. प्रति किलों रह गई है। किसान इसकी खेती अब बंद ही करने वाले हैं।

कुछ मात्रा में इसका आयात किये जाने के कारण भारी परेशानी हो रही है। अग्रिम लाइसेंस योजना तो है पर इसका दुरुपयोग उन तथाकथित उत्पादकों में से कई ऐसे उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है जो वास्तव में उत्पादक नहीं हैं और जो इस अग्रिम लाइसेंस का उपयोग श्रीलंका और नेपाल के जरिए भारी मात्रा में आने जाने वाले कम गुणवत्ता वाले लौंग के आयत में कर रहे हैं। घरेलू उत्पादन के बजाय इसका उपयोग हो रहा हे। हमारे घरेलू उत्पादक इस पूर्वाग्रह से बहुत परेशान हैं।

वाणिज्य मंत्री जी से मेरा विनम निवेदन है कि वे इसे गंभीरता से लें क्योंकि वह आयात से भी जुड़े हैं। अतः मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री जी भी इसे गंभीरता से लें क्योंकि इसमें आय़ात शुल्क की बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी करें। दोहराएं नहीं।

श्री पी.सी. थामस : अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे गंभीरतापूर्वक लें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा पैसा फोरन एक्सचेंज की शक्ल में आ रहा है तो वह एनाराड से आ रहा है और काफी बड़े पैमाने पर दुनिया से पैसा हिन्दुस्तान के अंदर लगाने की कोशिश एनाराइज कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों से कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैड, और आस्ट्रेलिया के अंदर जो एनाराइज रह रहे है उनकी ड्यूल सिटीजनशिप की मांग रखी जा रही है। पिछले दिनों यहां हाउस में इस तरह के हिटस दिए गए थे कि शायद उनका ड्यूल सिटीजनशिप दी जाएगी। **...(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल में उठाया जाने वाला मामला नहीं है,

[हिन्दी]

जो प्रश्न 20 दिन की नोटिस में प्रश्न-काल में लिए जाते हैं वह प्रश्न-काल एक घंटे में समाप्त हो जाता है। यहां पर तो आप 15 मिनट का नोटिस देते हैं और यह जीरो ऑवर आधे घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.31 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1994

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 25 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 117 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5754/94]

चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों, आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 5755/94]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 5756/94]

(5) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत काफी (संशोधन) नियम, 1994, जो 4 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा०का०नि० 68 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5757/94]

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों, आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5758/94]

(3) भारत व्यापार संवर्धन संगठन और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5759/94]

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 क की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1994, जो 2 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 81 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1994 जो 2 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 82 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 1994, जो 2 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 83 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰टी॰ 5760/94]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1994, जो 2 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 53 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1994, जो 2 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 54 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1994, जो 2 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 55 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰टी॰ 5761/94]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा॰का॰नि॰ 387 (अ), जो 15 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों के लिए शुल्क छूट योजना में संशोधन करना है ताकि निर्यात-आयात नीति के अनुसार, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किये गये आयातित पूंजीगत माल पर उनके आयात के समय लागू दर पर शुल्क लगाने के बजाए ऐसी निकासी के समय मौजूदा दर पर शुल्क का उदग्रहण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 388 (अ), जो 15 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित एककों के लिए शुल्क छूट योजना में संशोधन करना है ताकि निर्यात-आयात नीति के अनुसार, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किये गये आयातित पूंजीगत माल पर उनके आयात के समय लागू दर पर शुल्क लगाने के बजाए ऐसी

निकासी के समय मौजूदा दर पर शुल्क का उदग्रहण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का॰ आ॰ 259 (अ), जो 28 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰ आ॰ 260 (अ), जो 28 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 362 (अ), जो 4 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके अंतर्गत होटलों तथा भोजनालयों (रेस्तरां) द्वारा निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल स्कीम में तहत आयात हेतु अनुमत पूंजीगत उपकरणों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰टी॰ 5762/94]

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 1994, जो 31 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 279 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰टी॰ 5763/94]

(5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत इलाहबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1992, जो 8 मई, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच॰ ओ॰/लीगल/333/1137 में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र, जो 13 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच॰ ओ॰/लीगल/0814 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰टी॰ 5764/94]

(6) निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन :

(एक) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰टी॰ 5765/94]

(दो) सुबनसिरी गांवलिया बैंक, नार्थ लखीमपुर (असम)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5766/94]

(तीन) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पुर्णिया (बिहार)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5767/94]

(चार) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भीलवाड़ा (राजस्थान)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5768/94]

(पांच) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव (हरियाणा)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5769/94]

(छह) अधियामन ग्रामा बैंक, धर्मापुरी (तमिलनाडु)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5770/94]

(सात) जम्मू रूरल बैंक, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5771/94]

(आठ) फरीदकोट भटिण्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिण्डा, (पंजाब)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5772/94]

(नौ) दुर्ग राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक, राजनन्दगांव (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5773/94]

(दस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5774/94]

(ग्यारह) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़ (गुजरात)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5775/94]

(बारह) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5776/94]

(तेरह) रतलाम मन्दसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मन्दसौर (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5777/94]

(चौदह) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना, (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5778/94]

(पन्द्रह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5779/94]

(सोलह) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5780/94]

(सत्तरह) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5781/94]

(अट्ठारह) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5782/94]

(उन्नीस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5783/94]

(बीस) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेलारी (कर्नाटक)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5784/94]

(इक्कीस) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5785/94]

(बाईस) नादिया ग्रामीण बैंक, कृष्णनगर (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5786/94]

(तेईस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5787/94]

(चौबीस) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर, (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5788/94]

(पच्चीस) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5789/94]

(छब्बीस) गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5790/94]

(सत्ताईस) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5791/94]

(अट्ठाईस) विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5792/94]

(उनतीस) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल (महाराष्ट्र)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5793/94]

(तीस) चन्द्रपुर-गढ़चिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5794/94]

(इक्कतीस) त्रिपुता ग्रामीण बैंक, अगरतला (त्रिपुरा)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5795/94]

(बत्तीस) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5796/94]

(तैंतीस) परागज्योतिष गांवलिया बैंक, नालबारी (असम)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5797/94]

(चौंतीस) गौर ग्रामीण बैंक, माल्दा (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5798/94]

(पैंतीस) पांडयान ग्रामा बैंक, सत्तूर, (तमिलनाडु)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5799/94]

(छत्तीस) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चितूर (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5800/94]

(सैंतीस) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5801/94]

(अड़तीस) रानी लक्ष्मी बाई ग्रामीण बैंक, झांसी (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5802/94]

(उन्तालीस) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर (कर्नाटक)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5803/94]

(चालीस) सुरेन्द्रनगर भावनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर (गुजरात)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5804/94]

(इक्तालीस) कंकादुर्ग ग्रामीण बैंक, गुडिवाडा (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5805/94]

(बयालीस) कलपतारू ग्रामीण बैंक, टुमकूर (कर्नाटक)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5806/94]

(तैंतालीस) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लहरिया सराय, (बिहार)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5807/94]

(चवालीस) नागार्जुन ग्रामीणा बैंक, खमम (आध्र प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5808/94]

(पैंतालीस) श्री साथवाहना ग्रामीण बैंक, करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5809/94]

(छियालिस) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान (बिहार)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5810/94]

(सैंतालीस) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5811/94]

(अठतालीस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर, (कर्नाटक)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5812/94]

(उन्नचास) मेवाड़ आंचालिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर (राजस्थान)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5813/94]

(पचास) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार (कर्नाटक)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5814/94]

(इक्यावन) एटा ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5815/94]

(बावन) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला (पंजाब)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5816/94]

(तिरपन) देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोण्डा (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5817/94]

(चौवन) कच्छ ग्रामीण बैंक, कच्छ (गुजरात)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5818/94]

(पचपन) गोलकुण्डा ग्रामीणा बैंक, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5819/94]

(छप्पन) श्री अनन्ता ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5820/94]

(सत्तावन) हज़ारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हज़ारीबाग (बिहार)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5821/94]

(अटठावन) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर (राजस्थान)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5822/94]

(उनसठ) बुलढाना ग्रामीण बैंक, बुलढाना (महाराष्ट्र)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5823/94]

(साठ) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा, (कर्नाटक)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5824/94]

(इकसठ) निमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगांव (मध्य प्रदेश)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5825/94]

(बासठ) मराठवाडा ग्रामीण बैंक, नांडेड (महाराष्ट्र)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5826/94]

12.31 $\frac{1}{2}$ म०प०

प्राक्कलन समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं ग्रामीण विकास–जवाहर योजना के संबंध में समिति के तीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का चवालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.32 $\frac{1}{4}$ म०प०

लोक लेखा समिति

बहत्तरवां प्रतिवेदन और पचहत्तरवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

1. जनता कपड़ा योजना के संबंध में बहत्तरवां प्रतिवेदन।
2. वर्ष 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उपक्रमों में सरकारी शेयर धारिता का विनिवेश के सबंध में पचहत्तरवां प्रतिवेदन।

12.32 $\frac{1}{2}$ म०प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(एक) तैंतीसवां, चौंतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री आर० अन्बारासु (मद्रास मध्य) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) इण्डियन एयर लाइन्स-बेडे का क्षमता से कम उपयोग; उड़ान कर्मियों को निष्फल वेतन; पट्टे के विमान पर परिहार्य भुगतान; पायलटों के प्रशिक्षण पर व्यर्थ खर्च और जेट इंजिन वर्कशाप चालू होने में देरी के संबंध में तैतीसवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(दो) भारतीय सीमेन्ट निगम लिमिटेड के संबंध में चौतीसवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(तीन) एजुकेशनल कन्सलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड के संबंध में पैंतीसवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(दो) कार्यवाही-सारांश

श्री आर० अन्बारासु (मद्रास मध्य) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की प्रक्रिया और प्रकीर्ण मामलों संबंधी बैठको के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.33 म०प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) उनतीसवां तथा सैंतीसवां प्रतिवेदन

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) कोयला मंत्रालय-कोल इण्डिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन।

(दो) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग प्रभाग)- भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और उनके नियोजन तथा उन्हें प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के बारे में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(दो) अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

डा० रमेश चन्द तोमर : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक -एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन ग्रुप-I के जनवरी, 1994 के दौरान लखनऊ, कानपुर, इलाहबाद, कोरबा, बिलासपुर, भिलाई और भोपाल के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

(दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन ग्रुप-II के जनवरी, 1994 के दौरान गुवाहाटी, शिलांग, कलकत्ता, भुवनेश्वर और पाराद्वीप के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

12.34 म०प०

सभा का कार्य

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 2 मई, 1994 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. निम्नलिखित मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की मांगे (सामान्य) पर चर्चा और मतदान :

   (क) रक्षा

   (ख) कृषि

   (ग) उद्योग

   (घ) विदेश
3. वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की बकाया मांगें (सामान्य) को मंगलवार, 3 मई, 1994 को सांय 6.00 बजे सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करना।
4. वित्त विधेयक, 1994 पर विचार और पारित करना।
5. राज्य सभा द्वारा पारित और प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किए गए रूप में मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक, 1992 पर आगे विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. हमारे देश में विशेषकर उड़ीसा, जहां सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों, नए संयंत्रों सहित, का निजीकरण करने का प्रस्ताव है, विद्युत संयंत्रों की स्थापना में विदेशी कंपनियों और उद्यमियों की भूमिका ।
2. उड़ीसा के पारजुंग ब्लाक के कुछ गांवों में असाधारण रूप से फाइलेरिया के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उसके कारणों का अध्ययन और किये जाने वाले आवश्यक उपाय।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. कपास की गाठों की खरीद के लिए महाराष्ट्र कपास संघ को राष्ट्रीय कपड़ा निगम से बकाया दिलाया जाना।

2. न्यायालय के भवनों तथा आवासों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराया जाना।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. विभिन्न राज्य सरकारों, जिनमें मध्य प्रदेश व राजस्थान प्रमुख हैं, उनके द्वारा प्रेषित पेयजल संबंधी अनेक परियोजनाएं जो लंबे समय से केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं तथा जिनकी समय पर स्वीकृति न होने से पेयजल के अभाव में सैकड़ो गांवों के लोगों के सामने संकटपूर्ण स्थिति है।

2. बीमार कपड़ा मिलों के पुनर्जीवन के बारे में केन्द्र सरकार की स्पष्ट व निश्चित नीति होने के कारण मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन व रतलाम जिलों में स्थित कपड़ा मिलों के हजारों मजदूरों व कर्मचारियों के समक्ष मिलों के पूरी तरह से बंद होने की स्थिति से उत्पन्न संकट।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्रवाई में निम्न प्रस्तावों को जोड़ा जाए :

1. रेल कर्मचारियों की विधवा पत्नियों को जिन्हें पेंशन या अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, उनको भी पेंशन भोगी रेल कर्मचारियों की भांति रेल यात्रा में सुविधा दी जाए।

2. सेवाकाल के बीच में यदि किसी रेल कर्मचारी की मृत्यु या अपंग होने पर उसके एक बालिग वारिस को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाए तथा अभी लगी 10 वर्ष की सीमा को समाप्त किया जाए एवं इसके पश्चात सभी नियुक्तियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो और जांच आयोग की जांच संबंधी प्रगति पर चर्चा।

2. कमजोर वर्ग पर पुलिस उत्पीड़न और सामाजिक हिंसा के मामलों पर चर्चा।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. पीलीभीत-शाहजहांपुर रेलवे लाईन के अंतर्गत मुडिया वस्ताना, नारायणपुर, कासिमपुर में रेलगाड़ी के हाल्टों की आवश्यकता।

2. पीलीभीत–शाहजहांपुर रेलवे लाईन पर भाप इंजनों को बदलकर डीजल इंजन से चलाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये :

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित अलकबीर जैसे और अन्य निर्यातोन्मुखी पशु वध शालाओं को बंद करने की आवश्यकता क्योंकि इससे पशुओं की संख्या में कमी आ रही है।

2. अरावली पहाड़ियों विशेष रूप से राजस्थान के पाली जिले में रोज (नीलगायों) को फसल नष्ट करने से रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1. आकाशवाणी केन्द्र अजमेर में सभी आवश्यक सुविधा, उपकरण एवं संसाधनों के उपलब्ध होने के कारण वहां से विविध भारती एवं अन्य सभी प्रकार के मूल कार्यक्रमों का निर्धारण तथा प्रसारण किए जाने की आवश्यकता।

1. डी०ई०टी० ब्यावर, जिला अजमेर (राज०) के अंतरगत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दूर संचार व्यवस्थाओं की सुविधाएं सुसंचालित, सुगठित एवं नियमित किए।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत शिकोहाबाद, फतेहाबाद, आगरा से औरैया गैस पाईप लाईन से जोड़ने की आवश्यकता।

2. जनपद-फिरोजाबाद-आगरा में फैक्टरियों के सम्भावित बन्द होने के कारण लाखों लोगों को बेरोजगार होने से बचाये जाने की आवश्यकता।

12.40 $\frac{1}{2}$ म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95

(एक) जल संसाधन मंत्रालय-जारी

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : माननीय अध्यक्ष जी,

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

कल मैंने अपना भाषण आरंभ करते समय माननीय सदस्यों को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने मेहनत करके बहुत से प्रश्न इस बहस के दौरान उठाए थे और मुझे इस बात का यह अवसर मिला है कि हमारी जो भी योजनाएं, कठिनाईयां या जो कार्य होने हैं, उसके बारे में प्रकाश डाल सकूं। इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के बारे में माननीय सदस्यगण ठीक से इसके बारे में समझ लें। जैसे, हम लोगों की तरफ मांग की जाती है या जो हम लोग उत्तर देते हैं, उस पर ठीक से विचार करके आगे कार्यवाही कर सकते हैं। पूरे देश में जल संसाधन के समुचित विकास के लिए नीति निर्धारित करना तथा कार्यक्रम बनाना है और सतह का पानी और सतह के नीचे के पानी का विकास और नियंत्रण योजनाबद्ध ढंग से हो सके, तो यह हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। इसी काम के लिए बहुत से माननीय सदस्यों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं। कल भी मैंने इसके बारे में कहा था कि समय उपलब्ध होने पर इसके बारे में कहूंगा और जो बिंदु आपने बहस के दौरान उठाए हैं उनका पूरे विवरण का पूरी तरह से विश्लेषण बनाकर आपको भेज दें जिससे उसके बारे में जो समुचित कार्यवाही करना हो तो आप बता सकें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने काफी गंभीरता से इस बात को लिया है और काफी उपयोगी सुझाव इस दौरान दिए हैं। जल एक बहुत मात्रा में पाया जाने वाला ऐसा प्राकृतिक साधन है जिसकी भारत में कोई कमी नहीं है। बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने इस बात को दोहराया है कि पानी दुर्लभ है और बारिस के समय अधिक जल होता है और जब जल-वर्षा समाप्त हो जाती है तब यह बहकर चला जाता है तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। जब बारिश अधिक होती है तो इसकी कठिनाई वहां के निवासियों को सहनी पड़ती है। इसका भंडारण करना, रक्षा करना और इसके उपयोग में मितव्ययिता बरतना बहुत आवश्यक है। इसलिए, हम लोगों ने पूरे भारत में एक व्यापक अभियान चलाया है, जैसे कि स्कूलों से और बड़े-बड़े जो इलाके हैं उनमें जल की उपयोगिता, उसकी कमी और जिस ढंग से इकोनोमिक उपयोग हो सकता है, वह हम समझा सकें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : 80 फीसदी पानी बहकर समुद्र में चला जाता है . . .

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप सुन लीजिए। यदि मैं ठीक ढंग से नहीं बता सका तो आप फिर पूछियेगा। मैं आपके कौतूहल को शांत करने का प्रयास करूंगा। इसमें एक बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए। हमारे देश में वर्ष में 100 दिन में पूरी बारिश हो जाती है, अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो भारतवर्ष में साल में 60 दिन में ही पूरी बारिश हो जाती है। इसलिए हमें पानी का भंडारण करना चाहिए। उसके लिए लघु, मध्यम और बड़ी योजनायें अनिवार्य हैं। जब तक हम इस पानी को नहीं रोकेंगे तब तक हमारे देश में जो पूरे साल बारिश नहीं होती है, सीमित होती है उस पानी का समुचित उपयोग नहीं कर पायेंगे। हम अलग-अलग जगहों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार और वहां उपलब्ध साधनों के द्वारा यह प्रयास करते हैं कि पानी का भंडार किया जाये जिससे पूरे वर्ष तक उस पानी का पीने के लिए और खेती के लिए उपयोग किया जा सके।

हमारी राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण सर्वसम्मति से मुख्य मंत्रियों की बैठक में हुआ। इस

बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्रीजी ने की थी मुझे इस बात की खुशी है कि सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ उसको पूरे देश में लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल को दी गई है, फिर सिंचाई को और उसके बाद साफ-सफाई तथा औद्योगिक उपयोग के लिए दी गई है। ये तीन प्राथमिकतायें जल के लिए निर्धारित की गई हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : इसमें नया क्या है, यह तो शुरू से ही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : 1987 की बैठक के पहले इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं थी। इससे योजना आयोग और जल संसाधन मंत्रालय को काम करने में भी आसानी हुई है। जो भी प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं उनके अनुसार आठवीं योजना में काम किया जायेगा। यद्यपि चालू पंचवर्षीय योजना में काफी धन दिया गया है। नीतीश कुमारजी की समिति की रिपोर्ट जो इस विषय पर आई है उसके आधार पर मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि सदन के अन्य सदस्यों ने भी इस रिपोर्ट को देखा होगा। हम किन कठिनाइयों में काम करते हैं, यह इसमें बताया गया है मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से यह विषय राज्य सरकारों को आवंटित किया गया है। हम लोग केवल एक दूसरे से सहयोग करके जहां कहीं भी झगड़े, मतभेद और रुकावट आती है उसको दूर करके इस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जितना पैसा आठवीं योजना में दिया है 32.500 करोड़ रुपया, उसमें से सेंट्रल सेक्टर के लिए 1500 करोड़ रुपया दिया गया है। इससे हम जितना काम कर सकते हैं, उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : दाऊजी ने कल बहुत हल्ला किया था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे मुझे सुनें।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : हल्ला किया था या अच्छे पाइंट्स बताये थे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हल्ला नहीं किया था, अच्छे पाइंट्स बताये थे, यह मान लेता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस कमेटी ने जो प्राथमिकतायें रखी हैं मैं चाहता हूं कि उनको मंजूर किया जाये, वह मैं दोहरा देता हूं। हम लोग इसके द्वारा जो प्राथमिकतायें रखी हैं उनके अनुसार काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। सदन को इससे पता चलेगा कि मंत्रालय को काम करने में कितनी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। और इस सदन के द्वारा निर्धारित की गयी है, उसमें विभिन्न कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। विभिन्न राज्य सरकारें कभी-कभी मतभेद रखती हैं और कभी-कभी योजना आयोग से सहयोग नहीं मिलता है। इसके बारे में कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा। पर मैं यह जानता हूं कि कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं जिन्हें मैं सदन में पढ़ दूंगा ताकि उसके बाद सदन को इसे बारे में निर्णय करने में आसानी होगी।

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत चालू योजनाओं को पूर्ण प्राथमिकता देते हुए निधि आबंटन करके पूरा करना। जब तक चालू योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है तब तक नयी परियोजनायें शुरू नहीं की जायेंगी। इनकी प्राथमिकता के मंजूर करते हुये भी विभिन्न राज्य सरकारें उसका उल्लघंन करती हैं। ऐसी बहुत सी योजनायें जिनका 80-85-90% भाग पूरा हो चुका है। ऐसी योजनाओं को छोड़कर वे नयी योजनाओं में पैसा लगा देते हैं जबकि यह

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

पैसा उन योजनाओं में लगाना चाहिये जहां पर थोड़ा सा पैसा लगाने से योजना पूरी हो जाये और उसका व्यापक लाभ पूरे इलाके को और वहीं पर रहने वाले उन लोगों को मिल सके जिनके लिये ये योजनायें शुरू की गयी हैं

दूसरी यह है कि प्रणाली और स्थानीय दोनों स्तर पर बड़ी और मध्यम परियोजनाओं में उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन। इसको प्रोत्साहन देने के लिये हम लोगों ने कमांड ऐरिया परियोजना बनायी थी फिर भी उसका पुनरावलोकन करके जहां जहां कमियां हैं, उसे ठीक करने में लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सहयोग से हम लोग इस काम को ठीक से कर सकेंगे। इस संदर्भ में हम लोगों को कभी-कभी राज्य सरकारों मे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकारों को कमांड ऐरिया में रहने वाले किसानों से जिस प्रकार का सहयोग लेना चाहिये, वे नहीं ले पाये हैं। परिणाम यह होता है कि जो इसकी उपयोगिता है और जो लाभ मिलना चाहिये, वह पूर्ण रूप से वहां के रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है।

तीसरी, कमांड क्षेत्र विकास की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा करना ताकि इसको सिंचाई के रूप में अंतरित करने और जल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये प्रभात्री बनाया जा सके। इस कार्य में भी हम लोग लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने अपने राज्य में जहां भी अपने प्रभाव का उपयोग कर सकें, इस काम को करने में सहयोग प्रदान करें।

चौथी, लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित पुरानी सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण और सुधार। समिति ने कमांड ऐरिया में इस क्रमांक को और जिस श्रेणी में दर्शाया है, इसको हम मंजूर करते हैं और इसको बहस के आरम्भ में इसलिये कह रहा हूं ताकि यह रिकार्ड में चली जाये और इसके आधार पर हम काम कर सकें।

पांचवी प्राथमिकता यह है कि समन्वित लघु विकास परियोजनाओं के भाग के रूप में लघु सिंचाई के कार्यों की मरम्मत और सुधार के साथ-साथ नये निर्माण कार्यों में विषयों का बढ़ावा दिया जाना।

छठी, बहुत सी चालू सतही जल लघु सिंचाई परियोजना भी शुरू किया जाना इन सब के लिये हम राज्य सरकारों को बारम्बार कहते रहते हैं और इसमें किसी-किसी राज्य सरकार का सहयोग पूरा मिलता है और किसी का नहीं मिलता है। हम रात दिन इस बात का इंतजार करते हैं ताकि उसके आधार पर अपना काम करें।

सातवीं प्राथमिकता यह है कि व्यक्तिगत और समुदाय दोनों प्रकार की लघु सतही जल उत्पादन सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना।

आठवी यह है कि इस रिपोर्ट में निर्धारित की गयी है कि 500 हैक्टेयर खेत मे अधिक की बड़ी और लघु परियोजनाओं अथवा इनमें से अधिक सन्निकट ब्लाक बनाने के लिये कमांड क्षेत्र का अवधारण आरम्भ करना जिसे हम मंजूर करते हैं और इसके आधार पर काम करेंगे।

नौवीं यह है कि कुओं की संख्या के संबंध में मूलभूत आंकड़ों का सत्यापन और अत्यधिक अध्ययन। कुओं से मेरा मतलब खुले कुओं से है या ट्यूबवैल जिनसे हम पानी निकालते हैं। इन सब चीजों को पुनः ठीक करना पड़ेगा कि कहां-कहां पर किस तरह से किया जा रहा है और इनको संभालकर रखने से ही उपयोग करने का फायदा होगा अन्यथा जो भूमिगत जल है, वह इतना नीचे जाने लगा है कि समुद्र के तटवर्ती इलाको में पानी अधिक निकाल दिये जाने के कारण समुद्र का नमकीन पानी आने लगता है। जहां मीठा पानी निकलता था वहां नमकीन पानी निकलने लगा है इस बात का बहुत ध्यानपूर्वक आकलन करके राज्य सरकारों के सहयोग से इस प्रकार से उपयोग करना होगा जिससे कि इसके उपयोग में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

दसवां है भूमिगत जल के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसका भी प्रयाय हम योजनाबद्ध ढंग से करेंगे। जिससे भूमिगत जल और सतही जल दोनों का मिला जुला उपयोग कर सकें जिससे अधिकाधिक फायदा हो सके।

11वां है जल की कमी और सूखाप्रवण क्षेत्रों में छिपड़ापन की ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना। इन इलाकों के अलावा यहां लिखा गया है कि जल की कमी वाले जो इलाके हैं और जहां पर जल की कमी हमेशा रहती है, उनके प्रभाव में समझता हूं कि स्प्रिकलर और ड्रिफ्ट का उपयोग पूरे भारतवर्ष में प्रोत्साहित करना चाहिए। उन इलाकों में तो करना ही चाहिए जहां जल की कमी है लेकिन वहां भी करना चाहिए जहां जल ज्यादा है, वहां जल बचाना आवश्यक है। इसलिए वहां भी ड्रिप सिंचाई और स्पिकलर की सिंचाई को प्रोत्साहित करें और उसके लिए कृषि मंत्रालय ने अच्छी योजनाएं बनायी हैं और में समझता हूं कि उन योजनाओं का उपयोग किसानों ने कुछ सालों से करना शुरू किया है। हमने देखा है कि बहुत पहले जब हमारे देश में रासायनिक खादों का उपयोग प्रारंभ हुआ तो शुरू में चार-पांच साल तक किसान किसी भी तरह से रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहते थे पर जैसे ही उन्हें उसकी उपयोगिता हुई। लाभ समझ में आया, उन्होंने उसका उपयोग शुरू किया और अब अच्छी तरह से इसका उपयोग करने लगे हैं जिससे उनकी खेती को पूरा फायदा होता है। मुझे विश्वास है कि स्पिकलर और ड्रिप की सिंचाई जिसमें कि प्रारंभ में पैसा लगता है, इसके लिए सरकार ने सब्सिडी आदि की व्यवस्था की है और खासकर पिछड़े और आदिवासी तथा अन्य वर्गों के लिए जिनकी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है, उसमें और भी अधिक प्रावधान किया गया है। इससे हम लोगों को सिंचाई बढ़ाने में और पानी बचाने में सुविधा मिलेगी।

सार्वजनिक नलकूपों के उपयोग में सुधार और उसका पुनः अधिष्ठापन। यह भी बहुत आवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक नलकूपों में पानी का बहुत दुरुपयोग होता है। उसमें पानी बचाने से काफी पानी बच सकता है और मैं समझता हूं कि इस बारे में भी हमें राज्य सरकारों का पूरा सहयोग लेना पड़ेगा।

13वीं प्राथमिकता बड़े पैमाने पर जल क्रांति सिंचाई कम्पनी से भूमिगत सतही जलों में मिले जुले उपयोग पर बल। यह भी मंजूर है और 14वीं प्राथमिकता है बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतानवी तन्त्र के कार्यक्षेत्र का विस्तार। इसका विस्तार करने के लिए हम लोगों ने काफी पैसे की मांग की थी

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

पर दुर्भाग्यवश योजना आयोग ने हमारी मांग को मंजूर नहीं किया। जितना भी हम लोगों को इसमें साधन दिया गया है उसका उपयोग हम कर रहे हैं इस तंत्र के आधुनिकीकरण करने का। क्योंकि इससे करोड़ो अरबो रुपए की फसल और जान-माल का जो नुकसान होता है उससे कठिनाई को दूर करने में हम सहयोग कर सकेंगे और नुकसान को कम कर सकेंगे। खड़ी हुई फसल को बाढ़ से बचाना बड़ी मुश्किल बात है। तो भी जितना हम पूर्वानुमान कर सकते हैं, आगे से उतना करके, जहां

1.00 म०प०

फसल काटकर कभी खेतों में डाल दी जाती है, कभी खलिहानों में रखी रहती है, उसको बचाने के लिये अगर हम लोग पहले से लोगों को सूचित कर दें तो किसान लोग इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिये इस कार्य को हम लोगों ने काफी महत्व दिया है।

15वां सुझाव इसमें विभिन्न बेसिनों के लिये बाढ़ नियंत्रण की मास्टर योजना तैयार करने का है और इस कार्य को भी हमने प्रारम्भ किया है। मुझे विश्वास है कि इस कार्य के पूरा होने के बाद, लागू करने में सबका सहयोग मिलेगा। प्रशिक्षण और दूसरे कुछ कार्यक्रमों को बनाना भी बहुत आवश्यक है जिसके लिये पूरा प्रयास हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है परन्तु संसाधनों की कमी के कारण, प्राथमिकता के अभाव में, इन सब कार्यों को जितने अच्छे ढंग से हमें करना चाहिये, उतने अच्छे ढंग से हम कर नहीं पा रहे हैं।

मैं राजस्थान के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पानी की कमी अवश्य है परन्तु वहां के लोगों को पीने का पानी देने के लिए इस तरह से सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाता है। अभी जब नर्मदा के पानी के आबंटन की बात चली, नर्मदा ट्रिब्यनल ने पानी का आबंटन किया तो उसमें राजस्थान को प्रर्याप्त मात्रा में पानी दिया गया। हमारे राजस्थान के माननीय सदस्य और राजस्थान के लोग इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई कमी करने का हमारा इरादा नहीं है। हम लोग चाहते है कि जितना अधिक पानी राजस्थान में विभिन्न तरीको से पहुंच सके, उसे हम पहुंचाये। इस बात का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि रेगिस्तान के नीचे कभी-कभी बहुत गहराई में जाने पर, लगभग 4-5 हजार फीट नीचे जाने पर जल भंडार मिल सकते हैं, उन भंडारों को दोहन करने की, ठस पानी को ऊपर लाने का भी हम प्रयास करेंगे जिससे कि इतना सब करने के बावजूद, राजस्थान के निवासियों को पीने के पानी की जो कमी रहती है, उसे दूर करने में हम लोग प्रगति कर सकें।

इसके अलावा चम्बल के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि चम्बल परियोजना का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिये हमने कई बार संबंधित राजस्थान और मध्य प्रदेश की सराकरों का ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे विश्वास है कि आगे चलकर स्थिति में कुछ सुधार हो सकेगा। अभी जब यमुना जल के बंटवारे की बात हुई तो उससे संबंधित चार राज्यों और एक नेशनल कैपिटल टैरिटरी रीजन यानी दिल्ली की सरकार से हमारी बात हुई जिसमें हमने देखा कि सब तरफ से इस बात की मान्यता थी और इस बात के लिये काफी कोशिश की गयी कि

राजस्थान को यदि हमें कुछ अतिरिक्त पानी भी देना पड़े, जितना उसका अधिकार बनता है, यदि हम उससे कुछ अधिक पानी राजस्थान को दे सकते हैं तो उसे दें। इस संबंध में एक समझौता हुआ जिसमें पानी का निर्धारण किया गया और उसमें राजस्थान को जितना पानी का बंटवारा किया गया, उस पर संतुष्ट होकर, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई थी। अन्य संबंधित राज्यों ने भी अपनी सहमति जताई थी लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण वह समझौता अभी रुका हुआ है। छः बार हम लोग, सभी संबंधित मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप-राज्यपाल मिल चुके हैं और करीब-करीब, मैं समझता हूं कि 90-95 प्रतिशत बिन्दुओं पर हमारी सहमति हो चुकी है, कुछ थोड़ी सी बातों पर मामला बार-बार अटक जाता है। मुझे विश्वास है कि जब हम आखिरी दौर की वार्ता शुरू करेंगे तो कोई समझौता करने में सफल होंगे क्योंकि मैंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आगाह किया है कि बिना किसी समय की परिधि के, हम इस पर बात करते नहीं जायेंगे क्योंकि यदि हम बात करते जायें और समझौता होते-होते रुक जाये तो उससे बहुत नुकसान होता है, कठिनाइयां होती हैं। यदि ऐसा होगा तो हमें मजबूर होकर यह मामला पंचाट को सौंपना पड़ेगा और आप जानते हैं कि किसी ट्रिब्यूनल को यदि मामला सौंपा जाता है तो उसमें कितना खर्च और कितना समय लगता है, 10-15 साल लगना तो बहुत आसान बात है और उस समय तक बहुत सी कठिनाईयां इसमें बढ़ जायेंगी। तब तक इसमें बहुत कठिनाई बढ़ जाएगी और विशेषकर दिल्ली की जो पेय जल समस्या है वह दिन प्रतिदिन और गम्भीर होती जाएगी। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इस बारे में पूर्ण ध्यान देकर हमारे संसद सदस्य अपने-अपने राज्यों और वहां की सरकार तथा वहां के जो जिम्मेदार मंत्रीगण हैं, उन सबको समझाएं कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर के भी यदि पूर्ण रूप से उनकी बात न भी मानी जाए, लेकिन पांचो राज्यों के फायदे की बात हो तो उसे मंजूर कर के समझौता कर लें ताकि आगे चलकर कोई कठिनाई न हो और जो पानी का नुकसान हो रहा है, वह न हो जैसा कि अभी हमारे हरियाणा के माननीय सदस्यों ने बताया था कि जो यमुना के ऊपर बेराज बना हुआ है, वह बहुत कठिनाई में है। इसके लिए कई बार खतरे की घंटी बजाई जा चुकी है और यह कभी भी टूट सकता है। अगर यह बैराज टूट गया, तो इससे अपरिमित हानि होगी। बहुत से गांव जलमग्न हो जाएंगे और बहुत बड़े इलाके में बहुत क्षति हो सकती है। ताजेवाला हैडवर्क्स जो यमुना का है इस 25-30 साल से अधिक हो गए हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है।

इस पुराने बैराज को छोड़कर जो नया बैराज बनाने की योजना है वह हथिनीकुंड में बनाने की है जिसके लिए सब सामान आ चुका है। यह स्थान ताजावाला के पास ही है। जब तक यह हथिनीकुंड का बैराज नहीं बनाया जाता है, तब तक यह खतरा हमेशा के लिए बना ही रहेगा। इसलिए जो यह 5 राज्यों की यमुना जल के बारे में मीटिंग होती है, उसमें समझौता कर लें। जब तक यह बैराज नहीं बनेगा तब तक यमुना की ईस्टर्न कैनाल और वैस्टर्न कैनाल, जो ताजावाला हैडवर्क्स से निकलती है, उनमें पानी को नापने में जो कठिनाई आती है, वह बनी रहेगी। कभी सोचते हैं कि हमारे यू० पी० वाले ज्यादा पानी ले जा रहे हैं और कभी हरियाणा और राजस्थान वाले समझते हैं कि हमें बहुत कम पानी मिला है।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

जो नया बैराज बनेगा, उसमें नयी तकनीक का उपयोग होगा और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि नापतौल ठीक ढंग से हो। पानी के बटवारे में कोई कठिनाई न हो। बैराज तो वहीं बन सकता है जहां उसकी सुविधा है। इसलिए सब लोगों ने यह तय किया है कि बैराज हथिनीकुड में ही बनेगा और मैं यह समझता हूं कि जल्दी से समझौत हो ताकि इस बैराज का काम शुरू किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में दो-तीन बातें और कहकर फिर जो माननीय सदस्यों ने और बातें कही हैं उनके बारे में कहूंगा। हमारी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनमें अक्सर पानी की कमी रहती है। कुछ नदियों में पानी अधिक है, कुछ में कम है। हमने जो आकलन किया है, नैशनल वाटर डवलपमेंट एजेंसी ने जो आकलन किया है, उसके अनुसार महानदी कछार और गोदावरी कछार में जितना पानी है, वह वहां के इलाके की आवश्यकता के अनुसार अधिक है और कृष्णा तथा कावेरी में पानी कम है। जिन नदियों में पानी ज्यादा है, उनसे पानी को कावेरी नदी में पहुंचाना पड़ेगा जिससे कावेरी बेसिन में जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति हो सकेगी। हमने जो आंकलन किया है उसके अनुसार हमने देखा है कि कावेरी बेसिन की अगर एक-एक बूंद का भी हम उपयोग कर लें, तो भी वहां के जो विकसित इलाके हैं, उनमें भी हम पूरा पानी नहीं दे सकते हैं। इसलिए जहां जल आधिक्य है वहां से उसे जहां जल कम है, वहां ले जाने की आवश्यकता है और इसको हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत अच्छा कार्य नैशनल वॉटर डैवलपमैंट एजैंसी ने किया है। इससे दो तरह के फायदे हैं– एक तो जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है, वहां पानी पहुंच सकेगा, दूसरा वह पानी जब हम महानदी से कावेरी तक ले जाएंगे तो रास्ते भर में उससे लाखों हैक्टेयर की सिंचाई बहुत अच्छी तरह से हो सकेगी। मुझे इस समय ठीक से याद नहीं है कि कितने हैक्टेयर पर सिंचाई होगी लेकिन बहुत ज्यादा सिंचाई हो सकेगी। इस प्रस्ताव को विभिन्न राज्य सरकारों को भेजे हुए लगभग तीन साल हो गए हैं। उनसे हमारा विचार-विमर्श हो रहा है। वे विभिन्न आपत्तियां करते हैं। उनकी आपत्तियों, उनके स्पष्टीकरण और उनकी जो शंकाएं हैं, उनको दूर करके हम आशा करते हैं कि अब उनमें इस प्रकार की भावना हो सकेगी, इस प्रकार का समझौता हो सकेगा कि हम इस काम को शुरू कर सकें। इसलिए जितनी जल्दी हम इस काम को शुरू कर सकें, उतना अच्छा होगा। नहीं तो महानदी और कावेरी का अतिरिक्त पानी समुद्र में व्यर्थ ही जाता है।

मुझे इस बात का दुख है कि जैसे ही यह रिपोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार के पास गई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारी गोदावरी में पानी कम है, अधिक नहीं है जैसा आप सोचते हैं उसी तरह से उड़ीसा सरकार ने भी कहना शुरू कर दिया कि महानदी में भी पानी कम है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह बात सच है। उनका असैसमैंट सही है।... **(व्यवधान)** ...

श्री विद्या चरण शुक्ल : वैज्ञानिकों ने जो आकलन किया है, वह सोच-समझकर किया है। पानी का उपयोग, महानदी का उपयोग और गोदावरी के पानी का उपयोग यदि स्थानीय रूप से हो सकता है, अतिरिक्त पानी नहीं है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन यदि है तो जरूर जाना चाहिए।

उसी तरह से इस काम को पूरा करने के बाद अब उस एजैंसी को हमने यह काम सौंपा है

कि हिमालय से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों के विकास के लिए अब इसका पूरा प्रारूप तैयार कर रहे हैं।

अक्सर हमारे सदस्यगण इस बात को कहते हैं कि डा० के०एल० राव ने एक गारलैंड योजना बनाई थी जिससे पूरी गंगा को लेकर कावेरी तक जोड़कर उसका काम किया जाए और सब जगह जुड़ाई की जाए। उसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं। हम दो भागों में विभाजित करके कर रहे हैं, उसमें भी बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, पूरा जोड़ने में तो तकनीकी कठिनाइयां अत्यधिक हैं। उस एजेंसी ने इसका अध्ययन किया था और यह पाया कि पानी उत्तर से दक्षिण तक ले जाने में इसमें बहुत ऊर्जा लगेगी। और भी बहुत सी तकनीकी कठिनाइयों के कारण इस तरह की योजना पूर्णरूप से असम्भव है। जो योजना सम्भव है, वह यह है कि उत्तर की योजना अलग रहे, दक्षिण की योजना अलग रहे और हिमालय से जो नदियां आती हैं, उनका उपयोग हम उत्तर भारत में करें, उससे जोड़ें। दक्षिण भारत् की नदियों को एक साथ जोड़ें, जिसमें केवल दक्षिण भारत की नदियां नहीं हैं, गंगा के दक्षिण में जितनी नदियां हैं, उनको एक-दूसरे से जोड़ा जा सकता है।

ये दीर्घकालीन योजनाएं हैं। ये योजनाएं ऐसी नहीं हैं जिनका निर्माण कार्य बहुत जल्दी समाप्त जो जाएगा। इसमें वर्षों लग सकते हैं लेकिन अभी आवश्यकता इस बात की है कि सिद्धान्ततः हम इस बात को मंजूर करें और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से इसे देखें।

जेना जी, जैसा आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि वे राष्ट्रीय हित से इस चीज को देखते हैं पर हमारे अपने-अपने इलाके हैं। मैं जिस जिले से आता हूं वहां से महानदी का उदगम हुआ है और मेरा चुनाव क्षेत्र महानदी से घिरा हुआ है मैं जानता हूं कि महानदी के पानी का हम जितना उपयोग करते हैं, उससे उड़ीसा का नुकसान नहीं होता है।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि आप वहां से पानी लेकर आएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महानदी की चिन्ता केवल आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे भी है क्योंकि महानदी की पैदाइश मेरे यहां से हुई है। ... **(व्यवधान)** ...

इसलिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय हित की बात सोचें। जब आप देश की पार्लियामेंट में बैठे हैं तो देश की दृष्टि से बात करें, केवल उड़ीसा की तरफ से बात न करें।

इसी तरह से हमने एक बहुत ही उपयोगी टैंक बोर्ड योजना बनायी। जो तालाब, झीलें 200-300 साल पुराने हैं, उनमें मिट्टी जम जाने से पानी की मात्रा कम हो गई थी। हमने सोचा कि इन तालाबों, झीलों और टैंको को यदि हम सुधार सके तो अपेक्षाकृत कम पैसे से अधिक फायदा लोगों को पहुंचा सकेंगे और सिंचाई की मात्रा बढ़ा सकेंगे। कम पैसे से बहुत अधिक सिंचाई की व्यवस्था इसके द्वारा हो सकती थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब योजना आयोग में इसको लेकर गये तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लोकल एरिया डैवलपमैंट बोर्ड और ब्लॉक डैवलपमैंट बोर्ड इन तालाबों का रख-रखाव कर सकते हैं। इसलिये आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग पर अलग से बहस होनी चाहिये। योजना आयोग में बैठे क्लर्क बड़ी-बड़ी योजनाओं को जिन्हें एक्सपर्ट बनाते हैं, काट देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : योजना आयोग पूरी चीजों को सामने रख कर ही डिसाइड करता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं योजना आयोग को दोष नहीं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इसमें स्थानीय दृष्टिकोण सामने रख कर काम करना चाहिये। इसलिये उन्होंने टैंक बोर्ड की योजना को नामंजूर किया। हमने यह सोचा कि टैंक बोर्ड न भी बने लेकिन रेजरव्वार जिसे टैंक कहते हैं जिस में छोटे से बड़े तालाब आते हैं, भाखड़ा नंगल से लेकर छोटे तालाब शामिल हैं जिससे 500 या हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है, इन तलाबों के रख-रखाव, उन्नति और मरम्मत के लिये ज्यादा से ज्यादा धन राज्य सरकार को दिलाने का प्रयास करें जिससे बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिल सके। इसमें उतने पैसे खर्च नहीं होते जितने कि नई योजना, नये टैंक और नये रेजरव्वार बनाने में लगते हैं।

देवेन्द्र जी ने कहा कि रिवर बेसिन प्लानिंग होनी चाहिये। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं लेकिन इसमें कभी-कभी राज्य सरकारों से मतभेद हो जाता है। हम सैंट्रल वाटर कमीशन में बैठकर इन मतभेदों को दूर करने का प्रयास करते हैं।

मसूदल जी ने एंटी इरोजन प्रोग्राम के बारे में बताया। पांच सालों के लिये 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो कि बहुत कम पड़ता है। एंटी इरोजन का काम दिखाने के लिये आपकी पार्टी के असीम बाला जी मुझे ले गये। मैं अपनी मर्जी से नहीं गया। उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैं गया ... **(व्यवधान)** ... मुझे मालूम नहीं था कि वहां मंदिर बना हुआ है। वह चैतन्य महाप्रभु की जन्म भूमि है। ... **(व्यवधान)** ... मन्दिर के लिये पैसा देने मैं नहीं गया था। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में यह करना है ... **(व्यवधान)** ... जो महत्व के पुरातत्व मौन्यूमैंट्स हैं, भवन हैं, उनको बचाना आवश्यक है। उसमें ही इसका उपयोग किया जा सकता है। बाढ़ से बचाने के लिये इस पैसे का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

पुरकायस्थ जी ने कहा कि उत्तर पूर्वी भारत पर ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हम लोग उस पर काफी ध्यान दे रहे हैं और काफी अच्छी योजनाऐं बनाई गई हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के द्वारा जो भी योजनाऐं बनाई गई हैं, उनको हम लोग लागू करके जल्दी से जल्दी पूरी तरह से क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे।

किपाईमुख योजना एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, जिसका कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। यह उस इलाके के लिए बहुत ही उपयोगी योजना होगी। वहां फील्ड वर्क शुरू कर दिया गया है। यद्यपि इसे आठवी योजना में लागू नहीं किया गया है पर इसके लिए प्रारम्भिक प्रावधान और प्राथमिकता कार्य कर लिया गया है। मुझे विश्वास है कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए बहुत सी बातें जो इसमें आगे की करनी हैं, वह हम लोग कर सकेंगे।

वैस नोर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो हमने आठवी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया है, वह मेजर और मीडियम प्रोजैक्ट्स के लिए 265 करोड़ रुपये का है और माइनर प्रोजैक्ट्स के लिए 355 करोड़ रुपये का है, फ्लड कण्ट्रोल प्रोजैक्टेस के लिए 130 करोड़ रुपये का है। चूंकि ब्रह्मपुत्र में बहुत से ऐसे इलाके आते हैं, जहां कि इस तरह की योजनाऐं लगाकर वहां की जमीन को, वहां के लोगों को और वहां की धन सम्पत्ति को बचाना बहुत आवश्यक है।

इसी तरह से प्लान में जो 30 मेजर और मीडियम प्रोजैक्ट्स और 50 बाढ़ नियन्त्रण योजनाऐं लगाई गई हैं। इस सब को पूरा यदि देखा जाय तो सातवीं पंचवर्षीय योजना तक इसके ऊपर 615 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कही थी। उनमें से एक में मैं तीस्ता के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूं। इसके बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा था कि सरकार इसका 50 प्रतिशत खर्चा वहन करे। सामान्य रूप से हम यह नहीं करते हैं पर इस योजना का बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व है हम लोगो ने तो यह भी प्रस्तावित किया था कि इस योजना को राष्ट्रीय महत्व की योजना बनाया जाये। पर राष्ट्रीय महत्व को योजना का जो हमारा प्रस्ताव था वह एक ही योजना के लिए नहीं था। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जो सचमुच में राष्ट्रीय महत्व की हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की एक श्रेणी बना दी जाय, जिससे हम राष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में रखकर इस तरह से उसका विकास कर सकें पर यह बात भी अभी तक मानी गई है। हम अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं कि यह बात मान ली जाय, जिससे राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं को प्राथमिकता देकर पूरा किया जा सके। तीस्ता की जो बात है, उसमें 50 प्रतिशत की जो बात हुई, हम लोग पिछले साल इस बात के लिए तैयार हो गये हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी को लिखा कि 50 प्रतिशत पैसा हम लोग देंगे और 50 प्रतिशत पैसा, जैसा कि उन्होंने कहा, वह दें, जिससे कि यह तीस्ता बैराज की योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो सके। इसके लिए 150 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार और 150 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल सरकार लगायेगी, जिससे कि यह योजना पूरी हो जायेगी।

मैं अन्त में इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के दोस्तों ने, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों ने, दक्षिण भारत के सदस्यों ने, उड़ीसा के माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं थीं, उनके बारे में उनके पास मैं पूरी विस्तृत रिपोर्ट भिजवा दूंगा, जिससे कि हर पोइण्ट के बारे में और हर योजना के बारे में यहां पर सदन का समय लेने की आवश्यकता न हो और माननीय सदस्यों को भी पूरी तरह से उन बातों का पता लग सके, जिसके बारे में उन्होंने यहां प्रश्न उठाया था। जो भी हम बातचीत करके उसका हल निकाल सकते हैं, वह निकालेंगे।

मैं पुनः सब माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े सकारात्मक रूप से उन्होंने इस बहस में भाग लिया और हम लोगों को नई दिशा दी और नई गति प्रदान की है। ...**(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें। आपको अनुमति लेकर ही बोलना चाहिए।

... **(व्यवधान)** ...

[हिन्दी]

आप पहले बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने एक बात साफ कही है कि जिन प्रश्नो के उत्तर नहीं दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखित रूप से आपको पहुंचा दिए जायेंगे। बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, उन सारों का जवाब देना यहां पर मुश्किल है। अगर उनके उत्तर में से कोई बात निकल रही है, तो उसके लिए आपको इजाजत दी जा सकती है।

... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

श्री एम०आर० कादम्बुर जर्नादन (तिरनेलवेली) : महोदय, जहां तक तमिलनाडु का संबंध है यहां तो जीवन मरण की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपको लिखित में देंगे।

श्री एम०आर० कादम्बुर जर्नादन : निगरानी समिति का क्या हुआ? हम इस निगरानी समिति के बारे में मंत्री जी से उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। तमिलनाडु के लोगों के लिए जीवन मरण की समस्या है। लेकिन मंत्री जी मौन धारण किए हुए हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कल चालीस मिनट तक मैंने अपनी बात कही और उसको माननीय मंत्री जी ने गलत शब्दों में प्रयोग किया, इसका मुझे दुःख है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल बहस के दौरान रावी-व्यास का मामला यहां पर उठा था और जगमीत सिंह जी ने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रावी-व्यास में राजस्थान का हिस्सा नहीं बनता है। इस प्रकार की चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन आपने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की है। माननीय सरदार साहब, जो पैनल ऑफ चेयरमैन हैं, ने भी आकर कहा कि रावी-व्यास में राजस्थान का हिस्सा बनता है। इसलिए दोनों मामलों में हम अध्यक्ष जी के पास जाकर बात करेंगे और उनसे आधे घण्टे की चर्चा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह छः घण्टों की चर्चा पूरी नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : श्री एस०सी० माथुर ने आपके श्री वीरभद्र सिंह जी के साथ बैठकर, मनाली में, डेढ़ करोड़ रुपया आपके डिपार्टमेंट में जमा किया है कोल के लिए। इसमें से 75 परसेंट पैसा हमको देना है और 67 परसेंट बिजली हम लेंगे। यह डेढ़ करोड़ रुपया आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इसका सर्वे नहीं हुआ है। यही स्थिति हमारे थीन डैम की है। हमें पानी नहीं मिल रहा है। यही स्थिति हमारे नाथपा झाखड़ी डैम की है। हथनी कुंड डैम आप बनाते जा रहे है, लेकिन उसका अभी तक एलोकेशन नहीं हुआ है। हथनी कुड डैम बनाना एक दम जरूरी है। हथनी कुंड डैम में राजस्थान का हिस्सा नहीं कटना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है इसी प्रकार गुड़गांव की योजना ...

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाउ नहीं करूंगा। सारे प्रोजैक्टस का जवाब देने के लिए मिनिस्टर यहां नहीं बैठे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : गुड़गांव से जो हिस्सा बनता है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको योजना आयोग से शिकायत है। नीतीश कुमार को भी शिकायत है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम योजना आयोग के पास गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पानी जिसे आप स्वयं मानते हैं कि एक महत्वपूर्ण विषय है, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल का बजट क्यों कम कर दिया गया?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप सारी योजना यहां पर लाकर पास करवा लेना चाहते हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : ब्रह्मपुत्र को गंगा से जोड़ने में आपका कोई खर्च नहीं आएगा। अन्य में तो आपने खर्चे की बात बताई है। असम में इस नदी कारण तबाही मचाई हुई है और लोग परेशान हैं और उधर पानी नहीं मिलने से लोग परेशान होते हैं। आप कृपया करके कोई पोजिटव एक्शन लीजिए। आपने अपने भाषण में नई कोई बात नहीं कही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि दक्षिण भारत का अलग बनेगा और उत्तर भारत का अलग बनेगा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां साल भर पानी में रहना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से भी मिला हूं, दरभंगा, सहरसा, खगरिया, इन तीन जिलों की बैल्ट में लाखो एकड़ जमीन प्रतिवर्ष पानी में डूबी रहती है। कहा गया कि बांध बना दिया जाएगा, लेकिन नहर निकाल दी गई। न तो बांध ठीक से बना और न नहर निकाली जा सकी। आपको आश्चर्य होगा, मैं दरजियाफुइया बांध के लिए राज्य सरकार को लिख-लिख कर थक गया, 10-11-12 करोड़ रुपए की जमीन है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जिस रिपोर्ट में हवाला दिया गया कि बाढ़ पर कैसे नियन्त्रण किया जाए। उसमें पूरा का पूरा जिक्र है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कोसी बैल्ट से सहरसा, दरभंगा, खगरिया आदि जो जिले आते हैं, यहां की लाखों एकड़ जमीन फंसी हुई है। हजारों आदमियों की तबाही होती है। हो सकता है मंत्री महोदय के पास अभी जवाब न हो, मैं मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह करूंगा कि उसका आप ठीक से सर्वेक्षण करा लीजिये, दिखवा लीजिये। पैसा बहुत है, आप जो सेंटर असीस्टेस देते हैं उसमें अगर बढ़ोतरी करने की आवश्यकता हो तो बढ़ोतरी कीजिये लेकिन आप उस प्रोजेक्ट को, बांध को पूरा करवाने का कष्ट कीजिये।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : पहले तो मुझे आपसे एक निवेदन करना है। यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि अलग-अलग सदस्यों को उत्तर दिया जायेगा . . .

अध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है। यह प्रक्रिया नहीं है। आप सदैव अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं। मंत्री महोदय के लिए सभा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है। अब आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह समझता हूं। मैं इस प्रश्न पर यह निवेदन कर रहा हूं कि आप जब सदस्य को व्यक्तिगत रूप में उत्तर देते हैं, तो आप कम से कम उसी राज्य के अन्य सदस्यों को भी उस पत्र की प्रतियां भेज सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय सही ही आग्रह कर रहे हैं कि हमें अपनी बातों को दोहराना नहीं चाहिए। मैं आपसे यही एक निवेदन कर रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में मूल विवाद बढ़ रहा है। हमारा तो यही कहना है कि कलकत्ता पत्तन पर गाद की समस्या अंशतः गंगा नदी के किनारे के साथ-साथ अवस्थित राज्यों द्वारा इसके समान उपयोग के कारण पैदा रही है। आपको इसकी जांच करनी चाहिए। इसी के एक अन्य प्रश्न का उल्लेख मैं आपको करना चाहता हूं।

तीसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल का समूचा दक्षिणी भाग गंगा पर अवलम्बित है। मंत्री जी ने सहृदयतापूर्ण इन कतिपय क्षेत्रों में अधिकारियों को भेजा था। मैं भी उनमें शामिल था। विद्याधरी, जहां पर यह समुद्र में मिलती है, के मुहाने पर यदि गाद छंटाई नहीं की जाती है, तो दक्षिणी बंगाल के जिले बाढ़ ग्रस्त हो जायेंगे क्योंकि इसका प्रवाह अवरुद्ध हो जायेगा। कृपया इसकी ओर भी ध्यान दें।

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दन : पहले तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि तमिलनाडु के लोगों के हितों की रक्षा करें। गत वर्ष मंत्री जी आए थे और उन्होंने एक निगरानी समिति बनाने का आश्वासन दिया था। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति कागजों में ही है अथवा यह गठित कर दी गई है। जून माह आ रहा है और हमें पानी की आवश्यकता है। हम अध्यक्ष महोदय से तमिलनाडु के लोगों की सुरक्षा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछा है।

श्री एम०आर० कादम्बुर जर्नादन : तमिलनाडु के लोगों को केन्द्रीय सरकार न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके विरोधस्वरूप हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

1.34 म०प०

इस समय श्री एम०आर० कादम्बूर जर्नादन और कुछ अन्य भारतीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कुछ परियोजनाएं सालों से जो पांच-सात प्रतिशत पूरी होनी बाकी हैं उनको राज्यों को अरोपित किया है। ऐसी परियोजना जिस पर शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा व्यय किया जा रहा हो और उस परियोजना के लिए ट्रिब्युनल द्वारा भी सालों पहले निर्णय किया जा चुका हो तथा भूतपूर्व स्व० प्रधान

मंत्री जी द्वारा जिसकी शुरूआत की गई हो। ऐसी परियोजना सालों से लटक रही हो और जिसकी वजह से सारे प्रांत को बेहद हानि पहुंच रही हो, जिससे कि हरियाणा के किसान प्रभावित हैं। मैं एस० वाई० एल० के बारे में संकेत कर रहा हूं, उसको पूरा करने में क्या कठिनाई हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : मंत्री जी ने आगामी तीन वर्षों में अतिरिक्त आवश्यकता के बारे में कोई बात नहीं की है। मंत्रालय के आकलन के अनुसार यह 1800 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है।

मेरा आगामी प्रश्न यह है कि 1987 में राष्ट्रीय जल नीति के स्वीकार किए जाने के पश्चात राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की कोई भी बैठक नहीं हुई है। प्रधान मंत्री जी द्वारा अनुमोदित उस परिषद का क्या हुआ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय जल संसाधनों का ध्यान रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की कोई बैठक बुलाई जा रही है।

तीसरे, गंगा जल के बंटवारे के संबंध में राज्यों और बंगलादेश के बीच आने वाले दिनों के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। क्योंकि कलकत्ता बन्दरगाह का अस्तित्व पूर्णतः कलकत्ता में गंगा जल की उपलब्धता पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को निर्मल कान्ति जी ने उठाया था। आप इसे छोड़ सकते हैं।

श्री अनिल बसु : अन्तिम मुद्दा मेरे चुनाव क्षेत्र के बारे में है। मैंने मंत्री जी के सामने यह मुद्दा कई बार उठाया और अपने भाषण में भी मैंने दामोदर घाटी निगम व्यवस्था जिससे मेरे क्षेत्र में बाढ़ आती रहती है-से बोड़ो फसल को जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उसका उल्लेख किया।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक गलतफहमी हो गई है, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि 3 करोड़ रुपया फरक्का डैम के डाउन सिस्टम इलाके में दिया गया है, लेकिन यह पैसा फरक्का बैराज को बचाने के काम में लगेगा, उसका लालगोला से जलंगी में एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। हर बार 1-2-3 करोड़ रुपया इस तरह से दिया जा रहा है, जिसको डाउन सिस्टम में लगा रहे हैं, जहां की जमीन बंगला देश में जा रही है। इस बारे में मैं मंत्री महोदय का उत्तर चाहूंगा।

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में बताया है और मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं राजस्थान में खासकर के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की बात करना चाहता हूं, जहां के लिए कोई योजना नही बनाई गई है। मैंने वहां के लिए आयुक्त से मास्टर-प्लान बनवा कर प्लानिंग कमीशन के पास भिजवाया है तथा मंत्री महोदय के पास भी भिजवा रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना के तहत क्या राशि स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : बड़ी सिंचाई परियोजना के निर्माण में काफी लागत

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

आएगी और इसमें काफी समय लगेगा। परन्तु उचित रख रखव के अभाव में हिराकुट जैसी पहले से ही निर्मित प्रमुख, बड़ी परियोजनाओं का आयाकुट क्षेत्र प्रतिवर्ष सिमटता जा रहा है। उसके डिजाइन और प्रणाली के उचित रख-रखाव और नवीकरण पर थोड़ा और ध्यान देने से गाद हटाये जाने आदि से-एक बड़े क्षेत्र को लाभ मिलेगा और कुछ और नए क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन पहलुओं पर विचार करेगी? दूसरा मुद्दा महानदी-गोदावरी सम्पर्क के सम्बन्ध में है। राष्ट्रीय हित में यह बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तस्वीर चित्ताकर्षक है। परन्तु हमारी परिस्थिति में यह व्यावहारिक नहीं लगती क्योंकि इसमें काफी पैसा लगेगा। सम्बल परियोजना के लिए आयाकुट तैयार है परन्तु उसमें नहर प्रणाली का अभाव है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि परियोजना के साथ समुचित धन का प्रावधान होना चाहिए।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। मैं उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। थीन बांध परियोजना वर्ष 1964 में बनाई गई थी और इस सिंचाई और जल विद्युत परियोजना से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों को लाभ मिलने वाला है। गत तीस वर्षों से वह परियोजना अत्यन्त धीमी गति से आगे बढ़ रही है। क्या माननीय मंत्री महोदय थीन बांध परियोजना को पर्याप्त धन उपलब्ध करायेंगे जिससे कि पंजाब पर दबाव कम हो और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों ...

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह बात जान लें कि हम यहां संसद भवन में नीतियों की बात करते हैं, परियोजनाओं की नहीं।

श्री जगमीत सिंह बरार : लेकिन आप हमें कभी भी नीतियों की बात करने की अनुमति नहीं देते।

[हिन्दी]

श्री तेजसिंह राव भोसले (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुच्छी संयुक्त प्रोजेक्ट कन्हान रिवर पर है, जिसके बनने से दोनों राज्यों को बहुत लाभ होगा। यह योजना सरकार के सामने है। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना को कब तक शुरू करने वाले हैं।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आती है, जिसको न केन्द्र सरकार रोक पा रही है और न राज्य सरकार रोक पा रही है। नेपाल से विदेशी पानी आकर यहां पर तबाही मचाता है। इस बारे में नेपाल सरकार से बात करके इस विदेशी पानी को उत्तर बिहार में आने से रोकने का कोई प्रबंध करेंगे या नहीं, ताकि उत्तर बिहार को प्रति वर्ष डूबने से बताया जा सके।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उड़ीसा में बाढ़ और सूखा साथ-साथ आते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि वहां पानी फालतू है। हां, वहां पानी की अधिकता है। परन्तु यदि आप पूरे प्रदेश की सिंचित भूमि की गणना करें तो आपको पता चलेगा कि केवल 19 प्रतिशत भूमि सिंचित है जो कि देश में सबसे

कम है। रेंगाली बांध-ऊपरी कोलाब बांध गत पांच वर्षों से पूरा हुआ पड़ा है। परन्तु सिंचाई के लिए नालियां नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकार के पास सिंचाई हेतु नालियों के लिए धन नहीं है। केवल रंगाली के लिए ही लगभग 1500 करोड़ रुपये चाहिए। यदि आप कहें कि महानदी-जल को आन्ध्र प्रदेश लाया जा सकता है और आन्ध्र प्रदेश से होकर यह तमिलनाडु आ सकता है तो यह असंभव है। उस समय जो कुछ भी सोचा गया था वह संभव नहीं है। स्वर्णरेखा परियोजना कार्य नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता कि स्वर्णरेखा में क्या हो रहा है। यह मुश्किल से 10 से 20 प्रतिशत ही काम कर रही है। कार्य में प्रगति हुई है। कुछ ऐसी परियोजनायें हैं जहां बाढ़ भी है और सूखा भी है। वहां पानी भी है। पानी सीधा समुद्र में चला जाता है। यह सब देखते हुए आपको लगता है। कि वहां पानी की अधिकता है। परन्तु एस० आर० सेन समिसित की रिपोर्ट के अनुसार पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तथा उड़ीसा में पानी की अधिकता है। परन्तु उस जल का उपयोग नहीं हो पाता। इसका उपयोग किया जा सकता है। उड़ीसा में मात्र 5 प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है जबकि हरियाणा में 90 प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। यह संतुलन है। इसे संतुलित बनाने हेतु भारत सरकार को भूमिका निभानी पड़ेगी आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार को धन खर्च करना चाहिए। राज्य सरकार वित्तीय संकटों से गुजर रही हैं। अब किस प्रकार जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग राज्य के ही लाभ के लिए करेंगे? महानदी आपके राज्य से आती है। आप थोड़ा बहुत जल अपने चुनाव क्षेत्र ले जा सकते हैं। परन्तु कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि महानदी जल का उपयोग उस विशेष राज्य में ही हो।

श्री नुरूल इस्लाम (धुबरी) : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ब्रहमपुत्र नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में क्या कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है? इस राष्ट्रीय नदी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई राष्ट्रीय सरकार को करनी चाहिए।

दूसरे, मेरे चुनाव क्षेत्र में, ब्रहमपुत्र नदी द्वारा किए गए कटाव के कारण 54,000 परिवार भूमिहीन ओर बेघर हो गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कटाव रोकने तथा बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई कदम उठाए गए हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैंने पंचाटों तथा अन्य न्यायिक निकायों के विचाराधीन मुद्दों से बचने की कोशिश की है। मैंने विस्फोटक तथा परिवर्तनशील समस्याओं का भी कोई उल्लेख नहीं करने का प्रयास किया है क्योंकि यहां व्यक्त किए गए ऐसे विचार उन समस्याओं के अन्तिम समाधान के लिए समस्यायें खड़ी कर सकते हैं जो निमार्णधीन हैं या विभिन्न पंचाटों के विचाराधीन हैं। यदि हम सभी थोड़ा सा आत्मनियंत्रण रखें तो हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अन्यथा, यहां तथा अन्य विभिन्न मंचों पर विचारों की अभिव्यक्ति से समस्या के समाधान में सहायता मिलने के बजाय काम बिगड़ जायेगा।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से आने वाले हमारे संसद सदस्य पंचाट के इतिहास से परिचित है। अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद सम्बन्धित राज्य सरकार-पक्षकारी राज्यों-द्वारा उसे कुछ स्पष्टीकरण हेतु पंचाट के पास भेजा गया था उस

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

अन्तरिम रिपोर्ट के बाद वे अन्तिम स्पष्टीकरण अभी भी आने हैं। हमें आशा है कि पंचाट, जो कि पूर्णतः तटस्थ निकाय है, ऐसे स्पष्टीकरण देगा। इससे इस बेसिन में रह रहे किसानों और लोगों की शिकायतों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

कावेरी का मामला ऐसा ही है। हमें विवाद की प्रकृति के बारे में जानकारी है। यह विवाद 10 या 20 वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से है। पहला समझौता 1894 में हुआ था और प्रत्येक 50 वर्ष के बाद इसका नवीकरण किया गया है। अन्ततः जब नवीकरण की अवधि समाप्त हो गई और कोई समझौता नहीं किया जा सका तो इस विवाद को पंचाट को सौंप दिया गया। अन्तरिम रिपोर्ट के कारण थोड़ी समस्या पैदा हो गई। अन्तिम रिपोर्ट का इन्तजार है। यह पंचाट पक्षकार राज्यों के पक्षों को सुन रहा है। भारत सरकार इस विवाद की पक्षकार नहीं है और न ही यह कोई समस्या पैदा करती है। पहले ही मैंने अपने मुख्य उत्तर में इस बात का इरादा किया था कि कावेरी बेसिन जलाभाव वाला क्षेत्र है। अतः जब तक नदियों को जोड़कर और जलांतरण नहरों के द्वारा जल आपूर्ति में वृद्धि नहीं की जाती तब तक हमारे उत्तम प्रयासों के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि हम इस प्रकार की जलांतरण नहरों के द्वारा जल की मात्रा में वृद्धि किए बिना जल की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकते।

मैंने फरक्का बैराज, कलकत्ता शहर पत्तन और कलकत्ता शहर जल आपूर्ति समस्या का भी उल्लेख नहीं किया है क्योंकि इनका सम्बंध अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से है। हमने बंगलादेश की सरकार के साथ उपभोगी और आशाजनक बातचीत की है और हम इस समस्या को मित्रतापूर्ण और समझदारी से सुलझाना चाहते हैं। यह एक कठिन कार्य है किन्तु इस सभा द्वारा किए गए समर्थन से हमें आशा है कि इस मामले में प्रगति होगी जिससे इस समस्या का समाधान निकल सके। केवल यही चीज है जिससे भाारत और बंगलादेश जैसे मित्र देशों के बीच समस्याएं पैदा होंगी। यही स्थिति सतलुज यमुना लिंक नहर की है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसीलिए हमने विभिन्न विचारों तथा दृष्टिकोणों पर, जिनका उल्लेख इस वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्य ने किया है, ध्यान दिया है। उन्होंने अपने विचार रखे हैं और हम इस मामले में आगे बातचीत करने से पहले हम इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखेंगे और मुझे आशा है कि यह मामला जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा।

अभी मेरे मित्र राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक के बारे में पूछ रहे थे। यह बैठक पिछले महीने निर्धारित की गई थी किन्तु कतिपय कारणों से इसे स्थगित करना पड़ गया था। हमें आशा है कि आने वाले सप्ताहों में यह बैठक आयोजित की जाएगी।

श्री हुसैन ने भारत और बंगलादेश की सीमा के बीच से गुजरने वाली नदी से संबंधित समस्याओं के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में बताना कठिन है, और मेरे विचार से इसके बारे में कुछ कहना ठीक भी नहीं रहेगा । हमें इसे पारस्परिक विचार-विमर्श और आदान-प्रदान के आधार पर सुलझाना होगा। हम यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते जिससे समय-समय पर और वर्ष दर वर्ष उठने वाले मुद्दों को सुलझाने में कठिनाई हो। हमें इन्हें

सावधानीपूर्वक सुलझाना होगा। हम थीन बांध की प्रगति के मामले में अत्यधिक सतर्क हैं। यह बहुत ही लाभदायक परियोजना है और हम इसे यथासम्भव शीघ्रतापूर्वक पूरा कराने का प्रयास करेंगे। रंगाली, अपर कोलाब बांध और सुवर्णरेखा के सम्बंध में ...

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : कब तक पूरा होना था, कब पूरा होगा ?

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस बारे में नहीं कह सकते। इस प्रकार की समस्याऐं पैदा की जाती हैं। हमारा प्रयास इन्हें सुलझाने और उसे यथाशीघ्र पूरा करने का है किन्तु कई बार विवाद और समस्याऐं विभिन्न कारणों से पैदा कर ली जाती हैं जिनमें राजनीतिक कारण भी शामिल हैं। इन्हीं से समस्यायें पैदा होती हैं। अतः माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे जल के मामलों को भी धर्म की तरह ही राजनीति से दूर रखें जिससे ऐसी परेशानी खड़ी न हो जो हमारे लिये हर जगह समस्याएं उत्पन्न कर दे।

जहां तक ब्रह्मपुत्र का संबंध है, हमने इसे महानदी का विशेष दर्जा दिया है। हमने विकास तथा अन्य समस्याओं को देखने हेतु एक विशेष बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड में समुचित कर्मचारी हैं तथा इसके लिए जरूरी धन भी दिया गया है। यह बोर्ड अच्छा कार्य कर रहा है और मुझे आशा है कि समस्याओं का उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है उन्हें इस बोर्ड द्वारा सुलझा लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : बिहार के बारे में भी कुछ बोलिये। कुछ कोसी नदी के बारे में भी बताइए।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : बिहार के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि बिहार का जिक्र किए बिना तो कोई बात पूरी ही नहीं होती। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने श्री राम विलास पासवान जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वहां बाढ़ संरक्षण कार्य के लिए उत्तरी बिहार के बाढ़ रोधी उपायों के लिए 50 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया है। किन्तु दुर्भाग्य से, उनकी पार्टी की सरकार इस धनराशि का उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं है। 50 करोड़ रुपए की यह राशि में से बिहार सरकार अब तक मात्र कुछ लाख रुपए ही खर्च कर पाई है। यह राशि उनके सुपुर्द कर दी गयी है। हम इस काम को करने के लिए यहां से केन्द्रीय दल तो भेज नहीं सकते। जो धन सरकार के पास इकट्ठा हो चुका है उसे तो स्थानीय सरकार ही काम में लगा सकती है। आवश्यक धन प्रदान कर दिया गया है, योजना को मंजूरी दे दी गई है और सब काम हो चुका है। श्री राम विलास पासवान अपनी ही सरकार को इस मामले में कुछ करने के लिए राजी नहीं कर सकते। इस मामले में मैं कुछ भी मदद करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री राम विलास पासवान : यह आपका धन है अथवा योजना आयोग का है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसे योजना आयोग ने स्वीकृत किया तथा हमने दिया है। (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। स्पष्टीकरण के दूसरे दौर के लिए समय नहीं दिया जा सकता। इन सब बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कई कटौती प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं। क्या मैं सभा की स्वीकृति के लिए सारे कटौती प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करूं अथवा क्या कोई माननीय सदस्य कोई विशेष कटौती प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत करवाना चाहता है?

आज मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए एक साथ प्रस्तुत करता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब मांगें सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 4 में जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	17 मार्च, 1994 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
82.	जल संसाधन मंत्रालय	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
		56,60.00.000	3,54.00 000	28,29,8,00,000	1,771,00,000

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांगों पर दोपहर के भोजनावकाश के बाद विचार करने की घोषणा करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि माननीय मंत्री ने प्रतिवेदन में दिये गये अनेक सुझावों को सिंचाई संबंधी स्थाई समिति को सौंप दिया है। उन्होंने न केवल सुझाव ही सौंपे हैं अपितु यह संकेत भी दिया है कि स्थाई समिति द्वारा दिये गये सुझावों में से कई सुझावों को स्वीकृत किया जायेगा। मैं प्रतिवेदन के लिए स्थाई समिति के सभापति तथा सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। मैं सकारात्मक और अनुकूल रुख अपनाने के लिए मंत्री महोदय को भी बधाई देना चाहता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

तत्पश्चात् सभा आज 3.00 बजे म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

1.54 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.00 म०प०

3.00 बजे म०प० पर गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। 3.03 म०प० पर एक बार पुनः गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति नहीं हुई।

3.11 म०प०

गणपूर्ति के अभाव में 3.25 म०प० तक के लिए सभा के स्थगन के बारे में घोषणा

अपर सचिव : गणपूर्ति नहीं है। अतः सभा समवेत नहीं हो सकती है। जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती, हम सभा की कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकते। सभापति महोदय ने निदेश दिया है कि सभा 3.25 म०प० पर समवेत होगी।

लोकसभा 3.25 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

3.25 म०प०

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

अनुदानों की मांगें (सामान्य) , 1994-95 –जारी

(दो) मानव संसाधन विकास मंत्रालय-जारी

सभापति महोदय : अब सभा मानव संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50 पर चर्चा और मतदान करेगी, जिसके लिए 6 घन्टे नियत किये गये हैं।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें, जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जायेगा।

[सभापति महोदय]

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले कार्य में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लिए मानव विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	17 मार्च 1994 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखा अनुदानों की मांगों की राशि		सदन कृषि स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
47.	शिक्षा विभाग	403,21,00,00	9,00,000	2017,05,00,000	43,00,000
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	21,78,00,000	24,00,000	111 90,00,000	1,19,00,000
49.	कला और संस्कृति	29,62,00,000	-----	150,07,00,000	------
50.	महिला और बाल विकाम त्रिभाग	117,60,00,000	-----	587,99,00,000	-----

3.26 म०प

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : माननीय सभापति जी, शिक्षा के इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार व्यक्त करने के लिए समय देकर आपने जो मेहरबानी की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शिक्षा राष्ट्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है, सदन इसको भली-भांति जानता है कि शिक्षा ही हमारे व्यक्तित्व से लेकर राष्ट्र तक सबके निर्माण की आधारशिला है। व्यक्ति का विकास, परिवार का निर्माण, समाज की गति और राष्ट्र की प्रगति, यह सब कुछ जिस शिक्षा पर अविलंबित और आधारित है, उस शिक्षा को स्वाधीनता के बहुत पहले, सन्

1930 के आसपास जब महात्मा गांधी जी की देखरेख में स्वाधीनता आन्दोलन चल रहा था, स्वनामधन्य शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद डा. जाकिर हुसैन के सहयोग से और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने राष्ट्रीय योजना तैयार करने का काम सोचा था और अपनी सिफारिशें भी दी थी। तब से लेकर सन 1986 तक शिक्षा के संबंध में सरकार ने अपनी कोई नीति नहीं बनाई है। शिक्षा की अपनी नीति न होने के कारण यद्यपि जिस स्वनामधन्य नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई थी, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ही बने थे, चाहिए तो यह था कि जिन बातों की सिफारिश उस समय उस योजना के तहत की गई थी, स्वाधीनता के तुरन्त बाद उस पर अमल करने के लिए एक विधिवत शिक्षा नीति की घोषणा की जाती और उसके तहत पूरे देश में शिक्षा का कार्य चलता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसका परिणाम यह है कि अंग्रेजों के समय की शिक्षा प्रणाली ही हमारे देश की शिक्षा प्रणाली बन गई। उसमें समय-समय पर हमने आंशिक परिवर्तन, संशोधन भले ही किए हो लेकिन कोई आमूल परिवर्तन उसमें नहीं हुआ, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा से जो राष्ट्रीय स्वाभिमान निकलना चाहिए, शिक्षा से जो राष्ट्रीय पहचान बननी चाहिए, शिक्षा से व्यक्तित्व के विकास की जो दिशा मिलनी चाहिए, शिक्षा के द्वारा जो आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वाधीनता का संकल्प आना चाहिए, वे सब प्रश्न पीछे छूटते चले गए और हम केवल अक्षर ज्ञान करने के लिए, केवल किताबी ज्ञान देने के लिए पुस्तकों का संकलन करते गए। पुस्तकों का बोझ बढ़ता गया और वह इस सीमा तक बढ़ा कि बच्चे का वज़न कम हो गया और किताबों का वज़न ज्याद हो गया।

आज बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो अपने वज़न से ज्यादा पुस्तकें लेकर जाते हैं जो केवल उनके शरीर के लिए बोझ नहीं होती बल्कि उनके दिल और दिमाग दोनों के लिए बोझ होती हैं। जब दिल और दिमाग दबा हुआ होता है तब शिक्षा की कली नहीं खिलती, शिक्षा के अंकुर नहीं फूटते। शिक्षा का अंकुर तभी फूटता है जब उन्मुक्त आकाश होता है, सोचने के लिये, भावनाओं के लिये, चिन्तन के लिये, स्मृतियों के लिये और अपने चारों और देखने के लिये। शिक्षा केवल किताबों से नहीं आती है। शिक्षा अपने चारों और जो कुछ होता है, उससे आती है। चारों और जो माहौल होता है, जो परिवार होता है, जो समाज होता है, जो पर्यावरण होता है, जो गांव की गलियां होती हैं, वे जितना सिखाती हैं, कोई विश्वविद्यालय इतना नहीं सिखा पाता है, कोई महाविद्यालय नहीं सीखा पाता है। कोई शिक्षक नहीं सीखा पाता। बचपन में दूध पीते-पीते बच्चा अपनी मां से जितना सीख लेता है, उंगली पकड़े-पकड़े अपने पिता से जितना सीख लेता है, उतना विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं सीखा पाती।

शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा संस्कार देने वाली नैसर्गिक प्रक्रिया है, जो कि संस्कार देती है। संस्कार वह होता है जो व्यक्ति के लिये सांचा बनता है, व्यक्तित्व के लिये आधार बनता है। व्यक्तित्व निखरता है जिस सांचे में, उसको संस्कार कहते हैं, उसका भी निर्माण करता है। अक्षर से बुद्धि का विकास होता है लेकिन व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। किताबे पढ़ कर किताबी ज्ञान होगा, बहुत सी सूचनायें होंगी। हम निश्चित रूप से उस पर भाषण कर सकते हैं लेकिन जब चरित्र का प्रश्न आयेगा तो संकट खड़ा हो जायेगा क्यों कि चरित्र किताबों से नहीं प्राप्त होता है।

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

चरित्र अपने मां-बाप, भाई-बहन, अपने चारों ओर जो कुछ होता है, समाज और राष्ट्र के परिवेश से निकलता है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि शिक्षा शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किए जायें।

[केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार राज्य सरकार को रोजगारोन्मुखी शिक्ष प्रदान करने हेतु अनुदान की राशि में वृद्धि की आवश्यकता] 1

[बिहार के जहानाबाद जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता] 2

[बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता] 3

[देश में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की आवश्यकता] 4

"कि कला और संस्कृति शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार के जहानाबाद जिले में केन्द्र की सहायता से 'नाट्य कला परिषद' का केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता] 5

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें"

[मणिपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता] 17

[मणिपुर सरकार को बालिका शिक्षा की और उत्साह से बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता] 18

[मणिपुर सरकार को निजी महाविद्यालयों को अपने अधीन लेने के लिए धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता] 19

"कि कला और संस्कृति शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता] 20

सभापति महोदय : श्री स्वाामी चिन्मियानंद जी, आप अपनी बात को अगली बार जारी रख सकते हैं, अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे।

3.33 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 27 अप्रैल, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा दिनांक 27 अप्रैल, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की तीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.34 म०प०

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, इत्यादि में आरक्षण के बारे में संकल्प–जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि में आरक्षण पर आगे चर्चा करेंगे। श्री राम टहल चौधरी अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : माननीय सभापति महोदय, मंडल सिफारिशों के तहत माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। पिछले दिनों मंडल सिफारिशों के तहत पहले व्यक्ति की नियुक्ति हुई।

हमारे यहां जाति व्यवस्था है। हमारे समाज में बहुत से पिछड़े वर्ग हैं। आज उनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उनको समाज से अलग करके कोई आगे बढ़ नहीं पायेगा। हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज में ऊंची जाति के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिये। उस आधार पर उन्हें 10 परसैंट आरक्षण भी मिला है। भाइचारे के आधार पर निर्धन और दुर्बल वर्ग को ऊपर उठाना आवश्यक है। अगर हमारा छोटा भाई गरीब, अपंग या अपाहिज है, जमीन से कोई चीज उठाने के लिये जैसे झुकना पड़ता है, उसी तरह समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए झुकना पड़ेगा। जो पहले से ऊपर उठे हुए हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं लेकिन जो गिरे हुए हैं, उनको ऊपर उठाने की बात हम कर रहे हैं। अगर उनमें शक्ति होती तो वह खुद ही ऊपर उठ जाते हैं। मण्डल कमीशन के बारे में आज नहीं बल्कि जब किसी पार्टी ने इसकी सिफारिशों के बारे में विचार नहीं किया था तो 1985 में हमारी पार्टी के नेताओं ने इसकी सिफारिशों को लागू करने पर विचार किया था और कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, उनके आरक्षण के सम्बन्ध में जिस संवैधानिक व्यवस्था को हम मानते हैं, वही व्यवस्था अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी होनी चाहिए, जिनकी पहचान मण्डल कमीशन में पिछड़ी जाति के रूप में हो चुकी है। उसमें उनको आरक्षण का लाभ

[श्री राम टहल चौधरी]

मिलना चाहिए। उसमें गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। गरीबी पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है। आरक्षण की नीति भी गरीबों को ऊपर उठाने के लिए ही बनाई गई है।

अन्य जातियों के लोगों को भी गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य वर्ग के लोगों को, जैसे महिलाओं और विकलांगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा हम महसूस करते हैं। आज पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है और कहीं भी उनको स्थान नहीं मिला है। आज वह शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक आदि सभी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं इसीलिए उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। मण्डल कमीशन को लागू किया गया लेकिन इसमें अभी बहुत सी गड़बड़ियां हैं। बहुत से राज्यों में, जैसे राजस्थान और दिल्ली में इनकी सूची अभी तक नहीं बन पाई है इसलिए इनकी सूची बननी चाहिए। जिन राज्यों में सूची बन गई है वहां जिस जाति के लोग नहीं हैं, उस जाति का नाम तो है लेकिन जिस जाति के लोग वहां हैं, उस जाति का नाम नहीं हैं इस तरह की गड़बड़ियां बहुत सी जगह हुई हैं, इसमें सुधार होना चाहिए।

मंत्री जी ने इसके बारे में कहा था कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत सी सुविधाएं देने जा रहे हैं, इसी हाउस में केसरी जी ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम पहली नियुक्ति कर रहे हैं। इसके बाद हर स्थान पर उनको स्थान मिलेगा, चाहे वह सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को स्थान मिला है, उसमें उनको जो छूट मिली हुई है, वही छूट पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी चाहिए, मण्डल कमीशन के तहत जिसकी सिफारिश की गई है, तभी उनका विकास हो सकता है।

पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यालय आपने दिल्ली में खोलने का फैसला किया है। हर राज्य में इसका कार्यालय होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग वित्त निगम बनाकर व्यवसाय करने का अवसर उनको मिलना चाहिए और रियायती दर पर उनको ऋण मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं इसलिए उनको बिजली और खाद पर अधिक सब्सिडी मिलनी चाहिए।

मैं दक्षिण बिहार से आता हूं, जिसको वनांचल एवं झारखण्ड भी कहते हैं, वहां पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति वहां के आदिवासी लोगों से भी बदतर है, वहां के भूमिपुत्रों से भी उनकी स्थिति बदतर है। उनकी स्थिति भी वही है। मुझे खेद है कि वहां के जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। वहां के पिछड़े लोगों को दो भागों में बांटा गया है-एनैक्चर-1 और एनैक्चर-2 उनको कम से कम जो सुविधा मिलती थी, वह भी नहीं मिल रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनको मिल रही है, उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं है। वहां 45 प्रतिशत आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है और पांच प्रतिशत हरिजन भाइयों के लिए है तथा जो बाकी बचता है, उसमें जो वहां के भूमि पुत्र हैं, उनको मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग को कोई भी स्थान किसी भी चीज में नहीं मिलता है। उनके नाम पर दूसरी जगहों से लोग लाकर भर दिए जाते हैं। इसलिए यह पाबन्दी होनी चाहिए कि जिन जिलों की बात है, वहां के लोगों को लिया जाए। वहां रांची में सी० आर० पी की भर्ती

हो रही थी। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी ऊंचाई एक-आधा इंच कम होने से छंटनी कर दी गई और हरिजनों के नाम पर दूसरे लोगों की बहाली कर दी गई। वास्तव में जो हरिजन हैं, उनकी बहाली नहीं हुई। वहां की जलवायु, वहां का वातावरण ऐसा है कि वहां के लोग नाटे हैं। उनकी ऊंचाई नेपाल के लोगों जैसी है। चूंकि वे छोटे कद के हैं, इसलिए यह भी विचार करना चाहिए कि जहां के लोग छोटे कद के हैं, वहां के लोगों को भी स्थान मिलना चाहिए।इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक वजह यह भी है कि वहां के लोगों का विकास नहीं हो पाया है। पंचायत, ग्राम सभा, लोक सभा में जिस तरह की आरक्षण की व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था पिछड़े लोगों के लिए होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि पिछड़े लोगों के ऊपर उठाना है, तो उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए हर जिले में कम से कम एक होस्टल की व्यवस्था आपको करनी होगी। उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी होगी, तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा जो गरीब परिवार हैं, वे आगे नहीं बढ़ पायेंगे। कल्याण मंत्री जी ने कहा था, केवल प्रश्न नौकरी पाने का नहीं है, सरकारी नौकरियों की तरह निजी क्षेत्र में पिछड़े वर्गों और उनमें भी सबसे कमजोर अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। अन्य दलों से विचार विमर्श करने के लिए अपना विचार रखा था। अभी भी इन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लोक सभा में हल्ला करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण आप दे रहे हैं, उसका पालन सख्ती से होना चाहिए। जो पदाधिकारी पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए, तभी आरक्षण का लाभ उनको मिल पाएगा, नहीं तो सिर्फ वह कागज पर ही रह जाएगा। यदि आप इनको देश की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, तो इन सब बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा, तभी यह समाज आगे बढ़ सकता है।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले श्री के॰ राममूर्ति जी ने जो संकल्प रखा है इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर इस सदन में अवसर दिया है कि सामाजिक न्याय, पर आरक्षण पर और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके वाजिब हक मिलने चाहिये। इस सवाल पर चर्चा करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया है। उन्होंने जो संकल्प रखा है उसमें दो बातों की चर्चा की है। एक तो यह कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षण संस्थानों में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये और दूसरी बात उन्होंने अपने प्रस्ताव के जरिए कही है कि जो केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार से संबंधित निगम हैं या जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उसमें नौकरी प्राप्त करने के लियें जो अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है उसमें छूट दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, जहां तक शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में सवाल है यह मांग एक अर्से से उठती चली आ रही है। नौकरी में आरक्षण देने का सरकार ने फैसला

[श्री नीतीश कुमार]

किया, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके, 1990 में, लेकिन शिक्षण संस्थानों में, यानी पढ़ाई के मामले में उनको किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं है और जब तक पढ़ाई में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये जगह आरक्षित नहीं की जाएगी तब तक नौकरी प्राप्त करने के लायक उसमें से एक बड़ा तबका तैयार नहीं हो सकता, इसलिए यह आवश्यक है, इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है सिर्फ एक काम किया गया कि नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया गया तो इसका बड़ा विरोध हुआ और जानबूझ करके विरोध किया गया तथा कुछ नौजवानों को इसके खिलाफ भड़काया भी गया और इस प्रकार से भड़काने का काम हुआ जैसे किसी विदेशी को कोई सुविधा दी गई है। सदियों से, हजारों साल से जो वर्ग अवसर से, सुविधा से वंचित रहा है, जिसकी राज-काज में हिस्सेदारी नहीं रही है उन वर्गों को न्याय देने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया था नौकरी में आरक्षण देने का। उस समय भी सरकार ने कहा था कि नौकरी में आरक्षण पहला कदम है इसके बाद हम शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देंगे, कई प्रकार की और सुविधाएं देंगे ताकि उनका सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से उन्नयन हो सके और वे समाज की मुख्य धारा में आ सकें।

सभापति महोदय, पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष अवसर प्रदान किया जाना बिल्कुल ही न्यायोचित है इसके खिलाफ जो तर्क देने वाले लोग हैं वे कहते हैं कि इस दिशा में सभी को बराबर का हक मिलना चाहिये और समान अवसर के सिद्धांत की वकालत करते हैं। लेकिन समान अवसर तब तक फलीभूत नहीं हो सकता है जब तक कि जो वंचित, उपेक्षित लोग हैं उनको समान अवसर या समान प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने के लायक नहीं बनाया जा सके। एक लंगड़े और स्वस्थ आदमी की समान दौड़ नहीं हो सकती। यह निर्विवाद है कि लंगड़ा आदमी दौड़ में पिछड़ जायेगा तो जिसको हजारों सालों से अवसर से वंचित किया गया है, यहां मनु का संविधान चलता था, लोग पढ़ाई से वंचित किए जाते थे और यह देश बार-बार गुलाम होता रहा है। उसका कारण आपस की फूट नहीं रही है बल्कि उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि यहां के राज-काज में एक खास वर्ग का स्थान रहा है और पूरी जनता राज-काज के कार्यों से कटी रही। नतीजा यह रहा कि उनके मन में यह भाव घर कर गया कि कोई भी राज हो उससे उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए पूरी जनता निरपेक्ष बैठी रहती थी और कोई भी हमलावार आता था यहां हमला करके जीत करके चला जाता था। हमारा पूरा का पूरा इतिहास पराजय का इतिहास भरा हुआ है। हम जिस इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं हमारा पूरा का पूरा इतिहास पराजय का इतिहास रहा है और हम उसमें भी गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन हमारे जो पराजय के कारण हैं उनको ढूंढ करके उस कारण का समाधान निकालने का कोई प्रयत्न इस समाज ने नहीं किया। जब-जब इस काम को करने की कोशिश की गई, तब-तब इस समाज में भूचाल आ गया। यही कारण है कि 1990 में जब पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया तो जानबूझकर इसके खिलाफ आंदोलन किए गए। आज क्या स्थिति है, आज जब इस बात ने जन-जीवन में अपना स्थान बना लिया है तो वोट के इस दौर में कोई भी पार्टी इस स्थिति में

नहीं है कि इसका विरोध कर सके। उस समय अगर-मगर की बात की गई और इस विषय पर विस्तार से कई बार चर्चा हुई और कई लोगों ने घंटों इस पर भाषण दिया और जिस प्रकार से उन लोगों ने तनाव बढ़ाने का काम किया, आज उन सब लोगों को लौटकर इसी बात को स्वीकार करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, हमने एक छोटा सा काम किया, लेकिन इसका लाभ पिछड़े वर्गों को तभी मिल सकता है जब वो पढ़-लिख कर प्रशिक्षित हो जाएं, तभी उनको कोई नौकरी मिल सकती है और समाज में वे अपना एक स्थान बना सकते हैं इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि शिक्षण में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य राम मूर्ति जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने यह निजी संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया है। सरकार को और सारे सदन को सर्वसम्मति से इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिए। यदि सचमुच में आप सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, तो इसको स्वीकार करना चाहिए और इसको लागू करने का काम करना चाहिए।

दूसरा हमने एज रिलेक्सेशन की बात की थी। 1990 में आरक्षण की घोषणा हो गई थी, उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में अपना निर्णय दिया। इसके बाद सरकार ने अपना समय लिया और अब 1994 में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन इन 3-4 सालों में जो इन परीक्षाओं में बैठने से वंचित हो गए, उनका क्या कुसूर है। 1990 में जो इन परीक्षाओं में बैठने के पात्र थे और परीक्षाओं में नहीं बैठ सकें, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया था, तो उनको एज लिमिट में छूट दी जानी चाहिए। इस बारे में हमने कई बार इस सदन में यह मामला उठाया और सीताराम केसरी जी जो आजकल विदेश गए हुए हैं इलाज करवाने के लिए, उन्होंने इसी सदन में स्पष्ट आश्वासन दिया था कि हां इस बात में दम है और इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब इस आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में मैंने 13-12-1993 को प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जिसका जवाब उन्होंने श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा जी से दिलवाया है, हालांकि उनको स्वयं जवाब देना चाहिए था, लेकिन आजकल उनको फुर्सत नहीं है, दूसरी पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं, एक राम लखन बाबू यहां हमारे पास ही बैठे हुए हैं। मार्ग्रेट अल्वा जी से उन्होंने जवाब दिलवाया है कि :

[अनुवाद]

> "जैसा कि अन्य पिछड़ी जातियों (ओ॰बी॰सी॰) हेतु आरक्षण की योजना अभी शुरू की गई है, यह जॉब कैसे समय से पूर्व होगा कि मामले में छूट/रियायत दी जाए आवश्यक है या नहीं।"

[हिन्दी]

इस तरह से साफतौर पर इन्होंने अब इस बात को नकार दिया है और कहा है कि हम एज लिमिट में छूट नहीं देंगे। जबकि जब यह सवाल उठाया गया था तो सब सदस्यों ने इसका समर्थन

[श्री नीतीश कुमार]

किया था, उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया था, जो 1990 में इसके विरोध में थे, आंदोलन भड़का रहे थे। पूरे सदन ने हमारी बात का एकमत से समर्थन किया था कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन इसका श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा जी ने यह जवाब दिया है। इन्होंने बताया है कि सरकार की यह पालिसी है कि आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह से पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा। कदम-कदम पर पिछड़े वर्गों के कल्याण के काम में बाधा डाली जाती रही है।

आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, इसके लिए एक तर्क मैंने आपके सामने रखा। मेरा अनुरोध है कि जितने भी समूह हैं, जो इसमें कई कारणों में देरी होने की वजह से इससे मिलने वाले लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देकर आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए और परीक्षाओं के नंबर ऑफ अटेंप्ट में भी छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। परीक्षा में जितनी बार बैठने की छूट होती है, उसके अनुसार उनको हर प्रकार का लाभ दिया जाना चाहिए। चाहे वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हों, और जो फौज में घायल हो जाते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया है और जो कुवैत तथा इराक से विस्थापित किए हुए लोग हैं यानि नौ समूहों को आरक्षण का लाभ है। उन सभी समूहों को आयु सीमा और नंबर आफ अटेम्प्ट की छूट दी गई है। पिछड़े वर्ग के लोगों को इतने संघर्ष के बाद आरक्षण का लाभ मिला है लेकिन उसमें क्रिमी लेयर लगा दिया गया है और वहां उसको काटने की कोशिश हुई। आयु सीमा में ये आनाकानी कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इसको तुरंत शुरू किया जा रहा है। अब देखना पड़ेगा कि इसकी जरूरत है या नहीं। लेकिन सवाल है कि जरूरत है। 1990 में मिल गया होता तो आज परीक्षा में बैठने का अवसर मिला होता। इस आधार पर हम लोग वकालत कर रहे हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मुकदमे के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि पिछड़े वर्ग को लोगों को एंसीलियरी और इंसीडेटल बेनीफिट मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि आयु सीमा और नंबर आफ अटेम्प्ट में छूट मिलनी चाहिए। क्रिमी लेयर लगाने के बाद, एक पिछड़े वर्ग का तबका आरक्षण के लाभ से वंचित हो गया है। जो पिछड़े वर्ग के लोग बचे हैं उनको आयु सीमा में छूट न दिया जाना अन्यायपूर्ण है। मैं इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इन दोनों बातों के अलावा और बातें इसमें होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित की है। सभी पक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें छूट होनी चाहिए और जो पचास प्रतिशत की सीलिंग लगा दी गई है उसको समाप्त करने के लिए जरूरत हो तो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए। हमने विभिन्न लोगों के लिए आरक्षण का लाभ देने की बात कही थी क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं हैं। उनको पांच से दस प्रतिशत का लाभ मिलना चाहिए। 1990 में जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय प्रस्ताव किया था कि उसके लिए कोई कंकरीट प्रपोजल होना चाहिए जिससे उनको पांच से दस परसेंट का लाभ मिल सके यानि अन-आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। पिछड़े वर्ग की आबादी 52 परसेंट है तो उनको 27 परसेंट आरक्षण देकर कोई कृपा नहीं की है। यह तो हमारा

अधिकार है जो हमको मिलना चाहिए था। 1991 की सेंसस रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। उनकी संख्या में वृद्धि हुई है इसलिए उनके लिए आरक्षित पदों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के समूह को मिलाकर कम से कम बढ़ी हुई संख्या को ध्यान में रखकर 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन 27 प्रतिशत की सिफारिश की थी। मंडल कमीशन का विशेष परिस्थिति में गठन किया गया था। उस समय काका कालेलकर आयोग की सिफारिश थी। उसने 33 प्रतिशत की सिफारिश की थी और उसको लागू नहीं करना था इसलिए जानबूझकर बी॰पी॰ मंडल के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया था। समाज में जो वर्चस्व वाले लोग एक इंच खिसकना नहीं चाहते और कदम-कदम पर साजिश होती है। इसलिए काका कालेलकर कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करना था इसलिए मंडल कमीशन का गठन किया था। और मंडल आयोग ने उसको डाइलूट कर दिया, जिसकी हम लोग आज वकालत कर

4.00 म॰प॰

रहे हैं। लेकिन मंडल आयोग से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उसमें 27 प्रतिशत की बात कही गई है, काका कालेलकर ने 37 प्रतिशत की बात कही थी। हमारी आबादी देश में 52 प्रतिशत है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि हमें 27 प्रतिशत मिल गया तो हम आराम से बैठ जायेंगे, वे लोग दिवास्वप्न देख रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस सदन को एकमत होकर 50 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करना चाहिए।

यही नहीं अब तो नौकरियां भी सीमित हो रही हैं और वहां भी आरक्षण समाप्त हो रहा है। एक तरफ तो हम मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसको कि हमने ही उठाया था और उस पर उच्चतम न्यायालय ने भी अपना फैसला दिया। अब पता चलता है कि वी॰पी॰ सिंह जी उस समय सही थे, क्योंकि अब नरसिंह रावजी भी उसके लागू करने की बात कह रहे हैं। इस सरकार ने तो उसको भी डाइलूट करने की कोशिश की है। लेकिन डाइलूट करके ही सही, अब लागू तो किया है। मेरा अनुरोध है कि इसको ईमानदारी से लागू करना चाहिए। हम यह मांग करेंगे कि एक तरफ तो मंडल आयोग लागू हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार निजीकरण करने जा रही है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। इसलिए नौकरियां खत्म हो रही हैं। अब आरक्षण केवल सार्वजनिक क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों में ही रह गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी आप धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं इसलिए वहां आरक्षण नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरियों में पहले से ही आपने काफी लोग भर लिये हैं। इतने लोगों को लगाने की जरूरत नहीं थी, जितने लोगों को आपने लगा दिया है इसलिए वहां भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। हमारी मांग है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। अगर कोई निजी क्षेत्र में कम्पनी स्थापित करना चाहे, तो संविधान में संशोधन करके उनको भी आरक्षण के मुताबिक नौकरियों की व्यवस्था करनी होगी, तभी कोई इस देश में निजी कम्पनी स्थापित कर सकता है। हर क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने के लिए आपको संविधान संशोधन की व्यवस्था करनी चाहिए।

[श्री नीतीश कुमार]

यही नहीं, लेजिस्लेचर में भी चाहे लोकसभा हो, राज्य सभा हो, विधान सभा हो या विधान परिषद हो सबमें आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। राज्य सभा में कोई आरक्षण नहीं है। इस कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उसमें नहीं आ पाते, इसलिए वहां भी आरक्षण होना चाहिए। हमारी मांग है कि राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभाओं और परिषदों में भी आरक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नयन के लिए भी उनके क्षेत्र में स्कूल और कालेज खोलने चाहिए। उनको तकनीकी प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए उनके लिए विशेष कोर्स की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे लोग उसमें प्रशिक्षण लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उनके आर्थिक उन्नयन के लिए पिछड़े वर्ग के लिए फाइनेंशियल डवलपमेंट कमीशन तो जरूर बना है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, उससे कुछ भी लाभ उनको मिलने वाला है। कुछ मंत्री लोग या बड़े लोग छोटा-मोटा व्य. साय करने के लिए उनको कुछ उसमें से सहायता दे सकते हैं, इसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है।

4.04 म०प०

[श्रीमती संतोष चौधरी-पीठासीन हुईं]

इस बार के बजट में पिछड़े वर्ग के लिए जितनी भी योजनायें थीं, उसमें पैसे में कटौती कर दी गई है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प रखा है मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं कि इस नाते हम सदन में फिर से इस सवाल पर चर्चा कर रहे है और सदन में एकमत होकर सबको सर्वसम्मति से इसको मानना चाहिए ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयत्न कर सकें। अगर यह पूरा करने की कोशिश नहीं की गई तो वह वर्ग शांत नहीं बैठेगा। इसलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है और तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। हमारे राज्य में 90% निरक्षर हैं और अल्पसंख्यक मुसलमानों की संख्या उनमें सबसे ज्यादा है जो निरक्षर हैं। उनके लिये पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहते है कि इस पर इस देश में चर्चा चले। डा० राम मनोहर लोहिया ने ठीक कहा था कि सभी मुसलमान, सभी औरतें, दलित, आदिवासी लोगों को पिछड़ा वर्ग मानता हूं और इस देश में बहस चलनी चाहिये। अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिये इस देश में यह कहूंगा कि उनमें थोड़े पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ धनी मानी हो सकते हैं लेकिन समाज के इस वर्ग के अधिकतर लोगों की हालत खराब है। वे गर्दिश की जिन्दगी जीते हैं। यदि हम अल्पसंख्यक मुसलमान वर्ग को पिछड़ा मानें तो उनको हर क्षेत्र में आरक्षण देना पड़ेगा। उसमें जो ज्यादा पिछड़े है।, उनके लिये वर्गीकरण करके अलग से अमेंडमेंट करके विशेष आरक्षण मिलना चाहिये। जो कम पिछड़े हैं उनको भी प्रतिशत और अनुपात के आधार पर समूह बनाकर आरक्षण दिया जा सकता है।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि समाज का जो दलित वर्ग है, समाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग है, वह अब जाग चुका है। अब लैमन चूस से काम नहीं चलेगा कि आपने एक आदमी को नौकरी दे दी और फिर फोटो खिंचवा लिया। हमारे श्री वी॰ पी॰ सिंह ने संकल्प लिया था कि वे दिल्ली तब तक नहीं आयेंगे जब तक मंडल कमीशन को लागू नहीं किया जायेगा। वे सात महीने बाद आये और जिनको नौकरी दी गयी उनको माला पहुंचाने के लिये गये और आपकी सरकार ने जो सोचा, क्या अच्छा लगा आपको? जो रोल आपने अदा किया, क्या वह अच्छा था? वह बात सारे देश में डिबेट का विषय बना। एक राष्ट्रीय अजेंडा बना। थक हार कर आपको मानना पड़ा। उस आदमी को वी॰ पी॰ सिंह का स्वागत न करने देने के लिये रोका गया। यह तो वी॰ पी॰ सिंह में उदारता थी कि वे उससे उनके घर पर मिलने गये। उसके गले में माला डाली क्योंकि एक संकल्प लिया हुआ था और उसे पूरा किया। अब पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे तो यह चलने वाला नहीं है।

सभापति महोदया, यह लड़ाई तो जारी रहेगी कि पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। उनके जो हक हैं, वे उनको मिलें। यदि आप उनके हक नहीं देंगे तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली की गद्दी से आपको हटाकर पिछड़ा वर्ग कब्जा कर लेगा। यह अजेंडा अब तय हो चुका है कि वे करके रहेंगे। यह ठीक है कि आपने श्री राम लखन बाबू को अपनी तरफ लाकर मिनिस्टर बना दिया है और श्री अजीत सिंह को वेटिंग लिस्ट में रखा है। आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि आपको लगा कि राम लखन आये हैं तो तुरंत इनको मिनिस्टर बनाइये लेकिन इन जैसे लोग आपकी पार्टी को बहुत दिनों तक नहीं बचा सकते हैं। जो अपनी जमीन से अपनी जमीन पर अपनी फसल उगाकर आगे बढ़ेगा, उनके हाथ में सत्ता आयेगी कृपा पर चलने वाले हाथों में सत्ता नहीं आयेगी। इस बढ़ती हुई धारा को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिये आपसे आग्रह करेंगे कि इनको विवेक दीजिये क्योंकि कैबिनट मंत्री विदेश में इलाज करवाने के लिये गये हुए हैं और राज्य मंत्री यहां पर हैं तो इनकी पार्टी के श्री राममूर्ति ने जो संकल्प रखा है, उसको स्वीकार कर लीजिये और शासन में पिछड़े लोगों के लिये आरक्षण का ऐलान करें और इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ न्याय कीजिये जिनका भविष्य इस देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे जो पत्र आज श्रीमती मारग्रेट अल्वा ने दिया है, मैं इसकी निन्दा करता हूं कि श्री सीताराम केसरी ने सरकारी नीति का इस सदन में आश्वासन दिया है। उस आश्वासन को पूरा करें और आयु सीमा में छूट प्रदान करें यही मैं आप के माध्यम से मांग करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं टिप्पिडवनाम जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री डी॰के॰ नायकर (धारवाड़ उत्तर) : महोदया, मैं श्री राममूर्ति द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव में नियुक्तियों और शैक्षिक समस्याओं में प्रवेशों के संबंध में आरक्षण की मांग की गई है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों 16(4) और 15(4) में है। मैं संवैधानिक प्रावधान का बाद में सीधा पाठ करूंगा। परन्तु प्रश्न है कि

[श्री डी० के० नायकर]

विषय को कैसे उठाया जाय। समाज के कमजोर वर्गों की प्रगति से संबंधित यह एक भावनात्मक विषय है। अतएव इस पर निष्पक्ष भाव से विचार विमर्श होना चाहिए।

महोदया, 1985-86 में जब इस विषय पर चर्चा हुई थी विशेषरूप से जब मंडल आयोग की रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी, उस समय दिए गए लम्बे-लम्बे भाषणों के समय मैं मौजूद था। 16(4) और 15(4) अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं थे। उनको 1951 में संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। उस समय सरकार को ये अनुच्छेद इसलिए शामिल करने पड़े थे क्योंकि मद्रास सरकार ने मेडिकल और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में जातिगत आधार पर प्रवेश देने और नियुक्तियों हेतु एक साम्प्रदायिक राजकीय आदेश जारी किया था। उस समय आरक्षण हेतु केवल जाति को आधार बनया गया था। तब, मद्रास सरकार के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 29(2) जिसमें प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, इत्यादि के आधार पर प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता है। का उल्लंघन करता है। इसलिए, न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि संविधान का अनुच्देद 29(2) सरकार की शक्ति के बाहर है अतः सरकारी आदेश निरस्त किया जाना चाहिए। तब मद्रास सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्चतम न्यायालय ने भी मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। अतः सरकारी आदेश निरस्त कर दिया गया।

तब, इस मुद्दे को 1951 में अन्तरिम संसद में उठाया गया। उस समय, डा० बी० आर० अम्बेडकर विधि मंत्री और पंडित नेहरू प्रधान मंत्री थे। उस समय संविधान में संशोधन किया गया था और ये दो अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किये गए थे।

'आरक्षण' शब्द केवल अनुच्छेद 16(4) में आता है न कि अनुच्छेद 15(4) में। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार सरकार पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। लेकिन इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को ये सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों की और अधिक उन्नति के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करने से मनाही नहीं है। अतः यह आरक्षण की व्यवस्था का तर्क है।

अनुच्छेद 16(4) के अनुसार :

"इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को नागरिकों के वैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने से निवादित नहीं करेगी जिसे, राज्य के विचार में, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।"

महोदया, मेरे विचार से स्थिति अत्यंत स्पष्ट है। आरक्षण का प्रश्न तभी उठेगा जब जनता के किसी विशेष वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तब, वह आरक्षण उस खास वर्ग या समूह के लिए किया जाना चाहिए। उस समय संविधान निर्माताओं का इरादा रहा कि उस समूह के लोगों और उस वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए, परन्तु किसी व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होनी

चाहिए। यदि आरक्षण की व्यवस्था प्रतिकूल आधार पर व्यक्तियों के नाम से होने लगे तो इससे संविधान के मुख्य उद्देश्य को क्षति पहुंचेगी। इस बात का संविधान में समावेश 1951 में किया गया था। अतः आरक्षण की पूर्ववर्ती शर्त यह है कि जब तक कि किसी विशेष समुदाय के बारे में आंकलन करके यह पता नहीं लगा लिया जाय कि उसे पर्याप्त या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है तो आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह दृष्टिकोण देशभर में कहीं भी अब तक नहीं अपनाया गया। यही परेशानी है। सभी ने इस पहलू पर अपनी सुविधानुसार विचार किया है।

महोदया, उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की जाये जिन्हें सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है? मैं इसका औचित्य समझ पाने में बिल्कुल असमर्थ हूं। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी देखा जा सकता है। मैं न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। न्यायालय ने अपने निर्णय में जो भी कहा है, वह मेरे लिए बाध्यकारी है। लेकिन इस पहलू पर मेरा कहना यह है कि अब तक सभी का दृष्टिकोण गलत रहा है। राजीव जी जब प्रधान मंत्री थे, तब भी इस विषय पर सदन में व्यापक चर्चा हुई थी। मैं भी इस विषय पर बोलने का अवसर देख रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जो इसके विशेषज्ञ थे, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। यह बरोजगारी समाप्त करने का प्रश्न नहीं है। यह केवल समाज के कमजोर तबकों द्वारा समाज में सामाजिक-आर्थिक न्याय की भागीदारी का एक प्रश्न है। यही इरादा है। ऐसा नहीं है कि सरकार एक वर्ग या समुदाय के लोगों को पूर्ण रोजगार देने जा रही है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस समय इस सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण भावना यह थी कि जाति का आरक्षण का मापदंड नहीं बनाया जाना चाहिए। केवल आर्थिक मापदंड पर ही विचार किया जाना चाहिए बावजूद इसके कि आर्थिक मापदंड संविधान के मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायेगा। इस पर विचार नहीं किया गया है। अतः यदि आरक्षण का प्रश्न उठता है तो ऐसा केवल अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए ही होगा।

संविधान भी इस संबंध में काफी स्पष्ट है। किसी विशेष समुदाय या वर्ग के लोगों को लाभ मिलना चाहिए न कि व्यक्तियों को। न्यायमूर्ति राजेन्द्र गडकर ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने फैसले में कहा था : "यदि किसी विशेष समुदाय या वर्ग के लोग एक जाति की श्रेणी में आते हैं तो उसे पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाना चाहिए।" ऐसा इसलिए है कि मुख्य उद्देश्य किसी समुदाय वर्ग या समूह को लाभ पहुंचाना है, न कि व्यक्तियों को। यह तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र गडकर की टिप्पणी थी। अतः यह एक ऐसा मामला है जिसमें आरक्षण का प्रावधान केवल उनके लिए होना चाहिए जिन्हें सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो।

इसका प्रावधान मूल अध्याय में भी है। मैं आपका ध्यान डा० अम्बेडकर द्वारा संसद में प्रस्तुत विचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था : "संविधान के मूल अध्याय में कुछ पहले से ही विद्यमान अधिकारों का प्रावधान है। जबकि दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान राष्ट्र की जनता के विकास के लिए किया गया है। बाद में ऐसी प्रवृति का विकास हो सकता है कि न्यायपालिका केवल मूल अधिकार को सुरक्षित रखने पर जोर डाले न कि दिशा निर्देशक सिद्धांतों को

[श्री डी० के० नायकर]

क्रियान्वित करने पर अतः परिणामस्वरूप कमजोर वर्गों के लोगों के विकास में बाधाएं आएंगी जो इस देश के लिए काफी बुरा होगा।"

अतः उन्होंने इस सदन में खुल कर कहा है कि यह देश के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और विशेषाधिकार है कि वह संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करे लेकिन यदि इस तरह की गई व्याख्या पर आधारित निर्णय संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों के आड़े आए तो संसद का यह कर्त्तव्य होता है कि जहां जरूरत हो वह वहां संविधान में संशोधन करे। डा० अम्बेडकर ने, जिन्होंने संविधान संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया था, ने स्वयं अत्यंत स्पष्ट कर दिया था कि संसद की सर्वोच्चता ऊपर है न कि न्यायपालिका की।

नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बारे में डा० अम्बेडकर ने काफी स्पष्ट अंतर किया था। नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध उन्नति की ओर गतिशील कदम से है जबकि मौलिक अधिकार गतिहीन स्थिति निरूपित करते हैं। विकास हेतु, गति आवश्यक है। गति का अर्थ परिवर्तन है। गति के लिए परिवर्तन आवश्यक है। बिना गति के, विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

अतः जब ये प्रश्न उठें तब संसद को मामले के हर पहलू पर विचार करना चाहिए।

अनुच्छेद 46 कमजोर तबकों को काफी महत्वपूर्ण अधिकार देता है। हालांकि इसकी अधिकार की प्रकृति नहीं है, लेकिन कम-से-कम इसके द्वारा सरकार पर क्रियान्वयन की बाध्यता दी गई है। इसमें कहा गया है कि यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह समाज के कमजोर तबकों, विशेषरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अन्याय और शोषण से बचाने के लिए उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु विशेष ध्यान रखें। डा० अम्बेडकर के अनुसार कमजोर तबकों का अर्थ पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है जैसा कि उनकी अनुसूचियों में उल्लिखित है। इसी प्रकार, पिछड़े वर्ग का अर्थ पिछड़े वर्ग के रूप में या अभिनिर्धारित जातियां हैं।

ये वे लोग हैं जिन्हें वर्षों से शोषण का सामना करना पड़ा है। ये वे लोग हैं जो अपने पैरों पर तब तक खड़े नहीं हो सकते हैं जब तक कि सरकार उन्हें सहारा देकर नहीं उठाए।

अतएव, जब आप उन्हें विकसीत होने का मौका देते हैं तो आप उनकी जाति पर विचार न करें। उन्हें व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सहायता देने पर विचार करने के पहले आप केवल इतना देखें कि क्या वे अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं या नहीं। इस तरह से ही इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है।

श्री के० राममूर्ति ने कहा है कि 27% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि यह गलत है क्योंकि यदि आप केवल 27% आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, यदि पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या 52% है, तो मुझे पता नहीं कि यह आरक्षण उच्च वर्ग के लिए होगा अथवा पिछड़े वर्ग के लिए।

अतः आरक्षण हर समय जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होना चाहिए। यही कारण है कि मैं श्री के० राममूर्ति द्वारा प्रस्तुत संकल्प से असहमत हूं, लेकिन समग्रतः मैं जाति के आधार पर आरक्षण को स्वीकार करता हूं और यह कुल जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदया, श्री राम मूर्ति जी द्वारा जो यह निजी संकल्प लाया गया है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं। इस पर बहुत सी बातें नीतीश कुमार जी ने कह दी हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो यह संकल्प है, जो इसका जिस्ट है, उसमें यह है कि शिक्षा संस्थानों में पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार से संबंधित जितने भी उपक्रम हैं, उनमें नौकरी के लिए आयु सीमा में कमी होनी चाहिए। मंडल आयोग की बातें 1990 से उठाई जा रही हैं, वे अब लागू भी हो गई हैं लेकिन सरकार इस बात को सोचे की उसने कितने भूलभुलावे की राजनीति की है। यदि सरकार शुरू से ही शिक्षा में एकरूपता रखती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि शिक्षा में एकरूपता नहीं है।

आज एक निजी बच्चे की शिक्षा पर विद्यालय में 500-600 रूपये महीने का खर्च आता है और एक बच्चे पर कुछ भी नहीं आता। यदि आप एकरूपता नहीं लाते तो आपको हर चीज में आरक्षण देना चाहिए। यदि आप आरक्षण नहीं देते तो उन लोगों के साथ बेईमानी करते हैं। अब बेईमानी नहीं चलेगी।

आपने क्रिमीलेयर को हटा दिया। ठीक है, जो व्यक्ति उससे फायदा ले चुका है, उसको इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन जो रह गए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए आप क्या करेंगे। यदि मंडल आयोग को भी लागू करेंगे तो भी वे ऊपर नहीं उठेंगे क्योंकि उनके पढ़ने-लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है। मंडल आयोग की अनुशंसा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने पर भी उन पर कैसे लागू होगा। जो गरीब है, वह आज भी गाय, भैंस चरा रहे हैं।

आपने इस सदन में कई बार कानून बनाया है कि छोटे बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। क्या वह कानून लागू हो गया? यदि बच्चे की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था नहीं होगी तो वह स्वाभावतः छोटी उम्र में काम करने के लिए विवश ही करेगा। जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यदि आपके पास ईमानदारी होती तो आप अब तक गरीबों को अवश्य ऊपर उठा सकते थे।

आपने आयोग पर आयोग बनाए। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी कितने वर्ष तक पड़ी रही। यह किसकी गलती है। जो बच्चे क्रिमीलेयर से नीचे हैं, गांवों में रहते हैं, उनकी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

आज गांवों के स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे। आज बहुत सारे प्राईवेट स्कूल खुल गए हैं जिनमें पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है। उनमें गरीब बच्चे नहीं जा

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

सकते। छोटे-छोटे स्कूलों में भी एक-एक बच्चे की 400-500 रुपये फीस है इसके अतिरिक्त उनके मेटेनेंश पर सैंकड़ो हजारों रुपया खर्च किये जाते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट को वर्षों तक बन्द रखा गया। अगर 1990 में आप इसे लागू कर देते तो एक बैच निकल जाता और उनका भाग्य बन जाता। आपने यह बैच भी रोक दिया। अब 1994 में इसे लागू करने जा रहे हैं। यह बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो हम यही सोचेंगे कि आप पुरानी नीति पर ही अड़े हुए हैं।

संविधान में कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि उन्हें शिक्षा देने के बारे में विशेष व्यवस्था करनी चाहिये लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इस सदन में बार-बार यह कहा गया कि बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां के लोग क्रीमी लेअर से नीचे हैं। उनको शिक्षा देने की आपने कोई व्यवस्था नहीं की। राज्य सरकारों को जितना ध्यान शिक्षा की तरफ देना चाहिये, उतना वह देती नहीं है। यही हाल बिहार की सरकार का है। आज भी हालात वही हैं जो 50 साल पहले थे।अब यह जो सवाल उठा है, इस पर आपको जिद नहीं करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में एक बिल लाना चाहिये जिससे पिछड़े वर्ग के लोग ऊपर उठ सकें और शिक्षण संस्थाओं में इनका आरक्षण हो सके। अगर पढ़ने का हक उन्हें नहीं मिलेगा तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे। जब सूरज की लालिमा फटने लगती है। तो जो लोग यह समझते हैं कि हम इसकी रोशनी को ढक देंगे, वे महामूर्ख होते हैं। वैसी ही मूर्खता होती है जिस पेड़ की डाल पर बैठकर, उसको ही कोई काटने लगता है और वह नहीं सोचता है कि गिर कर चोट लग जायेगी। आपकी गलत नीतियों का नतीजा यह हो रहा है कि आज समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जिस ने एक संगठन बना कर हथियार हाथ में ले लिये हैं। आप सत्ता की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। अगर आपने उस वर्ग की तरफ ध्यान दिया होता तो यह हालत इतनी खराब नहीं होती। असम और बिहार में अपने हकों के लिये लोग लड़ रहे हैं जिसमें कई मासूमों की हत्यायें हो रही हैं। क्रीमी लेअर से नीचे के जो लोग हैं, जिनको खाने को मिलता नहीं है और बदन ढ़कने के लिये वस्त्र नहीं मिलते हैं, वही नौजवान आज उठ रहे हैं।

आप आज ही वायदा करें कि इससे संबंधित एक बिल शीघ्र ही लायेंगे। इसका सेहरा भी आपके सिर बंधेगा। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगौन) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री मूर्ति जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने के लिये जो संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई, उसमें जो सिफारिशें की गई, उसका प्रारम्भिक शब्द ही है

"पिछड़े वर्गों के योग्य पदों के लिये सभी तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में 70 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की सिफारिश पिछड़ा वर्ग आयोग ने की थी।"

यदि इन स्थानों को भरने की दृष्टि से भी देखा जाये, तो यह स्थान भरे कैसे जायेंगे, जब तक

योग्य विद्यार्थी नहीं मिलें। योग्य विद्यार्थी कब मिलेंगे, जबकि उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ठीक होगी। आज पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है। गांवों में जाकर हम देखते हैं, पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोग गांवों में ही रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं तो पिछड़ी बस्तियों में रहते हैं, दूरदराज की बस्तियों में रहते हैं। वहां शिक्षा की व्यवस्था क्या है? वहां के स्कूलों की स्थिति कैसी है? आज स्कूलों में जहां विद्यार्थी बैठते हैं, वहां एक-एक कमरे में 100-100 विद्यार्थी ठूंस दिये जाते हैं और उनको एक शिक्षक पढ़ाता है। कई प्राथमिकशालाएं तो ऐसी हैं, जहां एक से पांच तक की कक्षाओं को केवल एक अध्यापक पढ़ाता है। जहां ज्यादा से ज्यादा स्थिति हुई तो 5 कक्षाओं को 2 अध्यापक पढ़ाएंगे। 5 कक्षाओं को दो अध्यापक दिन भर कैसे पढ़ा सकते हैं? उस स्थिति में वहां से जो विद्यार्थी निकलेगा, जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, वह टाट-पट्टियों पर बैठते हैं। बरसात में स्कूल पूरी तरह से चूता है और कक्षा एक तरह से तलैया बन जाती है, वहां ब्लैक बोर्ड नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार को भी आपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम की योजना बनानी पड़ी। ऐसी स्थिति में वहां से जो विद्यार्थी निकलकर आता है, गरीब वर्ग का विद्यार्थी या पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी, जो गांवों या ऐसे स्कूलों से निकलकर आता है, वह कान्वेंट के विद्यार्थियों की बराबरी कर सकता है क्या? आज केन्द्रीय शालाओं में या सैण्ट्रल स्कूल कानेंवेंट स्कूलों में जो पढ़कर आते हैं, जिनको प्रारम्भ से ही ऊंची शिक्षा दी जाती है, जहां सारी सुविधाएं होती है, उनकी तुलना में उनको खड़ा कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि प्रतियोगी परिक्षाओं में साथ-साथ बैठिये और उनको कम्पीट करके नौकरी में आइये। इसलिए आरक्षण जरूरी था, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आज विद्यार्थियों को कहा जाए कि तुम टेबल पर खड़े होकर वृक्ष के फल तोड़ लो तो एक विद्यार्थी टेबल पर खड़ा होकर वृक्ष के फल तोड़ता है और दूसरी तरफ एक विद्यार्थी को कहा जाता है कि जमीन पर खड़े होकर वृक्ष के फल तोड़ो तो वह निश्चित रूप से नहीं तोड़ पायेगा, क्योंकि वह नीचे खड़ा है।

आज पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी भी वर्षों से, सदियों से इसी तरह से धरती पर नीचे खड़े हैं, इसीलिए जीवन में उनको फल नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए शिक्षा का फल उनको नहीं मिल पाया। इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि शैक्षणिक स्कूलों में और खासकर तकनीकी स्कूलों में जब तक उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक कभी भी वह आगे नहीं बढ़ सकते। आज केवल सैण्ट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में आरक्षण की उनके लिए 27 परसैंट की व्यवस्था की है पर राज्य सरकारों में यह व्यवस्था नहीं की गई। कई राज्य सरकारों में यह व्यवस्था नहीं की गई है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमारे यहां पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। पिछले दिनो 72वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संविधान का एक अंग बना दिया गया। मध्य प्रदेश में अभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। वहां पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का नाम भी दे दिया गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण भी रखा गया है लेकिन साथ-साथ सरकार ने यह प्रावधान भी जोड़ दिया कि जिन पंचायतों में आदिवासी या हरिजन, अनुसूचित जाति और जनजाति के 50 प्रतिशत लोग रहते हैं, वहां कोई आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होगा। ऐसे गांवों में जहां आदिवासी, हरिजन 50 प्रतिशत हो, वहां पिछड़े वर्ग के भले ही 43 प्रतिशत लोग रहते हों, उनको कोई

[श्री रामेश्वर पाटीदार]

आरक्षण नहीं मिलेगा। जहां उनकी आबादी 50 से कम है, वहीं पिछड़े वर्ग के लोगों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसका क्या मायना रहा, कोई मायना नहीं रहा। पिछड़े वर्ग के अधिकतर लोग गांवों में ही रहते हैं लेकिन जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के आधे लोग हो गये तो उनको कोई आरक्षण मिलेगा ही नहीं। इस तरह से जो नाटक किया जाता है, केवल राजनैतिक लाभ लेने के लिए या राजनीतिक प्रचार करने के लिए जो आरक्षण का नाटक किया जा रहा है, यह नाटक बन्द किया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके, वह लाभ दिया जाना चाहिए।

अभी नये कानून के अन्तर्गत पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। मतदाता सूचियों में नाम बढ़ाने की अन्तिम तारीख सरकार ने तय करके 7 अप्रैल तय कर दी। पिछले दिनों विधान सभाओं में चुनाव हुए, उन मतदाता सूचियों में से हजारों लोगों के नाम काट दिये गये, उनमें से गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जाते हैं, जो बेचारे आपत्ति करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकते और अपने दावे मजबूती के साथ नहीं रख सकते, उन्हीं के नाम काटे जाते हैं। अभी 7 अप्रैल को 3 बजे उसकी अंतिम तारीख रखी है। इसमें दूसरे लोगों ने और सत्तारूढ़ दल के लोगों ने बंडल के बंडल बनाकर सैकड़ों लोगों के नाम जोड़ दिये। उसमें 12 और 13 साल के लोगों के नाम भी जोड़ दिये गये लेकिन असली दावेदार जाते हैं तो उनका नाम नहीं लिया जाता है। इसीलिए उनके नाम जोड़ दिये जाते हैं और केवल राजनैति रूप से नाम जोड़ दिये जाते हैं। इसलिए संविधान के माध्यम से पंचायतों में जो आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, वह भी केवलमात्र एक मजाक बनकर रह गई है। जब तक सरकार की रियल विल नहीं होगी, आरक्षण और लाभ देने की सही नीयत नहीं होगी तब तक यह लाभ उनको नहीं मिल सकता। इसलिए राजनैतिक छीछालेदर करके या राजनैतिक चोचलेबाज़ी करके जो नाटक किया जाता है, उससे पिछड़े वर्ग को वस्तुतः लाभ नहीं दे सकते। इसीलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज केन्द्र में तो आरक्षण की व्यवस्था हो गई, राज्यों की सर्विसेस में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग ने आई० ए० एस० आई० पी० एस० और फॉरेस्ट सर्विसेस के लिए केन्द्र में आरक्षण की व्यवस्था कर दी है, पर राज्य सेवा लोक आयोग में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए उनमें जब तक कानूनी रूप से व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक उनको कैसे आरक्षण मिलेगा और लाभ कैसे मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा है कि इनकी 52 प्रतिशत की आबादी है और केन्द्र में 27 प्रतिशत भी आरक्षण पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, राज्यों की बात आप छोड़िए, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कई राज्यों में तो सिर्फ 21 परसेंट ही दिया गया है, लेकिन वह भी तीव्रगति से मिलना चाहिए। इस बारे में कदम उठाए जाने चाहिए। अन्यथा धीमी गति से चले से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। राज्य सेवा और लोक सेवा आयोगों में भी यह लाभ दिया जाना चाहिए और उसके साथ-साथ यह सही है कि आज नौकरियां बची कहां हैं। केन्द्र में कितनी नौकरियां बची हैं, जो लोगों को मिल जायेंगी। आज के समय में जब शिक्षा का स्तर इतना अधिक ऊंचा होता जा रहा है और प्रतियोगितायें भी इतनी बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा में जिस तरह के

कम्पटीशन बढ़ रहा है, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिल सकता है, नौकरी नहीं मिल सकती है। जब नौकरियां थीं, तब ही आरक्षण दिया गया था। जो मिलना था, वह पहले ही भर चुकी हैं। इसलिए जितने भी आज सरकारी सहायता से उद्योग खड़े किए जाते हैं, उनमें भी पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत की व्यवस्था है और यह आरक्षण भी उनमें पूरा-पूरा होना चाहिए। मेरा निजी अनुभव है, मान सरोवर बांध से जो लोग डूबने की स्थिति में आ रहे हैं, उसके कारण राज्य सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को 10-20 करोड़ रुपए की सहायता देकर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चलाई हैं। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो विस्थापित हो गए हैं, उनके बच्चों को ही उनमें नौकरियां दी जायेंगी, लेकिन वे नौकरियां भी नहीं दी जा रही हैं। क्योंकि कानून में कोई प्रावधान नहीं है और प्रावधान न होने की वजह से दूसरे प्रदेश के लोगों को ले जाकर भर रहे हैं और नौकरियां दी जा रही हैं। इसलिए हर बात के लिए आपको कानून बनाना होगा, तभी लाभ मिल सकता है, अन्यथा लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पुनर्निर्माण से लेकर पशु विकास, डेयरी फार्मिंग, कुटीर उद्योग, ग्राम विकास, प्रौढ़ साक्षरता, विश्वविद्यालय शिक्षा, इन सब में पिछड़े लोगों का पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से वे जागृत हो चुके हैं। अब ज्यादा समय तक उनको नहीं दबाया जा सकता है। उनकी आबादी 52 प्रतिशत की है, तो 52 प्रतिशत आरक्षण वे प्राप्त करके रहेंगे। इसलिए यह सरकार के हित में है और हम जो लोग यहां बैठे हैं, उनकी समझदारी भी इसी में है कि उनको अधिकार दे दिया जाए।

आज समाज में, खासकर हिन्दू समाज में जाति व्यवस्था रही है इस कारण जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जाति व्यवस्था की दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, उनको हमेशा दबाया जाता रहा है। आर्थिक दृष्टि से जो गरीब हैं, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पायेंगे। आप यदि उनको आगे लाना चाहते हैं, तो आपको कदम उठाना चाहिए। उनके शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। उनको छात्रावास में भी आरक्षण मिलना चाहिए, तभी उनके बच्चे आगे बढ़ पायेंगे। इसलिए उनके लिए अधिक से अधिक छात्रावास खोले जायें और उनमें भी आरक्षण दिया जाए। अभी केन्द्रीय सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में और राज्य सरकारों के पिछड़ा वर्ग आयोग में, दोनों की सूचियों में जो नाम हैं, उनको ही 27 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यह अनुरोध करना चाहूंगा और अपनी ओर से सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य सरकार के आयोगों ने चूंकि ज्यादा गहनता से छानबीन की है, वे समाज से ज्यादा नजदीक रहे हैं, वहां की जीमन से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो सूची बनाई है, उस सूची को भी केन्द्रीय सरकार को मानना चाहिए और केन्द्र में भी तथा केन्द्रीय सेवाओं में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।

अभी सरकार ने इस बार गैस एजेंसीस की दृष्टि से पेरलल मार्केटिंग व्यवस्था शुरू की, जिसमें कई बड़े-बड़े उद्योगपति और कई करोड़पति लोगों ने गैस की एजेंसियां ले लीं और अब वे वितरण कर रहे हैं उस वितरण में भी जो दूसरे लोगों को दी जा रही हैं वह भी केवल धनवान और लखपति लोग ही ले रहे हैं क्योंकि जो अधिक पैसा दे सकता है उन्हीं को वे दे रहे हैं और अधिक से

[श्री रामेश्वर पाटीदार]

अधिक पैसा तो धनवान और उच्च वर्ग के लोग ही दे सकते हैं और इसके लिए वे दे रहे हैं और उन्हीं को वे एजेंसियां मिल रही हैं।-एक तरफ सरकार की जो व्यवस्था है पैट्रोलियम और गैस आयोग के अंतर्गत जो एजेंसियां एल० पी० जी० के लिए दी जाती हैं उसमें जिस तरह का आरक्षण है उस तरह का आरक्षण यह पेरलल मार्केटिंग व्यवस्था जो की गई है उसमें भी होना चाहिये तो ही उसका लाभ हो सकता है अन्यथा लाभ नहीं मिल सकता, नहीं तो यह धनवान लोगों के कब्जे में चली जायेगी और इसमें एक तरह का नया षडयंत्र शुरू हो जायेगा। इसलिये महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में जल्दी से जल्दी प्रावधान करके उसमें भी आरक्षण व्यवस्था की जाये।

महोदय, अभी पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम बनाया गया है और उसको नाम मात्र की धनराशि दी गई है। इससे क्या हो सकता है जहां 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की आबादी हो उसको वित्तीय सहायता देने के लिए खजाने का 52 प्रतिशत रुपया तो कम से कम उसमें रखो तब तो उनको आरक्षण मिलेगा और उनको वित्तीय लाभ मिलेगा, केवल नाम मात्र देने से तो यह केवल ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात करने से और नाम मात्र की धनराशि से एक वित्त आयोग चलाने से कोई फायदा नहीं। उसमें अधिक से अधिक धनराशि दी जानी चाहिये तो ही उसका लाभ मिल सकता है।

मैं जो संकल्प रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। आपने जो मुझे बोलने के लिये मौका दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया : इसके लिए समय 5 बजे तक निर्धारित था।

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा और बढ़ा दीजिये।

सभापति महोदया : अगर हाउस को मान्य हैं तो एक घंटा के लिये बढ़ा देते हैं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : सभापति महोदया, श्री के० राममूर्ति पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिये जो प्रस्ताव लाये हैं इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके जरिए सदन के सदस्यों को एक बार फिर अपनी भावनाओं को प्रकट करने का मौका मिला है। यह हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है जिसको लेकर काफी राजनीतिकरण और राजनीतिक लाभ उठाने की भी कोशिश हो गई थी उस पर भी चर्चा करने का हम लोगों को अवसर मिला है। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि इस संदर्भ में मैं अपने कुछ भाव प्रकट करूंगा और अब जब यह मौका मुझे मिला है तो मैं यहां दो-तीन अपनी बातों को सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

महोदया, हिन्दु धर्म में जाति-भेद की प्रथा है। मेरे ख्याल से अब समय आया है कि सब लोगों के लिये मिल करके इस बात को बोलना जरूरी हो गया है कि हिन्दु धर्म के अस्तित्व को विपन्न करने वाला अगर कोई तत्व है तो यह जाति-भेद प्रथा ही इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। यह इसका एक मुख्य कारण है। हिन्दू धर्म के जो नेता लोग हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। युगों से जातिवाद चला आ रहा है और ऊंची जातियों को सम्मान देने की प्रथा

चली आ रही है, जिसकी वजह से समाज का विघटन होता रहा है। मैं नहीं मानता कि धर्म या जाति के आधार पर आदमी और आदमी के बीच भेदभाव होना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि जातिवाद विभिन्न प्रकार के शोषण का आधार रहा है, एक अस्त्र रहा है। आज स्थिति यहां तक आ गई है कि विभिन्न वर्गों का आपसी मेल-मिलाप समाप्त हो गया है और आपसी तनाव उत्पन्न हो गया है। यदि भविष्य में हम भारत की एकता की कल्पना करना चाहते हैं तो इन समस्याओं की तरफ गहराई से हमको सोचना होगा। यदि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पिछड़े वर्ग की बात की गई तो मैं समझता हूं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि बैकवर्ड और फार्वर्ड के बीच विभाजन नहीं करना चाहिए, तभी देश में एकता रह सकती है।

सभापति महोदय, मैं ऐसे प्रांत से आता हूं जहां सबसे पिछड़े हुए लोग रहते हैं। यहां तक कि हमारा राज्य भी पिछड़ा हुआ ही नहीं बल्कि दलित वर्ग से आता है। यह वह स्थान है जहां आर्य और मंगोल सभ्यताओं का मिलन हुआ। हमारे पूर्वज आर्य जब यहां आए थे तो अकेले ही आए थे और यहीं पर अपने-अपने परविार बसाए और उसी समाज के साथ मिल गए, वहीं पर अपने भविष्य की उन्होंने रचना की और एक और एक नई सभ्यता बनाने की कोशिश की। भारत के अन्य प्रांतों में विचारों की जो संकीर्णता है, वह हमारे यहां नहीं हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब तक हमारे यहां नाम के साथ जाति का प्रयोग नहीं किया जाता था। एक दिन पिता जी ने आई० ए० एस० का फार्म लाकर दिया तो उस फार्म में एक कालम जाति का था, तब मैंने पिता जी से पूछा कि हमारी जाति क्या है, तब मेरे माता-पिता ने बताया कि हमारी जाति यह है। जब हमने देखा कि हमारे यहां जाति के नाम कुछ जातियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो हमको बहुत दुख हुआ। जब हम लोग साथ पढ़ते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, हमारा खून एक तरह का है तो फिर इस तरह की अलग व्यवस्था किस लिए है, यह ऊंच-नीच क्यों है। हमारे यहां हमारे धर्म में भी ऊंच-नीच की बात नहीं की जाती। आज मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आज हमारी सभ्यता का, हमारे समाज का ह्रास हो रहा है।

हमारे आहोम राजा ने समाज में व्यवस्था बनाई थी। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि कुछ साल पहले उन्होंने जो समाज में व्यवस्था बनाई थी वह भारत के भविष्य को देखने वाली व्यवस्था हो सकती है। आज भी जाति के नाम पर सुनने में आता है कि लोग जलाए जाते हैं और उनको पानी नहीं लेने दिया जाता। यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बाबा अम्बेडकर के नाम रखा गया तो उस पर आंदोलन हो गया, उसको देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की बात को बढ़ाना चाहिए। यह कोई राजनीतिक दल की बात नहीं बल्कि इसका तौर तरीकों से संस्कार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारे धर्म का संस्कार करने वाले लोग इसका ध्यान रखेंगे। भारत में हिन्दी बैल्ट और साऊथ में जाति के नाम काफी विवाद होता है, यह कितनी शर्मनाक बात है। भारत के अन्य प्रांतों में औरत का जो स्टेट्स है वह हमारे प्रांत में देखने लायक है। हमारी सोसायटी में ट्राईबल जनजाति और मंगोल आर्य के सिविलाईजेशन की प्रक्रिया थी, उसको लेकर जो डवलपमेंट हुआ है उससे शिक्षा लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। 27 प्रतिशत रिजरवेशन की बात सही है। नीतीश भाई मंडल कमीशन की सिफारिशों पर चिल्लाए थे लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं

[श्री किरिप चालिहा]

है। श्री देवी लाल जी बैकवर्ड क्लास के नेता थे। वे जनता दल को संभाल रहे थे लेकिन उसका काऊंटर करने के लिए श्री वी॰पी॰ सिंह मंडल कमीशन के चैम्पीयन बन गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राजनीतिक लाभ यानि सत्ता का लाभ उठाने के लिए शोर मचाया था। अभी नीतिश जी ने कहा कि हमारी सच्ची बात को सभी ने सुना होगा। सच्ची बात को लेकर गलत राजनीति करेंगे तो कौन सुनेगा? यू॰पी॰ ने आपकी बात नहीं सुनी लेकिन मुलायम सिंह जी की बात सुन ली क्योंकि उन्होंने सच्चे दल से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया था। आप लोगों ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कहा था कि हमारे में 51 प्रतिशत क्षमता है और बाकी राजनीतिक दल उपहार के रूप में दखल करेंगे तो सारा देश सुनहरा हो जाएगा। यह असली सपना नहीं था। सोशल डिस्टार्टशन को हटाने के लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा देकर अगली जाति में लाना होगा। शहाबुद्दीन जी कहते हैं कि मुसलमानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। श्री गुलाम नबी आजाद जी इमोशन होकर कहते हैं कि आप सिक्योलेरिज्म की बात सिखाते हैं और काश्मीर में नौकरी में कितने मुसलमान और कितने हिन्दू हैं। अभी एजैंसी की बात कही गई थी। आसाम के कितने लोगों को एजेंसी मिलती है? राजस्थान, बिहार और यू॰पी॰ के लोगों को बिजनैस आरगेनाईजेशन का हैड-क्वार्टर है तो एजेंसी मिलती है लेकिन आसाम के लोगों को नहीं मिलती है। अपने परिवार के लोगों को एजेंसी मिलती है इसलिए तनाव है। इन सारी बातों में हमको गहराई में जाना होगा और इस देश की जनता के लिए सामाजिक न्याय हमको लाना होगा।

5.00 म॰प॰

वही सपना गांधी जी ने देखा था। उस समय और उस परिवेश को भी हमें समझना होगा और आज हमें क्या करना है, वह भी देखना होगा। किसी के बारे में गलत बोलकर, किसी के प्रति घृणा प्रकट करके हम सच्चा समाज नहीं बना सकते। गांधी जी ने कहा था कि खराब मेज को साफ करने के लिए साफ कपड़ा होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। सामाजिक न्याय को लाने के लिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात ठीक है, लेकिन इसके लिए समाज में भी सुधार करना होगा, वहां भी हम एकता के लिए प्रयास करें। आज जो सवर्ण जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच संघर्ष होता है उसको रोकना है, उनके बीच व्याप्त तनाव को कम करना है। हमें अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर मां सवर्ण जाति की है और बाप पिछड़े वर्ग से है तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। मां हिन्दू है या मुसलमान है और बाप क्रिश्चियन है तो हमें इसे आदर्श मानकर ऐसे विवाहों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे समाज में एकरूपता और जागरूकता आयेगी। हमारा समाज सिर्फ कंफलिक्ट से आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि आपस में सहयोग और विश्वास की भावना से आगे बढ़ सकता है। जय प्रकाश नारायणजी ने सत्ता के लिए आंदोलन नहीं किया था, महात्मा गांधी जी ने खुद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए आंदोलन नहीं किया था। मैं जब नीतीश कुमारजी को देखता हूं तो यह समझता हूं कि वे भी एक दिन ऐसा आंदोलन करेंगे कि वह

खुद संसद या मिनिस्टर बनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का भला करने के लिए वह आंदोलन करेंगे।

अब मैं संकल्प पर आता हूं। 27 प्रतिशत का आरक्षण एक सही माग है। क्योंकि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो नौकरी कैसे मिलेगी। हमारे राज्य में तो सारे लोग ही पिछड़े वर्ग के हैं। हमारे स्कूल्स और कालेजेज़ की हालत बहुत खराब है। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं वहां यह हालत थी कि कमरे में मेज रखने की ही जगह नहीं थी। मैं जिस कालेज में पढ़ता था वहां एक छोटे से कमरे में 600 विद्यार्थी पढ़ते थे। बारिश के दिना में उसकी छत टपकती थी जिसकी वजह से बारिशों में कालेज बन्द हो जाता था।

सामाजिक न्याय के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी एक मुख्य मुद्दा है। इसको भी दूर करना चाहिए। ये सारे प्रश्न भारत के भविष्य के बारे में हैं, जिन पर हमें सोचना चाहिए। गांधी जी ने कहा था :

"सभी लोगों की आंखों से आंसू मिटाने की कोशिश को सफल बनाने के प्रयास हम लोगों के अंदर होने चाहिए।"

मुझे विश्वास है कि हम जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनैतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बनाने के लिए आंदोलन करेंगे और लोगों के अंदर एक परिवर्तन लायेंगे जिससे देश आगे बढ़ सके। अभी हम 21 वीं सदी में जा रहे हैं, जो हो गया उसको देखकर, उसमें जो भूलें हुई हैं उनको देखकर अब सजा देने का समय नहीं है। हमें आज के परिवेश को देखकर काम करना है कि हम और हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता दिखाना है और यह सोचना है कि उनको हम क्या देंगे, कौन सी आशा देंगे। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे उनको पचास साल बाद कौन सा सपना दिखाना है, विकास का या लड़ाई का, हंसी का या आशा का, यह सोचकर हमें आगे जाना है और कार्य करना है। मुझे आशा है कि हम इसमें सफल होंगे।

मैं राममूर्तिजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह सवाल यहां उठाया। वे कांग्रेस के सदस्य हैं। इसके पीछे कोई राजनैतिक लाभ नहीं है। सच्चे दिल से समाज में परिवर्तन के लिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया मंडल रूपी मुद्दे को चाहे जिस किसी ने भी जिस किसी उद्देश्य से उठाया हो, आज इसने इसे सामाजिक न्याय को हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा बना दिया है इस सामाजिक न्याय का हमें लाभ मिलेगा जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय समाज तथा भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगा।

महोदया, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण फार्मूले कार्यान्वयन को मैं एक ऐतिहासिक कार्य मानता हूं जिससे सामाजिक न्याय स्थापित होगा तथा समाज के हर वर्ग हर ग्रुप चाहे

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

उसे हम उसे जो भी नाम दें। इनकी जो पहचान हो उन्हें राजनीतिक जीवन में सत्ता में भागीदारी मिलेगी तथा राष्ट्रीय सेवाओं व कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसे यह समाज उपलब्ध कराता है। हमें अभी पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है अभी इसे प्राप्त करना है।

महोदया, मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब समाज का हर वर्ग समान रूप से प्रगति करे, जब किसी को पिछड़ा न कहा जाए तथा जब आरक्षण की आवश्यकता न रह जाए। इसमें अभी समय लगेगा। लेकिन मैं इस बात का अनुमान लगा सकता हूं कि सामाजिक न्याय तथा आरक्षण के लाभकारी प्रभाव से न केवल सरकारी नौकरियों वरन अन्य सभी क्षेत्रों में आज जिन्हें पिछड़ी जाति का माना जाता है उसके प्रत्येग वर्ग के हैं लोग देश के उच्च जातियों के समकक्ष आ जाएंगे। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है,"जाति-व्यवस्था अब खत्म होगी? क्या यह हमेशा बनी रहेगी?" तब मेरा उत्तर होता है, "नहीं जाति व्यवस्था तभी तक कायम रहेगी जब तक हमारे समाज में असमानताएं हैं।"

5.08 म०प०

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, हमारे समक्ष संकल्प सामान्य रूप से समर्थन करते हुए मैं एक ऐसी आरक्षण व्यवस्था का सुझाव देना चाहता हूं जिससे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मेरी समझ से हमारे समाज में एक सार्वभौम आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आरक्षण ने वेतन संबंधित सामाजिक वर्ग की आबादी के अनुपात में हो बल्कि उसके पिछड़ेपन के स्तर के भी समानुपातिक हो। सभापति महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि हर वर्ग समान रूप से पिछड़ा हो तो शत-प्रतिशत आरक्षण की आवश्यकता होगी तथा सामान्य वर्ग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन, जैसा कि विभिन्न वर्ग के लोगों के पिछड़ेपन का स्तर भिन्न-भिन्न है: यदि आरक्षण कोटा जनसंख्या तथा पिछड़ेपन के स्तर के अनुपात में हो, तो अन्त में सामान्य वर्ग के लोग समान प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ जाएंगे और मैं समझता हूं कि ज्यो-ज्यों पिछड़ापन समाप्त होता जाएगा, समाज के सभी वर्ग समानता की स्थिति में आते जाएंगे, सामान्य वर्ग का विस्तार होगा और आरक्षण कोटा समाप्त हो जाएगा।

महोदय, एक दूसरा पक्ष भी है जातिगत आधार पर बंटे समाज में हमें सबसे निचले स्तर से शुरू करना पड़ेगा। अतः प्रत्येक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करते समय आरक्षण का लाभ उस वर्ग के सबसे निचले स्तर के लोगों को मिलनी चाहिए। अब तक वे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उन्हें प्रथमिकता मिलनी चाहिए। आरक्षण किसी जाति समूह को दी जाती है और उससे लाभान्वित होने वाला कोई व्यक्ति विशेष होता है, वे व्यक्ति जो विशेष पिछड़े रहे हैं लेकिन सामान्य वर्ग के समकक्ष आ गए हैं तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सर्वप्रथम आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए लेकिन आरक्षण व्यवस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए। यदि उस वर्ग में लोगों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध न हो तो जाहिर है उस वर्ग से लिए जाने वाले

सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तथा उस वर्ग के अन्य लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त करेंगे। इस तरह आरक्षण कोटा व्ययगत नहीं होगा इसका लाभ अन्य किसी को नहीं मिलेगा, उस वर्ग विशेष को ही और क्षण कोटा का लाभ मिलेगा जिनके लिये यह व्यवस्था की गई है। साथ ही पहले हुआ था कि उस वर्ग के सबसे निचले स्तर के लोगों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलेगी तथा उससे ऊपर के स्तर के लोगों को बाद में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

महोदय, मैंने अभी यह बात कही है कि एक सार्वभौम आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में छोटे-छोटे वर्ग हैं इसलिए उसकी एक निर्धारित सीमा परिभाषित की जानी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि यह सीमा एक प्रतिशत होनी चाहिए तथा वे छोटे-छोटे वर्ग जो एक प्रतिशत की सीमा से कम हों उन्हें किसी बड़े समूह से जुड़ने की स्वायत्तता होनी चाहिए अथवा आपस में ही मिलके एक बड़े समूह में शामिल होने की छूट होनी चाहिए ताकि वे अपना एक समूह बना सकें। लेकिन उन्हें आरक्षण व्यवस्था अथवा आरक्षित कोटा के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अब, जिस प्रशासनिक स्तर पर आरक्षण लागू होगा? हम लोगों ने आज केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विचार करने को सोचा था। सभापति महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो पंच खंभा राज में विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई भी निर्णय तथा रोजगार पांच स्तरों यथा पंचायत, ब्लाक, तहसील अथवा तालुक जिसे जितना कहा जाता है, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है। मेरे विचार से एक ऐसी आरक्षण नीति होनी चाहिए जिसे प्रत्येक स्तर के लोगों के लिए उनकी विविधता के अनुसार लागू हो।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि किन-किन क्षेत्रों में आरक्षण दी जानी चाहिए। मंडल फार्मूला सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित है। हम लोग निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं तथा निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। एक समय में यदि सरकारी नौकरियों को सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रखी गई तो पूरा प्रयास ही अर्थहीन हो जाएगा। अतः इस राष्ट्रीय इच्छा पर बल देने का समय आ गया है कि सभी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। वह सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में हों इसे राज्य की सभी सामाजिक सेवाओं में भी लागू की जानी चाहिए न कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही शिक्षा तो सामाजिक सेवाओं में से एक है। आवास, कल्याण को भी क्यों न लिया जाए। क्षेत्र अथवा व्यक्ति के विकास हेतु सभी सरकारी योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए तथा इसको लाभ समान रूप से सभी वर्गों को मिलनी चाहिए और इसलिए यह संकल्प अपर्याप्त है। इसमें सिर्फ शिक्षा की बात है। मैं इसे समाजिक सेवाओं तथा सभी सरकारी कल्याण कार्यों में लागू करने का पक्षधर हूं।

सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते समय आपने देश के राजनीतिक जीवन में भागीदारी के बारे में कहा। मेरी समझ से आपने बिल्कुल सही कहा कि हम

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

केवल प्रशासनिक क्षेत्र में उन्हें भागीदारी देने से संतुष्ट नहीं हो सकते। समय आ गया है जबकि प्रत्येक समूह को देश के प्रशासन में बराबर भागीदारी का मौका मिले। अतः विधान मंडलों में आरक्षण की प्रणाली होनी चाहिए। पर विधान मंडलों में आरक्षण की चर्चा करने के पहले मैं एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में अपने अंदर देखता हूं और अपने आप से पूछता हूं कि क्या हम पार्टी के काम-काज में, पार्टी की चलाने में, टिकटें वितरित करने में, समाज के उन सभी तबकों को बराबरी का हिस्सा देने को तैयार हैं जिन्हें हम अपने सामाजिक चुनाव क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं? पहले हमें अपनी पार्टी में ही उन्हें महत्व देना चाहिए। राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में हमें यह देखना है कि विधान मंडल में आरक्षण की माग करने के पहले प्रत्येक राजनीतिक दल में लोकतंत्रीयकरण हो और पार्टी के भीतरी प्रशासन में बराबरी हो।

अतः मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जबकि सार्वजनिक और निजी रोजगार, शिक्षा और समाज सेवाओं के अतिरिक्त कानून बनाने के क्षेत्र में भी देश के राजनीतिक प्रशासन में उनकी बराबरी की भागीदारी होगी।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है जो वर्तमान संकल्प का मूल तत्व है, तो मेरी समझ से यह सर्वमान्य तथ्य है कि एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से ले लेना ठगी है। यदि आपके पास शिक्षा का पर्याप्त स्तर नहीं है और आप एक कोटे की घोषणा करके फिर कहते हैं कि किसी खास सामाजिक समुदाय के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता वाले उम्मीदवार भी नहीं हैं, तो इस प्रकार आप वास्तव में जिसे एक हाथ से दिया, उसे दूसरे हाथ से वापस ले लेते हैं। मेरे विचार से आजादी के बाद से हमारी नीति और हमारे समाज की सबसे बड़ी असफलता यह रही है कि हमने 1950 में अपनी जनता को अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने का जनादेश प्राप्त किया था, उसे हम पूरा नहीं कर पाए हैं। जब तक हम शिक्षा का आधार व्यापक नहीं बनाते, जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा की योजना के तहत नहीं लाते, तब तक हम सम्भवतः राष्ट्र की सम्पूर्ण मेधा को प्रस्फुटित नहीं कर पाएंगे। यह मेधा ईश्वर से प्रत्येक मानव में बराबर में मिली है। आवश्यकता केवल इसमें निखार लाने की है।

अतः मैं इस मुद्दे पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार को स्कूल स्तर पर समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की प्रणाली लागू करने के संबंध में अवश्य विचार करना चाहिए तभी आप उस प्रकार का चयन कर पाएंगे जिसका स्कूल स्तर पर कार्य निष्पादन आधारित होगा। पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोई भी आरक्षण प्रणाली अर्थहीन पहेली बनकर रह जाएगी। अतः मेरा यह कहना है कि आपको बजट आवंटन करना होगा; आपको आर्थिक प्रोत्साहन देना होगा; आपको उन गरीब मां-बाप को अपने उन बच्चों के श्रम निवेश को घाटे की क्षतिपूर्ति करने की भी बात सोचनी होगी जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वे स्कूल जाएं। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक बच्चे स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। आपकी जो इच्छा है वह आप कीजिए। अभी विस्तार में जाने का समय मेरे पास नहीं है। परंतु बुनियादी, प्राइमरी, माध्यमिक शिक्षा को लोगों के लिए अर्थपूर्ण, सर्जनात्मक और उत्पादक बनाने के

लिए, हमें शिक्षा के विषय वस्तु की भी जांच करनी है, उसे जीवन के और निकट लाना है और यह बात उनके सामने स्पष्ट करनी है कि बच्चे को मिलने वाली शिक्षा उसके लिए अच्छी बात है। यह व्यापक आधार की शिक्षा होगी जिससे वह प्रतिभा सामने आएगी जिसमें देश के सभी सम्प्रदाय और सामाजिक समूह सन्निहित होंगे। अतः मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम स्कूल स्तर पर हमें शिक्षा के इस प्रश्न पर समुचित ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना आपूर्ति के मांग पूरी नहीं हो सकती। यह मूलभूत आर्थिक सिद्धान्त है। हम मांग उत्पन्न करते है और आपूर्ति नहीं करते; यह जनता को सरासर ठगने का प्रयास है।

हमने समूह अभिनिर्धारित के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर आयोग का गठन कर रखा है। दुर्भाग्यवश, हम अभी तक पिछड़ेपन के स्तर को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य कोई मापदंड तैयार नहीं कर पाए हैं। हमें यह काम करना है। दूसरे, हर जनगणना में समूह जनगणना के साथ इन मापदंडों का आकलन होना चाहिए। आपको समूह जनगणना करानी होगी और प्रत्येक दस वर्ष पर यह देखने के लिए कि सामाजिक समूह के पिछड़ेपन का स्तर राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऊपर उठा है या नीचे आया है, आपको इन मापदंडों की जांच करनी होगी ताकि क्रास-टेबुलेशन द्वारा प्रत्येक सामाजिक समूह के पिछड़ापन का स्तर निर्धारित किया जा सके। आशा है, स्तर ऊंचा ही होगा; अर्थात कोटे में कमी होगी।

जैसा कि मैंने कहा, मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब प्रत्येक समूह का कोटा शून्य हो जाएगा। वह सम्पूर्ण राष्ट्र की श्रेष्ठता की वास्तविक उपलब्धि होगी। आवश्यकता "जाति" जनगणना कराने की है। जाति से मेरा तात्पर्य उस प्रत्येक सामाजिक समूह से है जिसे अभिनिर्धारित किया जा सके। ब्रिटिश काल की क्रास टेबुलेशन की वह प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ताकि किसी भी समय प्रत्येक जनगणना के परिणामस्वरूप प्रत्येक सामाजिक समूह के शैक्षिक या आर्थिक स्तर या रोजगार पैटर्न का निर्धारण किया जा सके। यह अत्यंत अनिवार्य है।

अंत में मैं आयु के मुद्दे पर चर्चा करूंगा। मुझे यह डर है कि आपसे फिलहाल सहमत होने के बावजूद में आगे चलकर आपसे असहमत हो जाऊंगा। मैं आपसे सहमत हूं कि हमारे नौजवानों के चार बैचों के अधिकारों से धोखाधड़ी की गई है। 1990, 1991,1992 और 1993 में जिन व्यक्तियों की अर्हता सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने की थी, उन्हें आयु की छूट मिलनी चाहिए। आंतरिक राजनीतिक दांवपेंच और हमारी न्यायिक प्रक्रिया के कारण के मंडल फार्मूले का लाभ नहीं उठा सके। अतः वे छूट और विचार के पात्र हैं। मैं यहां बैठे माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनके मामले पर सहानुभूति और दयापूर्वक विचार करें।

पर सामान्य रूप से कोई बच्चा 17 वर्ष की आयु में, या यूं कहिये हाई स्कूल से निकलने के चार पांच वर्ष बाद, स्नातक बन जाता है, तो उसे ले लिया जाना चाहिए। एक समय आएगा जब ऐसा होगा।

मुझे पता है कि आज सभी सामाजिक समूहों के बच्चे लगभग 17 वर्ष की आयु में हाई

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

स्कूलों से नहीं निकल रहे हैं। मुझे मालूम है कि हमारे समाज की निचली जातियों और पिछड़े वर्गों के बच्चे थोड़ी अधिक आयु में हाई स्कूल से उत्तीर्ण होते हैं, अतः उन्हें कुछ रियायतें देने की आवश्यकता है। पर बाद में जब हर कोई 17 वर्ष की आयु में हाई स्कूल उत्तीर्ण होता है तो उसे हाई स्कूल से निकलने के चार वर्षों बाद नौकरी के लिए चुना जाना चाहिए और सबको बराबर तीन मौके मिलने चाहिए।

अतः, भविष्य के संदर्भ में मैं आयु में किसी प्रकार की छूट के विरुद्ध हूं, पर सभापति महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि फिलहाल उन लोगों को आयु में छूट मिलनी चाहिए जो गत चार वर्षों में मंडल आरक्षण के अंतर्गत मिली सुविधाओं से लाभ नहीं उठा सके।

इन शब्दों और इन शर्तों के साथ मैं सदन के समक्ष विचाराधीन इस संकल्प का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : सभापति महोदय, मैं राममूर्ति जी द्वारा लाए गए बिल का जिसमें पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की मांग की गई है, समर्थन करते हुए अपने कुछ अनुभव संक्षेप में आपको बताना चाहती हूं। जहां तक संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी उनको वह प्राप्त नहीं होता है। मैं जब 1975 में पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्य के रूप में गई थी, तो जो मैंने वहां पर अनुभव किया वह यह कि इन लोगों को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता। पहले तो इनकी 1980 में लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष करने के बाद भी पोस्टें एडवर्टाइज नहीं की जाती। यदि पोस्टें एडवर्टाइज की जाती, तो इन लोगों को कोई पोस्टें नहीं रखी जाती क्योंकि रोस्टर सरकार के पास नहीं था, तैयार नहीं किया जाता था होता है और यह रोस्टर अपने-अपने विभाग में तैयार नहीं किए जाते हैं, इसलिए उनको उनका हक नहीं दिया जाता है। अगर किसी कारण से पोस्टें एडवर्टाइज हो जाती हैं और वे एप्लाई कर देते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन रिजैक्ट कर दी जाती थी, अगर उनकी एप्लीकेशन ऐक्सैप्ट हो गई, तो उनको इंटरव्यू के लिए लैटर इश्यू नहीं होते थे, और अगर इंटरव्यू के लिए लैटर इश्यू हो जाते हैं, तो उन्हें सिलैक्शन में रिजैक्ट कर दिया जाता है, इस आधार पर कि यह इस पोस्ट के लायक नहीं है। अगर किसी वजह से वह सिलैक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें अपाईंटमेंट लैटर नहीं जाती या उनको मैडीकल में फेल कर दिया जाता है और अगर कोई बहुत ही किस्मत वाला होता है और उसको नौकरी मिल जाती है, तो आगे उसका रिकार्ड खराब कर दिया जाता है ताकि उसे आगे जाकर उसकी प्रमोशन न हो सके।

सभापति महोदय, ये सब बातें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूं। मंत्री जी से भी मैं कहना चाहती हूं कि जो भी सरकार आती है, सब आरक्षण की बात करती हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इस वास्तविकता में कोई नहीं जाता है और अभी भी ऐसा सब कुछ हो रहा

है। सारे हिन्दुस्तान में ऐसा हो रहा है। बैंकों में, युनिवर्सिटियों में, स्कूल, कॉलेज और नौकरियों में ऐसा हो रहा है। मैं तो यहां तक कहना चाहती हूं कि जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट हैं उसमें हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट जब तक इन जाति का नहीं होगा तब तक इन लोगों को यह आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता है जितना इनका आरक्षण है क्योंकि उनका रिज़र्वेशन तो है, लेकिन मानसिकता की कमी है। यह मानसिकता की बात है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इनको आरक्षण नहीं मिल सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने गैस एजैंसी के बारे में कहा है। मैं भी कहना चाहती हूं कि प्रतिशत के अनुसार गैस एजैंसी नहीं मिलती है। यदि मिल भी जाए तो उनके नाम से दूसरे लोग ले लेते हैं। उनको नए कनैक्शन नहीं मिलते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मिल जाते हैं। किसी न किसी तरह से दांव-पेच लगाकर उनको किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता है तथा गैस एजेंसी कैंसिल कर दी जाती है।

स्कॉलरशिप के बारे में भी अभी कुछ बातें कही गईं। मैं समझती हूं कि अनुसूचित जनजाति के स्कॉलरशिप देने का तरीका भी गलत है। बच्चा जब स्कूल जाता है, उस समय उसे किताबों के लिए, वर्दी के लिए पैसा चाहिए होता है लेकिन उसे छः महीने में या साल के आखिर में पैसा दिया जाता है। उनके लिए भी ऐसा प्रावधान है कि वह बैंक में जमा होगा। आप जानते हैं कि ग्राम के लोग अधिकतर अनपढ़ होते हैं। यह मेरा स्वयं का अनुभव है और मैंने गांव-गांव जाकर देखा है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप इस ओर भी ध्यान दें कि जो पैसा सेंटर स्टेट को भेज रहा है, उसका वितरण ठीक से हो रहा है या नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि उसका वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। आपके पास ऐसी कोई एजैंसी नहीं है जो यह सब देखें।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती। यहां सब माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे थे तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने विचार रखूं।

गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया है, इतिहास इस बात का साक्षी है। लेकिन आजकल गांधी जी को भी इस प्रकरण में विवादास्पद बना दिया गया है। लेकिन इतिहास के पन्ने फाड़ देने से या उस पर कालिख पोत देने से इतिहास नहीं बदलता। वह हमारे सामने है।

मैं श्री रामामूर्ति द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करती हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूं।

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, श्री रामामूर्ति द्वारा लाए गए बिल का मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। जब तक किसी भी वर्ग की शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक उस वर्ग का विकास नहीं हो सकता। पिछड़े वर्ग को शिक्षा से हमेशा वंचित रखा गया है। हम पहले ही पिछड़े हुए थे, 46 वर्षों में और भी ज्यादा पिछड़ गए क्योंकि हमें शिक्षा नहीं दी गई। पिछड़े वर्ग के

[डा० परशुराम गंगवार]

ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, खेती का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया इसलिए उनका विकास नहीं हो सका।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग हैं लेकिन आरक्षण 27 प्रतिशत ही दिया गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 27 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही 10 प्रतिशत आरक्षण उन लोगों को दिया जाए जो वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

मैं सरकार का ध्यान देश की दुर्दशापूर्ण नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार द्वारा 1993 को घोषित नीति दोषपूर्ण है। सरकार ने इस नीति को लागू करने के सन्दर्भ में लोगों के साथ भेदभाव बरता है।

पिछड़े वर्ग के प्रति सरकार की दुविधापूर्ण आरक्षण नीति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार द्वारा सितम्बर 1993 को घोषित अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण नीति दोषपूर्ण ही नहीं बल्कि अवैधानिक भी है। सरकार ने इस नीति को लागू करने के क्रम में सभी संदर्भगत व प्रांसगिक तथ्यों की उपेक्षा कर पिछड़े समुदाय के प्रति भेदभाव बरता है। बिना उम्र सीमा एवं अवसरों की संख्या में छूट दिये, आरक्षण देना उनके साथ क्रूर मजाक ही है। यह आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये किया गया है। संविधान की अनुशंसा के अनुरूप आरक्षण प्राप्त 9 विशेष वर्गों के उम्मीदवारों को वे सभी सुविधायें प्राप्त हैं, जो आरक्षण की मूल भावना के अनुरूप हैं एवं जिन सुविधाओं के बिना यह अधूरा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट से पिछड़े वर्गों की युवा पीढ़ी को यह लगा कि उसे आरक्षण के तहत कुछ राहत मिलेगी और वे भी सरकारी सेवा के उच्च तथा मध्यम स्तर की परिक्षाओं में सफल होकर न्यायाचित स्थान ले पायेंगे परन्तु उन्हें न्याय नहीं मिला।

5.31 म०प०

[श्रीमती सन्तोष चौधरी पीठासीन हुईं]

चार मार्च, 1994 को मंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में यह कहा था कि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के विस्तार का प्रावधान नहीं है। फिर 17 मार्च, 1994 को यह कहा कि उन उद्योगों तथा व्यापारिक संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, संघ सरकार और राज्य सरकारों से भूमि तथा अन्य प्रोत्साहनों के रूप में सहायता प्राप्ति का कोई आरक्षण नहीं है। फिर 18 मार्च, 1994 को कहा कि लिखित सेवाओं, पदों में भर्ती के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों को आयु में छूट देने का कोई निर्णय नहीं हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर, 1992 के अपने ऐतिहासिक फैसले में 13 अगस्त, 1990 में घोषित आरक्षण नीति को वैध ठहराया लेकिन सरकार ने पुनः विलम्ब व टालमटोल की नीति का अनुसरण करते हुए इसके कार्यान्वयन की घोषणा सितम्बर, 1993 में की। सरकार अपनी घोषणा में

अस्पष्ट ही रही और उस सीमा, अवसरों की संख्या व शुल्क में छूट का प्रावधान नहीं किया। यह सरकार की दोहरी नीति नहीं तो और क्या है?

मेरा सरकार से आग्रह है कि अब समय आ गया है कि उन अन्य पिछड़ों के लिये 27 परसैंट की जगह 50 परसैंट तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिये 10 परसैंट आरक्षण की व्यवस्था करें। जैसा आरक्षण विशेष वर्गों को दिया गया है जिस में सरकारी सेवाओं में उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट हो, अवसर की संख्या पर पाबंदी में भी समान रियायत हो, शुल्क माफ हो।

इस प्रकार केन्द्र सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति अपनी नीयत साफ कर आरक्षण देकर मौलिक भावनाओं का सम्मान करे। यदि उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो पिछड़ा वर्ग चुप नहीं बैठेगा क्योंकि वह जाग चुका है। वह अपना हक लेकर रहेगा और जबर्दस्ती आरक्षण लेकर ही मानेगा।

इसी के साथ मूर्ति जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मूर्ति जी को धन्यवाद देता हूं जो कि ऐसा प्रस्ताव लेकर आये। पिछड़े वर्गों के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण और आयु में छूट देने की बात उसमें कही गई है।

सभापति महोदय, मनुष्य दो प्रकार से गरीब और अमीर होता है। एक धन से होता औ और दूसरा मन से होता है। जो आदमी धन से गरीब है, उसको हम चाहे तो उसके हाथ में रुपया दे दें तो हम उसको क्षण भर में अमीर बना सकते हैं पर जो मन से गरीब है, उसको हम चाहें तो तुरन्त अमीर नहीं बना सकते हैं। उसके लिए समय लगेगा और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने उनको मन से अमीर बनाने के लिए, जो हजारों वर्ष से पिछड़े हुए हैं, यह प्रावधान किया था। यह आरक्षण की नीति केवल सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवा के लिए ही नहीं है। आरक्षण की नीति सामाजिक गैरबराबरी के दूर करने के लिए है, सामाजिक न्याय के लिए है। यह पिछड़े वर्ग के लोगों को मन से ऊपर उठाने के लिए है, यह पिछड़े वर्ग में स्वाभिमान जगाने के लिए है, यह देश की समता और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए है। मगर हम इनको समता और समृद्धि की ओर कैसे ले जायेंगे, लोगों को नौकरी कैसे दिलाएंगे। अगर अखाड़ा तैयार नहीं हो और हम कहें कि पहलवान लड़ जाय तो पहलवान कैसे लड़ेगा। उनको नौकरी और समाज में स्थान दिलाने के लिए जो शिक्षा की जरूरत है, उसमें जगह नहीं मिले तो सरकारी नौकरियां में कैसे उसको जगह मिलेगी। आज देश में जो शिक्षा की नीति चल रही है, उसमें गांव के स्कूलों में मजदूर पैदा होते हैं और शहर के पब्लिक स्कूलों में हुजूर पैदा होते हैं। गांव के स्कूल में एक लड़के पर एक से चार रुपये खर्च होते हैं और शहर के पब्लिक स्कूलों में एक विद्यार्थी पर 100 से 1000 रुपये तक खर्च होते हैं। इसीलिए डा० लोहिया, जो महान समाजवादी, नेता, चिन्तक और विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि "राष्ट्रपति का लड़का हो या हो चपरासी की संतान, प्राथमिक शिक्षा एक समान"। अगर प्राथमिक शिक्षा सब के लिए एक समान होगी, जिसमें राष्ट्रपति का लड़का भी पढ़ेगा और चपरासी का लड़का भी पढ़ेगा तो राष्ट्रपति देखेगा कि स्कूल ठीक तरह से चल रहा है या नहीं, स्कूल में छप्पर है या नहीं, ब्लैक बोर्ड है

[श्री मंजय लाल]

या नहीं। अगर वहां पढ़कर चपरासी का लड़का बर्बाद होगा तो मेरा लड़का भी बर्बाद होगा तो स्कूल ठीक से चलेगा।

संविधान में कहा गया था कि 10 वर्ष में हम सब लोगों को शिक्षित कर देंगे, मगर आज अशिक्षा और गरीबी दोनों जुड़वां भाई हैं। आज दोनों देश में साथ-साथ चल रहे हैं। जिस तरह गरीबी बढ़ रही है, उसी तरह अशिक्षा का प्रसार भी बराबर हो रहा है। दोनों का प्रतिशत भी लगभग बराबर है। इसके लिए यह जो संकल्प लाया गया है, यह ठीक है। मगर सरकारी नौकरी हैं कहां? सारे देश में सरकारी नौकरियां 87 लाख हैं और हमारी आबादी 90 करोड़ है तो 100 में से एक को नौकरी मिल सकती है। नई आर्थिक उदारीकरण की नीति जो देश में आई है, इसके तहत जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में आयेंगी तो आटोमेशन होगा, स्वचालित मशीनें लगेंगी तो हमारी यह नौकरियां भी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का जब निजीकरण हो जायेगा तो सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। हमारे पास पैसा है तो हम किसी को भी उठाकर दे सकते हैं पर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम किसको देंगे। जब हमारे पास नौकरी ही नहीं रहेगी तो किसको देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। अभी संविधान में यह प्रावधान नहीं है मगर संविधान में यह प्रावधान करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने तो निर्णय दे दिया है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं कर सकते हैं मगर तमिलनाडू में 69 परसैंट आरक्षण है। अभी जो पिछड़े लोग हैं, वह कहते हैं कि आरक्षण को और बढ़ाया जाय। मैं चाहता हूं कि देश को आगे बढ़ाना है, समता और समृद्धि की ओर ले जाना है, भाईचारा कायम करना है और गांधी जी के सपनों का स्वराज बनाना है तो हमें संविधान में परिवर्तन करना होगा। और आरक्षण के प्रतिशत को और बढ़ाना होगा। आज हजारों सालों से सोये पिछड़े वर्ग के लोग जाग गए हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनके आन्दोलन को नक्सलाइट कहा जाता है, नक्सलाइट वे हैं, जिनकी माताओं और बहनों के साथ वर्षों से अत्याचार हुआ है और पिछड़े रहे हैं। वे भी चाहते है कि पसीने की रोटी और इज्जत की जिन्दगी प्राप्त करें। वे इज्जत की जिन्दगी जीना चाहते हैं, लेकिन उनको नक्सलाइट कह कर मारा जाता है। हजारों वर्षों से पिछड़ी जातियां हैं, जो आदिवासी है, हरिजन हैं, उनको अब कोई रोकने वाला नहीं है। नदी में जब बाढ़ आती है और उसकी धारा पर यदि कोई आदमी खड़ा हो जाता है, तो वह उस नदी की धारा में बह जाता है और मर जाता है। नदी के तेज धारा में कोई भी रुकने वाला नहीं है। अब इन लोगों में जागृति पैदा हुई है, उत्साह आया है, जोश आया है, होश आया है, इसलिए वे अब रुकने वाले नहीं हैं।

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० तंग्काबालू) : महोदय, इस संकल्प के लिए आवंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। मेरा यह सुझाव है कि इसके लिए थोड़ा समय और बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यों की राय है कि इस संकल्प का समय बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : समय और बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदया : इस संकल्प का समय एक घन्टा और बढ़ा दिया जाता है।

श्री मंजय लाल : डा० लोहिया साहब कहा करते थे, पिछड़ा पावे सौ में साठ। वे मुसलमानों और औरतों को भी आरक्षण दिलवाना चाहते थे। वे औरतों को भी पिछड़ा मानते थे। वे कहते थे, जब मैं यह कहता हूं कि पिछड़ा पावे सौ में साठ, तो मैं मुसलमान भाइयों और सारे घर की औरतों को आरक्षण दिलाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, संसदीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे प्रधानमंत्री जी से कहें और इसी सत्र में आरक्षण बढ़ाने से संबंधित बिल लाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री पी०पी० कालिया पेरूमल (कुड्डालोर) : आदरणीय सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संकल्प का स्वागत करता हूं। मैं अपने माननीय मित्र श्री के० राममूर्ति को इस संकल्प को प्रस्तत करने के लिए बधाई देता हूं।

इस संकल्प की आवश्यकता पिछड़े वर्गों में विद्यमान तीन बातों के कारण हुई है। भारतीय मानव समाज के आने से भी अधिक लोग पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं क्योंकि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वे भारत की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत हैं। किन्तु इन वर्गों में अधिकांशतः अभागे निर्धन लोग हैं। ये लोग भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त किसान, छोटे किसान, दस्तकार, फेरीवाले आदि हैं। कच्ची मिट्टी की झोपड़िया ही उनके महल हैं। उनके मकान सड़कों के किनारे बने हुए हैं ऋणग्रस्तता ही उनकी विरासत है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षित रहते हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति यही है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी स्थिति निराशाजनक है। केन्द्र सरकार में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। स्वयं मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य ही है। प्रथम श्रेणी सेवा में उनका प्रतिनिधित्व 2.6 प्रतिशत है। प्रथम श्रेणी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 11,707 है। किन्तु इनमें अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की कुल संख्या 303 है। इस प्रसकार से प्रथम श्रेणी सेवा में इनका प्रतिनिधित्व मात्र 2.6 प्रतिशत है। क्या यह सत्ता का न्यायोचित बंटवारा है? बिल्कुल नहीं। महोदया, इसी प्रकार स्वशासी निकायों में भी क्षेत्री सेवा में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम ही है। इनमें इनका प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत है। स्वशासी निकायों में प्रथम श्रेणी के कुल 81325 पद हैं जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की

[श्री पी० पी० कालिया पेरूमल]

संख्या केवल, 4,147 इसी प्रकार सरकारी उपक्रमों में 80,994 प्रथम श्रेणी के कुल 80994 पद हैं जिनमें से अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की कुल संख्या केवल 3,719 ही है और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत 4.59 है। ये आंकड़े यह बात स्पष्ट दर्शाते हैं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सेवाओं में पर्याप्त भागीदारी नहीं है।

इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुसार अथवा अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा क्यों नहीं मिल सका है? इसके दो कारण हो सकते हैं। इन पदों के लिए अर्ह शिक्षित युवक उपलब्ध भी है। दूसरा प्रश्न यह है कि वे मैरिट के मानक के साथ मेल नहीं खाते हैं। सत्ता में हिस्सेदारी में अल्प प्रतिनिधित्व के ये दो कारण हैं।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं। क्या पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी जन्मजात मूर्ख होते हैं? क्या उनकी बुद्धि मंद होती है? यदि कोई ऐसा कहता है तो यह उनकी भूल है। यह भ्रम है। यह तो एक भ्रामक प्रचार है। इन दयनीय वर्गों के युवक बुद्धिमत्ता के मामले में किसी अन्य वर्ग अथवा जाति के युवकों से कम नहीं हैं। सभी बच्चों में शक्ति निहित रहती है जो उनमें छुपी रहती है। शिक्षा का कार्य बच्चे में छुपी हुई प्रतिभा को केवल प्रकट करना है। अत: वे श्रेणी एक अथवा अन्य सेवाओं आवेदन करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं प्राप्त कर पाने में समक्ष क्यों नहीं हैं? इसके कई कारण हैं। अपने माता-पिता की गरीबी के कारण उन्हें आर्थिक पृष्ठपोषण नहीं मिल पाता है। दूसरे उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं।

भारत में शैक्षणिक पाठ्यक्रम और शिक्षक संस्थानों में भी दोहरापन है। यहां दून जैसे भी स्कूल हैं और दुर्भाग्यग्रस्त स्कूल भी हैं। यहां बिना इमारत के स्कूल भी हैं। यहां बिना छत के स्कूल भवन भी हैं। यहां बिना अध्यापकों वाले स्कूल भी हैं। ऐसे अध्यापक भी हैं जिनके पास पढ़ाने के लिए सामग्री ही नहीं है। हमारे यहां ऐसे अन्य विद्यालय और उच्चतर विद्यालय हैं जहां पुस्ताकलय प्रयोगशालाएं और शौचालय नहीं हैं। ये ही वे स्कूल हैं जहां पर पिछड़े वर्गों के छात्रों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश मिलता है।

महोदया, उनके घर अथवा उनके शैक्षणिक संस्थानों में उन पर न तो कोई विशेष ध्यान ही दिया जाता है और न ही उन्हें विशेष कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षण संस्थानों की कमी, व्यवसायगत अड़चने शिक्षित युवकों की बेरोजगारी के कारण होने वाली हताशा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो आवश्यकता पर धारित पेशे में प्रशिक्षित कर पाने में असफल रहती हैं, सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होते जाना और विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा का अभाव आदि हीं कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से पिछड़े वर्गों के छात्र योग्यता के मानकों को उपलब्ध कर पाने में असफल रहते हैं। भारत में छात्राएं विद्यालय नहीं जा सकती हैं। उन्हें डराया जा रहा है।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था भेदभाव और दोहरेपन से ग्रस्त है। अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकतर

छात्रों को घटिया स्कूलों में दाखिल कराया जाता है। इसलिए स्कूलों में दाखिले के समय मैरिट पर विचार करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मैरिट क्या है और मेरिट के मानक का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है? मेरिट के मानव का निर्धारण परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। बच्चे की स्मरण-शक्ति ही एकमात्र परीक्षा है। जिन बच्चों की स्मरण-शक्ति अधिक है उन्हें अधिक अंक मिलते हैं। वर्तमान प्रणाली में, अच्छे अंक तो गलत तरीके अपनाकर और चालाकी से भी हासिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार से मैरिट के मानक निर्धारण की वर्तमान प्रणाली बेकार ही है।

सभापति महोदया, शिक्षा तो जीवन-पर्यन्त चलते रहने वाली प्रक्रिया है और ऐसा नहीं है कि यह स्कूलों और कालेज शिक्षा के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतः हमें प्राप्तांकों को महत्व क्यों देना चाहिए? हम उन्हें अपनी इच्छानुसार ही शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान करें। अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र अच्छी मैरिट मानकों पर तभी खरे उतर सकते हैं जब उनके साथ इससे बेहतर व्यवहार किया जाए, बेहतर शिक्षा दी जाए, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनके लिये कोचिंग की विशेष व्यवस्था की जाए और उन्हें आर्थिक पृष्ठपोषण मिले।

डा० अम्बेडकर ने यह कहा था कि सत्ता हासिल करने के लिए शिक्षा एक गुप्त हथियार है। और सत्ता हर ताले को खोल देने वाली चाबी है। हमें बोनस मैरिट मानकों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों को पीछे नहीं धकेलना चाहिए। शिक्षक संस्थानों में सीट हासिल करने के लिए धन के भुगतान को अब कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अन्य गरीब वर्गों के निर्धन छात्र पैसा देकर व्यवसायिक कालेजों में किस प्रकार से दाखिला पा सकते हैं? वे जिन कारणों से मेरिट में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते उनका मैंने ऊपर उल्लेख कर ही दिया है।

महोदया, शिक्षक संस्थानों के सभी क्षेत्रों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करना न तो असवैधानिक है और न ही अन्याय है। यह कदम संवैधानिक है और यह पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय दिलाने का एक मार्ग है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से विशेष देखभाल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से संरक्षण की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। अतः, इन्हीं कारणों से मैं अपने माननीय मित्र द्वारा रखे गए प्रस्ताव का पूरे मन से समर्थन करता हूं। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित कोटा 52 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए।

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : सभापति महोदया, मैं अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान करने और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के बारे में सभा के समक्ष रखे गए संकल्प के बारे में बोलना चाहता हूं।

महोदया, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लगभग सभी राज्यों में लागू है और विशेषतः तमिलनाडु राज्य में यह आरक्षण जस्टिस पार्टी के समय से वर्ष 1920 से ही लागू है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की त्वरित उन्नति को बढ़ावा देने के लिए

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता हमेशा ही बढ़ायी गई है और इसमें कभी कटौती नहीं की गई है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार पिछड़ी जातियों के हितों के संरक्षण के मामले में हमेशा से पीछे रही है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के तैयार होने के बाद इसे एक दशक से भी अधिक समय से लागू नहीं किया गया परन्तु इसके बाद अपरिहार्य राजनीतिक कारणों से एकाएक केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई। तत्पश्चात् इस अधिसूचना की जांच के लिए उसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष रख दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिसूचना के पक्ष में अपने निर्णय में अन्य पिछड़े वर्ग के सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभ से अलग रखने की शर्त लगा दी।

उच्चचतम न्यायालय ने आरक्षण पर अपने निर्णय के दौरान बताया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक न हो। इससे विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाएं प्रभावित हुईं जिसमें उच्च पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के स्थिर और निरन्तर विकास के लिए पचास प्रतिशत से भी अधिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

केवल तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा ही अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में संवैधानिक अधिदेश को समझते हुए अधिक प्रतिशतता की व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तीस प्रतिशत, अत्यधिक पिछड़ी जातियों के लिए बीस प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए अठारह प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस समय तमिलनाडु में कुल उनहत्तर प्रतिशत आरक्षण लागू है जो तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धन और पिछड़े लोगों के लिए दिया गया एक संवैधानिक उपहार है।

पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के और नेता के रूप में उनके हितों के संरक्षण के लिए उभरे जोरदार और सार्थक द्राविण आंदोलन के परिणामस्वरूप तमिलनाडु में उनहत्तर प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संतुलित सामाजिक विकास के लिए आरक्षण की कल्पना पेरियार, अन्ना और डा० एम० जी० आर० के नेतृत्व में उल्लास और सफलतापूर्वक चलाए गए द्राविण आंदोलन की देन है और इस समय इसका नेतृत्व सबके हितैषी डा० पुराथाची थलैवि कर रहे हैं।

मैं सभा को महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाऊंगा कि तमिलनाडु की जनता ने कुछ समय पहले वर्ष 1967 में कांग्रेस पार्टी को राज्य में हराया क्योंकि जनता का यह विचार था कि दलितों और पिछड़ों के हितों के संरक्षण के महत्वपूर्ण कार्य के लिए कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता

है। लोगों के समर्थन से द्राविण आंदोलन सत्ता में आया। आज लोगों ने अपना व्यापक समर्थन देकर डा० पुराथाची थालैवि को द्राविण आंदोलन का निर्विरोध नेता चुना है।

सदन के लिए यह बहुत दोषजनक बात है कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के पक्ष के निर्णय देने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इस आशय की अधिसूचना जारी करने में लगभग दो वर्ष का समय लगाया। इससे यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार अन्य पिछड़े वर्गों की कितनी परवाह करती है।

सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेश में विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने और आयु सीमा में छूट देने की सुविधा से अलग रखा गया है। जबकि राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ये दोनों ही सुविधायें प्रदान की हैं। यह समझना चाहिए कि विकास के लिए आरक्षण प्रोत्साहन स्वरूप है। यह संविधान के अंतर्गत समाज को दी जाने वाली सहायता है। यह सहायता शर्तों अथवा प्रतिबंधों पर आधारित नहीं है। यह सहायता व्यापक सर्व पक्षीय और अधिकतम होनी चाहिए। अतः, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट की सुविधा प्रदान करने में केन्द्रीय सरकार की विफलता से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि केन्द्रीय सरकार पिछड़े वर्गों का विरोधी है।

महोदया, तमिलनाडु का होने के नाते मैं तमिलनाडु के बारे में यह बताते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि भारत में केवल यही एक राज्य ऐसा है जहां अस्पृश्ता की प्रथा नहीं है। डा० पुराथाचि थलैवि के गत्यात्मक नेतृत्व में सांविधिक आवश्यकता को पूरा करते हुए अनुसूचित जातियों,

6.00 म०प०

अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को मंदिरों में पुरोहितों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत विद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को लेखाध्ययन कराया जाता है। यह हमारे नेता डा० पुराथाचि थलैवि के सामाजिक साधन और समाज के प्रति समर्पण का परिणाम है।

द्राविण आंदोलन न केवल एक मांगों पर आधारित आंदोलन है अपितु एक सुधारात्मक आंदोलन भी है। महात्मा बुद्ध के पश्चात् द्राविण समाज की सामाजिक संरचना में भारी परिवर्तन लाने वाले पेरयार ही थे। द्राविण आंदोलन के सिद्धान्त का भारत के सभी लोगों द्वारा अनुकरण किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण की नीति के आधार पर आवश्यक सामाजिक संतुलन स्थापित किया जा सके। श्री पेरियार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज डा० पुराथाचि थलैवि श्री पेरयार के अवतार के रूप में हमारे बीच हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से यह अनुरोध करता हूं कि वह संविधान के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के मामले में डा० पुराथाचि थलैवि की नीति अपनायें।

तमिलनाडु विधान सभा ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया है कि उच्चतम

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

न्यायालय के निर्णय द्वारा कुल आरक्षण की निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान में संशोधन किया जाए ताकि तमिलनाडु में इस समय लागू 69 प्रतिशत आरक्षण का संरक्षण किया जा सके। केवल संविधान में संशोधन के द्वारा ही इस निर्णय का मुकाबला किया जा सकता है क्योंकि इससे तमिलनाडु सरकार के विकास संबंधी प्रयासों के समक्ष गम्भीर संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मामले में केन्द्र चुप बैठी है। इस संबंध में संविधान में संशोधन करने के मामले में विलम्ब से मेरे इस तर्क की पुष्टि होती है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों के हितों का विरोधी है। अतः, कांग्रेस पार्टी के सदस्य द्वारा रखा गया यह संकल्प मात्र दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। उनकी सरकार में समर्पण की कमी है और इस मामले के महत्व को बढ़ाने के लिए उनके सदस्य द्वारा संकल्प रखे जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। अतः मैं इस निरर्थक प्रयास का समर्थन नहीं कर सकता। सरकार द्वारा इस आशय का संकल्प रखा जाए और इसे हमारी पार्टी का समर्थन मिलेगा और सरकार द्वारा इस संकल्प पर तत्काल कार्यवाही की जाए। सरकार हमें यह वचन दे कि वह आरक्षण की सीमा से 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को आयु सीमा में छूट प्रदान करने और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यकारी आदेश में भी संशोधन किया जाए। हम यह सब कुछ चाहते हैं।

सभापति महोदय : इस संकल्प के बारे में कई अन्य सदस्य बोलने वाले हैं। परन्तु हमने आज की बैठक केवल 6 बजे तक करने का निर्णय लिया है। शेष सदस्य इस मामले पर चर्चा में बाद में भाग ले सकेंगे।

सभा सोमवार, 2 मई, 1994 को 11.00 बजे म० पू० को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.03 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 मई, 1994/12 वैशाख, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।